शुक्रवार, 11 अप्रैल 1985
21 चैत्र, 1907 (शक)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

**दूसरा सत्र**
**(आठवीं लोक सभा)**

PARLIAMENT LIBRARY
No. ............
Date ............

**( खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है )**

**लोक-सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**

मूल्य : चार रुपये

## विषय-सूची

अंक 21, गुरुवार, 11 अप्रैल, 1985/21 चैत्र, 1907 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 385, 386 | 1—23 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 387 से 389, 393 से 396 और 398 से 404 | 23—29 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 2546 से 2702 और 2704 से 2754 | 29—166 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 166—171 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 171—175 |
| (एक) बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर और आस-पास के गांवों में टैंकरों द्वारा पेयजल की व्यवस्था करने हेतु सैनिक प्राधिकारियों को निदेश देने की आवश्यकता | |
| श्री वृद्धि चन्द्र जैन | 171—172 |
| (दो) मुरादाबाद के पीतल उद्योग की सहायता करने के लिए नट कोक और पर्ल कोक की सप्लाई करने की मांग | |
| श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक | 172 |
| (तीन) सम्भलपुर से उड़ीसा के पश्चिमी भागों तक दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण करने हेतु वहां पर एक 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता | |
| डा० कृपासिन्धु भोई | 173 |
| (चार) नौकाओं से यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक नयी यात्रा विकास निगम स्थापित करने की आवश्यकता | |
| श्री दिग्विजय सिंह | 173 |


*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

| | |
|---|---|
| (पांच) अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, कश्मीरी गेट, दिल्ली का विस्तार करने तथा उसके प्रबन्ध को सुधारने की आवश्यकता | |
| श्री जयप्रकाश अग्रवाल | 173—174 |
| (छः) मुरैना, मध्य प्रदेश में एक तेलशोधक कारखाना खोलने की आवश्यकता | |
| श्री कम्मोदीलाल जाटव | 174 |
| (सात) एन०आर०ई०पी० और एन०एल०एल०ई०जी० कार्यक्रमों के अधीन मिर्जापुर जिले के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता | |
| श्री उमाकान्त मिश्र | 174 |
| (आठ) नवम्बर में हुए दंगों के दौरान आजादपुर फल मण्डी के आस-पास फलों से लदे हुए ट्रकों को आगजनी से पहुंची क्षति तथा इससे प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की आवश्यकता | |
| प्रो० सैफुद्दीन सोज | 175 |
| (नौ) 9 अप्रैल, 1985 को हुई आकस्मिक वर्षा के कारण राजधानी में सार्वजनिक जीवन का अस्त-व्यस्त हो जाना तथा जल-निकासी व्यवस्था का सुधार करने की आवश्यकता | |
| श्री सत्यगोपाल मिश्र | 175 |
| सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें, 1985-86 (जारी) | 175—224 |
| इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (असमाप्त) | |
| श्री एस०एम० भट्टम | 178 |
| श्री गिरधारी लाल व्यास | 185 |
| श्री पूर्ण चन्द्र मलिक | 189 |
| श्री विष्णु मोदी | 192 |
| श्री ए०सी०शनमुगम | 196 |
| डा० पी० वल्लल पेरुमन | 199 |
| श्री वी०एस० कृष्णा अय्यर | 201 |
| श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह | 204 |
| श्री ललितेश्वर शाही | 206 |
| डा० कृपासिन्धु भोई | 208 |
| श्री नारायण चौबे | 213 |
| श्री शान्ति धारीवाल | 215 |

श्री योगेश्वर प्रसाद 217

श्री राम प्यारे पनिका 220

श्री मानवेन्द्र सिंह 223

पंजाब में सामान्य स्थिति कायम करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए कतिपय निर्णयों के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री बी० एस० चह्वाण 225

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें, 1985-86 (जारी) 225—226

(इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय)

(जारी—असमाप्त)

श्री अमल दत्ता 225

श्री आर० जीवारतिनम 229

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी 231

श्री लाल विजय प्रताप सिंह 231

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी 233

श्री के० राममूर्ति 235

श्री सलाहुद्दीन 238

श्री हरिहर सरोन 239

श्री कमल नाथ 242

श्री मूलचन्द डागा 246

श्री के० नटवर सिंह 247

श्री जगन्नाथ पटनायक 253

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 253

# लोक सभा

शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1985/21 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे के फ्लाई ओवर का गिर जाना

[अनुवाद]

*385. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे का फ्लाई ओवर 23 फरवरी, 1985 को गिर गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) गम्भीर रूप से घायल हुए लोगों की हालत क्या है;

(घ) क्या सरकार ने घायल मजदूरों को कोई मुआवजा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो मुआवजे की दर क्या है और कुल कितना मुआवजा दिया गया है अथवा दिया जाना है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) अरमेनियन घाट समपार के निकट ऊपरी पैदल पुल का पश्चिमी भाग 23 फरवरी, 1985 को गिर गया था ।

(ख) यह घटना कंक्रीट डालते समय कम्पन की वजह से लकड़ी की पच्चड़ें खिसक जाने के कारण हुई ।

(ग) रेलवे अस्पताल में भर्ती कराए गए ठेकेदार के तीन श्रमिकों में से दो को छुट्टी दे दी गई है । अस्पताल में तीसरे श्रमिक की हालत में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है ।

(घ) और (ङ) तीनों घायल श्रमिकों को 500-500 रुपए की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत यथा अनुमेय मुआवजा ठेकेदार द्वारा देय होगा ।

**श्री नारायण चौबे** : महोदय, हाल ही में अमृतसर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में तो आप जानते ही हैं जिसमें 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है । यह ठेकेदार की वजह से हुई है जिसने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया । इसमें बेचारे 40 से अधिक यात्रियों की, जो बिहार और

उत्तर-प्रदेश से आ रहे थे, मृत्यु हो गई। इस तरह के सिविल कार्यों के लिए, जो पहले ठेकेदारों द्वारा नहीं करवाए जाते थे अब ठेकेदारों को नियुक्त करना एक फैशन सा हो गया है। यहां पर इस दुर्घटना का यह कारण बताया गया है कि कंक्रीट डालते समय कम्पन की वजह से लकड़ी की पच्चड़ें खिसक गई थीं। वहां पर कुछ रेलवे अधिकारी भी अवश्य ही होंगे जो कि ठेकेदार के कार्य का निरीक्षण करते होंगे। वहां पर इस कार्य के प्रभारी अधिकारी डी० ई० एन०, ए० ई० एन० तथा आई० ओ० डब्ल्यू० भी होंगे। मैं जानता हूं कि वे लोग वहां पर क्या कर रहे थे और उनका कार्य क्या था।

जो मुआवजा दिया गया है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि बहुत ही अल्प अनुग्रह राशि 500 रुपए की दर के हिसाब से दी गई है। यह दुर्घटना 23 फरवरी, 1985 को हुई, सरकार के अपने ही बयान के मुताबिक एक व्यक्ति अभी भी अस्पताल में है। 500 रुपये की दर से जो अनुग्रह राशि दी गई है सरकार उससे संतुष्ट है और बाकी ठेकेदार द्वारा दी जायेगी।

जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्य नियोजक रेलवे है। रेलवे के मुख्य नियोजक होने की वजह से पूरा मुआवजा देने के लिए तथा अन्य सभी बातों के लिए रेलवे ही उत्तरदायी है।

अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस दुर्घटना की वजह से रेलवे को कितना नुकसान हुआ, रेलवे अधिकारी, डी० ई० एन०, ए० ई० एन० और आई० ओ० डब्ल्यू० क्या कर रहे थे, ठेकेदार का नाम क्या है और क्या उसका नाम काली सूची में शामिल किया गया है अथवा नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : इतना लम्बा प्रश्न।

**श्री नारायण चौबे** : वह सभी कुछ समझते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप ने इसे पेचीदा बना दिया है।

**श्री बंसी लाल** : इस दुर्घटना से रेलवे को सिर्फ 26,000 रुपये की क्षति हुई है। ऊपरी पैदल पुल के प्रभारी कार्य निरीक्षक को, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी पाया गया था अब हटा दिया गया है। यह कार्य मैसर्स न्यू इण्डिया कन्सट्रक्शन कम्पनी को लगभग 6 लाख रुपये में दिया गया था।

[हिन्दी]

**श्री नारायण चौबे** : ब्लैक लिस्टेड हुआ कि नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो देखने की बात है।

**श्री बंसी लाल** : जब फैसला आगे होगा तो देखेंगे।

[अनुवाद]

**श्री नारायण चौबे** : मेरा दूसरा प्रश्न है—मैंने स्वयं भी रेल मंत्री जी को कहा है—कि भारतीय रेलवे में ऐसे कार्यों के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति विभागीय स्तर पर की गई है जैसे कि "डीप स्क्रीनिंग", दुबारा से रेल पटरियां बिछाना और स्लीपर बदलना आदि। ये कार्य रेल विभाग के शुरू होने के वर्ष 1853 से 1983 तक विभाग द्वारा ही किये जाते रहे हैं। और मैं जानता हूं

कि क्या रेलवे इस तरह के कार्यों के लिए ठेकेदारों को नियुक्त नहीं करेगी जिनकी वजह से रेलों की सुरक्षा खतरे में है।

**श्री बंसी लाल** : ठेका प्रणाली समाप्त नहीं की जा सकती।

**श्री नारायण चौबे** : इस तरह के कार्य ठेकेदारों को नहीं दिए जाने चाहिएं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप ऐसा किस तरह से कह सकते हैं ? दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। आप इसका अंदाजा पहले से कैसे लगा सकते हैं ? इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यह असंगत है।

**श्री नारायण चौबे** : इस प्रकार के कार्यों के लिए ठेका मजदूरों को नहीं लगाया जाना चाहिए।

**मनमाड-पारली बैजनाथ रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना**

*386. **श्री साहबराव पाटिल डोणगांवकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमाड से पारली बैजनाथ तक की छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन से बदलने के लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(ख) परियोजना के पूरा होने में कितने वर्ष लगेंगे ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) यह काम चरणों में आरम्भ किया जा रहा है। इस परियोजना के चरण-1 में 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मनमाड औरंगाबाद तक (114 कि०मी०) के खंड का आमान परिवर्तन शामिल है। फरवरी, 1985 तक चरण-1 पर कुल 7.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) इस परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

**श्री साहबराव पाटिल डोणगांवकर** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मनमाड-पारली योजना के अन्तर्गत छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए बार-बार प्रश्न उठाने पर भी सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती, जबकि स्वर्गीय प्रधान-मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और भूतपूर्व रेल मंत्री श्री मधु दण्डवते जी ने यह आश्वासन दिया था कि इस काम को 1983 तक पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन प्रतिवर्ष धनराशि की कमी का कारण बताकर यह काम धीमी गति से चलाया जा रहा है। मौजूदा रफ्तार से अगर यह काम होता रहा तो आने वाले 50 सालों में भी यह काम पूरा नहीं हो पाएगा। माननीय मंत्री महोदय से हम यह स्पष्ट और ठोस आश्वासन चाहते हैं कि इस वर्ष इस काम के लिए आवश्यक धनराशि कितनी दी जाएगी और यह काम कितने निर्धारित समय में पूरा किया जायेगा। मंत्री महोदय से हमें आज सुस्पष्ट आश्वासन चाहिए।

**श्री माधवराव सिन्धिया** : अध्यक्ष महोदय, हमारा यह प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यह

काम पूरा कर दिया जाए। धनराशि के अभाव को मद्दे नजर रखते हुए इस बजट में ट्रेक रिन्यूअल और रोलिंग स्टाक को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि माननीय सदस्य के सुझाव को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा और हमारा हर संभव प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यह काम पूरा किया जाए।

**श्री साहबराव पाटिल डोणगांवकर** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस प्रश्न को लेकर मराठवाड़ा जैसे पिछड़े क्षेत्र में जन-आंदोलन चल रहा है। जनता के सभी वर्गों तथा महिलाओं द्वारा इसके लिए अपना असंतोष बार-बार प्रकट किया जा रहा है। 16 अप्रैल से जनता द्वारा यह निर्णय किया गया है कि इस आंदोलन को और अधिक तीव्र बनाया जाए। जनता की तीव्र भावना को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय क्या इस वर्ष के बजट में इस काम के लिए 15 करोड़ रुपए की पूर्ति करेंगे ?

**श्री माधवराव सिन्धिया** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, उसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और स्थानीय जनता की जो भावनाएं हैं, उनको पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा और जो भी मुनासिब होगा वह हम करने का प्रयास करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : आप भी बताइए, आपका नाम भी आया था इसमें।

[अनुवाद]

**प्रो० मधु दण्डवते** : मेरा और श्रीमती गांधी का नाम जोड़ दिया गया है। मैं खतरनाक स्थिति का सामना करूंगा। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

प्रश्न पूछने से पहले मैं रेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जहां तक सरकार और प्रशासन का संबंध है यह तो एक सतत प्रक्रिया है। अतीत में जो कुछ भी वायदे किए गए हैं वे ही अगली सरकार के वायदे बन जाते हैं। मनमाड-औरंगाबाद लाइन को बदलने के पहले चरण के बारे में मैं प्रश्न पूछते समय आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास इस वक्त 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 तीनों वर्षों के रेल बजट हैं। वास्तव में ये तीनों बजट मैंने ही पेश किए थे। परन्तु अपनी याददास्त ताजी करने और उनको भी याद करवाने के लिए मैं ये कागजात साथ लाया हूं जिससे इस बात की जांच की जा सके कि क्या ये तथ्य सही हैं और ये सही भी हैं। सन् 1977-78 के बजट में मैंने घोषणा की थी कि नई लाइनों के डालने और लाइनों को बदलने के बारे में पारम्परिक मापदंडों को बदला जाएगा। पहले औद्योगिक माल की ढुलाई से होने वाली आय को ही आय माना जाता था और कृषकों को अलग रखा गया था। हमने कहा कि कृषि माल की ढुलाई से प्राप्त हुई आय को भी आय समझा जाएगा और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या यह सत्य नहीं है कि सन् 1977-78 के बजट में हमने घोषणा की थी कि पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और जो घोषणा मधु दण्डवते ने दी थी वह श्री बंसीलाल जी की वचन-बद्धता हो जाती है क्योंकि दल तो बदल सकते हैं परन्तु सरकार चलती रहती है ? मैं जानना चाहता हूं क्या वे इसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं या नहीं। यह सन् 1977-78 की बात थी। वह हमें यह भी बताएं कि क्या 1978-79 में योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रारम्भिक कार्य के लिए भी प्रावधान किया गया था अथवा नहीं और क्या यह सच नहीं है कि 1979-80 में काफी धनराशि का पहले ही आबंटन किया गया था, कार्य पहले ही शुरू हो चुका था और यह आश्वासन दिया गया था कि पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते इस इलाके का कार्य तेजी

से किया जाएगा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी अपने मराठवाड़ा के दौरे के दौरान आश्वासन दिया था कि पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या यह सच है अथवा नहीं? इस पृष्ठभूमि में यह कैसे हो सकता है कि जब लागत 30 करोड़ रुपये है···(व्यवधान) कृपया बाधा मत डालिए। इसका पंजाब से कोई सरोकार नहीं है···

**प्रो० के० के० तिवारी** : कल से मैं भी सदन को बताने के लिए आधी लाइब्रेरी को यहीं उठा लाऊंगा कि मैं बहुत ही महत्त्वपूर्ण चीजें लाया हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : आप ऐसा कर सकते हैं। पहले आप मंत्री बनिए फिर पद त्याग कीजिए और अगली दफा साधारण सदस्य बनकर इन कागजातों को लेकर आइए। यह एक अच्छी प्रक्रिया होगी। (व्यवधान)

अब मैं एक निश्चित प्रश्न पर आता हूं। मनमाड-औरंगाबाद लाइन परिवर्तन के पहले चरण के लिए अपेक्षित 30 करोड़ रुपये में से सिर्फ 7.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ऐसा आपने स्वीकार किया है। पिछड़ा इलाका होने की वजह से लोग बहुत ही क्षुब्ध हैं। 16 तारीख को पूर्ण मराठवाड़ा बंद होने जा रहा है जिसमें कांग्रेसी भी भाग ले रहे हैं। अतः क्या आप इस क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे? क्या आप अपने निर्णय को बदलेंगे और ज्यादा आबंटन की व्यवस्था करेंगे ताकि इस पिछड़े इलाके में लाइन परिवर्तन का कार्य समय पर पूरा किया जा सके और विकास के लिए बुनियादी ढांचे के माध्यम से परिवर्तन का लाभ आपको होगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : हमारी याद ताजा करने के लिए मैं माननीय सदस्य का अत्यंत आभारी हूं। अगर वह इजाजत दें और महोदय आप भी इजाजत दें तो मैं उन्हें भी कुछ याद कराना चाहता हूं। रेलों को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह सच है—यह सुस्पष्ट है और इसे बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि 1977-79 में कुछ अच्छी आयोजना का कर पाने के कारण जब मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में योगदान करने की राशि सिर्फ दो प्रतिशत ही रह गई थी, तो हमारी स्थिति यह हो गई है। उस गलत आयोजना की वजह से ही ऐसा हुआ है जिसे दोबारा बनाने की आवश्यकता है, और जिसमें काफी बड़ी मात्रा में पटरी नवीकरण तथा चल स्टाक के बकाया कार्य निपटाने की आवश्यकता है। फिर भी जहां तक पिछड़े इलाकों का सम्बन्ध है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार इस देश में संतुलित विकास करने के लिए वचनबद्ध है। और पिछड़े इलाकों को निश्चित रूप से इस योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। मैं उन्हें इस बात का आश्वासन दे सकता हूं। अब मैं एक निश्चित प्रश्न पर आऊंगा और उनसे मराठवाड़ा आंदोलन को हमारी सरकार के विरुद्ध नहीं, अपितु प्रो० मधु दण्डवते के विरुद्ध करने के लिए कहूंगा क्योंकि आंकड़ों से यह साफ जाहिर है कि इस विशेष रेल लाइन की उपेक्षा किसने की। यह कार्य नवम्बर, 1978 में शुरू किया गया था और अभी तक इस 114 किलोमीटर की लाइन पर 7.8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। यह किए जाने वाले कुल कार्य का 29.6 प्रतिशत है। इस 7.8 करोड़ रुपए की राशि में से 1978-79 के दौरान सिर्फ 25 लाख रुपया ही खर्च किया गया था, और बाकी 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 1980 से नई सरकार के आने के बाद खर्च किया गया। मैं आशा करता हूं कि इन आंकड़ों से माननीय सदस्य की याद ताजा हो गई होगी।

**प्रो० मधु दण्डवते** : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। 25 लाख रुपया जिसका उल्लेख किया

गया है, प्रारम्भिक कार्य के लिए था, अर्थात् जब कार्य शुरू ही किया गया था। इसके बाद एक करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है। पिछले सप्ताह ही रेल प्रशासन ने घोषणा की है कि वह चालू कार्यों पर ही ध्यान देगा और जब नई अनुदान राशि प्राप्त हो जाएगी तो इसका बड़ा हिस्सा इस समय चल रहे कार्यों में लगाया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे उस वचन को निभाना चाहते हैं या नहीं। इस मसले पर देश के सभी पिछड़े इलाकों के लोग क्षुब्ध हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : वह इस बात को पहले ही कह चुके हैं। वह इस कार्य को प्राथमिकता देंगे।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसी पर सारे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

**प्रो० मधु दण्डवते** : पिछले सप्ताह ही उन्होंने कहा है कि वर्तमान चालू परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा--न कि सिर्फ पिछड़े इलाकों पर। यह एक चालू परियोजना है।

**अध्यक्ष महोदय** : उनकी यह बात कार्यवाही में है। जो कुछ सदन में कहा जाता है न तो उसे मैं ही निकाल सकता हूं और न ही वे उसे वापस ले सकते हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : यह अच्छी बात है। आपने इसका पुष्टि कर दी है।

**डा० दत्ता सामंत** : मराठवाड़ा क्षेत्र की आबादी लगभग 2 करोड़ है। औरंगाबाद और नांदेड़ में औद्योगिक बस्तियां हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1981 से लेकर अभी तक जितने भी उत्तर दिये गए हैं मैं उन्हें यहां लेकर आया हूं। 2-12-81 को यह कहा गया था कि यह 1984 तक पूरा कर लिया जाएगा बशर्ते कि राशि उपलब्ध हो···

**अध्यक्ष महोदय** : इसका वह पहले ही उत्तर दे चुके हैं। नई बात आप क्या पूछना चाहते हैं? ये बातें पहले ही पूछी जा चुकी हैं।

**डा० दत्ता सामंत** : तीन जवाब दिए गए हैं कि इस कार्य को पूरा किया जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखकर कि यह छोटी लाइन ब्रिटिश काल से यहां पर है और इस बजट में महाराष्ट्र में रेल लाइनों के लिए सरकार ने कोई धनराशि मंजूर नहीं की है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका प्रश्न क्या है?

**डा० दत्ता सामंत** : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। इन सभी बातों को तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मराठवाड़ा में इतना अधिक असंतोष है कि यह चौथा आंदोलन होने जा रहा है—मैं बताना चाहता हूं कि तीन बार आपने लोगों को मारा है, और अभी भी कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की है। 16 तारीख को मराठवाड़ा बंद है और कल मैं बम्बई में था। तथा सभी लोग, जिनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं···*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुमति नहीं है। मैं नहीं समझता यह आंदोलन क्यों किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुमति नहीं है। यह असंगत है।

(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं है। इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। कृपया बैठ जाइए।

**श्री उत्तम राठौड़** : स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस विशेष परियोजना के लिए उस समय वायदा किया था जब 1978 से बराबर तीन वर्ष तक सूखे की स्थिति रही थी और यह 1978 में शुरू हुई थी। तभी से मराठवाड़ा के लोग इसकी मांग करते आ रहे हैं। हर बार बजट में बहुत कम राशि का प्रावधान होता है और फिर अनुनय करने पर इस राशि को बढ़ाया जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस विशेष लाइन पर मिट्टी का काम ई० जी० एस० और अन्य विधियों से राज्य सरकार द्वारा करवाया गया था। राज्य राज्य सरकार ने यह काम किया है। मैं जानना चाहता हूं अगर ऐसी बात है कि जब महाराष्ट्र सरकार आपकी इस हद तक मदद करने के लिए तैयार है तो आप इस विशेष लाइन के लिए, जो कि पिछड़े इलाके में है, ज्यादा धनराशि का आबंटन या इसमें वृद्धि क्यों नहीं करते।

**श्री माधवराव सिन्धिया** : यह सच है कि इस कार्य को कुछ हद तक महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न राहत कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया था। माननीय सदस्य से पुनः अधिक धनराशि की मांग की है। हम माननीय सदस्य की भावनाओं की सराहना करते हैं और निस्संदेह हम इन पर ध्यान देंगे।

**डा० दत्ता सामंत** :······(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सामंत सर्वप्रथम आप नियमों को सीखिए। अगर आप असंगत प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

**डा० दत्ता सामंत** : मैं बाहर जा रहा हूं।

[तत्पश्चात् डा० दत्ता सामंत सभा से बाहर चले गए।]

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, क्या आप इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देंगे?

**अध्यक्ष महोदय** : हम इस पर विचार करेंगे।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : श्री दण्डवते, और भी बहुत से पिछड़े इलाके हैं। उनके दावे बहुत तात्कालिक हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

**श्री साहबराव पाटिल डोणगांवकर :** अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** नाट एलाउड ।

**श्री साहबराव पाटिल डोणगांवकर :** अध्यक्ष महोदय, आप हमारा उत्तर नहीं देने देते, हम सभा का त्याग करते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप जरूर जाईए।

[अनुवाद]

ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है ।

[तत्पश्चात श्री साहबराव डोणगांवकर सदन से बाहर चले गए ।]

**मनोचिकित्सा सुविधाओं की कमी**

[अनुवाद]

*390. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मानसिक की चिकित्सा बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या अविलम्ब चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता वाले रोगियों में से केवल 10 प्रतिशत को ही चिकित्सा सुलभ हो पाती है क्योंकि देश में अर्हताप्राप्त मनोचिकित्सकों की भारी कमी है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) से (ग) अधिकतर राज्यों में मानसिक अस्पतालों/संस्थाओं तथा जनरल अस्पतालों में मानसिक चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं । यह सच है कि किसी भी प्रकार के मानसिक असंतुलन से पीड़ित सभी व्यक्तियों की जरूरतों को यदि ध्यान में रखा जाए तो ये सुविधाए कुल जरूरत से प्रायः कम होती हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के संसाधनों और प्राथमिकताओं को देखते हुए एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा तैयार करने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है जिसका उद्देश्य दूरस्थ स्थानों पर सामुदायिक कार्यक्रम चलाकर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करना है।

**श्री एम० रघुमा रेड्डी :** महोदय, भारत में इसके लिए केवल 900 अर्हताप्राप्त डाक्टर तथा 500 अर्हताप्राप्त नर्सें और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्ता उपलब्ध हैं। इस संख्या से वे देश के सभी मनोरोगों से पीड़ित लोगों की देखभाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार देश के सभी लोगों की जो मानसिक असंतुलन से पीड़ित हैं किस प्रकार से देखभाल करने

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया ।

जा रही है। दूसरे, महोदय, केवल आधे मैडिकल कालेजों में मनोविकार-विज्ञान विभाग है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार कब तक सभी मैडिकल कालेजों में सभी विभाग स्थापित करने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या बहुत अधिक है वे लोग 'बाबाओं' तथा फकीरों के पास मनोरोगों के इलाज के लिए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि मैडिकल कालेज तथा विभाग ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित करने जा रहे हैं।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : महोदय, पहली बात जो माननीय सदस्य ने कही हैं ठीक नहीं है। इस देश में लगभग 1000 अर्हताप्राप्त मनोरोग चिकित्सक; 400 से 500 मनोवैज्ञानिक, 200 से 300 मनोरोग सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा 600 के लगभग मनोरोग नर्सें हैं। और इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत मैडिकल कालेजों में मनोविज्ञान के शैक्षिक विभाग हैं। इसके लिए कोई मैडिकल संस्थान स्थापित करने की कोई योजना नहीं है परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम दूरस्थ स्थानों पर सामुदायिक कार्यक्रम चलाकर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे।

हम सामुदायिक केन्द्रों में बहुउद्देशीय कार्यकत्ताओं तथा चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं।

**श्री एम० रघुमा रेड्डी** : हमारे देश में कितने लोग मनोविकारों से पीड़ित हैं ?

(व्यवधान)

**विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू)** : मनोविकार विज्ञान संबंधी प्रश्नों का उत्तर दूसरी तरफ के लोगों को देंगे।

**प्रो० मधु दण्डवते** : प्रो० तिवारी, एतराज मत कोजिएगा। वह आपको सम्बोधित नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरायेंगे ? यह सुनायी नहीं दिया।

(व्यवधान)

**प्रो० के० के० तिवारी** : इस असाधारण जिज्ञासा को देखते हुए मेरे विचार में, हमें सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि यहां संसद में भी वह यह सुविधा उपलब्ध करायें।

**डा० कृपासिन्धु भोई** : मूल प्रश्न में कहा गया था कि···

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कभी-कभी उत्तर न देना उत्तर देने से बेहतर होता है !

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : सदस्य ने कुछ जानकारी मांगी थी। मंत्री महोदय यह कह सकते थे कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : उन्होंने भावी मनोविकारियों के बारे में नहीं पूछा था। उन्होंने पूछा था कि इस समय कितने लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं।

**डा० कृपासिन्धु भोई** : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। वह स्वयं प्रश्न को नहीं समझ पाए हैं। प्रश्न में मुख्य जोर इस बात पर है कि···

**अध्यक्ष महोदय** : इसीलिए डा० भोई मैंने आपको बीच में बोलने के लिए कहा था···

**डा० कृपासिन्धु भोई** : मनोविकार के मामले और पागलपन के मामले अलग-अलग हैं। ये दो मापदण्ड हैं। माइक्रोसैफली तथा मैगलोसैफली अलग-अलग है, पागलपन अलग है।

**अध्यक्ष महोदय** : इसीलिए डा० भोई मैंने आपका बीच में बोलना आवश्यक समझा था।

**डा० कृपासिन्धु भोई** : तथ्यों के आधार पर माननीय मंत्री ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है कि मनोचिकित्सकों की देश में कमी है। "सभी के लिए स्वास्थ्य" अल्म अत्ता घोषणा, जिस पर श्रीमती गांधी ने हस्ताक्षर किये थे, के अनुसार 2000 ई० तक हम सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य का पूरा करने जा रहे हैं।

क्या माननीय मंत्री राज्य सरकारों को प्रत्येक जिला मुख्यालय चिकित्सालय में मनोचिकित्सकों को भेजने, एक मनोविकार विज्ञान विभाग बनाने तथा अन्य विशेष प्रशिक्षित स्टाफ वहां पर भेजने की सलाह देंगे ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मेरे विचार में मैंने पहले ही इस प्रश्न का जवाब दे दिया है। (**व्यवधान**) हमारे प्रत्येक जिला मुख्यालय मैडिकल अस्पताल में मनोचिकित्सक नहीं हैं। परन्तु जो हम कर रहे हैं वह यह है : हम इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीण स्तर पर करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। ये सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

**[हिन्दी]**

**श्रीमती कृष्णा साही** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि देश में जो मानसिक रोग चिकित्सालय हैं, उनमें जो मरीज हैं प्रतिव्यक्ति मरीज पर सरकार कितनी राशि उनकी देखभाल के लिए आबंटित करती है ?

यह बहुत संवेदनशील विषय है। रांची में एक अस्पताल है, जिसकी बहुत दुर्दशा है। वहां महिलाएं बहुत अधिक संख्या में हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों साथ रहते हैं। इस संबंध में इन्होंने क्या कोई एक्सपैंशन प्रोग्राम बनाया ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई)** : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जो आया है, यह बहुत अहम सवाल है। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि रांची में जो यह अस्पताल है, वह बिहार गवर्नमेंट के तहत आता है। एक हमारा सेंटर है जो नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ और न्यूरो साइंस के तहत दो हमारे इंस्टीच्यूट हैं जो कि एक बंगलौर में और एक रांची में है। यह सही है कि सन् 1955 से पहले हमारे देश में इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया, 1955 के बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट हमारे यहां बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब हमारे यहां बिफोर 1955।

**[अनुवाद]**

1955 से पहले भारत में शायद ही कोई पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम मनोचिकित्सकों के

लिए था। वर्तमान में 25 से भी अधिक केन्द्र हैं जहां ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था है। और प्रतिवर्ष 50 से भी अधिक नए मनोचिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दूसरी बात यह है कि तकरीबन 50 परसेन्ट मेडिकल कालेजेज में भी हम साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट की सुविधा दे रहे हैं। इसमें दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक मरीज तो साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट से ठीक किए जा सकते हैं और दूसरे बाकायदा मेण्टल डिजीज के केसेज होते हैं। हमारी कोशिश यह है कि मेन्टल हास्पिटल्स ज्यादा तादाद में न खोल करके ऐसे मेन्टल केसेज को जो कि साइकोलोजिकल हैं, जिनका ट्रीटमेंट घर पर रखकर कर सकते हैं, उनके लिए सेविन्थ प्लान में हमारी कोशिश है कि मेण्टल हास्पिटल्स में ट्रेनिंग सेण्टर और नर्सेज को बढ़ाएं, न्यूरो-फिजीशियन्स और साइकियाट्रिस्ट्स की तादाद को बढ़ायें ताकि दोनों तरह से जो इलाज हो सकता है वह सही ढंग से हो सके। यह सही है कि इस वक्त हमारे पास इनकी कुछ कमी है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और पहले के मुकाबले में इस वक्त हमारे पास ट्रेन्ड पर्सोनेल भी ज्यादा हैं, डाक्टर्स भी ज्यादा हैं तथा आगे और बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

**श्री काली प्रसाद पांडे :** माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 1984 में हमारे यहां बिहार में मानसिक आरोग्यशाला में वमरामे में अधिकारियों की लापरवाही के चलते 57 मरीजों की मृत्यु हो गई थी, उसके सम्बन्ध में आपने बताया कि वहां पर सुधार की व्यवस्था की जाएगी। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो आपका मानसिक आरोग्यशाला, अस्पताल है वहां जो डाक्टर हैं, वे वहां पर जो मरीज आते हैं उनका प्राइवेट में इलाज करने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं तो वहां पर जो गड़बड़ी चल रही है उसमें सुधार हेतु कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

**श्रीमती मोहसिना किदवई :** एक सवाल तो यही है कि मेंटल डिसीजेज के बारे में सरकार क्या कर रही है, तो जैसा मैंने कहा सेन्ट्रल गवर्नमेंट के तहत दो नेशनल हास्पिटल्स हैं, जो कि सेण्टर से गवर्न्ड हैं और बाकी जितने भी हास्पिटल्स हैं उनकी देख-रेख स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। आपने स्पेसिफिकली जिस हास्पिटल की बात की है, उसको हम देख लेंगे।

**श्री काली प्रसाद पांडे :** मानसिक आरोग्यशाला में अधिकारियों की लापरवाही के चलते 57 मरीजों की मृत्यु हो गई थी। मेरा अनुरोध है इसके बारे में आप सुधार हेतु निश्चित रूप से व्यवस्था करें।

## साक्षरता की प्रतिशतता

[हिन्दी]

*391. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 और 1984 में देश में साक्षरता की राज्य-वार प्रतिशतता क्या थी;

(ख) इस समय साक्षरता की राष्ट्रीय प्रतिशतता क्या है;

(ग) शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों में कम से कम राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशतता के बराबर लाने के लिए क्या क़दम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) राष्ट्र किस समय तक शत-प्रतिशत साक्षारता प्राप्त कर सकता है और इस क्षेत्र में क्या उपाय किये जा रहे हैं?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

(क) 1951 और 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षारता की राज्यवार प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण साक्षारता अनुबंध-I में है।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशतता 36.23 है।

(ग) शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को कम-से-कम राष्ट्रीय साक्षारता प्रतिशतता तक लाने के लिए किए गए उपायों को दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध-II में है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में 15-35 आयु-वर्ग में 1980 तक निरक्षरता दूर करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की दर योजना आयोग के साथ चर्चा के आधार पर और कार्यक्रम के अन्तर्गत उनको शामिल करने तथा लक्ष्यों के सम्बन्ध में इस मंत्रालय की सातवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा उन्हें प्राप्त करने के उपायों पर निर्भर करेगी।

**अनुबन्ध-I**

**1951 और 1981 जनगणना के अनुसार राज्यवार साक्षरता प्रतिशतता के बारे में विवरण**

| साक्षरता दर 1951 जनगणना | | साक्षरता दर 1981 जनगणना | |
|---|---|---|---|
| राज्य | प्रतिशतता | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | प्रतिशतता |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| भारत | 16.61 | भारत | 36.23 |
| उत्तर भारत | 19.80 | आन्ध्र प्रदेश | 29.94 |
| उत्तर प्रदेश | 18.80 | | |
| पूर्वी भारत | 16.81 | असम | — |
| बिहार | 12.23 | बिहार | 26.20 |
| उड़ीसा | 15.80 | गुजरात | 43.70 |
| पश्चिम बंगाल | 24.54 | हरियाणा | 36.14 |
| चन्दर नगोरे | 42.36 | हिमाचल प्रदेश | 42.48 |
| असम | 10.07 | जम्मू व कश्मीर | 26.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मणिपुर | 11.11 | कर्नाटक | 30.46 |
| त्रिपुरा | 15.52 | केरल | 70.42 |
| सिक्किम | 7.34 | मध्य प्रदेश | 27.78 |
| दक्षिण भारत | 22.80 | महाराष्ट्र | 47.18 |
| मद्रास | 19.20 | मणिपुर | 41.35 |
| मैसूर | 20.58 | मेघालय | 34.88 |
| ट्रावरकोर-कोचीन | 46.41 | नागालैंड | 42.57 |
| कूर्ग | 27.21 | उड़ीसा | 34.23 |
| पश्चिमी भारत | 23.83 | पंजाब | 40.86 |
| बम्बई | 54.56 | राजस्थान | 24.38 |
| सौराष्ट्र | 18.47 | सिक्किम | 34.85 |
| कूच | 17.06 | तमिलनाडु | 46.76 |
| मध्य भारत | 10.93 | त्रिपुरा | 42.12 |
| मध्य प्रदेश | 13.46 | उत्तर प्रदेश | 27.16 |
| मध्य भारत | 10.82 | | |
| हैदराबाद | 9.16 | पश्चिमी बंगाल | 40.94 |
| विन्ध्य भारत | 6.09 | | |
| भोपाल | 8.17 | संघ शासित क्षेत्र | |
| उत्तर पश्चिम भारत | | अण्डमान व निकोबार | |
| राजस्थान | 8.41 | द्वीप समूह | 51.56 |
| पंजाब | 16.13 | अरुणाचल प्रदेश | 20.79 |
| हिमाचल प्रदेश | | चण्डीगढ़ | 64.79 |
| और विलासपुर | 7.71 | दादर व नागर | |
| पेप्सू | 11.99 | हवेली | 26.67 |
| दिल्ली | 38.36 | दिल्ली | 61.54 |
| अजमेर | 20.08 | गोवा दमन व द्वीप | 56.66 |
| अण्डमान व निकोबार | | | |
| द्वीप समूह | 25.77 | लक्षद्वीप | 55.07 |
| | | मिजोरम | 59.88 |
| | | पांडिचेरी | 55.85 |

## अनुबंध-II

## शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को कम से कम राष्ट्रीय साक्षरता औसत तक लाने के लिए किए गए उपाय

निम्नलिखित नौ राज्यों को अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों के रूप में शिनाख्त किया गया है, क्योंकि इन राज्यों में 6-14 आयु वर्ग में दाखिल न किए गए बच्चों की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर इन सभी राज्यों में भी साक्षरता की दरें राष्ट्रीय औसत से कम हैं। प्राथमिकता शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और निरक्षरता को दूर करने के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नौ राज्यों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना के वास्ते 50 : 50 की हिस्सेदारी के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता;

(2) केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए 90 : 10 की हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता;

(3) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 100 प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीय सहायता;

(4) प्राइमरी स्कूलों में 8000 अध्यापिकाओं की नियुक्ति के लिए 80 : 20 की हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता;

(5) शिशु शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 100% के आधार पर केन्द्रीय सहायता;

(6) औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतियों के अंतर्गत लड़कियों के नामांकनों के निष्पादन में उत्कृष्टता हेतु अलग-अलग पुरस्कार प्रदान करना;

(7) प्रारम्भिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मार्ग-दर्शन हेतु 20-सूत्री कार्यक्रमों के 16वें सूत्र सम्बन्धी एक राष्ट्रीय समिति का गठन तथा इन राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कार्यबलों की स्थापना करना।

**प्रौढ़ शिक्षा**

(8) राज्य सरकार तथा संघीय क्षेत्रों को समय-समय पर निम्नलिखित सलाह दी गई है।

(क) सभी जिलों को, जिनकी साक्षरता-दर राष्ट्रीय औसत से नीचे है, प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में दाखिल नौसिखियों में कम-से-कम 50% महिलाएं हों।

(ग) समाज के अन्य कमजोर वर्ग के नामांकन हेतु विशेष प्रयत्न करना।

(घ) ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने को प्राथमिकता देना तथा जहां तक संभव हो अनु० जा०/अनु० ज० जा० बस्तियों में ऐसे केन्द्र स्थापित करना।

(ङ) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का विशेषकर महिलाओं के लिए आयोजन करके स्वैच्छिक संगठनों को ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना । इस प्रयोजन के लिए ऐसी एजेंसियों को, जो केवल महिलाओं के लिए लगभग पांच केन्द्र चलाने के इच्छुक हों, सहायक अनुदान के नियमों में ढील दी गई है।

(च) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि नव-साक्षर, फिर से निरक्षर न बन जाएं उत्तर-साक्षारता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम शुरू करने पर विशेष जोर देना ।

(छ) प्रौढ़ शिक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ छात्र तथा गैर-छात्र युवकों की सहभागिता पर निगरानी रखना । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में और तेजी लाने के लिए, महिलाओं हेतु प्रौढ़ साक्षरता में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कारों की एक योजना स्थापित की गई है।

**श्री जितेन्द्र प्रसाद** : माननीय मंत्री जी ने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण था कि कुछ राज्य साक्षरता में पिछड़ गए ? आपने ब्योरा दिया है और कि कुछ राज्य नेशनल एवरेज से नीचे हैं साक्षरता में, तो इसका क्या कारण है तथा शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए जो उपाय किए गए उनका क्या प्रभाव पड़ा और वह कब लागू किए गए थे ? इसके साथ-साथ आपने यहां से जो उपाय किए हैं उसमें कुछ राज्यों में आपने बहुत से संगठनों को अनुदान दिया है तो मैं जानना चाहूंगा क्या भारत सरकार के पास कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ राज्यों में कुछ संगठनों ने इस अनुदान का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : अध्यक्ष जी, इसका कारण अंशत: तो एतिहासिक है। आजादी के बाद के आंकड़े इसमें दिए हैं कि 1951 में कितनी साक्षारता थी और अब 1981 की सेन्सस के हिसाब से कितनी हुई है । इसमें आप देखेंगे कि कुछ राज्यों ने अधिक प्रगति की है, कुछ में प्रगति कम हुई है । कौन राज्य कितने स्कूल खोल सकता है, कितने साधन उसके पास हैं, कितने बच्चे स्कूलों में आते हैं, ड्राप-आउट रेट कितना है, एडल्ट एजूकेशन के प्रोग्राम में उन्होंने कितनी रुचि ली है—यह सारी बातें हैं जिनका साक्षरता के स्तर पर असर पड़ता है ।

जहां तक सहायता का प्रश्न है, जैसा मैंने स्टेटमेंट में कहा है सहायता केन्द्र देती है, स्कीम्स के लिए । शैक्षिक दृष्टि से जो नौ पिछड़े हुए राज्य हैं, उनमें नॉन-फार्मल-एजूकेशन-स्कीम के लिए 1984-85 में करीब दस करोड़ रुपया दिया गया है। जो नॉन-फार्मल-मिक्स-सैन्टर्स हैं, इनमें 29 लाख 12 हजार बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और इसके अलावा लड़कियों के लिए दो करोड़ 68 लाख रुपया दिया गया है, जब कि सैन्टर्स की संख्या 20 हजार सात सौ है । इस प्रकार सहायता तो दी गई है और मैंने कवरेज फीगर भी दी थी । मौजूद आंकड़ों से मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सहायता से काफी मदद मिली है । यह भी बताया था कि कितनी कवरेज हुई है और कितने लड़के आए थे ।

जहां तक शिकायत की बात है, अगर कोई शिकायत कहीं से आती है, तो उसकी जांच करेंगे । मेरी नजर में इस वक्त कोई शिकायत नहीं है ।

**श्री जितेन्द्र प्रसाद** : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि आपने उपाय क्या किए हैं, इनको कब लागू किया और इसका प्रभाव क्या पड़ा । मेरी समझ में जो उपाय लागू किए गए हैं, इनसे साक्षरता दूर होनी संभव नहीं है । आपने अपने जवाब में कहा है—छठी पंचवर्षीय योजना

में 15-35 आयु-वर्ग में 1990 तक निरक्षरता दूर करने की परिकल्पना की गई है। आप नयी शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं, क्या आपने साक्षरता दूर करने के लिए प्लानिंग कमीशन के सामने सातवें प्लान में इसका कोई जिक्र किया है ? इन उपायों के अलावा और कौन-कौन से ऐसे उपाय हैं, जिनसे कि कम से कम बच्चों में साक्षरता आ सके। क्या भारत सरकार उन राज्यों के उन जिलों को कुछ अनुदान देगी और सुनिश्चित करेगी कि उन राज्यों में जहां लिट्रेसी का परसेंटेज कम है, वहां वरीयता के आधार पर प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की जाए ?

**श्री० कृष्ण चन्द्र पन्त :** अध्यक्ष जी, आज की छठी पंचवर्षीय योजना में जो स्कीम है, वह शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए इन नौ राज्यों के लिए है, मगर दूसरे राज्यों में भी कुछ जिले छूट जाते हैं, जहां पर राष्ट्रीय औसत के नीचे साक्षरता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम चाहते हैं कि उनको भी सहायता दें। इनकी संख्या 243 है। लेकिन जब तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वरूप सामने नहीं आता है, तब तक कहना मुश्किल है कि इसके लिए कितना पैसा मिलेगा। इसके बाद ही मैं आपको निश्चित बात कह सकता हूं। हमारी कोशिश है कि दूसरे जिले भी शामिल हों। जहां तक प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना का प्रश्न है, यह राज्य सरकारें ही करती हैं और राज्य सरकारों को ही करना है।

[अनुवाद]

**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :** हम सब जानते हैं कि अधिकतर बच्चे जो प्राथमिक स्कूलों में नहीं जाते हैं वह अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के बच्चे होते हैं। लड़कियों और समाज के अधिकतम गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं क्योंकि गरीबी और निरक्षरता साथ-साथ चलती हैं। इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सामान्य धारा में लाने के लिए, उनको सिर्फ गैर-औपचारिक शिक्षा तक सीमित रखने की बजाय, कुछ प्रोत्साहन देना अच्छा है जैसे कि पश्चिम बंगाल में किया गया है। परन्तु संसाधनों की कमी की वजह से राज्यों द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। अब इस स्थिति को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या वह अनुबन्ध-II में उल्लिखित सात बातों के अतिरिक्त एक और बात सम्मिलित करने पर विचार करेंगे अर्थात्, नौ शिनाख्त किए गए राज्यों को गरीब अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थियो को देने के लिए दोपहर के भोजन, स्कूल की वर्दी, मुफ्त किताबें और स्लेटें तथा कम से कम निर्धारित वजीफे के रूप में प्रोत्साहन देना ताकि उनमें माता-पिता उन्हें काम पर भेजने की बजाय स्कूल भेज सकें,।

**अध्यक्ष महोदय :** आप इस तरह से मत बोलते जाइए। यह अनुपूरक प्रश्न है।

**श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :** अनुबन्ध-II में मद संख्या 6 में जो राज्यों के नाम दिए गए हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** महोदय, सही बात है कि सामान्य तौर पर कमजोर वर्ग, अर्थात् अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चे और आमतौर कर लड़कियां, शिक्षा की दौड़ में पीछे हैं। शिक्षा को बीच में छोड़ने वालों में इनकी संख्या बहुत अधिक है। वास्तव में, चाहे अनौपचारिक शिक्षा हो अथवा प्रौढ़ शिक्षा, इन वर्गों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। अब दोपहर के भोजन और वर्दी इत्यादि के प्रश्न पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ राज्य सरकारें यह कर रही हैं और कुछ राज्य सरकारें यह नहीं करती हैं और यह उनके संसाधनों पर निर्भर हैं। कई

बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना वांछनीय होगा। परन्तु शिक्षा संस्थानों में नाम लिखाने और इन मुद्दों में कोई नजदीकी संबंध हैं, ऐसा अध्ययनों से सिद्ध नहीं हुआ है। परन्तु मैं उन अध्ययनों के अनुसार चलना नहीं चाहता। मेरे विचार में यह एक वांछनीय बात है। स्कूल पूर्व शिक्षा इससे भी अधिक प्रभावी है। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी स्कूल-पूर्व शिक्षा भी बाद में शिक्षा को निरन्तर बनाए रखने को सुनिश्चित करती है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और शुरूआत कर दी गई है। हम इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री के० एन० प्रधान** : अध्यक्ष महोदय, प्रौढ़ शिक्षा पर 1951 से लेकर अब तक करोड़ों रुपया खर्च हुआ है तथा आम प्रशासन और राजनीतिज्ञों को छोड़कर साधारण नागरिक के जहन में यह बात है कि प्रौढ़ शिक्षा पर जोपैसा खर्च हुआ है, उसका उतना उपयोग नहीं हुआ, उतना रिटर्न नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था। इसकी वास्तविक जांच भी कभी नहीं हुई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—क्या आप सैम्पल-सर्वे कराकर इस बात को एशोर करना चाहेंगे कि वास्तव में कितना रिटर्न मिला है और क्या यह सही नहीं है कि बहुत-सी स्वयंसेवी संस्थाएं उस पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं, जिनमें एक विशेष विचारधारा वाली संस्थाएं भी हैं जो लाखों-करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग करती हैं और उनसे सही रिटर्न नहीं मिलता है? अब शिक्षा की जो नई पालिसी बनने वाली है उसको दृष्टि में रखते हुए क्या आप पहले सैम्पल-सर्वे कराने की कोशिश करेंगे जिससे वास्तविक स्थिति का पता लग सके?

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : अध्यक्ष जी, जो 15 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं और निरक्षर हैं, यदि उनको साक्षर बनाना है तो प्रौढ़ शिक्षा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसका नाम आप चाहें तो बदल दें, लेकिन करना यही होगा।

[अनुवाद]

**प्रो० मधु दंडवते** : इसको बाल-शिक्षा कैसे कह सकते हैं?

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : यह कैसे सम्भव होगा?

**अध्यक्ष महोदय** : बड़े बच्चे।

[हिन्दी]

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी होगी। जैसे यह देखा गया है कि प्रौढ़ शिक्षा के बाद कई ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षित किया गया, लेकिन फिर से निरक्षर हो जाते हैं। जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो उनका प्रबन्ध भी करना होगा।

आप ने कहा कि कुछ संस्थाएं गलत काम कर रही हैं। लेकिन मैं जानता हूं बहुत संस्थाएं अच्छा काम भी कर रही हैं। इसलिए जब तक कोई खास चीज न हो जिसकी जांच हो सके, मैं सब संस्थाओं को कन्डेम करने को तैयार नहीं हूं।

**श्री के० एन० प्रधान** : मैंने सैम्पल-सर्वे की बात कही थी, उससे देखा जा सकता है कि उसका क्या परिणाम निकला है।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कृष्ण कुमार । मैं सारा समय उन सदस्यों को नहीं दे सकता जो हाथ खड़े करते हैं । मुझे इसे बहुत से सदस्यों में बांटना है । हमें नये सदस्यों को भी मौका देना है ।

**श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या यह एक खेदजनक बात नहीं है कि आधे से अधिक या संसार के सारे निरक्षरों की लगभग तीन-चौथाई संख्या हमारे देश में है ? मंत्री महोदय के उत्तर में, उसी घिसी-पिटी बात का आभास मिलता है । क्यूबा जैसे कुछ समाजवादी देश एक उदाहरण हैं जहां निरक्षरता को एक या दो वर्षों में एक जनआन्दोलन द्वारा समाप्त कर दिया गया था । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा क्या कि यह सरकार न केवल सरकारी तंत्र बल्कि देश के सभी साक्षर तथा शिक्षित लोगों का इस्तेमाल करके एक जन-आन्दोलन का आयोजन करेगी जिससे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निरक्षरता को समाप्त किया जा सके ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं और अपने माननीय मित्र से सरकारी ढांचे की कमियों को पूरा करने में उनका सहयोग चाहता हूं । तीन लाख विश्वविद्यालय के विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०) के अन्तर्गत आज भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लगे हुए हैं । लेकिन मैं इस भावना से सहमत हूं कि जब तक इसको जन-आन्दोलन में परिवर्तित नहीं किया जाता है, जब तक युवा लोगों, अध्यापकों, नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है और जब तक यहां के भी मेरे मित्र इसमें सम्मिलित नहीं होते - क्योंकि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जन-नजरिया, जन-उत्साह तथा प्रोत्साहन उत्पन्न करने के लिए आप एक कुंजी हैं—तब तक यह काम मुश्किल है । अतः मैं सुझाव का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम को बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया जायेगा ।

**हावड़ा और सिउरी के बीच लिए जाने वाले रेल किराए में असमानता**

***392. श्री गदाधर साहा†** :

**श्री अजीत कुमार साहा** :

**क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 में हावड़ा और सिउरी (पश्चिम बंगाल) के बीच लिए जाने वाले रेल किराये में कोई असमानता होने का मामला रेल विभाग के ध्यान में लाया गया था;

(ख) क्या हावड़ा और सिउरी के बीच का यात्रा किराया वसूल करने में रेल अधिकारियों की कोई गलती थी;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल विभाग यात्रियों से वसूल किए गए अधिक किराए को वापस करने के प्रबंध कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इतना अधिक समय बीत जाने के बाद अब इसे किस प्रकार वापस करने का विचार है;

(ङ) क्या देश में अन्य रेलवे में भी इस प्रकार की कोई असमानताएं देखने में आई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) से (ग) जी हां।

(घ) पूर्व रेलवे ने कलकत्ता से प्रकाशित एक स्थानीय समाचार-पत्र में विज्ञप्ति जारी करके सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को' जिनकी संख्या लगभग 239 है, सूचित किया है कि वे दो-दो रुपये की वापसी हेतु अपने दावे प्रस्तुत करें। इन दावों को अपेक्षित सत्यापन हो जाने पर स्वीकृत किया जाएगा।

(ङ) और(च) जी हां। दक्षिण रेलवे में एक मामला हुआ है। 20-अप तिरुवनन्तपुरम सेण्ट्रल-मद्रास मेल का, जो पहले कोयम्बतूर होकर जाता था, मार्ग बदलकर इसे कोयम्बतूर का परिहार करते हुए चलाया जाने लगा था लेकिन चेंगनचेरी से मद्रास का किराया कोयम्बतूर के रास्ते से ही लिया जाता था। ज्यों ही यह विसंगति नोटिस में आयी इसे ठीक कर दिया गया। रेलों को अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे उन्हीं मार्गों का किराया वसूल करें जिनसे होकर वास्तव में यात्रा की गयी हो और इस तरह की कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए।

**श्री गदाधर साहा** : प्रश्न के उत्तर में माननीय रेल मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि गलतियां हुई हैं और 239 यात्री 2 रुपये प्रति टिकट से वापिसी के हकदार पाए गए हैं तथा रेलवे द्वारा एक स्थानीय समाचार-पत्र में इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी। परन्तु मैं एक खास प्रश्न पूछना चाहता हूं : गलतियों का ब्यौरा क्या है, और कितनी अवधि अथवा कितने दिन तक यात्रियों से सिउरी से हावड़ा तक की यात्रा के लिए अधिक यात्रा-किराया वसूल किया गया ?

**श्री बंसी लाल** : यह अधिक वसूली केवल हावड़ा की तरफ से हुई थी।

**श्री गदाधर साहा** : पहला प्रश्न है : रेलवे अधिकारियों की ओर से क्या गलतियां हुई हैं; और दूसरा प्रश्न है कितने दिन अधिक किराया वसूल किया गया।

**श्री बंसी लाल** : उन्होंने गलती से प्रति टिकट 2 रुपए अधिक वसूल किए और जिनसे यह अधिक वसूली की गई उन तात्रियों की संख्या केवल 239 है।

**श्री गदाधर साहा** : मैं आपका ध्यान 'डेली वसुमती' में 6 अप्रैल को जारी अधिसूचना की ओर दिलाता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक छोटी सी बात है। आदमी से गलती हो सकती है। आप उनके बारे में क्या कर सकते हैं ?

**श्री गदाधर साहा** : अवधि जिसका यहां उल्लेख किया गया है वह 2 फरवरी से 27 फरवरी तक है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह उस अवधि को बताएं जिसके लिए यह अधिक वसूली वापिस की जाएगी।

**श्री बंसी लाल** : क्या प्रश्न है ?

**अध्यक्ष महोदय** : इनका कहना है कि किस अवधि के लिए रकम वापस की जायेगी ?

**श्री बंसी लाल** : जब भी वे आवेदन करेंगे। जब कभी भी दावेदार आयेंगे उनका आवश्यक

सत्यापन करने के बाद उन्हें रकम वापिस कर दी जायेगी। इस बारे में अधिसूचना 6 अप्रैल, 1985 के बासुमति नामक कलकत्ता के समाचार-पत्र में प्रकाशित किया गया था।

**श्री गदाधर साहा** : मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री ने कहा है कि रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों से वास्तव में यात्रा किए जाने वाले मार्ग का किराया वसूल करे। यह एक नया आदेश तथा एक नया नीति-निर्णय है। इस नये आदेश तथा नीति-निर्धारण का क्या आधार है?

**श्री बंसी लाल** : नया आदेश यह है कि यात्रियों से उनके द्वारा यात्रा किए गए मार्ग का ही किराया वसूल किया जाएगा।

**श्री गदाधर साहा** : ब्रिटिश समय में जब से रेल शुरू हुई हैं यह एक परम्परा थी कि यात्रियों से समान किराया वसूल किया जाता था वे चाहे जिस भी मार्ग से यात्रा करते थे। सिउरी से हावड़ा के लिए यात्री चाहें अन्दल होकर अथवा सैनतिया होकर जायें समान किराया वसूल किया जाता था, पहले किरायों में कोई अन्तर नहीं था। ब्रिटिश राज्य के दिनो में जब से रेलें स्थापित हुई हैं यात्री चाहे जिस भी मार्ग से जायें, किराया एक ही था। इस मामले में, क्या यह नया नीति निर्णय है, एक नया आदेश है जो निकाला गया है और रेलवे अधिकारियों को इस आदेश के अनुसार किराया लेने के लिए अनुदेश दिया गया है? आदेश का आधार क्या है?

**श्री बंसी लाल** : प्रश्न क्या है?

**अध्यक्ष महोदय** : प्रोफेसर साहब, क्या आपने इस प्रश्न को समझ लिया है?

**प्रो० मधु दण्डवते** : यदि मैं बम्बई से बरास्ता लंदन दिल्ली आता हूं तो मुझे वही किराया मिलना चाहिए।

**डा० सरदीश राय** : रेल बजट पर बहस के दौरान, मैंने यह प्रश्न उठाया था। कुछ उत्तर दिए गए थे जो मुझे रेलवे बोर्ड से प्राप्त हुए हैं। उस उत्तर में उन्होंने कहा है कि कतिपय कठिनाइयों के कारण इन आदेशों को 1-8-1981 से लागू नहीं किया जा सका। किन्तु इन आदेशों को चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण में जहां वैकल्पिक लम्बे रास्ते से दूरी का अन्तर 75 किलोमीटर अथवा उससे अधिक था, इसे 1-9-83 से लागू किया गया है, दूसरे चरण में, जहां दूरी का अन्तर 50 किलोमीटर से अधिक किन्तु 75 किलोमीटर से कम था इसे 1-1-1984 से लागू किया गया और तीसरे चरण में जहां दूरी का अन्तर 50 किलोमीटर से कम था इसे 1-4-1984 से लागू किया गया। मोशाकी एक्सप्रेस, जो पहली यात्री गाड़ी थी, 1-4-84 से बहुत पहले। जनवरी, 1940 से चलाई गई थी और किन्तु मनमाना किराया लिया गया और उस दिन से दोनों ओर से सीयूरी से हावड़ा तक अतिरिक्त किराया लिया गया : और उसका उल्लेख नहीं किया गया है। यहां, इस विज्ञापन में यह कहा गया है, "2-2-1984 से 7-2-1984 तक।" ऐसा किस आधर पर किया गया है? इसे पहले से क्यों नहीं किया गया? (व्यवधान)। तीन चरणों का उल्लेख किया गया है। हावड़ा से वर्दवान तक दो रास्ते हैं, एक प्रमुख लाइन है और दूसरी कॉर्ड लाइन है। कॉर्ड लाइन का रास्ता लगभग 50किलोमीटर छोटा है। तब भी यात्रियों को अतिरिक्त कियाया देना पड़ता है। हावड़ा से दिल्ली आने के लिए आप जी० टी० रोड से यात्रा कर सकते हैं। आप प्रमुख लाइन से यात्रा कर सकते हैं। आप एक अन्य लाइन से शांती निकेतन और भागलपुर, आदि से यात्रा कर सकते हैं।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** : पटरी से मत उतरो ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न में मुझे पटरी से उतार दिया गया है ।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : पटरी से उतरने का कोई प्रश्न नहीं है ।

**डा० सरदीश राय** : इस प्रकार से वह यात्रियों से अतिरिक्त किराया ले रहे हैं । वे तथ्यों को छिपा रहे हैं । रेल बोर्ड के सचिव ने पहले कहा था कि 239 यात्रियों से केवल 2 रुपए का अतिरिक्त किराया लिया गया और विज्ञापन में उन्होंने 2-2-1984 से 27-2-1984 की अवधि का उल्लेख किया है । पहली अप्रैल, 1984 क्यों नहीं ? (**व्यवधान**)

**श्री बंसी लाल** : प्रश्न क्या है ?

(**व्यवधान**)

**डा० सरदीश राय** : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । आप यात्रियों से हर बार अतिरिक्त किराया ले रहे हैं । आप यह किराया केवल पहली अप्रैल से ले सकते हैं । किन्तु आप इसे 26 जनवरी से वसूल कर रहे हैं । ऐसा क्यों है ? यात्रियों को सारा किराया वापस दिया जाना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : हम यात्रियों को अतिरिक्त किराया लौटा देंगे ।

**डा० सरदीश राय** : हमारा प्रस्ताव यह है कि उस पैसे को स्टेशन पर जमा कर दिया जाए और विधान सभा सदस्यों, संसद सदस्यों तथा अन्य यात्रियों को सुविधाएं दी जाएं । (**व्यवधान**)

**श्री वसुदेव आचार्य** : इस धन को सदस्यों को सुविधाएं देने में प्रयुक्त किया जाए । यह बड़ा अच्छा प्रस्ताव है । इस धन को यात्रियों को लौटाने के स्थान पर इसे यात्रियों के लिए कुछ सुविधाएं देने में प्रयुक्त किया जाए । (**व्यवधान**)

**प्रो० मधु दण्डवते** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने कुछ समझा है ?

**अध्यक्ष महोदय** : कम से कम मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया । प्रोफेसर साहब, क्या आपको कुछ समझ में आया है ?

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो मुझे भी समझा दें ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मैं तो इस उलझन को और अधिक उलझा सकता हूं ।

**श्री आनन्द गजपति राजु** : मैं इसे स्पष्ट करने का भरसक प्रयत्न करूंगा । माननीय सदस्य यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि 2 रुपये अतिरिक्त किराया लिया गया और जहां तक गरीब यात्रियों का सम्बन्ध है, यह उनके लिए बड़ी बात है और इसलिए उन्हें इस किराए को शीघ्र ही लौटा दिया जाना चाहिए । दूसरी बात माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि जब कोई गाड़ी किसी रास्ते विशेष पर जाती है अगर यह अपेक्षाकृत लम्बे रास्ते पर जाती है, तो उतना ही किराया क्यों नहीं लिया जाता है ?

**विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू)** : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

**श्री बंसी लाल** : हमने 239 यात्रियों से अतिरिक्त किराया लिया था। हम उसे वापस देने के लिए तैयार हैं और हमने एक स्थानीय समाचार पत्र में इस सम्बन्ध में एक विज्ञापन भी दिया है। जब भी कोई किराया वापस लेने के लिए आयेगा, हम उसे वह राशि लौटा देंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अमर सिंह राठवा। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

श्री डी० एल० बैठा। वह भी अनुपस्थित हैं। श्री लाल डुहोमा। वह भी उपस्थित नहीं है। ये तीनों ही अनुपस्थित हैं और जब तक मैं चौथे माननीय सदस्य का नाम पुकारूंगा समय ही समाप्त हो जायेगा।

श्री चिन्ता मोहन। वह भी उपस्थित नहीं हैं। अब कोई चिन्ता नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान। आप उपस्थित हैं। चलो, नाम बुलाने की बोरियत से छुट्टी मिली और तब तक समय भी समाप्त होने वाला है।

**मूल्य सूचकांक को मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में इन्टर्नों को छात्रवृत्ति का आधार बनाना**

*397. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में इंटर्नों को इस समय किस दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है;

(ख) क्या इसका मूल्य सूचकांक से कोई सम्बन्ध है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं और इन्टर्नों को इस समय दी जाने वाली छात्रवृत्ति किस आधार पर दी जाती है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (घ) केन्द्रीय संस्थाओं/अस्पतालों (इनमें वे सांविधिक/स्वायत्त शासी निकाय शामिल हैं जिनका सारा खर्च केन्द्रीय सरकार देती है) के इंटर्नों को पहली जनवरी, 1985 से 750 रुपए प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है। चूंकि यह वेतन न होकर मात्र छात्रवृत्ति ही है, इसलिए मूल्य सूचकांक के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य मेडिकल कालेजों/अस्पतालों के इंटर्नों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की दर भिन्न-भिन्न है जो 325 रुपये से लेकर 600/- रु० तक है। इसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य शामिल नहीं हैं जहां छात्रवृत्ति हाल ही में बढ़ाकर 800/- रुपये प्रति मास कर दी गई।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी :** मन्त्री महोदय उत्तर को स्पष्ट कर सकते हैं।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### काजी गुंड से उरी तक (जम्मू तथा काश्मीर) रेल लाइन

[अनुवाद]

*387. **श्री जनकराज गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में काजी गुंड से उरी तक रेल लाइन बिछाया जाना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस परियोजना पर कब कार्य शुरू करने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) :** (क) जी नहीं। फिलहाल नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) संसाधनों की बेहद कमी और पहले से की हुई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए इस कार्य को शुरू करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

### अनधिकृत संस्थाओं द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी में डिग्रियां/डिप्लोमा और प्रमाणपत्र दिया जाना

*389. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिकृत संस्थाओं द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में डिगरियां/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र दिए जाने के कुछ मामले पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले भी आए हैं; जिनमें अनर्ह व्यक्ति देश में इन चिकित्सा पद्धतियों में प्रैक्टिस करते पाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया गया था और सतर्कता रखने से कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या अग्रेतर कदम उठाने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)** : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है कि गैर-अर्हता प्राप्त व्यक्ति भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के व्यवसाय में लगे हुए हैं। हम राज्य सरकारों को सलाह देते रहे हैं कि जहां कहीं आवश्यक हो उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाए और कार्यवाही की जाए जो उसकी रिपोर्ट भेज दी जाए। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। लोगों को और अधिक जागरूक बनाने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

**हिमाचल प्रदेश की सिंचाई योजनाओं के लिए सातवीं योजना में प्रावधान**

[हिन्दी]

*389. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश की बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए कितनी राशि का प्रावधान किए जाने का विचार है; और

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हिमाचल प्रदेश की बृहद् सिंचाई स्कीमों के वास्ते आबंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

**गुजरात की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनायें**

[अनुवाद]

*393. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को भेजी गई कितनी नई सिंचाई परियोजनायें स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत सरकार द्वारा उनके संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) तकनीकी आर्थिक स्वीकृति तथा योजना का आयोग अनुमोदन प्राप्त करने हेतु गुजरात से 5 नई सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। वे हैं :—

(1) 17.92 लाख हैक्टेयर की सिंचाई हेतु 33.57 करोड़ रुपए की लागत की सरदार सरोवर परियोजना;

(2) 16.87 हजार हैक्टेयर की सिंचाई हेतु 22 करोड़ रुपए की लागत की वतरक जलाशय परियोजना;

(3) 20.48 हजार हैक्टेयर की सिंचाई हेतु 30.53 करोड़ रुपए की सिधुम्बर जलाशय परियोजना;

(4) 6.79 हजार हैक्टेयर की सिंचाई हेतु 18.24 करोड़ रुपए की लागत की वालन परियोजना; तथा

(5) 4.13 हजार हैक्टेयर की सिंचाई हेतु 13.88 करोड़ रुपए की लागत की गोमा परियोजना।

(ख) गोमा को छोड़कर इन परियोजनाओं पर टिप्पणियां राज्य सरकार को अनुपालनार्थ भेजी जा चुकी हैं। गोमा परियोजना अभी हाल ही में मार्च, 1985 में प्राप्त हुई है और इस पर जांच कार्य चल रहा है।

## चूखा बिजली परियोजना

*394. श्री डूमर लाल बैठा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूखा बिजली परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने और उसके शुरू होने के लिए कौन-सी तारीख निश्चित की गई है और उससे भूटान और भारत के कौन-कौन से क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा;

(ख) क्या उक्त परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को इस परियोजना से बिजली प्राप्त होनी थी जिसके लिए इसके शुरू होने से पहले ही वहां पारेषण लाइनें भी बिछाई जानी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या लाइनें बिछाने का कार्य पूरा किया जा चुका है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में आरारिया में पारेषण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था; और यदि हां, तो क्या उसका निर्माण करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) चूखा जल विद्युत परियोजना की 84 मेगावाट की पहली विद्युत उत्पादन यूनिट को चालू करने का लक्ष्य जून, 1986 है। 84-84 मेगावाट की तीन अन्य यूनिटों को उसके के बाद स्टेजिज में चालू किया जाएगा। इस परियोजना से भूटान में मुख्य से थिम्फू और फूंटशोलिंग क्षेत्रों को तथा भारत के पूर्वी क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों को तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम को विद्युत सप्लाई की जाएगी।

(ख) संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कार्य चल रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) दो नदी क्रोसिंगों और उपकेन्द्रों को छोड़कर, जिन्हें जून, 1985 तक पूरा कर लिया जाएगा, इस परियोजना से पूर्णिया तक पारेषण लाइनें व्यावहारिक रूप में पूरी हो गई हैं।

(ङ) इस परियोजना के अंतर्गत अरारिया में पारेषण केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

**बंगला देश से होते हुए कलकत्ता—करीमगंज रेल सेवा**

*395. **श्री लाल डुहोमा** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, असम के कछार जिले और विशेष कर संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम को देश के शेष भागों से जोड़ने वाली रेल सेवा के अत्यन्त अपर्याप्त होने के कारण इन क्षेत्रों में अधिकांश समय आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कमी बनी रहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बांग्ला देश होते हुए कलकत्ता से कछार जिले में करीमगंज तक सीलबन्द/तालाबन्द रेल सेवा आरम्भ करने का कोई विचार, जैसा कि केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के बारे में, किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा के अधिकांश भागों, असम के कछार जिले और मिजोरम के लिए लमडिंग-बदरपुर खण्ड से होकर रेल संचलन होता है। इस खण्ड पर क्षमता की कमी है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के लिए कभी-कभी अनिवार्य वस्तुओं के रेल संचलन में गिरावट आ जाती है। तथापि, सम्बद्ध विभागों के समन्वय से रेलें कड़ी निगरानी रख रही हैं ताकि जहां तक संभव हो, अनिवार्य वस्तुओं की कमी न होने पाये।

(ख) बांग्लादेश होकर कलकत्ता से कछार जिले में करीमगंज तक सीलबंद/तालाबंद रेल सेवा आरम्भ करने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) ये व्यावहारिक नहीं है।

**मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव**

396. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक समान मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण की उत्कृष्टता बनाए रखने की दृष्टि से एक पूर्ण स्तर का मेडिकल विश्वविद्यालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई)** : (क) और (ख) चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति ने आधुनिक और विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, नर्सों, फार्मासिस्टों आदि की विभिन्न शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थाओं में ताल-मेल बैठाने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के विश्वविद्यालय खोलने के बारे में सिफारिशें की हैं। सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

**दिल्ली यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रदर्शन**

*398. **प्रो० एम० आर० हाल्दर** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज कर्मचारी यूनियन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संघ की मांग क्या थी और क्या दिल्ली विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उसे स्वीकार किया जाएगा ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संवर्ग समीक्षा समिति द्वारा अगस्त, 1984 में प्रस्तुत रिपोर्ट की कार्यान्वियन सम्बन्धी मांग को मनवाने के लिए प्रदर्शन किया गया था । इस रिपोर्ट से सम्बन्धित आयोग के निर्णयों से सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 30 मार्च, 1985 को अवगत करा दिया गया है ।

## कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1983

*399. **श्री सुरेश कुरूप** :

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983 जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है, काफी समय से लम्बित है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : कलकत्ता विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 जिसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा मई, 1984 में राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा गया था, अभी भी लम्बित पड़ा है ।

## राजस्थान फीडर और गंग नहर के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए राजस्थान का प्रस्ताव

*400. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंग नहर के कमान क्षेत्रों में अबाधगति से पानी की सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान "फीडर" और गंग नहर की बीच सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया था;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने संशोधित प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को भेजा था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (ग) जी हां ।

(घ) प्रस्ताव की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षण किया जा रहा है ।

## त्रिभाषा फार्मूले का कार्यान्वयन

*401. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा त्रिभाषा फार्मूले का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है और उन्होंने इसे कार्यान्वित कर सकने में अपनी असमर्थता के लिए क्या कारण बताए हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) स्कूली शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा मुख्य रूप से देखभाल उनके द्वारा की जाती है । राज्य सरकारें तथा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्कूली-स्तर पर भाषाओं सहित सभी विषयों के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यविवरण और पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हैं । केन्द्रीय सरकार नीति के बारे में राज्यों को सलाह देती है तथा मार्गदर्शी रूपरेखाएं प्रदान करती है । केन्द्रीय सरकार ने राज्यों द्वारा त्रि-भाषा सूत्र के सुचारू कार्यान्वयन की सिफारिश की है । शिक्षा मंत्रालय ने दो बार राज्यों से जून, 1982 में त्रि-भाषा सूत्र के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आग्रह किया और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, जिसके राज्य शिक्षा मंत्री सदस्य हैं, जून, 1983 में हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि राज्य सरकारें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में यथा निर्धारित त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाएं । पिछली बार इसी प्रकार से जुलाई, 1984 में राज्यों को सम्बोधित किया गया था ।

(ख) तमिलनाडु ने 1968 में राज्य विधान मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार एक द्विभाषा सूत्र को अपनाया है । पांडिचेरी, तमिलनाडु की पद्धति का अनुसरण करता है । मेघालय भी त्रि-भाषा सूत्र का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है । अन्य राज्यों ने त्रि-भाषा सूत्र को स्वीकार किया है ।

## सिंगरोली, बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ बिजली संयंत्रों में हरियाणा का हिस्सा

*402. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरोली, बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ स्थित बिजली संयंत्रों में से प्रत्येक में हरियाणा राज्य का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या इन संयत्रों द्वारा उत्पादित बिजली में हरियाणा राज्य को उसका उचित देय हिस्सा मिल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (ग) हरियाणा का सिंगरौली की 1000 मेगावाट क्षमता में 8·2% हिस्सा, इन्द्रप्रस्थ में 187·5 मेगावट क्षमता में एक तिहाई हिस्सा तथा बदरपुर में कोई हिस्सा नहीं है । उत्तर प्रदेश और दिल्ली द्वारा अधिक बिजली लेने के कारण राज्य को सिंगरौली और इन्द्रप्रस्थ से अपना पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है ।

## वेरावल-अहमदाबाद रेल लाइन का नवीकरण

*403. **श्री मोहन लाल पटेल** :
**श्री नवीन रवाणी** :

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर डिवीजन में वेरावल-अहमदाबाद बड़ी लाइन बहुत

पुरानी हो गयी है और इस रेल मार्ग पर गाड़ी की औसतन गति 30 किलोमीटर प्रति घण्टा से भी कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल मार्ग के नवीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) अहमदाबाद-वेरावल के बीच मुख्य लाइन मार्ग के रेलपथ का केवल एक अंश सन् 1935 का बना हुआ है । अहमदाबाद से बोटाद तक अनुसूचित रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घण्टा और बोटाद से वेरावल तक 58 कि०मी० प्र० घ० है । अहमदाबाद और बोटाद के बीच केवल 25 कि० मी० लम्बे रेल पथ पर 50 कि० मी० प्र० घ० का मामूली सा रफ्तार प्रतिबंध है ।

(ख) रेलपथ का नवीकरण धन की सुलभता और विभिन्न खंडों आदि की पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखकर कार्यक्रमबद्ध आधार पर किया जा रहा है ।

## अलर्क रोग (रेबीज) की रोकथाम के उपाय

*404. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलर्क रोग का खतरा देश मं व्यापार रूप से विद्यमान है;

(ख) क्या यह सच है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकों की सप्लाई पर्याप्त नहीं है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा इस खतरे पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई)** : (क) और (ख) हमारे देश में अलर्क रोग एक स्थानिकमारी रोग है । देश में अलर्क-रोधी वैक्सीन का निर्माण करने वाले 12 केन्द्र हैं जो प्रति वर्ष लगभग 350 लाख मि०ली० तंत्रिका ऊतक वैक्सीन का निर्माण करते हैं। यह मात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

(ग) अलर्क रोग की रोकथाम के लिए सरकार ने विभिन्न नगर निकायों के साथ मिलकर जो उपाय शुरू किए हैं उनमें आवारा कुत्तों को खत्म करना, पालतू कुत्तों को रोगप्रतिरक्षण प्रदान करना और आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना शामिल है ।

## भारतीय रेलों की कार्मिक शाखा में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

[अनुवाद]

*2546. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों की कार्मिक शाखा में डिवीजन वार और उत्पादन एककों सहित जोनल रेलों के मुख्यालय में तृतीय श्रेणी के स्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय रेलों में डिवीजन वार तथा उत्पादन एककों सहित जोनल रेलों में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या कार्मिक शाखा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

## दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत रायगुडा कस्बे में रेलवे क्रासिंग पर उपरी पुल का निर्माण

2547. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार और रेलवे के अधिकारियों ने दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत रायगुडा कस्बे में रेलवे क्रासिंग पर उपरी पुल का निर्माण संबंधी प्राक्कलन (एस्टिमेट) तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार और रेल विभाग के हिस्से में आने वाली अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार वर्ष 1985-86 के दौरान उक्त धनराशि की व्यवस्था करने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा इस बारे में वर्ष 1985-86 के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी नहीं। पहुंचमार्गों के नक्शों और अनुमानों, जो कि राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये जाने हैं, की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## फथुआ-इस्लामपुर लाइट रलवे को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

2548. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की फथुआ-इस्लामपुर लाईट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इस क्षेत्र के यात्री काफी समय से मांग करते रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) फथुआ-इस्लामपुर लाइट रेलवे के आमान परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन सरकार ने सैद्धांतिक रूप से फतुआ-इस्लामपुर लाइट रेलवे को अपने अधिकार में लेने का निर्णय ले लिया है और राष्ट्रीयकरण के बाद इस लाइन को बन्द करने के लिए बिहार सरकार की सहमति प्राप्त हो गई है।

**भाखड़ा नांगल परियोजना के श्रमिकों को प्लाटों का आवंटन**

[अनुवाद]

2549. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भाखड़ा नांगल के बहुत से श्रमिक अपने परिवारों सहित तब से नांगल टाउन शिप में रहते हैं जबकि यह परियोजना शुरू हुई थी।

(ख) क्या इन लोगों ने आवास निर्माण के लिए प्लाटों का आवंटन हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) क्या सरकार उनकी प्रार्थना पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे लोग वास्तव में नांगल टाउनशिप के निवासी हो गये हैं सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (ग) भाखड़ा नांगल परियोजना में कार्य कर रहे अधिकांश श्रमिक नंगल टाउनशिप में परियोजना के आवासीय स्थान में रह रहे हैं। सेवानिवृत्त व्यक्तियों सहित कुछ कर्मचारियों ने अपने निजी घर बनाने के लिए नंगल टाउनशिप में प्लाटों के आवंटन हेतु कहा है। इस प्रकार के घर बनाने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंध-बोर्ड के पास नंगल टाउनशिप में कोई भूमि नहीं है। अतः भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा भूमि आबंटित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

**"स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" की स्थापना करना**

2550. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उन स्थानों पर जहां मेडिकल कालेज बड़ी संख्या में हैं, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने चाहिए, जिनके साथ विभिन्न चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थाएं सम्बद्ध हों और जो इन विश्वविद्यालयों के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आती हों। सरकार राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श कर इस सिफारिश पर अन्तिम निर्णय लेगी।

**गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास द्वारा 1983-85 के दौरान प्राप्त मद मांग पत्र**

2551. **श्री एम० महालिंगम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार सी० जी० एच० एस० और अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों तथा

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों से 1983, 1984 और 1985 (फरवरी 85 तक) के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास को कितने मूल्य के मदों की मांग पत्र मिलें होंगे;

(ख) गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास द्वारा उक्त मांग पत्र देने वालों को इन वर्षों के दौरान कितने मूल्य का सामान सप्लाई किया गया; और

(ग) मद्रास डिपो को उक्त मांग पत्र देने वालों की मांग के अनुसार पूरी सप्लाई करने में क्या कठिनाइयां हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ।

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्राप्त हुए मांग पत्रों का मूल्य :—

| कलैंडर वर्ष | |
|---|---|
| 1983 | 210 लाख रुपए |
| 1984 | 300 लाख रुपए |
| 1985 (फरवरी 85 तक) | 50 लाख रुपए |

(ख) सप्लाई की गई सामग्री का मूल्य :—

| कलैंडर वर्ष : | |
|---|---|
| 1983 | 125.32 लाख रुपए |
| 1985 | 228.28 लाख रुपए |
| 1985 (फरवरी 1985 तक) | 91.68 लाख रुपए |

(ग) तमिलनाडु सरकार की नीति में परिवर्तन होने के कारण मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास को पहले से भेजे गए मांग पत्रों पर की गई सप्लाई को राज्य सरकार के मांगकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया । ये मामला तमिलनाडु सरकार के साथ उठाया गया था जो इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि जहां तक संभव होगा वे पहले से भेजे गए मांग पत्रों के अनुसार सामग्री प्राप्त करने मेडिकल स्टोर डिपो के अनुरोध पर विचार करेंगे । अन्य मांगकर्ताओं के संबंध में, तत्काल सप्लाई करने की मांग को पूरा करने के लिए मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास स्थानीय खरीद करता है । दिल्ली स्थित मुख्यालय में, उप-महानिदेशक (स्टोर) द्वारा स्थिति की हर महीने पुनरीक्षा की जाती है ।

### राष्ट्रमंडल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन

2552. श्री बी० बी० देसाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमंडल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन दिनांक 11 मार्च, 1985 को नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में तृतीय विश्व के देशों को बेहतर औषधि पूर्ति के लिए कहा गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि तृतीय विश्व देशों को औषधि आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता देने हेतु ठोस क्रियात्मक कार्यक्रम पर चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो अन्य क्या कदमों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां। राष्ट्रमंडल फार्मास्यूटिकल एसोशिएशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय कार्यालय और राष्ट्रमंडल सचिवालय के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

(ख) इस कार्यालय में औषधि पूर्ति प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं अर्थात् प्रबन्ध प्रणाली, संघठनात्मक फार्मूलरी और औषधि पूर्ति कार्यक्रमों में गुणवत्ता के आश्वासन पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) कार्यशाला में औषध पूर्ति प्रणाली के प्रबन्ध विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया ताकि विश्वस्त किस्म की अनिवार्य दवाइयां प्राप्त करने, उनके भंडारण, वितरण और पूर्ति का सुचारू रूप से प्रबन्ध हो सके।

(घ) इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं :—

(i) औषध पूर्ति की मानीटरिंग में कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

(ii) औषधियों का अधिकतम उपयोग करना।

(iii) फार्मासिस्टों की सेवाओं का ठीक ढंग से लाभ उठाना; और

(iv) फार्मासिस्टों की शिक्षा जारी रखना।

## खुर्दा रोड में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को टाइप तीन के क्वार्टरों का आबंटन

2553. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारियों को खुर्दा रोड में टाइप तीन के रेलवे क्वार्टर आबंटित किये गये हैं;

(ख) खुर्दा रोड में राजपत्रित अधिकारियों के पास टाइप तीन के कितने क्वार्टर हैं; और

(ग) टाइप तीन के जो क्वार्टर राजपत्रित अधिकारियों के कब्जे में हैं उन्हें तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को आबंटित करने के लिए खाली कराया जाएगा ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) 58

(ख) 9

(ग) निर्माणाधीन टाइप VI के क्वार्टरों के पूरा होने और आबंटन कर दिए जाने पर, टाइप III के क्वार्टर आबंटन के लिए रिलीज कर दिए जाएंगे।

**अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों की डिस्पेंसरियों और अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पद**

2554. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में जी० डी० ओ० ग्रेड-II और चिकित्सा अधिकारियों से विशेषज्ञ ग्रेड के अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पद रिक्त हैं और उन अस्पतालों/डिस्पेंसरियों/जन स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनमें उपरोक्त पद रिक्त हैं और कब से; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उक्त पद कब तक भरे जाएंगे ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य के विशेषज्ञ ग्रेड-II (वेतनमान 1100-1800 रुपये) के मंजूर किए गए 9 पदों में से केवल एक पद, अर्थात् चिकित्सा विशेषज्ञ का पद खाली है। इस पद को भरने के लिए एक नया मांगपत्र संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले संस्तुत किए गए उम्मीदवारों ने पद-भार ग्रहण नहीं किया। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (पहले 1100-1600 रुपए के वेतनमान में जी० डी० ओ० ग्रेड-I) वर्ग में मंजूर किए गए 25 पदों में से 14 पद भरे गए हैं और शेष पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

**पान मसाले**

2555. **श्री पीयूष तिरकी : क्या स्वास्थ्य और परिवार-कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मा', 1985 के सण्डे आब्जर्वर में बिटर मिक्सचर शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक ब्राण्डों के पान मसाले विषैले और स्वस्थ्य के लिए हानिकर होते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मसालों की बिक्री को मंजूरी देने से पूर्व उन पान मसालों पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(घ) दोषी पान मसाला उत्पादकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उपरोक्त कारण से पिछले तीन वर्षों में कितने उत्पादकों के नाम काली सूची में रखे गए हैं और उनके नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां।

(ख) पान मसाला में मुख्य घटक सुपारी, चूना, नारियल, कत्था, इलायची, केसर, सुगन्धित मसाले और खुशबू होते हैं। हमारी वर्तमान जानकारी के अनुसार ऐसी सम्भावना नहीं है कि ये घटक अकेले अथवा मिलकर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान

परिषद ने सुपारी की विभिन्न किस्मों की कैंसर-जननशीलता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है ।

(ग) और (घ) राज्यों/स्थानीय निकायों के खाद्य स्वास्थ्य अधिकारी बाजार से पान मसाले के नमूने लेते हैं और उनका विश्लेपण करवाते हैं । यदि किसी नमूने में हानिकारक घटक पाए जाते हैं तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है ।

(ङ) इस मंत्रालय को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि राज्य स्वास्थ्य अधिकारी फर्मों को काली सूची में रख देते हैं ।

**पुनपुन सिंचाई योजना के अन्तर्गत हम्मीद नगर में बराज का निर्माण**

[हिन्दी]

2556. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनपुन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने हम्मीदनगर में एक बराज की आधारशिला रखी थी;

(ख) क्या इस योजना को केन्द्रीय जल आयोग ने स्वीकृति प्रदान की थी;

(ग) यदि हां, तो इस बराज का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) इस बराज के बनने से कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करते हुए केन्द्रीय जल आयोग में इस परियोजना की तकनीकी जांच की जा रही है ।

(ग) इस परियोजना पर लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है । राज्य सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है । परियोजना का पूरा होना तदनन्तर उपलब्ध कराए जाने वाले परिव्ययों पर निर्भर करेगा ।

(घ) परियोजना में बिहार के गया तथा पटना जिलों में लगभग 73,000 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की परिकल्पना है ।

**वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाराणसी और गाजीपुर के बीच गतिरोधक**

2557. **श्री जैनुल बशर** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाराणसी और गाजीपुर के बीच स्कूलों और बाजारों के सामने गतिरोधक बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बाजारों और स्कूलों के क्या नाम हैं; और

(ग) सैयदपुर और गाजीपुर के बीच माऊपारा बेसिक प्राइमरी स्कूल और महाराजगंज बाजार के सामने गतिरोधक न बनाने के क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) किसी स्पीड ब्रेकर्स की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि, कुछ स्थानों पर ड्राइवरों को सावधान करने के लिए विशेष संकेत चिह्नों की व्यवस्था की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नीतिगत निर्णय होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड ब्रेकर्स की व्यवस्था नहीं की गई है।

**धारापुरम और पलानी को जोड़ने वाली रेल लाइन**

[अनुवाद]

2558. **श्री आर० अन्नानाम्बी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में पेरियार जिले में धारापुरम आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है तथा वहां उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में कोई मुख्य विकास नहीं हुआ है; और

(ख) क्या सरकार तमिलनाडु में धारापुरम तथा प्रसिद्ध तीर्थ केन्द्र पलानी को जोड़ने वाली किसी रेल लाइन के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जैसा कि उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है, तमिलनाडु में पेरियार जिला पिछड़े क्षेत्रों की सूची में नहीं आता है।

(ख) जी, नहीं।

**मध्य प्रदेश में "हैल्थ गाइड स्कीम" का क्रियान्वयन**

2559. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हैल्थ गाइड स्कीम" का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान किन-किन राज्यों में यह स्कीम क्रियान्वित की जा चुकी है;

(ग) क्या, मध्य प्रदेश में "हैल्थ गाइड स्कीम" क्रियान्वित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में इस स्कीम के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) स्वास्थ्य गाइड योजना को इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि लोगों को स्वास्थ्यवर्धक, निवारक और उचित स्वास्थ्य परिचर्या सम्बन्धी पहलुओं की शिक्षा और जानकारी दी जा सके ताकि वे अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरुक रहें तथा वे सरकार के सक्रिय सहयोग और सहायता के साथ-साथ समुदाय की पूरी-पूरी भागीदारी के जरिए इस सम्बन्ध में अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।

(ख) जम्मू व कश्मीर, केरल, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र छठी योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी हां, राज्य में इस योजना को कार्यान्वित किया गया है और प्राप्त सूचना के अनुसार 35619 स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

**चम्बल नदी पर बांध का निर्माण**

[हिन्दी]

2560. **श्री लाला राम केन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चम्बल घाटी में चम्बल नदी आवश्यक बांध बनाकर या उठाऊ सिंचाई योजना शुरू करके इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण करके कोई योजना कब तक बनाई जाएगी ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) राजस्थान सरकार ने चम्बल नदी पर पिपालदा लिफ्ट सिंचाई स्कीम तैयार की है तथा तकनीकी जांच के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजी है। उत्तर प्रदेश ने भी चम्बल नदी पर एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम प्रस्तुत की है जो परीक्षणाधीन है।

(ख) राजस्थान की पिपालदा लिफ्ट स्कीम की अनुमानित लागत 6.10 करोड़ रुपए है तथा उसमें 14,870 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन की परिकल्पना की गई है। उत्तर प्रदेश की लिफ्ट स्कीम की अनुमानित लागत 11.42 करोड़ रुपए है तथा 55,400 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता की परिकल्पना की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली में ट्राम गाड़ियों को फिर से शुरू करना**

[अनुवाद]

2561. **श्री टी० बाला गौड़** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ट्राम गाड़ियों को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है;

(ग) कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली से ट्राम गाड़ियों का प्रयोग समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रयोक्ताओं की तेजी से बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार परिवहन प्रणाली के अन्य किन तरीकों पर विचार कर रही है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में ट्राम गाड़ियों को स्थगित किए जाने का मुख्य कारण यह था कि यह बहुत अधिक खर्चीला था और भीड़-भाड़ की अवधि में विशेषकर चहारदीवारी वाले शहर के अन्दर इसके कारण भीड़-भाड़ भी अधिक बढ़ जाती थी।

(घ) बस परिवहन सिस्टम के अलावा, दिल्ली में 1982 में ई० एस० यू० सहित रिंग रेलवे चालू किया गया था। मुख्य रूप से साधनों की कमी के कारण परिवहन व्यवस्था के और अतिरिक्त स्वरूपों के परिचालन को अब तक व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

### जाली खेल-कूद प्रमाण पत्रों पर दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला

2562. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राधिकारियों की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ प्रत्याशियों ने जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर खेलकूद कोटे के अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी दाखिला ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके दाखिला लेने वाले ऐसे प्रत्याशियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में केवल वास्तविक छात्रों को ही दाखिला मिले ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 5 प्रतिशत स्थानों का कोटा है। दाखिले के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्रों को विश्वविद्यालय द्वारा श्रेणीबद्ध किया जाता है। इस प्रकार की श्रेणीबद्धता में हेर-फेर करने के कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान, आवेदन पत्रों की श्रेणीबद्धता में इस प्रकार की हेर-फेर करने के 9 मामले थे।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय ने उन 4 छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए, जिन्हें जांच के बाद दाखिले के लिए पात्र नहीं पाया गया था। शेष मामलों में विश्वविद्यालय ने प्रमाण-पत्रों को, जांच पड़ताल के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजने का निर्णय किया है। विश्वविद्यालय ने यह भी निर्णय किया है कि उन मामलों में, जिनमें प्रमाण-पत्रों की यथार्थता सत्यापित नहीं हो सकी है, संबंधित छात्रों का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित खेल में जांच की जानी चाहिए।

### इलैक्ट्रिकल लोको शैड की स्थापना

2563. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजीपेट में इलैक्ट्रिकल लोको शैड स्थापित करने का प्रस्ताव था क्योंकि यह विजयवाड़ा, सिकन्दराबाद और बालेरशाह जैसे मुख्य केन्द्रों के लिए केन्द्रीय स्थान था;

(ख) क्या इसे अब सिकन्दराबाद (भीड़भाड़ वाला शहर) में ले जाने को कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## रेलवे में वेटरों की सेवाओं का नियमित किया जाना

2564. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे खान पान विभाग में गत पांच वर्ष से भी अधिक समय से सेवारत वेटर अभी तक तदर्थ आधार/दैनिक मजूरी पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकारी निर्देशों का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति को नियमित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : रेलों में पांच वर्ष से अधिक समय से कमीशन बेयरे का काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) 1978 में यह निर्णय लिया गया था कि उस समय तक रेलों पर कार्य कर रहे कमीशन बेयरों को चरणबद्ध आधार पर नियमित वेतनमान में समाहित किया जाए। अब तक भारतीय रेलों में लगभग 2000 कमीशन बेयरे नियमित कर दिये गए हैं।

## आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर चार मार्गों वाला पुल बनाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार

2565. **श्री बैजावाड़ा पापी रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर विजयवाड़ा के निकट कृष्णा नदी पर दो मार्ग वाले कनकदुर्गा पुल बनाने की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारी यातायात और आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर इसे चार मार्गों वाला पुल बनाने हेतु अपने उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

**नौवाहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी हां।

(ख) दो लेन वाले जिस नए पुल का निर्माण हो रहा है वह मौजूदा दोहरी लेन वाले बराज-व-सड़क पुल का पूरक होगा। जब कभी यातायात की जरूरत के अनुसार दूसरे दोहरी लेन वाले पुल की जरूरत होगी, तब इस पर विचार किया जाएगा जो राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन की उपलब्धता और देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अन्य निर्माण कार्यों की प्राथमिकता पर निर्भर है।

## आंध्र प्रदेश में टाडा से इच्छापुरम तक तटीय सड़क (कोस्टल रोड) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

2566. **श्री सी० साम्बु** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश के समुद्रतटीय क्षेत्र में टाडा से इच्छापुरम तक तटीय सड़क (कोस्टल रोड) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## राज्यों को रियायती दर के छपाई के सफेद कागज का आबंटन

2567. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1985-86 में राज्यों को छपाई के सफेद कागज का आबंटन बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो 1985-86 में उड़ीसा के लिए मंजूर किए गए ऐसे कागज की मात्रा का मीट्रिक टनों में ब्योरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) और (ख) रियायती सफेद मुद्रण कागज का आबंटन तिमाही आधार पर किया जाता है न कि वार्षिक आधार पर। पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून, 1985-86 के लिए राज्य-वार आबंटन जारी कर दिए गए हैं। उक्त तिमाही के दौरान उड़ीसा राज्य को 1058 मी० ट० रियायती कागज आबंटित किया गया है।

वर्ष 1985-86 की उत्तरवर्ती तिमाहियों के लिए उड़ीसा राज्य सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रियायती कागज के आबंटन में वृद्धि करने का प्रश्न उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कागज की मात्रा पर निर्भर करता है।

## विदेशी नौवहन कंपनियों द्वारा कलकत्ता स्थित नाविकों की भर्ती बन्द करना

2568. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी नौवहन कम्पनियों ने कलकत्ता बन्दरगाह पर कर्मी दल की भर्ती बन्द कर दी है जिससे कलकत्ता के नाविकों के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कलकत्ता स्थित कितने नाविक प्रभावित हुए और इन नौवहन कम्पनियों ने कलकत्ता से कब से कर्मी दलों की भर्ती करना बन्द किया है;

(घ) विदेशी नौवहन कम्पनियों द्वारा कलकत्ता स्थित नाविकों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं और भारत की अन्य बन्दरगाहों पर क्या स्थिति है; और

(ङ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कलकत्ता में चार विदेशी नौवहन कम्पनियां भारतीय कर्मियों को नियोजित कर रही थी। 31-12-82 को उनके रोस्टर में कलकत्ता के 3197 नाविकों के नाम थे जिन्हें बारी-बारी से 709 कार्य दिए गए। उसके बाद से रोस्टर के बन्द किए जाने के कारण, इन नाविकों को जनरल रोस्टर से स्थानान्तरित कर दिया है।

(घ) नौवहन उद्योग में मन्दी के कारण नाविकों के लिए उपलब्ध कार्यों में, जबकि सामान्य तौर से कमी आई है, वहीं कलकत्ता स्थित विदेशी नौवहन कम्पनियों के उनके रोस्टर को बन्द कर देने सम्बन्धी निर्णय, उनका निजी निर्णय है। बम्बई में जो नाविक रोजगार कार्यालय के लिए केवल दूसरा भारतीय पत्तन है, विदेशी कम्पनियों के रोस्टर में 7315 नाविकों के नाम हैं और बारी-बारी से 3736 नाविकों को रोजगार उपलब्ध कराए गए।

(ङ) भारत सरकार ने एडमिरल एस०एम० नन्दा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में बेरोजगारी के प्रश्न का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति की कुछ मुख्य सिफारिशें और उस पर की गयी कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

| क्र. सं. | सिफारिशें | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | प्रशिक्षित नाविकों को पूर्णरूपेण रोजगार दिए जाने तक न तो नयी नियुक्ति की जाएं और न नया प्रशिक्षण दिया जाय। | सभी तीनों प्रशिक्षण स्थापनाओं में समुद्र से पहले प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया है। |
| 2. | लगातार दो नोटिसों पर उपस्थित न होने वाले नाविकों को अयोग्य घोषित किया जाय और उनके पंजीकरण को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जाय। | नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, नाविक रोजगार कार्यालय, बम्बई और कलकत्ता, प्रथम काल नोटिस कारण बताओ नोटिस के रूप में ही होगा और यदि नाविक कोई उत्तर नहीं देता तो उसे 30 दिनों के अन्दर निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय को संतोषप्रद और पर्याप्त कारण बताना होगा। उस स्थिति में उसे दूसरा काल भेजा जाएगा जो अन्तिम होगा और यदि वह किसी भी कारण से फिर भी अनुपस्थित रहता है तब उसके पंजीकरण को रद्द माना जाएगा। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | मौजूदा 60 वर्षों से नाविकों की सेवानिवृत्ति आयु घटाकर 58 वर्ष कर दी जाय। | आदेश जारी कर दिये गये हैं कि 1-7-1982 को या उसके बाद पंजीकृत को या उसके बाद पंजीकृत नाविकों के लिए घटायी गयी सेवानिवृत्ति आयु लागू होगी। |
| 4. | बेरोजगार नाविकों के लिए वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम बनायी जाय और उसे कार्यान्वित की जाय। | पोत मालिकों और नाविकों की विभिन्न बैठकों में इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है परन्तु अभी तक अन्तिम रूप से किसी स्कीम पर सहमति नहीं हो सकी। |
| 5. | बम्बई और कलकत्ता में केवल शिपिंग मास्टर के लिए कन्टीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स जारी किया जाय। | बम्बई और कलकत्ता में सी० डी० ए० के जारी किए जाने को प्रतिबन्धित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। |
| 6. | नाविकों के लिए प्रवेशपूर्व चिकित्सा स्तर की समीक्षा की की जाय। | रक्षा मंत्रालय से परामर्श करने के बाद, यह अनुभव किया गया कि मौजूदा चिकित्सा स्तर पर्याप्त हैं। |
| 7. | प्रवेशपूर्व शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास बढ़ाकर दसवीं पास की जाय। | चूंकि अभी समुद्रीपूर्व प्रशिक्षण स्थगित है, अतः प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन देते समय संशोधित शैक्षणिक योग्यता का निर्णय किया जाएगा। |

## चलती रेलगाड़ियों में शायिकाओं का आरक्षण कराने में यात्रियों को होने वाली कठिनाइयां दूर करने का उपाय

[हिन्दी]

2569. **श्री डालचन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्कल और कलिंग एक्सप्रैस रेलगाड़ियों ने शायिकाओं का आरक्षण कराने में यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए और यह आरक्षण बिना किसी कठिनाई सुनिश्चित करने के लिए क्या क़दम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार रेलगाड़ियों के स्टेशनों पर पहुंचने पर तत्काल प्लेटफार्मों के नोटिस बोर्डों पर रिक्त शायिकाओं संबंधी सूचना दर्शाने का है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) और (ख) इस आशय के अनुदेश हैं कि गाड़ियों में खाली शायिकाओं से संबंधित स्थिति, यथा सम्भव, आगे पड़ने वाले प्रत्येक हाल्ट को गाड़ी पहुंचने से पहले

संसूचित कर दी जानी चाहिए और ऐसे डिब्बों में तैनात चल टिकट परीक्षकों द्वारा डिब्बों के पार्श्व पैनलों में भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियमित रूप से होने वाले यातायात और अन्य सम्बद्ध कारकों के आधार पर आरक्षित स्थान का विशिष्ट कोटा भी स्वतन्त्र बुकिंग के लिए विभिन्न मध्यवर्ती स्टेशनों को, इन स्टेशनों पर चढ़ने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आबंटित किया जाता है।

**भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा लवोव चिकित्सा संस्थान सोवियत संघ द्वारा प्रदत्त डिग्री को मान्यता देना**

[अनुवाद]

2570. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा का का पाठ्यक्रम और स्तर एक समान होने के बावजूद भी भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा लवोव चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदत्त डिग्री को अभी मान्यता प्रदान नहीं की जा रही है जबकि उसने सोवियत संघ के अनेक चिकित्सा संस्थानों की डिग्री को पहले ही मान्यता प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा उक्त डिग्री को मान्यता दिलवाने का निर्णय करने का प्रस्ताव गया है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन प्रत्येक विदेशी चिकित्सा अर्हता को मान्यता देने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को केन्द्र सरकार से अलग से सिफारिश करनी होती है। लवोव चिकित्सा संस्थान, सोवियत संघ रूस की डिग्री को अपेक्षित सिफारिशों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेज दिया गया है।

**दिल्ली के अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं**

2571. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 और 1985 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में आग लगने की कितनी घटनाएं दर्ज की गई :

(ख) आग लगने की घटनाओं के कारण अस्पतालों का कितना-कितना नुकसान हुआ तथा प्रत्येक मामले में आग लगने के क्या कारण थे; और

(ग) अस्पतालों में भविष्य में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल के ई०एन०टी० विभाग (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विंग) में 2-3-85 को आग लगने की केवल एक घटना उस समय हुई जब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नवीकरण संबंधी कार्य कर रहा था। इससे अस्पताल को कोई नुकसान नहीं हुआ। केन्द्रीय लोक विभाग/निर्माण/जिला अग्नि शमन

अधिकारी के परामर्श से केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में आग पर काबू पाने संबंधी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए समीक्षा की गई है ।

**थानवे से भोरे विजयपुरा-पागरा भटनी के बीच रेल लाइन का निर्माण**

2572. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में थानवे से भोरे विजयपुर-पागरा-भटनी तक एक नई रेल लाइन बनाने बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त लाइन के निर्माण के बाद, सींवन भटनी रेल लाइन से यात्रा करने वाले यात्रियों को 400 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ेगी और इस प्रकार उन्हें समय और धन, दोनों की बचत होगी; और

(ग) उक्त रेल लाइन का निर्माण कब करने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) संसाधनों की बेहद कमी और पहले से की हुई भारी वचन-बद्धताओं को देखते हुए सुझाई गई नयी लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**इलाहाबाद जिले में पीलिया का महामारी के रूप में फैलना**

2573. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों से इलाहाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) में पीलिया की अप्रत्याशित महामारी फैली हुई है;

(ख) यदि हां, तो महामारी फैलने के क्या कारण है; और

(ग) इस रोग से निपटने के लिए क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**मिदनापुर जिले की केलेघाई चरण-दो परियोजना को सातवीं योजना में शामिल करना**

2574. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मिदनापुर जिले में केलेघाई नदी पर कुछ और अधिक काम किए जाने की (जैसाकि केलेघाई चरण-दो में रूपरेखा बनाई गई है) बहुत सख्त जरूरत है जिसके बिना सभांग और पराशपुर थानों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं; जैसाकि गत वर्ष लगातार वर्षा के कारण आई बाढ़ से सिद्ध होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केलेघाई चरण-दो परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का इरादा कर रही है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) केलेघाई नहर तथा इसकी वितरणियों के पुनः प्रकरण की अनुमोदित स्कीम को राज्य सरकार द्वारा अभी पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है । राज्य सरकार ने स्कीम के सोपान-दो का अभी तक प्रस्ताव नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## रेलवे प्लेटफार्म/अति विशिष्ट व्यक्ति की पोर्टिको में किसी परिवार का ठहरना

2575. **श्री राम भगत पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म अथवा पार्क और अति विशिष्ट व्यक्ति के पार्क में पिछले कई वर्षों से कोई परिवार रह रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस परिवार को पिछले कई वर्षों से सरकारी जमीन/इमारत में ठहरने देने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी हां ।

(ख) अवध की बेगम शहजादी विलायत महल ने जनवरी, 1975 से नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दूसरे दर्जे के महिला प्रतीक्षा कक्ष पर कब्जा कर रखा है । पहले उन्होंने दूसरे दर्जे के महिला प्रतीक्षा कक्ष पर कब्जा कर रखा था और फिर अपनी मर्जी से वह दूसरे ऊपरी पुल के निकट के कोने पर कब्जा करने के लिए प्लेटफार्म पर बाहर आ गयीं । इस समय उन्होंने सेरिमोनियल प्लेटफार्म के मुख्य पोर्च के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है ।

(ग) उन्हें रेलवे परिसर में रहने की अनुमति नहीं दी गई है बल्कि उन्होंने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और वहां रह रही हैं । उन्हें रेलवे परिसर से बेदखल करने के लिए रेलवे कार्रवाई करती रही है लेकिन उन्होंने अभी तक रेलवे परिसर खाली नहीं किया है ।

## 1984-85 के दौरान रेल यातायात से अर्जित राजस्व

2576. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों से रेल यातायात से राज्यवार कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या किसी राज्य से अर्जित राजस्व और वहां किए गए विकास कार्यों के बीच में संबंध है; और

(ग) यदि नहीं, तो विभिन्न राज्यों में रेलवे के विकास के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) यातायात से अर्जित राजस्व के बारे में सूचना राज्यवार संकलित नहीं की जाती बल्कि रेलवे वार संकलित की जाती है।

(ख) और (ग). देश के विभिन्न क्षेत्रों में रेल यातायात की मांग पूरी करने के लिए रेलों का विकास किया जाता है।

**परीक्षा और साक्षात्कार केन्द्र**

2577. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड का रेल सेवा आयोग की परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए अधिक केंद्र बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन नए केन्द्रों की व्यवस्था कितने समय में कर दी जायेगी ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) और (ख). रेल सेवा आयोगों (जिन्हें अब रेलवे भर्ती बोर्ड के रूप में जाना जाता है) को वास्तविक जरूरतों के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार में परीक्षाएं और साक्षात्कार आयोजित करने के लिए केन्द्र निर्धारित करने का पहले से ही प्राधिकार है।

**पोत निर्माण उद्योग के सहायक एककों को प्राथमिकता**

2578. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोत निर्माण सम्बन्धी कार्यकारी दल सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक राज-सहायता तथा प्रोत्साहन देकर सहायक एककों को प्राथमिकता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के उपक्रम पोर्ट इंजीनियरिंग तथा हुगली डॉक एण्ड इन्जीनियरिंग यूनिट को भी व्यापक आधार पर यही लाभ प्रदान किए जाएंगे; और

(ग) सहायक एककों के लिए राजसहायता तथा प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जहाज-मरम्मत के लिए गठित कार्यदल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुषंगी विकास कार्यक्रम को काफी प्राथमिकता दी है। औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अनुसार अनुषंगी यूनिटों को लघु उद्योगों की तरह ही सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा बड़े शिपयार्ड लोक उद्यम कार्यालय द्वारा जारी मार्ग-दर्शी सिद्धांत के अनुसार राज्य सरकार के साथ अनुषंगी यूनिटों के विकास का भी समन्वय करते हैं, तथापि, अभी अनुषंगी उद्योग के लिए कोई खास सबसिडी नहीं है।

(ख) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इन्जीनियरिंग वर्क्स को अनुषंगी यूनिट नहीं माना जाता। इसलिए इस संगठन को ऐसा लाभ पहुंचाने की अभी कोई स्कीम नहीं है। तथापि शिपयार्ड से सम्बन्धित अनुषंगी यूनिटों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का समन्वय सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अनुसार दिए गए लाभ के अलावा सातवीं पंच-वर्षीय योजना में गुणावगुण के आधार पर उपयुक्त स्कीमों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में आर्थिक सहायता दी जा सकेगी :—

(i) डिजायन और तकनीकी जानकारी प्राप्त करना;

(ii) जिग, पैटर्न और फिक्शर का निर्माण; और

(iii) परीक्षण उपकरण ।

**लटूर-मिराज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना**

2579. **श्री साहबराव पाटिल डोणगांवकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लटूर-मिराज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त रेल लाइन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) और (ख). संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण फिलहाल लातूर-मिरज रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन का काम शुरू करना संभव नहीं है ।

**मलखान गिरी को जैपुर स्टेशन के साथ जोड़ना**

2580. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने मलखान गिरी को डी० बी० के० रेलवे में जैपुर स्टेशन के साथ जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है क्योंकि मलखान गिरी क्षेत्र चूने के पत्थर के भण्डारों से भरपूर है जो कि सीमेंट उद्योग के लिए अत्यन्त उपयोगी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस रेल लाइन पर कितनी लागत आएगी ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस लाइन के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । बहरहाल, संसाधनों की बेहद तंगी और पहले से हुई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए इस प्रस्ताव को संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक विचारार्थ प्रतीक्षा करनी होगी ।

**मेडिकल प्रैक्टिशनरों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर**

2581. **श्री बी० जी० रवेल** :

**श्रीमती गीता मुखर्जी** :

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मेडिकल प्रैक्टिशनरों के लिए कोई राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं है और इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोजना और चिकित्सा कार्मिकों की नियुक्ति में रुकावट आ रही है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने इस संबंध में कोई सिफारिश की थी; और

(ग) चिकित्सा परिषद् की सिफारिश पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को कानूनी तौर पर चिकित्सकों का एक रजिस्टर निर्धारित रूप में रखना होता है जिसे इण्डियन मेडिकल रजिस्टर कहते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का कहना है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम और बहुत से राज्य चिकित्सा अधिनियमों में आवधिक रजिस्ट्रेशन के बारे में व्यवस्था न होने के कारण इंडियन मेडिकल रजिस्टर से स्थिति का सही पता नहीं चलता है। परिषद् ने आवधिक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में उपयुक्त संशोधन करने की सिफारिश की है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

**कानपुर और लखनऊ के बीच एक स्थानीय रेलगाड़ी चलाना**

[हिन्दी]

2582. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर और लखनऊ के बीच एक स्थानीय रेलगाड़ी चलाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) और (ख). जी हां, लखनऊ और कानपुर के बीच गाड़ियां चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) संसाधनों की कमी के कारण इन स्थानों के बीच अधिक गाड़ियां चलाना फिलहाल व्यवहारिक नहीं है।

**जिला सीतामढ़ी में सोनबरसा ब्लाक से मुजफ्फरपुर तक रेल लाइन**

2583. **श्री राम श्रेष्ठ खिरहर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सीमा पर सीतामढ़ी जिले में सोनबरसा ब्लाक से मुजफ्फरपुर तक रेल लाइन बिछाने के लिए जनवरी, 1985 में प्रधान मंत्री से मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि कोई प्रगति नहीं हुई तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). संसाधनों की भारी तंगी और पहले से की गयी भारी वचनबद्धताओं के कारण सीतामढ़ी के रास्ते मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक प्रस्तावित लाइन का निर्माण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**बाल सुधार गृह के लिए सहायता**

2584. **श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बाल सुधार गृह के लिए पूरी सहायता देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो सहायता कब तक दिए जाने का विचार है; और

(ख) क्या वहां रहने वाले बच्चों को औद्योगिक शिक्षा देने की सरकार की कोई योजना है, ताकि भविष्य में रोजगार खोजने में उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े ?

**समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख).** जी, नहीं ।

**दिल्ली परिवहन निगम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के पदों को भरना**

2585. **श्री राम प्यारे पनिका : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन निगम अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के पदों को पांच वर्षों की अवधि के लिए भरना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम में इन व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस वर्ष से उक्त व्यवस्था को कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क)** जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशक दवाओं का न छिड़का जाना**

2586. **श्री नरसिंह मकवाना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटा-नाशक दवाएं छिड़कने पर खर्च होने वाली आधी धनराशि राज्य सरकारों को वहन करनी होती है, लेकिन कई राज्य सरकारें इस प्रयोजन के लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं करती हैं और इसलिए कीटनाशक दवाएं नियमित रूप से नहीं छिड़की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम श्रेणी-II केन्द्र प्रयोजित स्वास्थ्य योजना है। इसमें आने वाला खर्च केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। राज्य सरकारों को कर्मचारियों तथा कुछ सामग्री और उपकरणों पर परिचालन व्यय वहन करना होता है। यह देखा गया है कि बहुत सी राज्य सरकारें पूरा छिड़काव कार्य करने के लिए, जो कि ऐसे क्षेत्रों के लिए जरूरी है जहां वार्षिक परजीवी इंडेक्स (ए० पी० आई०) 2 और इससे ऊपर है, बराबर की राशि प्रदान नहीं करती हैं।

अनुमानित राज्यवार जनसंख्या जहां वार्षिक परजीवी इंडेक्स 2 से ऊपर है और जहां छिड़काव कार्य किया जाना है तथा छिड़काव कार्य के लक्ष्य और 1983 और 1984 में वास्तव में जितनी आबादी के बीच छिड़काव कार्य किया गया, उसका एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 883/85**] ये आंकड़े अनन्तिम हैं और ये राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा अब तक सूचित सूचना पर आधारित हैं।

### मालशेट घाट से तीसरी लाइन

**[अनुवाद]**

2587. **श्री जी० एस० घोलप** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नासिक और पुणे घाटों पर भारी रेल-यातायात है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मालशेट घाट से तीसरी लाइन का निर्माण करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

### बम्बई पत्तन न्यास द्वारा गैर-सरकारी गोदामों को किराए पर लेना

2588. **श्री कमल नाथ** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास ने तीन गैर-सरकारी गोदाम पांच-वर्ष के लिए किराए पर लेने का निर्णय किया है;

(ख) क्या निविदाएं आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन दिया गया था;

(ग) कितनी निविदाएं प्राप्त हुई;

(घ) क्या निविदा निम्नतम निवेदक दर वाली फर्म को दी गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) कवर्ड एकोमोडेशन के लिए 26 आवेदन प्राप्त किए गए थे।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। न्यूनतम राशि वाले टेन्डरकर्ता के आवेदन में इस शर्त का उल्लेख किया गया है कि बम्बई पत्तन न्यास 2.40 करोड़ की प्रारम्भिक धनराशि जमा करे जो 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर देय हो और उसकी वापसी 5 वर्षों की लीज अवधि की समाप्ति पर की जाएगी तथा 4.70 लाख रुपए का मासिक किराया का भुगतान किया जाय। बोर्ड का यह विचार है कि लीज की अवधि को कम कर दो या तीन वर्षों तक करनी चाहिए और लीज अवधि के आधे तक के किरायों की राशि के बराबर जमा धनराशि होनी चाहिए और प्रति मास का किराया उसी जमाराशि में समंजित की जानी चाहिए। चूंकि टैंडरकर्ता जमा-धनराशि में कमी करने या उसमें किराए को समंजित करने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं था अत: निदेशकमंडल ने निर्णण किया कि इस टेंडर को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और पुनः नए सिरे से टैंडर मंगाए जाने चाहिए।

## तकनीकी और उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित/जनजातियों के लिए आरक्षण

[हिन्दी]

2589. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के लोगों के लिए तकनीकी, चिकित्सा उच्च शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में, कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है;

(ख) क्या सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आरक्षण नीति के संबंध में एकरूपता है और उसकी प्रतिशतता क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का सभी राज्यों में एकरूपता लाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का विचार है?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) केन्द्रीय सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार, सभी पाठ्यक्रमों में 22.5% स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.4% स्थान) आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त और किसी समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, राज्य शिक्षा सचिवों तथा सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के ध्यान में ये मार्गदर्शी रूपरेखाएं ला दी हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छोड़कर, सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने सामान्यत: इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अपनाया है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबन्ध संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, आदि जैसे अन्य केन्द्रीय संस्थानों पर भी लागू होता है।

राज्य विधान-मंडलों के अधिनियमों के अंतर्गत संस्थापित सभी विश्वविद्यालय सामान्यत: आपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा जारी आरक्षण नीति तथा हिदायतों का पालन करते हैं।

### नेलोर रेलवे स्टेशन का विकास

[अनुवाद]

2590. **श्री० पी० पेंचलैय्या** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में नेलोर रेलवे स्टेशन के विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए आबंटित राशि 4,10,000/- रुपए है।

(ग) वास्तुशिल्पीय आरेखणों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। विस्तृत आकलन की स्वीकृति जिसके सम्बन्ध में कारंवाई की जा रही है, के पश्चात् यह काम आरम्भ कर दिया जाएगा।

### आयुर्वेद आदि के लिए अनुसंधान परिषद

2591. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन परिषदों का गठन संबंधी ब्यौरा क्या है; (एक) आयुर्वेद प्रणाली के लिए अनुसंधान परिषद; (दो) युनानी प्रणाली के लिए अनुसंधान परिषद; (तीन) योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए अनुसंधान परिषद; (चार) होम्योपैथिक के लिए अनुसंधान; और

(ख) इन परिषदों द्वारा किए गए अनुसंधान प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) परिषदों के शासी निकाय का संलग्न विवरण-एक से विवरण-चार में दिया गया है।

(ख) इन परिषदों के अनुसंधान कार्यों का विवरण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न अनुसंधान परिषदों की वार्षिक पिरोटों में दिया गया है जो संसद के दोनों पटलों पर रखी गई हैं।

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की अनुसंधान परिषदें क्लीनिकी औषध/औषध मानकीकरण/साहित्यिक अनुसंधान/औषधीय पादपों का सर्वेक्षण/प्रजनन रोधी ओषधियों की जांच आदि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रही हैं।

ये परिषदें अपने अनुसंधानों को बढ़ाने के लिए प्रकाशन निकालती हैं, सेमीनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन आदि आयोजित करती हैं। इसके अतिरिक्त परिषदों ने प्रलेखन सुविधाओं की भी व्यवस्था की है। केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद मुख्य रूप से क्लीनिकल अनुसंधान और विभिन्न चिकित्सीय पद्धतियों की क्षमता का पता लगाने के लिए चुने हुए संस्थानों/केन्द्रों को सहायता अनुदान देकर योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान करती है।

**विवरण-एक**

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध की अनुसंधान परिषद के शासी निकाय का गठन इस प्रकार है :

**शासी निकाय**

1. अध्यक्ष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ।

2. उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ।

**सरकारी सदस्य**

3. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या उनके द्वारा नामित सदस्य ।

4. संयुक्त सचिव, आई०एस०एम० के इन्चार्ज, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।

5. संयुक्त सचिव, (एफ० ए०), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।

**गैर-सरकारी सदस्य :**

6-11. आयुर्वेद के छः विशेषज्ञ जिनमें से परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले आयुर्वेद के दो प्रोफेसर/अनुसंधान कार्यकर्ता होंगे ।

12-14. तीन वैज्ञानिक-परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले फार्माकालोजी रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में से एक-एक वैज्ञानिक ।

15-16. परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने सिद्ध के दो विशेषज्ञ ।

17. निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर ।

18. निदेशक, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान/केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान ।

19. केन्द्रीय परिषद के निदेशक शासी निकाय के सदस्य-सचिव होंगे ।

**विवरण दो**

केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के शासी निकाय का गठन इस प्रकार है :—

1. अध्यक्ष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ।

2. उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ।

**सरकारी सदस्य**

3. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या उनके द्वारा नामित सदस्य ।

4. संयुक्त सचिव, आई० एस० एम० इन्चार्ज, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।

5. संयुक्त सचिव (एफ० ए०), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।

**गैर-सरकारी सदस्य**

6-10. यूनानी चिकित्सा में पांच विशेषज्ञ (जिसमें यूनानी चिकित्सा का एक प्रोफेसर/अनुसंधान कार्यकर्ता भी शामिल है) जो परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जायेंगे ।

11-13. तीन वैज्ञानिक-परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले और वनस्पति विज्ञान में से एक-एक विज्ञानी ।

14. परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला आधुनिक चिकित्सा में एक विशेषज्ञ ।

15. निदेशक, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान/केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान संस्थान ।

16. केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे ।

**विवरण-तीन**

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के शासी निकाय का गठन इस प्रकार है :—

1. अध्यक्ष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।

2. उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ।

**सरकारी सदस्य**

3. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य ।

4. संयुक्त सचिव, आई० एस० एम० इन्चार्ज, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।

5. संयुक्त सचिव (एफ० ए०), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।

**गैर-सरकारी सदस्य**

6-13. योग के चार विशेषज्ञ तथा प्राकृतिक चिकित्सा के चार विशेषज्ञ जो परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे ।

14. शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य ।

15-16. परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत आधुनिक चिकित्सा के दो विशेषज्ञ ।

17. निदेशक, राष्ट्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा परिषद (जब खुलेगा) ।

18. लोक सभा/राज्य सभा का एक सदस्य या योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि लेने वाला एक जाना-माना नागरिक ।

19. परिषद के निदेशक-सदस्य सचिव, केन्द्रीय परिषद के निदेशक शासी निकाय के सदस्य सचिव होंगे ।

**विवरण-चार**

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के शासी निकाय का गठन इस प्रकार है :—

1. अध्यक्ष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ।

2. उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ।

**सरकारी सदस्य**

3. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या उनके द्वारा नामित सदस्य ।

4. संयुक्त सचिव, आई० एस० एम० इन्चार्ज, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

5. संयुक्त सचिव (एफ० ए०), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

**गैर-सरकारी सदस्य**

6-10. परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले होम्योपैथी के पांच विशेषज्ञ (इनमें होम्योपैथी का एक प्रोफेसर/अनुसंधान कार्यकर्ता भी शामिल है)।

11-12. दो वैज्ञानिक परिषद के अध्यक्ष द्वारा औषध विज्ञान, तथा वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र से किए जाने वाले एक-एक विज्ञानी।

13. परिषद के अध्यक्ष द्वारा आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र से नामित किए जाने वाला एक विशेषज्ञ।

14. निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता केन्द्रीय परिषद के निदेशक शासी निकाय के सदस्य सचिव होंगे।

**छोटे विद्युत यूनिटों की स्थापना**

2592. **श्री हुसैन दलवाई :**
**श्री जगन्नाथ पटनायक :**
**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की कमी को देखते हुए निजी उद्योग यूनिटों के एक ग्रुप द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए अपने उद्योग वाले क्षेत्र में छोटे विद्युत यूनिट लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो निजी उद्योगों द्वारा बिजली के उत्पादन करने हेतु क्या नियम और शर्तें होंगी?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख). कैप्टिव विद्युत यूनिटों की प्रतिष्ठापना के संबंध में विशिष्ट प्रस्तावों पर प्रत्येक मामलों की शर्तों और निबंधनों सहित गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

**काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी में में शयिकाओं के कोटे में वृद्धि**

[हिन्दी]

2593. **श्री हरीश रावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी में इस समय उपलब्ध शयिकाओं के कोटे में वृद्धि सम्बन्धी मांग, जो स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है, रेल और सड़क आरक्षण कार्यालय, रानीखेत (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालय से आरक्षित की जाने वाली शयिकाओं के कोटे में कब से वृद्धि कर दी जाएगी तथा कितनी वृद्धि की जाएगी ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) और (ख). काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी में रानीखेत आउट एजेंसी के लिए आबंटित रेल आरक्षण कोटे का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः, इस गाड़ी में आऊट एजेंसी के लिए कोटा बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

**धरंगधरा-कुडा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना तथा खेराघोडा से झिझुराडा तक नई बड़ी रेल लाइन बिछाना**

[अनुवाद]

2594. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मंत्रालय में नमक आयुक्त के कार्यालय से धरंगधरा-कुडा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा खेराघोडा से झिझुराडा तक एक नई बड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण हेतु पश्चिम रेलवे को कितनी धनराशि दी है;

(ख) इन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) यह पूंजी निवेश कितनी अवधि में वसूल हो जायेगा; और

(घ) क्या भारत सरकार की एक एजेंसी द्वारा खर्च होने वाली राशि वसूल होने का आश्वासन दिए जाने पर इस परियोजना के कार्यान्वयन को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) नमक आयुक्त ने कुडा-ध्रांगध्रां मीटर लाइन साइडिंग को बड़ी लाइन में बदलने तथा खेराघोडा/पातरी से झिझुवाडा तक नयी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने के लिए 2 लाख रुपए की राशि जमा कराई थी।

(ख) कुडा-ध्रांगध्रा मीटर लाइन साइडिंग के आमान-परिवर्तन की अनुमानित लागत लगभग 3.29 करोड़ रुपए है। पातरी से झिझुवाडा तक नई लाइन के निर्माण पर लगभग 7.2 करोड़ रुपए तथा खेराघोडा से झिझुवाडा तक लगभग 10.00 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

(ग) जब तक नमक आयुक्त की लागत पर इन परियोजनाओं पर निक्षेप शर्तों के अनुसार काम शुरू करने की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये परियोजनायें विकास के लिए नई रेलवे योजना का भाग नहीं बनतीं।

(घ) पार्टी से निक्षेप शर्तों पर निर्माण की लागत वहन करने की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्यान्वयन का प्रश्न उत्पन्न होगा।

**बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका**

2595. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बड़ी भूमिका देने का है, जैसाकि 5 मार्च, 1985 के फाइनेंसियल एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस भूमिका में वितरण को भी सम्मिलित किया जाएगा ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (ग). विद्युत का उत्पादन और वितरण सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। तथापि, निजी स्वामित्व की मौजूदा युटिलिटीज के विस्तार अथवा नई यूनिटों की स्थापना के बारे में विचार करने पर कोई रोक नहीं है, यदि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में अपेक्षित हो।

**जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता**

2596. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिए वर्षवार कितनी सहायता उपलब्ध की है;

(ख) जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता किस आधार पर दी जाती है; और

(ग) यदि सहायता कम थी, तो उसके क्या-क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (ग). जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार, सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

**रेलवे कर्मचारियों में सुरक्षा जागरुकता हेतु प्रोत्साहन व्यवस्था**

2597. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल कर्मचारियों में सुरक्षा जागरुकता हेतु एक प्रोत्साहन व्यवस्था पर विचार कर रही है;

(ख) यह प्रोत्साहन व्यवस्था क्या है; और

(ग) क्या सरकार रेलों को सुचारू-रूप से और दुर्घटना-रहित चलाने के लिए रेल ड्राइवरों तथा अन्य संगचल कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित करेगी ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) दुर्घटना-मुक्त रिकार्ड वाले संबंधित रेल कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए एक योजना पहले से मौजूद है। अप्रैल, 1984 में लागू की गई इस योजना में संशोधन करने की यदि कोई आवश्यकता है, तो उसकी जांच की जा रही है।

(ख) वर्तमान योजना के अन्तर्गत, विभिन्न अवधियों की दुर्घटना-मुक्त सेवा के लिए क्रमशः 500/- रुपए, 1000/- रुपए और 1500/- रुपए के नकद पुरस्कार के अलावा तीन पदक अर्थात् कांस्य, रजत और स्वर्ण प्रदान किए जाते हैं।

(ग) कर्मचारियों को शिक्षित करने और उनमें संरक्षा के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए रेलों पर नियमित रूप से कार्यशालाएं/गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। हाल ही में, संरक्षा

उपायों को गहन करने और रेलों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया है ।

**प्रस्तावित मिनी पनबिजली परियोजनाएं**

2598. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में मिनी पनबिजली परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन नदियों और स्थलों का चयन किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं से जंगली योजना के दौरान कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :** (क) से (ग). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही 5.0 करोड़ रुपए तक की जल विद्युत स्कीमों के क्रियान्वयन की शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त है । इस समय, कुल 149 मेगावाट क्षमता की 72 मिनी/लघु जल विद्युत स्कीमें देश में क्रियान्वित की जा रही हैं ।

**रेलवे स्टेशनों पर "बुक स्टालों" का आबंटन**

2599. **डा० कृपा सिन्धु भोई :**
**श्री रामेश्वर नीखरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर "बुक स्टाल" के ठेके का आबंटन करने के लिए सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या इस प्रकार के ठेकों के आबंटन के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य श्रेणियों के लिए कोई आरक्षण है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार का आरक्षण करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) :** (क) से (घ). वर्तमान नीति के अनुसार, विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों के सभी नए आबंटन केवल 18 से 30 की आयुसीमा के अन्तर्गत आने वाले बेरोजगार स्नातकों, उनकी साझेदारियों, सहकारी समितियों, संस्थाओं और रेलवे बुक स्टालों के वास्तविक कार्यकर्ताओं/वेंडरों की सहकारी समितियों के लिए ही आरक्षित होते हैं । यदि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी आदि उपर्युक्त शर्तों को पूरा करते हैं तो बुक स्टालों के आबंटन के लिए उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है ।

**बिहार और पश्चिम बंगाल में "काला आजार" नामक बीमारी का फैलना**

2600. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल के अनेक जिलों में हाल ही में "काला आजार" नामक बीमारी फिर से फैल गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बचाव का कोई इलाज है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निरोधात्मक कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी, हां। बिहार के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में काला-आजार की घटनाएं हुई हैं।

(ख) इस बीमारी का कोई निवारक उपचार उपलब्ध नहीं है। वैसे, इस बीमारी का रोग-हर उपचार उपलब्ध है।

(ग) इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं उनमें ये भी शामिल हैं — कालाजार के रोगियों के निदान के गहन प्रयास, उपयुक्त औषध सम्मिश्रण से उपचार तथा वेक्टर नियंत्रण उपायों में तेजी लाना जैसे बालू मक्षिकाओं, जो इस बीमारी को रोगी व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों में संचरण करती है, को खत्म करने के लिए कीट-नाशकों का छिड़काव।

**भाप डीजल और विद्युत चालित इंजिनों में ईंधन/उर्जा का खर्चा**

2601. **प्रो० मधु दण्डवते :**

**श्री आर० एम० भोये :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाप, डीजल और विद्युत चालित इंजनों में 1000 ग्राम टन किलोमीटर रेलवे चालन के लिए ईंधन अथवा ऊर्जा का कितना खर्चा आता है;

(ख) क्या 1985-86 के बजट में तेल के मूल्यों में हाल की वृद्धि से डीजल से इंजिन चलाने पर ईंधन का खर्चा बढ़ नहीं जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे विद्युत चालित इंजनों से रेलें चलाने के लिए बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण करेगी ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) 1983-84 में बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के भाप, डीजल और विद्युत कर्षणों के प्रति किलोमीटर पर 1000 सकल टन भार की ढुलाई पर आया ईंधन/ऊर्जा खर्च इस प्रकार था :—

| कर्षण | यात्री तथा मिश्रित का अनुपात | | माल तथा मिश्रित का अनुपात | |
|---|---|---|---|---|
| | ब० ला० | मी० ला० | ब० ला० | मी० ला० |
| भाप | 18.61 रु० | 25.42 रु० | 25.83 रु० | 28.67 रु० |
| डीजल | 16.65 रु० | 22.34 रु० | 11.30 रु० | 14.90 रु० |
| विद्युत | 13.51 रु० | 11.65 रु० | 7.91 रु० | 7.71 रु० |

(ख) जी हां। हाल ही में तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि से डीजल कर्षण पर ईंधन खर्च बढ़ जायेगा।

(ग) जी हां। सातवीं योजना में उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

### मारमागाओ बन्दरगाह का विकास

2602. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दस बड़े पत्तनों में से छः पत्तन क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कुछ जहाज अन्य बन्दरगाहों को भेजने तथा पश्चिमी तट पर अन्य बड़े पत्तनों, विशेष रूप से मारमागाओ बन्दरगाह का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) :** (क) जी नहीं। वर्ष 1984-85 (फरवरी, 1985 तक) के दौरान, मद्रास और विशाखापत्तनम पत्तनों में पी० ओ० एल० में हैंडिल किए गए यातायात और कांडला और मुरगांव में जनरल कारगो में हैंडिल किए गए यातायात सम्बन्धित वस्तुओं में मूल्यांकित पत्तन क्षमता से अधिक था।

(ख) उपभोक्ताओं के परामर्श से एक पत्तन से दूसरे पत्तन तक यातायात को यथासंभव ले जाया जाता है। इसके अलावा यातायात में वृद्धि को मद्दे नजर रखते हुए छठी योजना के दौरान, पत्तन क्षमता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं या तो पूरी की गई हैं या शुरू की गई हैं :—

(i) मुरगांव में एक बहुउद्देशीय जनरल कारगो बर्थ।

(ii) कांडला, न्यू मंगलौर, तूतीकोरिन, मद्रास, विशाखापत्तनम और परादीप में जनरल कारगो बर्थ।

(iii) बम्बई, मद्रास, कोचीन और कलकत्ता में कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं।

(iv) बम्बई, कांडला, कोचीन, विशाखापत्तनम और मद्रास में अतिरिक्त पी० ओ० हैंडलिंग सुविधाएं।

(v) कोचीन और परादीप में बल्क उर्वरक हैंडलिंग सुविधाएं।

(vi) बम्बई के निकट एक नया पत्तन न्हावा शेवा स्थापित किया जा रहा है। इस पत्तन में कंटेनर हैंडलिंग के लिए तीन बर्थ और बल्क उर्वरक हैंडलिंग के लिए दो बर्थ होंगे।

समेकित बाल विकास योजना के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति देने सम्बन्धी मानदंड

[हिन्दी]

2603. श्री मूल चन्द डागा : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है और उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के क्या मापदंड हैं तथा राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसी कितनी परियोजनायें चल रही हैं और उनमें से प्रत्येक पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई तथा उनमें राज्य-सरकारों का क्या अंशदान रहा; और

(ख) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की कुल संख्या क्या है और इस सूचना के क्या आधार हैं?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) स्वीकृत परियोजनाओं को राज्य-वार और संघ राज्य-क्षेत्र वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-एक संलग्न है।

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के लिए प्रशासनिक यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतया सामुदायिक विकास खंड, जन-जातियों की अधिकता वाले क्षेत्रों में जन-जातीय विकास खंड और शहरी क्षेत्रों में वार्ड या स्लम होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं के चयन में निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता दी जाती है :—

1. जनजातियों की अधिकता वाले क्षेत्र, विशेषकर जहां पिछड़ी जन-जातियां;

2. पिछड़े क्षेत्र;

3. वे क्षेत्र वहां अकसर सूखा पड़ता हो;

4. जिन क्षेत्रों में अधिकतर अनुसूचित जातियों के लोग रहते हों;

5. पौषणिकता की कमी वाले क्षेत्र; और

6. सामाजिक सेवाओं के विकास की कमी वाले क्षेत्र।

शहरी क्षेत्रों में शहरी परियोजनाओं के लिए वार्डों के चयन में निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता दी जाती है :—

1. स्लम क्षेत्र; और

2. अनुसूचित जातियों की अधिकता वाले क्षेत्र।

केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के मामले में राज्य सरकारें योजना के पूरक पोषाहार सम्बन्धी खर्च वहन करती हैं और केन्द्रीय सरकार अन्य अवयवों का खर्च वहन करती है। राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में राज्य सरकारें अपने संसाधनों से परियोजनाओं की पूरी लागत वहन करती है।

केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में स्वीकृत सभी समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के लिए

केन्द्रीय सरकार राज्यों को एक मुश्त अनुदान प्रदान करती है। अनुदान सहायता परिवार-वार नहीं दी जाती। छठीं योजना में प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार, संघ राज्य-क्षेत्र-वार दिए गए अनुदानों की राशि दर्शाने वाला विवरण-दो संलग्न है। राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में दिए गए अंशदान का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च 1984 की स्थिति-नुसार इस योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं की संख्या संलग्न विवरण-तीन में दर्शाई गई है। यह सूचना प्रत्येक समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं से प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्टों पर आधारित है।

विवरण-एक

| क्र०सं० | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | मार्च 1985 तक स्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या | | 1985-86 के लिए आबंटित की गई केन्द्रीय प्रायोजित परियोजाएं |
|---|---|---|---|---|
| | | केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं | राज्य-क्षेत्र परियोजनाएं | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 70 | 09 | 10 |
| 2. | असम | 36 | — | 05 |
| 3. | बिहार | 94 | — | 25 |
| 4. | गुजरात | 47 | 16 | 08 |
| 5. | हरियाणा | 26 | 10 | 04 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 12 | — | 03 |
| 7. | जम्मू और काश्मीर | 13 | 08 | 03 |
| 8. | कर्नाटक | 48 | 30 | 08 |
| 9. | केरल | 37 | 24 | 06 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 73 | — | 21 |
| 11. | महाराष्ट्र | 84 | — | 10 |
| 12. | मणिपुर | 10 | — | 01 |
| 13. | मेघालय | 11 | — | 01 |
| 14. | नागालैंड | 12 | — | 01 |
| 15. | उड़ीसा | 43 | 01 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16. | पंजाब | 29 | — | 05 |
| 17. | राजस्थान | 45 | — | 10 |
| 18. | सिक्किम | 04 | — | — |
| 19. | तमिलनाडु | 39 | — | 13 |
| 20. | त्रिपुरा | 11 | — | 01 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 143 | 08 | 25 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 74 | 06 | 20 |
| | **केन्द्र शासित प्रदेश** | | | |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 04 | — | — |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 10 | — | — |
| 25. | चण्डीगढ़ | 02 | — | — |
| 26. | दादरा और नगर हवेली | 01 | — | — |
| 27. | दिल्ली | 17 | 02 | 02 |
| 28. | गोवा, दमन और दीव | 09 | — | 02 |
| 29. | लक्षद्वीप | 01 | — | — |
| 30. | मिजोरम | 11 | 03 | 01 |
| 31. | पांडिचेरी | 03 | — | 02 |
| | योग | 1019 | 117 | 206 |

**विवरण-दो**

**1980-81 से 1984-85 तक समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई धनराशि**

| क्र०सं० | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | दी गई धनराशि (लाख रुपयों में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **राज्य** | | | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 39.09 | 54.15 | 104.11 | 207.41 | 169.92 |
| 2. | असम | 29.57 | 50.05 | 48.76 | 163.03 | 113.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | बिहार | 32.64 | 52.09 | 127.51 | 250.46 | 318.53 |
| 4. | गुजरात | 34.89 | 65.43 | 82.42 | 148.15 | 304.24 |
| 5. | हरियाणा | 27.54 | 29.31 | 63.25 | 87.22 | 115.42 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 13.59 | 18.64 | 25.54 | 68.57 | 57.53 |
| 7. | जम्मू और काश्मीर | 8.74 | 22.20 | 233.50 | 34.11 | 43.01 |
| 8. | कर्नाटक | 32.77 | 44.74 | 85.39 | 115.70 | 234.57 |
| 9. | केरल | 22.35 | 35.81 | 101.25 | 69.90 | 184.24 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 24.40 | 56.71 | 70.42 | 131.58 | 148.84 |
| 11. | महाराष्ट्र | 47.10 | 52.23 | 125.13 | 194.12 | 398.72 |
| 12. | मणिपुर | 13.67 | 13.79 | 25.58 | 24.28 | 19.49 |
| 13. | मेघालय | 12.37 | 16.24 | 14.67 | 34.92 | 22.54 |
| 14. | नागालैंड | 17.59 | 14.12 | 46.74 | 59.24 | 76.43 |
| 15. | उड़ीसा | 32.24 | 37.77 | 68.56 | 113.40 | 179.29 |
| 16. | पंजाब | 15.68 | 17.33 | 58.14 | 90.54 | 107.82 |
| 17. | राजस्थान | 20.48 | 36.39 | 104.45 | 156.23 | 175.28 |
| 18. | सिक्किम | 11.88 | 5.76 | 13.43 | 23.54 | 15.48 |
| 19. | तमिलनाडु | 9.45 | 8.64 | 80.00 | 236.57 | 253.86 |
| 20. | त्रिपुरा | 13.06 | 20.54 | 28.12 | 35.43 | 37.22 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 36.68 | 53.46 | 225.55 | 290.30 | 314.66 |
| 22. | पश्चिमी बंगाल | 31.39 | 49.20 | 145.06 | 164.17 | 231.84 |
| | केन्द्र शासित प्रदेश | | | | | |
| 23. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3.46 | 4.69 | 4.67 | 10.54 | 11.53 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 2.77 | 2.45 | 14.20 | 20.93 | 17.39 |
| 25. | चंडीगढ़ | 3.79 | 5.75 | 8.07 | 10.78 | 13.67 |
| 26. | दादरा और नगर हवेली | 3.29 | 3.85 | 2.59 | 4.70 | 5.39 |
| 27. | दिल्ली | 25.68 | 38.30 | 65.50 | 107.78 | 123.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | गोवा, दमन और दीव | 8.15 | 11.71 | 17.66 | 18.72 | 19.98 |
| 29. | लक्षद्वीप | 1.58 | 2.01 | 1.94 | 2.14 | 4.60 |
| 30. | मिजोरम | 6.27 | 11.22 | 18.39 | 39.34 | 58.46 |
| 31. | पांडिचेरी | 5.43 | 5.62 | 10.34 | 17.63 | 24.17 |
| | योग : | 587.59 | 840.20 | 1812.94 | 2931.43 | 3801.46 |

### विवरण-तीन

### मार्च, 1980 और दिसम्बर, 1984 को स्थितिनुसार समेकित बाल विकास सेवा योजना में पूरक पोषाहार कार्यक्रम और स्कूल-पूर्व शिक्षा के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या का विवरण

| क्र० सं० | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | पूरक पोषहार के अन्तर्गत 6 मास से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं की संख्या | | 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च, 1980 की स्थितिनुसार | 31 दिसम्बर, 1984 की स्थितिनुसार (लाखों में) | 31 मार्च, 1980 को स्थितिनुसार | 31 दिसम्बर, 1984 की स्थितिनुसार (लाखों में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 0.36 | 4.40 | 0.10 | 1.73 |
| 2. | असम | 0.06 | 1.48 | 0.06 | 0.64 |
| 3. | बिहार | 0.42 | 3.38 | 0.22 | 1.43 |
| 4. | गुजरात | 0.31 | 3.43 | 0.05 | 1.56 |
| 5. | हरियाणा | 0.14 | 2.11 | 0.04 | 0.79 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.21 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 0.07 | 0.71 | 0.05 | 0.21 |
| 8. | कर्नाटक | 0.52 | 6.97 | 0.21 | 3.26 |
| 9. | केरल | 0.30 | 3.80 | 0.05 | 1.54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | मध्य प्रदेश | 0.10 | 4.17 | 0.06 | 2.03 |
| 11. | महाराष्ट्र | 0.50 | 4.24 | 0.27 | 2.98 |
| 12. | मणिपुर | 0.10 | 0.47 | 0.06 | 0.19 |
| 13. | मेघालय | 0.07 | 0.34 | 0.01 | 0.14 |
| 14. | नागालैण्ड | 0.09 | 0.89 | 0.02 | 0.28 |
| 15. | उड़ीसा | 0.18 | 2.51 | 0.04 | 0.91 |
| 16. | पंजाब | 0.08 | 1.49 | 0.02 | 0.75 |
| 17. | राजस्थान | 0.18 | 2.98 | 0.03 | 1.27 |
| 18. | सिक्किम | 0.13 | 0.17 | 0.03 | 0.08 |
| 19 | तमिलनाडु | 0.15 | 3.53 | 0.06 | 1.23 |
| 20. | त्रिपुरा | 0.18 | 0.36 | 0.06 | 0.14 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 0.32 | 5.52 | 0.13 | 2.93 |
| 22. | पश्चिमी बंगाल | 0.36 | 2.93 | 0.06 | 1.25 |
| | केन्द्र शासित प्रदेश | | | | |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | — | 0.10 | — | 0.03 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | — | 0.07 | — | 0.04 |
| 25. | चंडीगढ़ | — | 0.10 | — | 0.07 |
| 26. | दादरा और नगर हवेली | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 27. | दिल्ली | 0.19 | 2.20 | 0.05 | 0.83 |
| 28. | लक्षदीप | — | 0.06 | — | 0.01 |
| 29. | गोवा, दमन और दीव | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.12 |
| 30. | मिजोरम | 0.06 | 0.28 | 0.03 | 0.14 |
| 31. | पांडिचेरी | 0.13 | 0.35 | 0.03 | 0.11 |
| | योग : | 5.16 | 59.91 | 1.80 | 27.02 |

**नेशनल एल्युमिनियम काम्पलैक्स, डामण जोड़ी में रेलवे-साईडिंग की स्थापना**

[अनुवाद]

2604. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में नेशनल एल्युमिनियम काम्पलैक्स, डामणजोड़ी में रेलवे

साइडिंग की स्थापना के लिए रेल इण्डिया टैक्निकल एण्ड इकोनोमिक सर्विस लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसीलाल)** : (क) और (ख). रेल इण्डिया टैक्निकल एण्ड इकानोमिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स) जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के एक उपक्रम नेशनल एल्युमिनियम काम्पलैक्स (नेल्को) को परिवहन सम्बन्धी परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। परामर्श सेवाओं में दामनजोड़ी के अल्यूमिनियम संयंत्र को रेलवे जालतन्त्र से जोड़ने सम्बन्धी सभी मामलों और साइडिंगों तथा विनियम यार्ड की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नेल्को को सलाह देना शामिल है।

राइट्स ने नेल्को काम्पलैक्स में विनियम यार्ड सहित रेलवे साइडिंग तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सर्वेक्षण पहले ही पूरा कर लिया है। कम्पनी अब नेल्को द्वारा किए गए ठेके के अन्तर्गत साइडिंग के निर्माण का पर्यवेक्षण कर रही है।

## गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए सुविधाएं

2605. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवैध गर्भपात से होने वाली मौतों में वृद्धि हो रही है;

(ख) इसका कारण गर्भ के चिकित्सकीय समापन की सुविधाओं की कमी है; और

(ग) क्या ये सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं; और यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**: (क) से (ग). देश में अवैध रूप से किए जा रहे गर्भपातों के निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी घटनाएं गुप्त रूप से होने के कारण इनके सही अनुमान नहीं लगाए जा सकते। इस स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम पारित किया गया था। सरकार ने देश भर में चिकित्सीय गर्भ समापन सेवाएं प्रदान करने के लिए सुविधाएं बढ़ाकर और प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करके अनेक कदम उठाए हैं। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम की धारा 4(क) के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्थापित अथवा संचालित सभी अस्पताल चिकित्सीय गर्भ समापन सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमोदित हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार देश की 4543 संस्थाओं में चिकित्सीय गर्भ समापन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार उप-सम्भागीय/तालुक अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सीय गर्भ समापन की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सहायता दे रही है।

विभिन्न राज्यों द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के डाक्टरों को चिकित्सीय गर्भ समापन की तकनीक में व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 3375 (दिसम्बर, 1984 तक अनन्तिम) डाक्टरों को चिकित्सीय गर्भ समापन की तकनीक में प्रशिक्षित कर लिया गया था।

**गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र**

2606. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर मंत्रालय ग्रुप ने देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गैस पर आधारित संयंत्र लगाने हेतु एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या दक्षिण बसीन जैसे प्रमाणित क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता और अभी हाल ही में खोजे गए गैस क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता को ध्यान रखते हुए 250 मेगावाट की क्षमता वाले 4-6 गैस टरबाइन संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :** (क) से (ग). सरकार ने हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के संरेखण के साथ-साथ कवास, सवाई माधोपुर और औरिया में संयुक्त साइकिल प्रौद्योगिकी के साथ-साथ केन्द्रीय क्षेत्र में कुल 1500 मैगावट क्षमता के गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

**सातवीं योजना में उड़ीसा में रेल लाइनों का निर्माण**

2607. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से सातवीं योजन में उड़ीसा में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) :** (क) और (ख). उड़ीसा में और नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन, संसाधनों की बेहद कमी और पहले से की हुई भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए, इन पर विचार करने के लिए संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

**जल स्रोतों का उपयोग**

2608. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रमुख नदियों में उपलब्ध जल स्रोतों के समुचित उपयोग के लिए भारतीय जल स्रोत विभाग द्वारा कोई बृहद् कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए नदी तटों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में "बुध बलंग" नदी तट, वैतरणी नदी तट, महानदी तट और ऋषिकुल्य नदी तट को उपरोक्त कार्यक्रम में शामिल किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उड़ीसा में उपरोक्त नदियों के जल स्रोतों के समुचित उपयोग के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख). देश के जल संसाधनों के विकास के कार्यक्रम को विकास के योजनाबद्ध काल के प्रारम्भ से ही शुरू किया गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में (1) हिमालयाई नदी विकास; तथा (2) प्रायद्वीपीय नदी विकास शामिल हैं। प्रथमतः, प्रस्ताव को व्यवहार्यता को स्थापित करने के लिए प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक से सम्बन्धित सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य हाथ में लिए गए हैं। इस घटक में मोटे तौर पर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई बेसिन, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गुजरात की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों और केन, बेतवा तथा चम्बल शामिल हैं।

(ग) बुध बलंग, बैतरणी तथा ऋषिकुल्या के जल स्रोतों के विकास को योजना में शामिल करने के वास्ते विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

**हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव**

[हिन्दी]

2609. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की वर्ष 1984 में कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) इन बैठकों में कितने संकल्प पारित किए गए हैं; और

(ग) इन संकल्पों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) दो (क्रमशः 10 जुलाई, 1984 और 17 नवम्बर, 1984 को)।

(ख) और (ग). इन बैठकों में दिए गए सुझाव/लिए गए निर्णय और तत्सम्बन्धी कार्यान्वियन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

| मद सं० | दिए गए सुझाव/लिए गए निर्णय (दिनांक सहित) | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मंत्रालय के लिए और अधिक हिन्दी टाइप-राइटर खरीदे जाने चाहिए क्योंकि अंग्रेजी टाइप-राइटरों की में तुलना इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। (10-7-1984) | 8 नए हिन्दी टाइप-राइटर खरीदे गए हैं और यदि कोई मांग हुई तो और अधिक प्राप्त किए जाएंगे। |
| 2. | हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण के लिए अधिक लोगों को भेजा जाना चाहिए। (10-7-1984) | हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण के लिए 19 व्यक्तियों और हिन्दी आशुलिपि के लिए 3 व्यक्तियों को अगस्त, 1984 के सत्र के लिए नामांकित किया गया है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | मंत्रालय के कुछ कार्यालय ऐसे हैं जो विशिष्ट रूप से हिन्दी के किसी एक अथवा अन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग हैं। इन कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार केवल हिन्दी में ही किया जाना है। (10-7-1984) | यह किया जा रहा है। |
| 4. | द्विभाषीय संगणक व उपलब्ध कराने की सम्भावना का पता लगाया जाना चाहिए। (10-7-1984) | गृह मंत्रालय के पत्रों के अनुसार, द्विभाषीय संगणक बाजार में पहले ही उपलब्ध हैं जैसे कि डी० सी० एम० द्वारा "सिद्धार्थ" और उनकी उपलब्धता के बारे में मंत्रालय के सभी कार्यालयों/संगठनों को बता दिया गया है। |

**बंगलौर नगर के लिए मेट्रो रेलवे प्रिरिक्रमा रेलवे या उपनगरीय रेल सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव**

[अनुवाद]

2610. **श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर नगर में मेट्रो रेलवे, परिक्रमा रेलवे की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार बंगलौर नगर के लिए उपनगरीय रेलवे सेवाएं शुरू करने का है ?

**रेल मंत्री श्री (बंसी लाल)** : (क) और (ख). जी नहीं। दक्षिण रेलवे की ओर से महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) मद्रास द्वारा निक्षेप शर्तों पर अध्ययन किए गए थे और सितम्बर, 1983 में कर्नाटक सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी। इसमें आगे की कार्रवाई कर्नाटक सरकार द्वारा की जाएगी।

**कलकत्ता और पुरी के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना**

2611. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कलकत्ता और पुरी के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) और (ख). कलकत्ता और पुरी के बीच एक अतिरिक्त

गाड़ी चलाने की व्यावहारिकता की जांच की गयी है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है। तथापि, गर्मी के दौरान, अतिरिक्त पर्यटक यातायात की निकासी के लिए पुरी और कलकत्ता के बीच विशेष गाड़ियां चलायी जाती हैं।

### प्राइमरी/हाई स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात

2612. श्री अजय विश्वास : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार प्राइमरी और हाई स्कूल में शिक्षकों-छात्रों का अनुपात कितना है; और

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) देश में प्राइमरी और हाई स्कूलों में 30-9-82 तक राज्य-वार शिक्षक-शिष्य अनुपात के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

### विवरण

| क्र० सं० | राज्य/संघशासित क्षेत्र | शिक्षक प्राइमरी स्कूल | अनुपात हाई स्कूल |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 52 | 29 |
| 2. | असम | 35 | 25 |
| 3. | बिहार | 41 | 33 |
| 4. | गुजरात | 42 | 26 |
| 5. | हरियाणा | 44 | 33 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 38 | 28 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 28 | 19 |
| 8. | कर्नाटक | 44 | 29 |
| 9. | केरल | 33 | 30 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 41 | उपलब्ध नहीं है। |
| 11. | महाराष्ट्र | 40 | 31 |
| 12. | मणिपुर | 18 | 20 |
| 13. | मेघालय | 31 | 22 |
| 14. | नागालैंड | 21 | 23 |
| 15. | उड़ीसा | 33 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | पंजाब | 37 | 23 |
| 17. | राजस्थान | 45* | 22 |
| 18. | सिक्किम | 18 | 21 |
| 19. | तमिलनाडु | 41 | 24 |
| 20. | त्रिपुरा | 41 | 24 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 42 | 31 |
| 22. | पश्चिमी बंगाल | 36 | 32 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 22 | 24 |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 33 | 21 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 20 | 24 |
| 26. | दादरा और नागर हवेली | 45 | 20 |
| 27. | दिल्ली | 36 | 25 |
| 28. | गोवा, दमन और दीव | 29 | 29 |
| 29. | लक्षद्वीप | 33 | 19 |
| 30. | मिजोरम | 29 | 13 |
| 31. | पांडिचेरी | 26 | 25 |
| | भारत : | 40 | 29 |

* पूर्व-प्राइमरी स्कूलों के आंकड़े भी शामिल हैं।

**केरल के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आवंटित धनराशि**

2613. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सातवीं योजना अवधि में केरल के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) इस सम्बन्ध में केरल द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ ऐसी योजनाएं लम्बित हैं जिन्हें केन्द्र से मंजूरी मिलनी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :** (क) और (ख). सातवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। केरल राज्य बिजली बोर्ड ने योजना अवधि के दौरान 90,000 पम्पसैटों को उर्जित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) तथा (घ). केरल की कोई ग्राम विद्युतीकरण स्कीम स्वीकृति के लिए रुकी नहीं पड़ी है।

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान**

[हिन्दी]

2614. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान दिल्ली में व्याप्त कुव्यवस्था के बारे में समाचार पत्रों में छपी खबर की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी, हां।

(ख) 10-16 मार्च, 1985 के साप्ताहिक (शाने सहारा) में संस्थान में व्याप्त कुव्यवस्था के बारे में एक रिपोर्ट छपी थी। ये आरोप निर्मूल और निराधार प्रतीत होते हैं। इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

**दक्षिण राजस्थान के लिए नर्मदा परियोजना से नहर**

[अनुवाद]

2615. **श्री एन० वी० रत्नम** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा परियोजना से राजस्थान नहर तक एक नहर से राजस्थान के सम्पूर्ण दक्षिणी भाग को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार को उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए दक्षिण राजस्थान के लोगों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) योजना को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से निकलने वाली नवागाव नहर को, दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जलौर तथा बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां। इस स्कीम को हाथ में लेने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) राजस्थान की नर्मदा नहर परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक संवीक्षा के लिए केन्द्रीय जल आयोग में अक्तूबर, 1984 में प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ परामर्श करते हुए परियोजना की जांच की जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना की तकनीकी स्वीकृति तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृति देने के पश्चात् राजस्थान सरकार को अपेक्षित परिव्ययों की व्यवस्था तथा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने होंगे।

**1984-85 में बनाए गए रेलवे मण्डल**

2616. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1984-85 में कितने रेलवे मण्डल बनाए गए; और

(ख) कितने नए मण्डलों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और शेष मण्डलों के कार्य न करने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) और (ख). वर्ष 1984-84 के दौरान मालदा में केवल एक मण्डल का सृजन किया गया था और 1-7-1984 से उसमें काम शुरू हो गया है।

**मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नोलाजी भोपाल का दर्जा बढ़ाया जाना**

2617. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नोलाजी भोपाल (मध्य प्रदेश) का दर्जा बढ़ा कर उसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसा दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**गैर-सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश**

[हिन्दी]

2618. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को ही केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश पाने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार है कि इन विद्यालयों में आम आदमी के बच्चों को भी प्रवेश दिए जाए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) जी, नहीं। स्थानों के उपलब्ध होने पर गैर-सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूलों) में दाखिले के पात्र हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**अजमेर और बूंदी के बीच रेल लाइन**

2619. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अजमेर और बूंदी के बीच, बरास्ता केकड़ी, नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस लाइन पर काम शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और काम सम्भवत: कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) संसाधनों की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

## सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच रेल लाइन

2620. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और उसकी रूपरेखा क्या है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी हां। सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय सवाई-माधोपुर, जयपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग से है।

(ख) और (ग). संसाधनों की बेहद कमी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ है।

## त्रिवेन्द्रम बाईपास का निर्माण

**[अनुवाद]**

2621. **श्री टी० बशीर** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम बाईपास जो कि कक्षाकुट्टम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के किलोमीटर 551/900 से प्रारम्भ होता है और परास्सला में समाप्त होता है, के निर्माण के प्राक्कलन की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य कब शुरू किए जाने की आशा है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) से (ग). जनवरी, 1978 में 205.07 लाख रु० की लागत से कोवलम के पास वेल्लमुत्तम और कक्षाकुत्तम के बीच 20.5 किलोमीटर की लम्बाई के एक भाग के लिए भूमि अधिग्रहण की संस्वीकृति दी गयी थी। भूमि अधिग्रहण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। हवाई अड्डा के लिए पहुंचमार्ग के खंड 11.900 से 13.079 तक सड़क निर्माण कार्य की संस्वीकृति 36.94 लाख रुपए की लागत

से जून, 1984 में दी गयी थी और इस पर कार्य चल रहा है। जहां तक बेप्पमुत्तम के दक्षिण बाईपास के खंड का प्रश्न है, उसके हवाई फोटोग्राफी सर्वेक्षण कार्य के लिए और तेलीचेरी-महे बाईपास के लिए जनवरी 1982 में 1.09 लाख रुपए के एक अनुमान की संस्वीकृति दी गयी थी। 22.5 किलोमीटर की शेष लम्बाई में एलाइमेंट को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

**ग्रामीण विद्युतीकरण**

**[हिन्दी]**

2622. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या वन भूमि पर पेड़ों की कटाई न कर पाने की समस्या के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है और क्या सरकार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की व्यवस्थाओं के कारण इस कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर विचार करेगी;

(ख) मुरैना जिला (मध्य प्रदेश) में वन क्षेत्र के बीच से होकर जाने वाली 33 कि० वा० की शिवपुर-गोरस लाइन का प्रस्ताव किस तारीख से लम्बित पड़ा है और इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के संरक्षित वन क्षेत्रों के बीच से सिवानी पेंच (मध्य प्रदेश) 132 कि०वा० ट्रांसमिशन लाइन निकालने के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि में पेड़ों को कटाई करने हेतु केन्द्र सरकार को इन दोनों राज्य सरकारों का प्रस्ताव किस तारीख को प्राप्त हुआ था और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) प्रणाली को आसान बनाने तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में बिलम्ब की दृष्टि से दिसम्बर, 1984 में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(ख) सरकार को प्रस्ताव अक्तूबर, 1984 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को समस्त वन सीमा दिखाते हुए एक उपयुक्त मानचित्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सूचना प्राप्त हो जाने के बाद प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा।

(ग) महाराष्ट्र में 132 के० वी० की लाइन का प्रस्ताव दिसम्बर, 1984 में प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश में 133 के० वी० के पेंच-सिओनी लाइन के लिए वन कटाई हेतु प्रस्ताव नवम्बर, 1984 में प्राप्त हुआ था और इस प्रस्ताव के शीघ्र अनुमोदित हो जाने की आशा है।

**मणीपुर में बराक जलप्रपात पर पनबिजली परियोजना**

**[अनुवाद]**

2623. **प्रो० मिजिनलंग कामसन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पनबिजली परियोजना स्थापित करने के

लिए द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले मणिपुर के तामेनग्लोंग क्षेत्र में बराक जलप्रपात का सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बराक जलप्रपात पर पनबिजली परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव पूर्वोत्तर परिषद के पास है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (घ). द्वियीय विश्व युद्ध से पूर्व के सर्वेक्षण का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। तथापि, तमिंगलोंग क्षेत्र में बराक नदी पर एक जल विद्युत परियोजना स्थल के अन्वेषण कार्य की वित्त व्यवस्था उत्तर पूर्वी परिषद कर रही है। अन्वेषण मार्च, 1984 में स्वीकृत की गई थी और इसके पूरा होने का समय लगभग तीन वर्ष है।

## रेलवे द्वारा खोले गए निर्माण कार्यालयों की संख्या

2624. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक खोले गए रेलवे के निर्माण कार्यालयों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से उड़ीसा राज्य में चल रही रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्य की देखभाल के लिए उस राज्य में एक निर्माण कार्यालय खोलने का अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) रेल विद्युतीकरण से सम्बद्ध निर्माण यूनिटों, मेट्रो रेलवे, कलकत्ता तथा पटियाला के उत्पादन कारखाने के अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय रेलों पर कम से कम एक मुख्य इंजीनियर/निर्माण सहित एक निर्माण यूनिट काम कर रही है।

(ख) जी हां।

(ग) निर्माण परियोजनाओं में तैनात किए गए अधिकारियों/निरीक्षकों आदि के लिए नए निर्माण कार्यालयों की स्थापना के प्रश्न की जांच की गयी है और जब औचित्यपूर्ण समझा गया, कार्य भार के आधार पर उस पर कार्यवाही की गयी है जो आबंटित धन की राशि पर निर्भर रही है।

## वाल्टेयर और नई दिल्ली के बीच रायपुर होकर एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

2625. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाल्टेयर और नई दिल्ली के बीच रायपुर होकर एक सुपरफास्ट रेल गाड़ी चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

2626. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले चार महीनों के दौरान कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं; और

(ख) इन दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की संख्या क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार पिछले चार महीनों अर्थात् 16;11-1984 से 15-3-1985 तक सड़क दुर्घटनाओं, मृत/जख्मी व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :

| सड़क दुर्घनाओं की संख्या | मृत व्यक्तियों की संख्या | जख्मी व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1987 | 440 | 1886 |

## तुंगभद्रा से पानी का छोड़ा जाना

2627. **श्री एच० जी० रामुलू** : क्या **सिचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने तुंगभद्रा जलाशय से मार्च, 1985 के दौरान उस मात्रा से अधिक मात्रा में पानी छोड़ा है जिस मात्रा के लिए सहमति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस तरह कितनी मात्रा छोड़ी गई है;

(ग) क्या ऐसा तुंगभद्रा बोर्ड की सहमति से किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें किस प्रावधान के अन्तर्गत अधिक पानी लेने की अनुमति दी गयी है ?

**सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

## सड़कों पर उपरि पुलों का निर्माण

2628. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में किन्हीं सड़कों पर उपरि पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्योरा क्या है और तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य की राज्यवार वर्तमान प्रगति क्या है;

(ग) क्या उक्त स्वीकृति के लिए कोई और मांगे अभी भी लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी और उन पर कब तक कार्य शुरू हो जाएगा तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) और (ख). रेलें मौजूदा व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत की भागीदारी के आधार पर राज्य सरकारों स्थानीय प्राधिकरणों के साथ संयुक्त रूप से करती हैं। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पंजाब और हरियाणा में वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं। इनकी वर्तमान प्रगति का भी नीचे उल्लेख किया गया है।

**पंजाब—शेरिकपुरा, अमृतसर में समपार संख्या 25 के बदले ऊपरी सड़क पुल :**

यह कार्य 1982-83 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। इस कार्य की अनुमानित लागत 1.76 करोड़ रुपए हैं जिसमें से रेलवे का हिस्सा 61.25 लाख रुपए है। अद्यतन प्रगति 20 प्रतिशत है।

**हरियाणा—(1) करनाल में समपार संख्या 70-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल :**

यह कार्य 1982-83 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। इस कार्य की अनुमानित लागत 1.09 करोड़ रुपए है जिसमें रेलवे का हिस्सा 49.90 लाख रुपए है। इस कार्य में अब तक 2 प्रतिशत प्रगति हुई है।

**(2) कुरुक्षेत्र में समपार संख्या 89-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल :**

यह कार्य 1983-84 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। इस कार्य की अनुमानित लागत 1.58 करोड़ रुपए है जिसमें से रेलवे का हिस्सा 77 लाख रुपए है। रेलवे संयुक्त रूप से राज्य सरकार के साथ विस्तृत नक्शों/अनुमानों को अन्तिम रूप दे रही है।

**(3) भिवानी में समपार संख्या 51-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल :**

यह कार्य 1985-86 के बजट में शामिल किया गया है। इस कार्य की अनुमानित लागत 1.67 करोड़ रुपए है जिसमें से रेलवे का हिस्सा 79 लाख रुपए है।

(ग) और (ग). पंजाब में ढंडारी कलां, कोट कपूरा तथा पटियाला और हरियाणा में सोनीपत में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्तावित की जांच रेलों और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से कर रही हैं। राज्य सरकार के साथ तकनीकी ब्यौरे अन्य औपचारिकताएं पूरी होते ही इन प्रस्ताओं को रेलवे निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच०एस०) के अन्तर्गत होम्योपैथी चिकित्सा हेतु विशेषज्ञ सलाहकार सुविधा**

2629. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी० जी० एच० एस०) के अंतर्गत होमोयोपैथी में विशेष सेवा उपलब्ध है;

(ख) क्या राजधानी में सी०जी०एच०सी० की 11 डिस्पेंसरी यूनिटों में "विशेषज्ञ सलाह सेवा" के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं और इस प्रकार के विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की होम्योपैथी की डिस्पेंसरियों में इन विशेषज्ञों की नियुक्ति कैसे की जाती है और क्या उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है या कि वे केवल विजिटिंग डाक्टर होते हैं; और

(घ) राजधानी की सभी होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों में "विशेषज्ञ सलाह सेवा" की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (घ). दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तीन बकायदा होम्योपैथिक औषधालय हैं। इनमें प्रत्येक में तीन चिकित्सा अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त आठ होम्योपैथिक औषधालयों में पांच में दो-दो डाक्टर हैं। इन होम्योपैथिक औषधालयों और यूनिटों को विशेषज्ञ सेवाएं गोल मार्केट औषधालय में स्थिति एक वरिष्ठ फीजिशियन (होम्योपैथी) द्वारा प्रदान की जाती है। यह वरिष्ठ फीजिशियन सप्ताह में एक बार पांच औषधालयों और यूनिटों का दौरा करता है और दूसरे औषधालयों और यूनिटों के रोगी उससे पहले से समग लेकर/निर्देशन पर परामर्श ले सकते हैं। होम्योपैथी विशेषज्ञ से परामर्श लेने वाले रोगियों के लिए वरिष्ठ फीजिशियन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं पर्याप्त समझी जा रही हैं।

### मिजोरम को जोड़ने वाली बड़ी रेल लाइन का निर्माण

2630. **श्री लाल डुहोमा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम को जोड़ने वाली एक बड़ी लाइन के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेल लाइन के कब तक पूरा होने की आशा है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी हां।

(ख) असम में लालाबाजार और मिजोरम में भैराबी तक एक मीटर आमान की रेलवे लाइन का निर्माण एक अनुमोदित कार्य है और यह कार्य प्रगति पर है। 48.15 किलोमीटर लम्बी इस लाइन के निर्माण पर 27.18 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(ग) लाइन का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**मिजोरम की बैराबी परियोजना**

2631. **श्री लाल डुहोमा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रारम्भ की गयी बैराबी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना पर पहले ही अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) इसको पूरा करने में कितनी धनराशि खर्च करने की आवश्यकता होगी; और

(घ) इसको कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा बनाई गई बैराबी (धलेश्वरी) परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अभी समीक्षा की जा रही है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

**औद्योगिक श्रमिकों और ग्रामीण लोगों के परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति**

2632. **श्री एन० डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान औद्योगिक श्रमिकों और ग्रामीण लोगों के संबंध में विशेषकर तमिलनाडु में परिवार कल्याण कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा लक्ष्यों की प्रगति में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) औद्योगिक श्रमिकों के बारे में आंकड़े अलग से नहीं रखते जाते। 1982-83 और 1983-84 के दौरान भारत में विशेषकर तमिलनाडु की ग्रामीण आबादी में किए गए नसबंदी आपरेशनों और आई० यू० डी० निवेशनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक श्रमिकों और ग्रामीण लोगों में किए गए नसबन्दी आपरेशनों/आई० यू० डी० निवेशनों के बारे में विशेष रूप से कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) औद्योगिक श्रमिकों और ग्रामीण लोगों के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विवरण

| | नसबन्दी | | | | | | आई० यू० डी० निवेशन | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1982-83* | | | 1983-84 | | | 1982-83 | | | 1983-84* | | |
| | ग्रामीण | शहरी | कुल योग का ग्रामीण प्रतिशत | ग्रामीण | शहरी | कुल योग का ग्रामीण प्रतिशत | ग्रामीण | शहरी | कुल योग का ग्रामीण प्रतिशत | ग्रामीण | शहरी | कुल योग का ग्रामीण प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| तमिलनाडु | 19,396 | 74,883 | 71.9 | 328,877 | 113,903 | 77.1 | 18,798 | 18,499 | 50.4 | 29.537 | 26.340 | 52.9 |
| अखिल भारत | 2,512,812 | 1,065,493 | 70.2£ | 2.442,277 | 1,029,003 | 70.4 | 671,674£ | 365,743 | 64.7£ | 1,190,721 | 443,218 | 72.9 |

* आंकड़े अनन्तिम हैं ।

£ये प्रतिशतता उन शहरी/ग्रामीण आंकड़ों को छोड़ने के बाद निकाली गई है जिनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

नोट :—समीकृत प्रचलित गर्भनिरोधकों के उपयोगकर्ताओं और समीकृत खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ताओं के बारे में ग्रामीण/शहरी ब्यौरा अलग से संकलित नहीं किया जाता ।

## सातवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था

2633. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने और देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में 31 मार्च, 1985 तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक केन्द्र खुल जाने की संभावना है ?

* स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से 31-3-85 तक कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तिम आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, वर्ष 1984-85 के लक्ष्यों के आधार पर 31 मार्च, 1985 को कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सम्भावित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

### विवरण

31 मार्च, 1985 तक कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सम्भावित संख्या (आंकड़े अनन्तिम)

| क्र०सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 455 | 26 |
| 2. | असम | 162 | 12 |
| 3. | बिहार | 687 | 50 |
| 4. | गुजरात | 261 | 21 |
| 5. | हरियाणा | 95 | 1 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 142 | 28 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 98 | 20 |
| 8. | कर्नाटक | 365 | 69 |
| 9. | केरल | 199 | — |
| 10. | मध्य प्रदेश | 690 | 58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | महाराष्ट्र | 1339 | 147 |
| 12. | मणिपुर | 35 | 6 |
| 13. | मेघालय | 32 | 2 |
| 14. | नागालैण्ड | 23 | 1 |
| 15. | उड़ीसा | 334 | 17 |
| 16. | पंजाब | 130 | 10 |
| 17. | राजस्थान | 348 | 76 |
| 18. | सिक्किम | 18 | — |
| 19. | तमिलनाडु | 436 | 30 |
| 20. | त्रिपुरा | 36 | 3 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 1002 | 42 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 357 | 23 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 5 | — |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 45+ | — |
| 25. | चण्डीगढ़ | ++ | 1 |
| 26. | दादर और नगर हवेली | 3 | — |
| 27. | दिल्ली | 8 | — |
| 28. | गोवा, दमन और द्वीप | 15 | 3 |
| 29. | लक्ष्य द्वीप | 7 | 1 |
| 30. | मिजोरम | 19 | 1 |
| 31. | पाण्डिचेरी | 14 | 2 |
| | योग | 7360 | 650 |

\+ =स्वास्थ्य एकक ।

++ =केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया है ।

### कोथागुडम ताप बिजलीघर द्वारा बिजली का कम उत्पादन

2634. **श्री बी० सोभनाद्रीश्वर राव :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोथागुडम ताप बिजलीघर में "प्लान्ट लोड फैक्टर" कम होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारत सरकार देश के सभी विद्युत उत्पादन यूनिटों में इस किस्म की समस्याओं से निबटने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार की गई एक नवीकरण योजना कार्यान्वित करने के लिए सहायता देगी ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :** (क) कोठागुडम ताप विद्युत केन्द्र का संयंत्र भार अनुपात 1984-85 में बढ़कर 43.6% हो गया, जो 1981-82 में 33.5% था। संयंत्र भार अनुपात कम होने के मुख्य कारण ये हैं; (1) पीसने की प्रणाली में बाधाएं; (2) इन्ड-यूस्ड ड्राफ्ट फैनों का बार-बार फेल होना; (3) राख हैण्डलिंग प्रणाली का घटिया कार्यनिष्पादन; तथा (4) सुपर हीटर, वायु प्री-हीटर आदि में ट्यूबों का फेल होना।

(ख) और (ग). केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के ताप विद्युत केन्द्र शामिल हैं।

### कुत्तों द्वारा लोगों के काटे जाने के संबंध में सर्वेक्षण

2635. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुत्ते द्वारा लोगों को काटे जाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में राज्यवार वार्षिक प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या उसके उपचार हेतु पेट में 14 टीके लगवाने के अलावा और कोई चारा नहीं है;

(घ) क्या उक्त उपचार अपरिहार्य है जब तक कि डाक्टर इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जाता कि जिस कुत्ते ने काटा है उसको रेबीज रोधी टीका लग चुका था;

(ङ) क्या रोगी को जो टीके लगाए जाते हैं वे भी शत प्रतिशत सुरक्षित नहीं हैं और उसमें कुछ रोगियों को तांत्रिकीय बीमारियों का खतरा हो सकता है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(छ) क्या सभी पालतू कुत्तों को अनिवार्य रूप से रेबीज रोधी टीका लगवाने और देश भर की गलियों में बड़ी संख्या में घूमने वाले अवारा कुत्तों का पूरी तरह सफाया करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ग). देश में कुत्ते काटे के मामलों का कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) से (च). कुत्ते काटे व्यक्तियों का इलाज सामान्यतया बी० पी० एल०—इनएक्टिवेटिड

वैक्सीन या फीनोलाइज्ड वैक्सीन से किया जाता है। ये वैक्सीन देश में बनाए जाते हैं और 7 से 14 दिन तक पेट में लगाए जाते हैं। दिल्ली में हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि टीका लगाए गए कुत्तों में भी यह रोग पनप सकता है। कोई भी वैक्सीन शत-प्रतिशत संरक्षात्मक नहीं है। भारत में जो वैक्सीन तैयार किए जाते है उनसे तंत्रिकीय जटिलता होने का खतरा हो सकता है। वैसे, इन जटिलताओं की घटनाएं काफी कम (1; 5500=1; 11000) हैं। जब कभी ऐसी जटिलता उत्पन्न हो जाती है तो उपयुक्त उपचार से इस पर काबू पाया जा सकता है। तीन महीने की अवधि में इंजेक्शन के कोर्स को टिशू कल्चर के 6 इन्जेक्शन देकर कम करना संभव है। देश में इस समय टिशू कल्चर वैक्सीन का वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया जा रहा है। देश में इस प्रकार की वैक्सीन ऐसी कीमत पर तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसे लोग वहन कर सकें।

(छ) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

**जड़ी बूटियों पर आधारित औषध उद्योग के विकास संबंधी नीति**

2636. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जड़ी बूटियों पर आधारित औषध उद्योग के विकास की कोई नीति है;

(ख) क्या जड़ी बूटियों के सभी संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार जड़ी बूटियों का आयात करेगी और औषधीय पौधों पर आधुनिक अनुसंधान में सहायता करेगी और जड़ी बूटियों से बनने वाली औषधियों के अध्ययन की उपयुक्त व्यवस्था करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) अपनी नीति के अनुसार सरकार आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का विकास करने में उत्सुक है। इन पद्धतियों के औषधों में लगभग 80 प्रतिशत घटक पादप मूल (जड़ी-बूटियां) होते हैं।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के उद्योग के औषधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए कोई योजना बद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वैसे सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर यह महसूस किया जाता है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के उद्योग के औषधों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पादप मूल (औषधीय जड़ी-बूटियों) संबंधी कच्ची सामग्री के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग). वर्तमान नीति के अनुसार, औषध उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओ० जी० एल० के अन्तर्गत पादप मूल के 55 औषध आयात करने की अनुमति प्राप्त है। औषधों के आयात संबंधी नीति की हर वर्ष समीक्षा की जाती है। औषधीय पादपों की उत्पत्ति से सम्बन्धित वैज्ञानिक अध्ययन करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय ने सातवीं योजना में 25 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है। भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषदें औषधीय पादपों पर पहले ही अनुसंधान कर रही हैं।

## सामुदायिक भवनों का निर्माण

2637. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में मण्डल वार कितने सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया है और किन स्थानों पर किया गया है;

(ख) क्या सरकार का अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों पर भी इनका निर्माण करने का कोई कार्यक्रम है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) :** (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## समय-सारणी में आरक्षण कार्यालयों के पतों और टेलीफोन नम्बरों का प्रकाशन

2638. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे की समय-सारणी संख्या 43 के सिटी आरक्षण कार्यालयों के पूरे पते और टेलीफोन नम्बर जन हित में प्रकाशित किए गये थे;

(ख) अक्तूबर, 1984 में प्रकाशित हुई दक्षिण रेलवे समय-सारणी में इन्हें प्रकाशित क्यों नहीं किया गया, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या दक्षिण रेलवे समय-सारणी के अगले अंक में इसको प्रकाशित किया जाएगा ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). दक्षिण पूर्व रेलवे के सिटी बुकिंग कार्यालयों के पतों और टेलीफोन नम्बरों से सम्बन्धित सूचना अस्थायी तौर पर दक्षिण पूर्व रेलवे की समय-सारणी से निकाल दी गयी थी, दक्षिण पूर्व रेलवे की समय-सारणी के भावी प्रकाशनों में यह सूचना शामिल की जाएगी।

## राजकोट डिवीजन में स्टेशनों का नवीकरण

2639. **श्री पूनम चन्द एम० बानकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे में राजकोट डिवीजन में पाटन और निकट के अनेक रेलवे स्टेशनों में कोई बड़ा परिवर्धन, परिवर्तन और विस्तार नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) :** (क) जी हां। पिछले तीन वर्षों में पाटन अथवा इसके आस-पास के रेलवे स्टेशनों पर कोई बड़ा परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). यातायात में वृद्धि को देखते हुए यात्री सुविधाओं की अपेक्षाओं की सतत

समीक्षा की जाती है तथा धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमबद्ध आधार पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। पाटन तथा इसके आस-पास के स्टेशनों पर यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए मौजूदा यात्री सुविधाएं पर्याप्त समझी गयी हैं।

## नेराडी बराज की परियोजना रिपोर्ट

2640. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेराडी बराज की प्रथम रिपोर्ट और अनुवर्ती संशोधित रिपोर्टों में आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के भागों में कितने गांवों और कितनी भूमि को जलमग्न दिखाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि परियोजना की संशोधित रिपोर्टों पर उड़ीसा सरकार ने आपत्ति की थी क्योंकि प्रथम रिपोर्ट में दिखाए गए क्षेत्र की तुलना में संशोधित रिपोर्ट के आधार पर उड़ीसा का अधिक भाग जलमग्न होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार की आपत्ति के बावजूद भी आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित रिपोर्टों में जलमग्न क्षेत्र अधिक दिखाने के क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश में जलमग्नता तथा फलड बैंकों के निर्माण के कारण अधिग्रहण किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि परियोजना रिपोर्टों में निम्नवत् दिखाई गई है :—

| | उड़ीसा में | आंध्र प्रदेश में |
|---|---|---|
| 1978 की परियोजना रिपोर्ट | 216 हैक्टेयर | 304 हैक्टेयर |
| 1982 की परियोजना रिपोर्ट | 506 हैक्टेयर | 179 हैक्टेयर |

परियोजना रिपोर्टों में जलमग्नता के कारण किसी भी गांव के अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) नेराडी बराज के लिए 1978 की रिपोर्ट में 2.60 लाख क्यूसेक का अभिकल्प बाढ़ अपनाया गया था। परन्तु 1980 में वम्सधारा नदी में अभूतपूर्व बाढ़ आने के कारण 1982 की परियोजना रिपोर्ट में अभिकल्प बाढ़ को संशोधित करके 5 लाख क्यूसेक कर दिया गया था जिससे एफलक्स बंधों के अभिन्यास में परिवर्तन हुआ और इसके कारण अधिग्रहण करने के क्षेत्र में वृद्धि हुई।

## बिहार में सातवीं योजना के दौरान नई लाइनें

[हिन्दी]

2641. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिछाई जाने वाली नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनावधि के दौरान पूर्व रेलवे में राजगिर से गया तक कोई नई लाइन बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) बिहार में तीन नयी लाइन परियोजनाएं चल रही हैं जिनके नाम छितौली-बगहा, सकरी-हसनपुर तथा तालगड़िया-तुपकाडीह हैं। इनका पूरा होना, सातवीं योजना के दौरान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। बहरहाल, जहां तक तालगड़िया-तुपकाडीह नयी लाइन का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भूमि पर निर्भर करेगी।

(ख) राजगीर से गया तक एक लाइन के निर्माण के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## रेल सुधार समिति की रिपोर्टों की बिक्री

[अनुवाद]

2642. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुधार समिति की रिपोर्ट प्रकाशित करने तथा जनता को उनकी बिक्री करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये पुस्तकें बिक्री के लिए कब जारी की जाएंगी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) और (ख). जी हां। रेल सुधार समिति की रिपोर्टों के सभी भागों को दो जिल्दों में प्रकाशित करने का विनिश्चय किया गया है, जिल्द I में I से XI भाग हैं और रिपोर्ट के शेष भाग जिल्द-II में हैं। जिल्द-I अब से छः माह के भीतर उपलब्ध होने की सम्भावना है जबकि जिल्द-II का मुद्रण रेल सुधार समिति से अन्तिम भाग प्राप्त होने पर शुरू किया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## ड्यूटी परिचय पत्रों पर लगाए गए चित्रों की लागत का भुगतान

2643. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवेज को कर्मचारियों के ड्यूटी परिचय-पत्रों पर अपने चित्र लगाने की सलाह दी है और रेलवे प्रशासन द्वारा उक्त चित्रों की लागत का भुगतान किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कोई दर निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान और स्टेशन पर यदि फोटोग्राफों की लागत की विभिन्न दरें प्रस्तुत की जाती हैं, तो उनका भुगतान किया जाएगा ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी हां। रेल प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि रेल कर्मचारियों को, जिन्हें बार-बार दौरे पर जाना पड़ता है, जारी सभी ड्यूटी कार्ड पासों पर उनके नाम और फोटो होने चाहिए। लेकिन फोटो की व्यवस्था रेल प्रशासनों द्वारा की जाती है जो लागत वहन करते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**आसनसोल और बर्दवान के बीच और यात्री गाड़ियां चलाना**

2644. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसनसोल और बर्दवान के लिए वर्तमान यात्री डिब्बों का उपयोग करके आसनसोल और बर्दमान के बीच कुछ और यात्री गाड़ियां चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यात्रियों की कठिनाइयों को कम करने के सम्बन्ध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्दवान और आसनसोल काफी अधिक गाड़ियों से सेवित हैं जिनमें 5 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां भी शामिल हैं जो इन स्टेशनों पर समाप्त होती हैं/इन स्टेशनों से प्रारम्भ होती हैं। संसाधनों की कमी के कारण, अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

**विकिरण चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में परिवर्तन**

2645. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार विकिरण चिकित्सा विज्ञान के पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो परिवर्तनों का क्या ब्यौरा है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ?

**अण्डमान में काल्पोंग परियोजना का निर्माण**

2646. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सिंचाई तथा बिजली उत्पादन सम्बन्धी काल्पोंग परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजना का निर्माण कब तक पूरा होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (घ). काल्पोंग परियोजना चरण-एक, एक जल-विद्युत परियोजना है जिसकी 1750-1750 किलोवाट की 3 यूनिटें हैं तथा इसमें कोई सिंचाई परिकल्पित नहीं है। 1527 हेक्टेयर मीटर की सक्रिय संचयन क्षमता के सृजन के उद्देश्य से काल्पोंग नदी के दो प्रवेश-मार्गों पर 151 मीटर लम्बे तथा 35.5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई के एक कंक्रीट बांध तथा 130 मीटर लम्बे एवं 25 मीटर की अधिकतम ऊंचाई के एक रॉकफिल बांध का निर्माण इस परियोजना में शामिल है। विद्युत गृह की तीन यूनिटों का 1.5 मीटर व्यास का एक पेनस्टाक सम्भरण करेगा। इस स्कीम पर 13.72 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से अभी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होनी है जिसके बाद इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की जाएगी एवम् स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तकनीकी प्रशासनिक एवम् स्वीकृति प्रदान करने के बाद परियोजना का निर्माण कार्य अरम्भ होगा। इस स्थिति में यह बता पाना सम्भव नहीं होगा कि यह परियोजना कब पूरी हो जाएगी।

**अण्डमान के बम्बूफ्लैट में ताप बिजली घर**

2647. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने फरवरी, 1984 में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बन्बू फ्लैट में प्रस्तावित ताप बिजलीघर की आधार-शिला रखी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा वहां बिजली का उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, हां।

(ख) अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह की विद्युत की मांगों को पूरा करने के लिए 10-12 मेगावाट क्षमता के डीजल विद्युत उत्पादन सेट प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्कीम का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा कर लिया है। निधियां उपलब्ध होने पर स्कीम सम्भवतः 1986-87 के अन्त तक विद्युत उत्पादन शुरू कर देगी।

**ठेके की खान-पान सेवा समाप्त करना और सभी रेलगाड़ियों में रेलवे की अपनी खान-पान सेवा शुरू करना**

2648. **श्री पियूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिनसुकिया मेल और राजधानी एक्सप्रेस में दिए गए खाद-पान के ठेकों के ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों से खान-पान के ठेकों के मामलों से कुछ ठेकेदारों को एकाधिकार प्राप्त हैं;

(ग) क्या सरकार का ठेके की खान-पान सेवा प्रणाली बन्द करने और सभी रेलगाड़ियों में रेलवे की अपनी खान-पान सेवा शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कितने समय में शुरू की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जुलाई, 1978 से 155/156 तिनसुकिया मेल में खान-पान ठेका मैसर्स पी० आर० केटरिंग कम्पनी को दिया गया था जिन्होंने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लेने के आधार पर अभी तक पेन्ट्री कार खाली नहीं किया है। स्थगन आदेश अभी रद्द किया जाना है। राजधानी एक्सप्रेस में रेलों की विभागीय खान-पान व्यवस्था मौजूद हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ). जी नहीं। ऐसा करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

## रेलवे होली डे होम्स

2649. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के राज्यवार कितने होली डे होम्स हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने नए होली डे होम्स बनाए गए; और

(ग) कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को होली डे होम्स आबंटित करने के लिए क्या मान-दंड रखे गए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

## पटना और गया के बीच रेल लाइन को दोहरा किया जाना

[हिन्दी]

2650. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया में, जो कि बिहार में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, विदेशी और देशी पर्यटकों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए पटना और गया के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या इस वर्ष बरौनी-कटिहार बड़ी लाइन बिछाने की स्वीकृत परियोजना पर कार्य शुरू करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्चा होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) पटना क्षेत्र में लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और रिपोर्ट की जांच होने के बाद इस परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(ख) और (ग). बरौनी-कटिहार मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन पूरा हो चुका है और इसे अक्तूबर, 1984 में यातायात के लिए खोल दिया गया है। आमान-परिवर्तन पर लगभग 53.92 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बाड़मेर और जोधपुर के बीच चलने वाली गाड़ी का डीजलीकरण**

[अनुवाद]

2651. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1984 में बाड़मेर से आगरा फोर्ट तक बरास्ता जोधपुर एक नई गाड़ी चलाई गई थी;

(ख) क्या उपर्युक्त गाड़ी जोधपुर और आगरा फोर्ट के बीच डीजल इंजन द्वारा चलाई जाती है और बाड़मेर और जोधपुर के बीच अच्छी रेल पटरी होने के बावजूद गाड़ी को डीजल इंजन से नहीं चलाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस रेल मार्ग की उपेक्षा के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मार्ग पर गाड़ी में डीजल इंजन लगाया जाना कब से प्रारम्भ किया जाएगा ?

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) जी नहीं। बहरहाल, 207/208 जोधपुर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस बाड़मेर तक बढ़ा दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). चूंकि बाड़मेर और जोधपुर के बीच मौजूदा कर्षण के अन्तर्गत गाड़ी में डिब्बों की संख्या बढ़ाने की गुंजाइश है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि डीजलीकरण से रफ्तार में किसी प्रकार की वास्तविक वृद्धि नहीं होगी क्योंकि डीजल रेल इंजनों के लिए रेल पथ रफ्तार काफी अधिक नहीं है, अतः, जोधपुर और बाड़मेर के बीच गाड़ी को डीजल कर्षण से चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

**खड़गपुर में डीजल शेड**

2652. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों ने खड़गपुर स्थित डीजल शैड को कार्य करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शैड को कौन सी तारीख की मंजूरी दी गई थी;

(ग) क्या वहां पर कोई कार्य शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वहां इस समय कितना कार्य शुरू किया गया है और इस समय कितने श्रमिक लगाए गए हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1981 ।

(ग) और (घ). इस्पात संरचना के निर्माण और कालम खड़े करने का काम प्रगति पर है। फिलहाल लगभग 40 कामगार (ठेकेदार के श्रमिक) लगाए गये हैं।

**कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे के फ्लाई ओवर का ठेकेदार**

2653. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में 23 फरवरी, 1985 को ढहने वाले, सर्कुलर रेलवे के फ्लाई ओवर का निर्माण करने वाला ठेकेदार कौन है;

(ख) इसी ठेकेदार विशेष को सरकार द्वारा किए गए अन्य ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस दर्दनाक घटना के उत्तरदाई लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य कब पूरा होने की संभावना है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) ऊपरी पैदल पुल (न कि फ्लाई ओवर) जो ढह गया था, के ठेकेदार मैमर्स न्यू इण्डिया कन्स्ट्रक्शन, कलकत्ता हैं।

(ख) इस ठेकेदार को दिया गया एक और ठेका बेलगछिया-ब्रिज से टाला स्टेशन तक रैम्प के निर्माण से सम्बन्धित है।

(ग) रेलवे को हुई क्षति की सम्पूर्ण लागत ठेकेदार से वसूल की जा रही है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार कर्मकारों के लिए क्षतिपूर्ति ठेकेदार से वसूल की जाएगी। सम्बन्धित निर्माण निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कारंवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) ऊपरी पैदल पुल के जुलाई, 1985 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

**कटिहार जोगबनी खंड में ढोए गए माल की मात्रा**

[हिन्दी]

2654. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार-जोगबनी खंड में पिछले तीन वर्ष के दौरान कितने टन (अन्तर्गामी और बाह्यगामी) माल ढोया गया;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर माल सड़क परिवहन और परिवहन के अन्य साधनों द्वारा ढोया जा रहा है तथा रेल द्वारा ढोए जाने वाले माल की मात्रा घट रही है जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार हेतु रेलवे ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) 1981-82 से 1983-84 तक तीन वर्षों के दौरान कटिहार-जोगबनी खंड पर सम्हाले गये जावक और आवक दोनों प्रकार के

माल यातायात की मात्रा इस प्रकार थी :—

| | | |
|---|---|---|
| 1981-82 | | 2,18,444 टन |
| 1982-83 | ... | 1,32,475 टन |
| 1983-84 | ... | 88,970 टन |

(ख) और (ग). इस खंड पर प्राप्त होने वाला अधिकांश यातायात कम दूरी का लम्बा तथा फुटकर होता है। नेपाल से यातायात घट जाने के कारण प्राप्त होने वाले यातायात में गिरावट आयी है। पूर्वोत्तर रेलवे पर मीटर लाइन के कुछ खंडों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए चल रहे कार्यों तथा रेल परिवहन की मांग में वृद्धि, जो केवल जम्बो रेकों द्वारा ही पूरी की जा सकती थी, के कारण इस क्षेत्र में कभी-कभी बड़ी लाइन के फुटकर माल डिब्बों की कमी के कारण भी इस खंड पर संचलन प्रभावित हुआ है। यद्यपि इस खंड की अर्थक्षमता में सुधार करने की थोड़ी सी गुंजाइश है, तथापि इस क्षेत्र से अधिक यातायात की यथासंभव ढुलाई करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

## फारबिसगंज-ठाकुरगंज रेल सम्पर्क

2655. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अन्तर्गत कटिहार-जोगबनी खंड पर स्थित फारबिसगंज स्टेशन को कटिहार सिलिगुड़ी खंड में ठाकुरगंज स्टेशन से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) इस सम्बन्ध में एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग). संसाधनों की अत्यधिक तंगी और पहले से की हुई बहुत सी वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है।

## भारत-नेपाल "पनार परियोजना"

[अनुवाद]

2656. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णिया जिले में परमान, बांकरा और काकाई नदियों से आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए नेपाल सरकार के सहयोग से पनार परियोजना जैसी कोई अनुमोदित योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उनके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और उस पर कितना लाभ हुआ है तथा उक्त योजना के पूरा होने के लिए क्या तारीख निश्चित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### पदाति चिकित्सकों के कार्यकरण के बारे में अध्ययन

2657. श्री डूमर लाल बैठा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पदाति डाक्टर योजना के कार्यकरण के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महामारियों तथा अन्य रोगों की रोकथाम और उनके इलाज में यह योजना कहां तक उपयोगी सिद्ध हुई है, कितनी जनसंख्या को इसका लाभ पहुंचा है और इसमें यदि किसी सुधार की आवश्यकता है, तो क्या हुआ ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख). देश में बेयर फुटेड डाक्टरों के बारे में कोई योजना नहीं है।

### नई दिल्ली नगर पालिका के नर्सरी शिक्षकों को चयन ग्रेड देना

2658. डा० सी० एस० वर्मा : क्या शिक्षा मंत्री नई दिल्ली नगर पालिका के नर्सरी शिक्षकों को चयन ग्रेड देने के सम्बन्ध में 26 जुलाई, 1984 के अतरांकित प्रश्न संख्या 632 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के नर्सरी शिक्षकों का चयन ग्रेड मंजूर करने से सम्बन्धित मामलों में अंतिम रूप से दिया गया निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

### गुजरात के लिए गैस पर आधारित ताप बिजली परियोजना

[हिन्दी]

2659. श्री सी० डी० गामित : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने गैस पर आधारित एक ताप बिजलीघर स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कब तक इसे मंजूर किए जाने की सम्भावना है और भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (ग). सरकार ने क्वास (गुजरात) में गैस पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है । परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जाएगा । इसकी क्षमता लगभग 560 मेगावाट होगी ।

**जयपुर को बड़ी रेल लाइन से जोड़ना**

2660. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राज्यों की राजधानियों में से केवल जयपुर ही ऐसा महत्त्वपूर्ण शहर है जिसे बड़ी लाइन के साथ नहीं जोड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उस बड़ी लाइन का नाम क्या है जिससे इस शहर को जोड़ने का विचार है; और

(घ) प्रस्ताव के कार्यान्वियन के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). संसाधनों की बेहद तंगी के कारण जयपुर के लिए बड़ी लाइन की व्यवस्था करना संभव नहीं है । अतः अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।

**नया उत्तर पश्चिम रेल जोन बनाना**

2661. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर गठित एक निकाय रेलवे सुधार समिति द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई है;

(ख) क्या उन सिफारिशों में एक सिफारिश रेलवे का नया उत्तर पश्चिम जोन बनाने के बारे में है; और

(ग) क्या इसके मुख्यालय के लिए किसी स्थान को चुन लिया गया है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) रेल सुधार समिति ने 25 रिपोर्टें दी हैं जिनमें रेल संचलन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में 2258 सिफारिशें दी गई हैं। समिति ने अपनी 19वीं रिपोर्ट में मुख्य रूप से चार अतिरिक्त जोन अर्थात मध्य पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य तथा दक्षिण मध्य और गाजियाबाद, सिंगरौली, उसलापुर, गुंटूर तथा चित्तौड़गढ़ में पांच अतिरिक्त मंडल बनाने की सिफारिश की है ।

(ख) और (ग). जी हां ।

**दिल्ली सोनीपत रेल लाइन का विद्युतीकरण**

[अनुवाद]

2266. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से सोनीपत तक की रेल लाइन का विद्युतीकरण

करने का है ताकि इस लाइन पर अधिक गाड़ियां चलाई जा सकें जिससे वर्तमान गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम हो सके;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विद्युतीकरण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : जी नहीं।

(ख) और (ग). रेलों का विद्युतीकरण एक भारी पूंजी निवेश का कार्य है और विद्युतीकरण परियोजनाओं की स्वीकृति देते समय उन खंडों को प्राथमिकता दी जाती है जिन पर यातायात का घनत्व बहुत अधिक होता है। विद्युतीकरण के लिए प्राथमिकता में दिल्ली को बम्बई तथा मद्रास से और बम्बई को कलकत्ता से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों तथा लौह अयस्क आदि की ढुलाई के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मार्गों को शामिल किया जामा है। दिल्ली-सोनीपत खंड के विद्युतीकरण को निचली प्राथमिकता में रखा जाएगा। सातवीं योजना में सम्भावित उपलब्ध धनराशि के भीतर इसे शामिल करना व्यावहारिक नहीं हो सका है। आठवीं योजना में इस कार्य का अनुमोदन उपयुक्त समय पर धनराशि की स्थिति पर निर्भर करेगा।

## गोवाना होकर सोनीपत से जीन्द तक रेल लाइन

2663. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाना होकर सोनीपत से जीन्द तक, नई रेल लाइन के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिसके लिए वह क्षेत्र बहुत समय से मांग करता आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता। संसाधनों की अत्यधिक तंगी और पहले से की हुई बहुत सी वचनबद्धताओं के कारण इस सुझाव पर विचार करने के लिए संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

## शिक्षा का गिरता स्तर

2664. **श्री मोहन लाल पटेल क्या** : शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में शिक्षा का सामान्य स्तर गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्तर गिरने के क्या विभिन्न कारण हैं; और

(ग) क्या पत्राचार पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले विश्वविद्यालय गिरते स्तर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) से (ग). अन्य बातों के साथ शिक्षा की कोटि और विषय वस्तु में सुधार लाने की दृष्टि से वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यापक और गहन समीक्षा आरम्भ की गयी है ताकि इसके स्तर को बढ़ाया जा सके।

## गुजरात में जलपोतों के निर्माण के लिए मंजूर किए गए ऋण

2665. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों में जलपोतों के निर्माण के लिए कितने आवेदनों के संबंध में ऋण मंजूर किए गए हैं और कितनी धनराशि मंजूर की गयी;

(ख) अब तक ऋण की कितनी किश्तें जारी की गई हैं;

(ग) आवेदकों की कितनी धनराशि का भुगतान शेष है ;

(घ) क्या सरकार को उस बात की जानकारी है कि समय पर ऋण की धनराशि का भुगतान न होने के कारण आवेदकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो ऋण की शेष धनराशि का वितरण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों में, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, समुद्री राज्य सरकारों को यांत्रिक पालपोतों के निर्माण के लिए मौजूदा पालपोतों के यंत्रीकरण के लिए अनुदानों के लिए ऋण स्कीम के तहत गुजरात सरकार को भारत सरकार ने कुल 463.53 लाख रुपए की धनराशि की संस्वीकृति दी है : —

| वर्ष | | धनराशि (लाख रुपए) |
|---|---|---|
| 1982-83 | ... | 87.04 |
| 1984-84 | ... | 6.50 |
| 1984-85 | ... | 369.99 |
| | कुल : | 463.53 |

गुजरात सरकार ने इस धनराशि को किश्तों में 78 आवेदकों को पुनर्मंजूरी दी।

(ग) से (ङ). गुजरात सरकार ने 1-4-1984 के अनुसार सभी आवेदकों की शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल 521 लाल रुपए की धनराशि की मांग की थी। इसमें से, वर्ष 1984-85 के दौरान 370 लाख रुपए की अनुमानित धनराशि थी और और शेष 151 लाख रुपए की धनराशि की आवश्यकता 1985-86 वर्ष के लिए बतायी गई थी। इन पालपोत मालिकों के द्वारा अनुभव की गयी कठिनाईयों को देखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान गुजरात सरकार को 369.99 लाख रुपए की धनराशि की संस्वीकृति दी है। शेष धनराशि की आवश्यकता गुजरात सरकार को वर्ष 1985-86 में है।

## सूतहाट रेलवे स्टेशन का पुनः नामकरण

2666. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के हल्दिया पंसकुरी संक्शन में सूतहाट रेलवे स्टेशन का बासुलिया रेलवे स्टेशन के रूप में पुनः नामकरण करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्टेशन को यात्री यातायात के लिए खोलने के बारे में उनके विभाग की योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख). वर्तमान कार्य-विधि के अनुसार किसी स्टेशन के नाम में परिवर्तन संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सहमति से किया जाता है। सूतहाट स्टेशन का नाम बदल कर बसूलिया करने के लिए रेल प्रशासन ने पश्चिम बंगाल सरकार से भारत सरकार के गृह मंत्रालय का अनुमोदन संसूचित करने का अनुरोध किया था। अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उक्त स्टेशन को यात्री यातायात के लिए खोलने की तारीख 15-4-1985 निश्चित की गयी है।

### दामोदर घाटी निगम की प्रगति

2667. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम (पश्चिम बंगाल और बिहार) की मूल योजना के अन्तर्गत कितने बांधों का निर्माण किया जाना था;

(ख) उनमें से कितने बांधों का अब तक निर्माण हो गया है;

(ग) मूल योजना के अनुसार दामोदर घाटी निगम का निर्माण पूरा करने के लिए भारत सरकार की योजना और कार्यक्रम क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) प्रारम्भिक ज्ञापन के अनुसार दामोदर घाटी निगम की मूल योजना में तिलैया, बालहारी, मैथोन, अय्यर, पंचेत, बोकारो और कोनार पर सात भंडार बांधो तथा बरमो पर निम्न व्यपवर्तन बांध की परिकल्पना की गई थी।

(ख) दामोदर घाटी निगम ने अब तक तिलैया, मैथोन, कोनार और पंचेत चार बांध बनाए हैं। बिहार सरकार ने दामोदर पर अय्यर के समीप तेनुघाट पर बांध बनाया है।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

### पूर्वी भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

2668. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा के मामले में बिहार सहित पूर्वी भारत की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) देश के अन्य भागों की तुलना में पूर्वी भारत में कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का बिहार में नालन्दा तथा पूर्वी भारत के अन्य भागों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, नहीं। तथापि, प्राम्भिक शिक्षा के विकास के अनुसार, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल देश में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नौ राज्यों में से हैं।

(ख) देश में इस समय केवल सात केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनमें से दो दिल्ली में, एक अलीगढ़ में, एक बनारस में, एक हैदराबाद में, एक शिलांग में और एक शान्ति निकेतन में स्थित हैं।

(ग) और (घ). नालंदा में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी हालात में, इस समय बिहार में नालन्दा में अथवा पूर्वी भारत के किसी भाग में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### बिहार को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना

2669. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के मामले में बिहार एकदम उपेक्षित पिछड़ा और अभावग्रस्त राज्य है;

(ख) यदि हां, तो बिजली के मामले में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और ये उपाय कब तक क्रियान्वित किए जायेंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार नालन्दा और पटना जिलों को एक यूनिट मानते हुए बख्तियारपुर अथवा पटना के नजदीक गंगा नदी के तट पर एक ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (घ). बिहार में विद्युत की कमी है। केन्द्र सरकार, राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिहार राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग दे रही है। बिहार में तीन ताप विद्युत केन्द्रों का पता लगाया गया है जिनका केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत लगभग 56 करोड़ रुपये की लागत पर नवीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जाना है। बिहार में केन्द्रीय क्षेत्र में 1059 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र (840 मेगावाट) स्थापित करने का निर्णय किया गया है। बिहार को क्षेत्र की अन्य केन्द्रीय परियोजनाओं जैसे :—फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र तथा चुखा जल-विद्युत परियोजना से भी इसका विद्युत का हिस्सा प्राप्त होगा। फतुहा बख्तियारपुर के पास नालन्दा तथा

पटना जिलों में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

## मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण मानवों तथा पशुओं में प्रकट होने वाले आनुवंशिक दोष

[अनुवाद]

2670. श्री जी०जी० स्वैल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली आशाओं के विपरीत, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के फैलने के कारण भोपाल में पौधों और सब्जियों में आनुवंशिकीय परिवर्तन हुए हैं और मृदा भी नशीली हो गई है;

(ख) क्या सरकार ने भोपाल के लोगों को तदनुसार सलाह दी है और उन्हें हिदायतें दी हैं कि उन्हें क्या करना चाहिये; और

(ग) क्या मानवों और पशुओं में भी आनुवांशिक दोष प्रकट होने आरम्भ हो गए हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक दल द्वारा भोपाल में किए गए अवलोकनों से पता चला है कि सब्जियों की खड़ी फसल में उत्परिवर्तन के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिये । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दल से भोपाल में यह नोट किया कि प्रभावित क्षेत्रों में फसल सामान्य रूप से उग रही थी तथा जमीन में विषाक्तता का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक दल ने किसानो को सुरक्षा उपाय के तौर पर यह सलाह दी कि वे प्रभावित पौधों तथा जानवरों का उपभोग बिल्कुल न करें ।

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में जीवित जानवरों पर एम०आई०सी० के उत्परिवर्तन प्रभाव के बारे में अभी तक कोई निर्णायक सूचना नहीं मिली है लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात पर बल दिया है कि भविष्य में पड़ने वाली किसी उत्परिवर्तन प्रभाव के संबंध में अल्प/दीर्घ आवधिक अध्ययनों की मानीटरिंग की जाये ।

## कन्सा-भिलड़ी रेल लाइन का निर्माण

2671. श्री पूरनचन्द बनकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन में कनसा-भिलड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए लम्बे समय से जांच की मांग की जा रही है;

(ख) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है या किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में अति विशिष्ट व्यक्तियों के संगठनों और वाणिज्य मंडलों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि इस लाइन के न होने के कारण दक्षिण गुजरात के लोगों को राजस्थान जाने के लिए लगभग 200/25 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) कन्सा-भिलड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस लाइन के लिए संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) संसाधनों की मौजूदा अत्यधिक तंगी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

**कन्याकुमारी और अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों के बीच सीधी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाना**

2672. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कन्याकुमारी से देश के अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों के लिए और अधिक संख्या में सीधी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पश्चिम बंगाल में परिक्रमा रेल मार्ग पर उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव**

2673. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिक्रमा रेल मार्ग पर उपनगरीय गाड़ियां चलाने पर विचार कर रही है जिससे कि यात्रीगण हावड़ा अथवा सियालदह स्टेशन पर उतरे बिना ही शहर में सीधे ही अपने गंतव्य स्थानों पर जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की गाड़ियां कब चलाई जायेंगी ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**राजस्थान में बिजली का संकट**

[हिन्दी]

2674. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को राजस्थान में बिजली के भारी संकट की जानकारी है;

(ख) क्या बिजली की अपर्याप्त सप्लाई से राज्य में औद्योगिक और कृषि संबंधी उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान को क्या अतिरिक्त सुविधाएं दिए जाने का विचार है?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (ग). राजस्थान में विद्युत की कमी है। भारत सरकार ने उत्तरी क्षेत्र में लगभग 940 मेगावाट की गैस टरबाइन क्षमता स्थापित करने का निर्णय किया है, जिसमें से लगभग 374 मेगावाट राजस्थान में है। सरकार ने राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के विस्तार के रूप में कोटा के समीप 2 × 235 मेगावाट की परमाणु विद्युत यूनिटें स्थापित करने का भी निर्णय किया है।

**अनाथालयों द्वारा बच्चों के बाहर भेजे जाने पर प्रतिबंध**

2675. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अनाथालय उन माता-पिताओं को अनाथ बच्चे सौंप देते हैं जो ऐसे बच्चे गोद लेने की इच्छा करते हैं;

(ख) देश में ऐसे अनाथालयों के नाम क्या हैं जो विदेशों में भी बच्चे भेजते हैं और अब तक ऐसे कितने बच्चे विदेशों में भेजे गये हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि विदेशों में इन बच्चों पर अनेक परीक्षण किए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में सरकार की समुचित अनुमति के बिना ऐसे बच्चों को बाहर भेजने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है?

**समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय बच्चे को कोई विदेशी दत्तक ग्रहण के लिए सक्षम भारतीय न्यायालय की अनुमति से विदेश ले जा सकता है। इस तरह के मामले केवल मान्यताप्राप्त भारतीय सामाजिक/बाल कल्याण एजेंसियां ही भारतीय न्यायालयों में रख सकती हैं। भारतीय न्यायालयों में ऐसे मामले पेश करने के लिए मान्यताप्राप्त ऐसी 68 भारतीय सामाजिक/बाल कल्याण एजेंसियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इनमें से अधिकांश एजेंसियां बाल अनाथालयों की देख भाल कर रही हैं। कुछ न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984 में क्रमशः 305, 554, 1736, 906 और 690 बच्चे विदेशियों को वार्ड के तौर पर दिये गये।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) अन्तेरदेशीय बाल दत्तक ग्रहण के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए 1982 के रिट पिटीशन (सी०आर०एल०) 1171 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अपने निर्णय में निर्धारित मानदण्ड और प्रक्रिया का सरकार ने कार्यान्वयन किया है। जो विदेशी भारतीय बच्चे का दत्तक ग्रहण करना चाहता है उसका आवेदन पत्र केवल मान्यताप्राप्त विदेशी सामाजिक/बाल कल्याण संगठन द्वारा ही प्रायोजित किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने विदेशों में

भारतीय राजनयिक मिशन और/या विदेशी सरकारों के परामर्श से मान्यताप्राप्त विदेशी सामाजिक/बाल कल्याण संगठनों की सूची बनाई है और फिर केवल मान्यताप्राप्त भारतीय सामाजिक/बाल कल्याण एजेंसियां ही, ऐसे आवेदन-पत्र भारतीय न्यायालयों में पेश कर सकती हैं। ऐसे मामलों में न्यायालयों के सामने बाल कल्याण ही एक परम विचार होता है। सक्षम भारतीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही, किसी बच्चे को विदेशी द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विदेश ले जाया जा सकता है। अतः सरकार की पूर्व अनुमति की शर्त लगाने के बारे में सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

**विवरण**

**भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय सामाजिक/बाल कल्याण एजेंसियों की सूची। जिन केन्द्र शासित प्रदेश/प्रदेशों में यह मान्यता वैध है, उनके नाम एजेंसियों के आगे दर्शाये गये हैं**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय बाल कल्याण परिषद 4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 | केन्द्र शासित, प्रदेश दिल्ली |
| 2. | एस०ओ०एस० भारत के बाल गांव 506-507, विशाल भवन, 95 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 | केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली और तमिलनाडू |
| 3. | दिल्ली बाल कल्याण परिषद, क्योदसिया गार्डन, अलीपुर रोड, सिविल लाईंस, दिल्ली-110054 | केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली |
| 4. | उत्तर भारत शिशु चर्च, संगोपन गृह, 1-चर्च लेन, नई दिल्ली | तदैव |
| 5. | प्रीत मन्दिर, 18, डा० कोयाजी रोड, पूने-411001 | महाराष्ट्र |
| 6. | सैंट जोसफ होम सोसायटी, डा० (श्रीमती) लीला मेलविल्ज मार्ग, बयकुला-बम्बई-400008 | तदैव |
| 7. | इशाप्रेमा निकेतन, 971 नाना पथ, पदमजी पार्क, पूने | तदैव |
| 8. | भारतीय समाज केन्द्र, 5-कोरोगियन पार्क, पूणे | महाराष्ट्र |
| 9. | सोसायटी आफ दी फ्रेंड्स आफ दी सासून हास्पिटल, पूना, मार्फत् मेडिकल सोशल वर्कस विभाग, कमरा नं० 80, सासून जनरल हास्पीटल, पूणे-411001 | तदैव |
| 10. | मिशनरीज आफ चैरटी, 54/ए लोयर सरकूलर रोड, कलकत्ता | पश्चिम बंगाल |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | उत्तर प्रदेश बाल कल्याण परिषद, मोती महल, लखनऊ | उत्तर प्रदेश |
| 12. | जन सहायता संस्थान, (प्रोविडेरियां) पानाजी, तिसवाडी-गोवा | केन्द्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव |
| 13. | महिला सेवा मंडल, 25/20, कावे रोड, पूणे-411004 | महाराष्ट्र |
| 14. | चंडीगढ़ बाल कल्याण परिषद, बाल भवन, सेक्टर-23 बी, चंडीगढ़ | केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ |
| 15. | हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद, मिनि सचिवालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 | हिमाचल प्रदेश |
| 16. | सेंट केथरीनज होम, वीरा देसाई रोड, अन्धेरी, बम्बई-400058 | महाराष्ट्र |
| 17. | पोयोनियर सेंट जोसफ डी कलनी (कलनीबाल गृह) कलनी शिशु इलाम, 8, रोमियन रोलैंडस्ट्रीट, पांडिचेरी-605001 | केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी |
| 18. | श्रद्धानन्द महिला आश्रम, श्रद्धानन्द रोड, मतंगा, बम्बई-400019 | महाराष्ट्र |
| 19. | कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद, "शिशु रक्षा" 135 नन्दी दुर्ग रोड, 3 क्रास जयामहल, बंगलौर-560046 | कर्नाटक |
| 20. | मैसूर राज्य समाज सेवा संस्थान, रोशनी निलाया, फर. मुल्लर रोड, मंगलौर-575002 | कर्नाटक |
| 21. | प्रोविन्सियल कंग्रेगेशन आफ दी सिस्टर आफ सैंट चार्ल्स, 30-31, महात्मा गांधी रोड, बंगलौर-560001 | तदैव |
| 22. | राजगिरी समाज विद्वान कालिज, राजगिरी, डा० कालामासेरी, केरल | केरल |
| 23. | सोसायटी आफ दी होली क्रास कोटियम, ओरिलान, केरल | तदैव |
| 24. | दत्तक ग्रहण की प्रगति के लिए भारतीय एसोसिएशन दिनकर हाऊस, प्रथम मंजिल वीर नारीमन रोड, बम्बई-400023 | महाराष्ट्र |
| 25. | बाल कल्याण और पुनर्वास सोसायटी, 310 रतनागिरी भवन, राजाबाजार, पटना-800014 | बिहार |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | मार थिमोथिस मिमोरियस आरफनेज कलाथोड, नजदीक मनुथी, त्रिचूर-5, केरल | केरल |
| 27. | महाराष्ट्र राज्य महिला परिषद, रस्कुयुहोम (आशा सदन) आशा सदन मार्ग, उमरखदी, बम्बई-400009 | महाराष्ट्र |
| 28. | अन्तर्राष्ट्रीय बाल कल्याण सोसायटी, 53-बो, इलोट रोड, कलकत्ता-700006 | पश्चिम बंगाल |
| 29. | क्वीयन चैरिटेबल ट्रस्ट, 91-एडवेंट, 12-ए जनरल भोसले मार्ग, बम्बई-400021 | महाराष्ट्र |
| 30. | भारतीय प्रयोजन एवं दत्तक ग्रहण सोसायटी, 1-पैलेस कोर्ट, 1-केवाई डी स्ट्रीट, कलकत्ता-700016 | पश्चिम बंगाल |
| 31. | मनोज मंजरी शिशु भवन, पो० आ० क्योंझर गढ़-75'00 , जिला क्योंझर, उड़ीसा | उड़ीसा |
| 32. | भारतीय समाज कल्याण परिषद, 175 दादाभाई नौरोजी रोड, बम्बई-400001 | महाराष्ट्र |
| 33. | भारतीय बाल कल्याण परिषद, तमिलनाडू-ब्लाक -डब्ल्यू-4 अन्ना नगर, मद्रास-6000040 | तमिलनाडू |
| 34. | बच्चों के लिए कल्याण गृह 68 राजा गार्डन, नई दिल्ली | केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली |
| 35. | इन्सटीट्यूट आफ दी फ्रांसीसन क्लेरिस्ट सिस्टर आफ दी मोस्ट बलैस्ड सेकरेमेंट सेंट एन्थैनी कान्वेंट सी-6 सफदरजंग डिवलपमेंट एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-1100016 | केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली |
| 36. | मिशानरीज आफ चैरटीज, निर्मला शिशु भवन, 12, कमीशनर लेन, दिल्ली-110054 | केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली |
| 37. | टेरा दास होमज (इंडिया) सोसायटी, पी-53, सी० आई० टी० रोड, स्कीम-एल-2, कलकत्ता-700014 | पश्चिम बंगाल |
| 38. | डा० (श्रीमती) सीता भटेजा नर्सिंग होम, 90, शाहगनसी- रोड, लैंगफोर्ड गार्डन, बंगलौर-560025 | कर्नाटक |
| 39. | अशराया, 20, लाजर लेआउट, बंगलौर-560025 | —तदैव— |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 40. | होली क्रास समाज सेवा केन्द्र, 34, डा० मुखर्जी नगर (पश्चिम) दिल्ली-110009 | केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली |
| 41. | मा-निकेतन सोसायटी, सेकिंड पोखरन रोड, देवीदयाल केबल के सामने, थाना-400601 | महाराष्ट्र |
| 42. | चिल्ड्रन आफ दी वर्ल्ड (इंडिया) ट्रस्ट, 153 सतनाम अपारटमेंट, कफी परेड, बम्बई-400005 | —तदैव— |
| 43. | विवेकानन्द बाल सदन कम्पटी, सेठ डागा धर्मशाला, रेलवे स्टेशन के सामने, कम्पटी-441001 | महाराष्ट्र |
| 44. | मैत्रु सेवा संघ, समाज कार्य संस्थान, वेस्ट हाई कोर्ट रोड, बजाज नगर, नागपुर-440010 | तदैव |
| 45. | अर्धाश्रम, 491/6, धरपुरे घाट, नासिक | महाराष्ट्र |
| 46. | लेडी स्वागत केन्द्र, पालनपुर, गुजरात | गुजरात |
| 47. | डेस्टीच्यूट चिल्ड्रन आर्क, बेरीस, काटेज, टीन फैक्टरी के पीछे, बी० नारायणपुरा, बंगलौर-560016 | कर्नाटक |
| 48. | श्री मानव सेवा संघ, प्लाट नं० 225/257, सियनरोड, सियन (पश्चिम) बम्बई-400022 | महाराष्ट्र |
| 49. | फाउंडलिंग होम (शिशु भवन) पांडुपुरम पो० ओ० वाया कुरूकुट्टी, जिला ईरनाकुलम, केरल | केरल |
| 50. | श्री काठियावाद निराश्रित बालश्रम, मालवीला रोड, राजकोट, गुजरात | गुजरात |
| 51. | चर्च आफ क्रिस्ट मिशन हास्पिटल एंड बेथैनी आरफनेज थालावेडी पी० ओ० अलापी, केरल | केरल |
| 52. | दि "बैथल गर्ल्ज टाउन" कालूर 47-631, अशोक रोड, कोचीन-17, केरल | केरल |
| 53. | सेंट मेरी आरफनेज, एरेजा, ओलाकेटी-यमबालम, प्रो० ओ० सेवीविकास, जिला एलेपी, केरल | केरल |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 54. | सेंट माइकल होम ओल्ड मद्रास रोड, जीवन बीमा नगर, बंगलौर | कर्नाटक |
| 55. | महीपत्र रूपराम आश्रम, रायपुर गेट के सामने, अहमदाबाद-380022 | गुजरात |
| 56. | खेलघर शिशु निवास एण्ड शिशु केन्द्र, 13/1, पालम एवेन्यू, कलकत्ता-700019 | पश्चिम बंगाल |
| 57. | चाइल्ड फंड एशोसिएशन, नं० 21, सातवीं "ए" मेनरोड, चौथा ब्लाक, पश्चिमी जया नगर, बंगलौर-560011 | कर्नाटक |
| 58. | सोसायटी आफ सिस्टरस आफ चैरटी, सेंट गरेसा कन्वेण्ट, केयर आफ स्टेला मेरी कन्वेन्ट, मलेश्वरम, बंगलौर-560003 | कर्नाटक |
| 59. | सैंट क्रिस्पिंस होम, कार्वे रोड, एरेण्डाबाना, पूर्णे-411004 | महाराष्ट्र |
| 60. | मिशनरीज आफ चैरटी, निर्मला शिशु भवन, चर्च रोड, वाले पारले वेल्ट, बम्बई-400056 | —तदैव— |
| 61. | बाल विकास सोसायटी, मकान नं० 630, कारानजलेम, गोवा-403002 | गोवा, दमन और द्वीप |
| 62. | दिनासेवाना सभा, केथालिक ऐसोसिएशन फार अपलिफ्ट आफ दी पूयर, स्नेह निकेतन सौशल सेण्टर, पट्टबंधन-670145, कन्नानूर जिला | केरल |
| 63. | केरीटस गोवा, पैको पैटरीयलरकल ऐलटींहो, पन्नाजी, गोवा-403001 | गोवा, दमन और दीव |
| 64. | सेंट जोसफ चिल्ड्रन टीम, कुम्भानूर, चरपुंकल पो० आ०, पिन कोर्ड-686584 | केरल |
| 65. | केरल राज्य बाल कल्याण परिषद्, थाईकाड, त्रिवेन्द्रम-695014 | केरल |
| 66. | कन्वेण्ट आफ सेंट मेरी, (सेण्ट जोनस होम फार वूमन एण्ड चिल्ड्रन) पंच होंद, पूना-411012 | महाराष्ट्र |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 67. | होली क्रास होम फार लेडीज केयर ग्राफ, होली क्रास कन्वेण्ट, अमरावती-444602 | महाराष्ट्र |
| 68. | बाल आनन्द वर्ल्ड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट, 19 प्रोस्पेक्ट चैम्बर एनैक्सल, डा० टी० एन० रोड, फोर्ट, बम्बई-400101 | महाराष्ट्र |

### छठी पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि

2676. **श्री दलीप सिंह भूरिया : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को पृथक-पृथक कितनी धनराशि दी है;

(ख) क्या सभी राज्यों ने इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इस धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए संस्वीकृत अनुदान दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

#### विवरण

(लाख रुपयों में)

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 95.71 | 74.20 | 119.75 | 130.72 | 258.86 |
| 2. | असम | 15.34 | 38.36 | 53.34 | 78.02 | 145.85 |
| 3. | बिहार | 37.22 | 26.49 | 135.24 | 190.30 | 241.67 |
| 4. | गुजरात | 85.56 | 38.56 | 72.48 | 164.18 | 194.45 |
| 5. | हरियाणा | 27.05 | 44.09 | 48.79 | 87.35 | 116.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | हिमाचल प्रदेश | — | 5.49 | 9.64 | 16.71 | 21.38 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 4.00 | 22.08 | 17.45 | 26.86 | 47.52 |
| 8. | कर्नाटक | 29.57 | 56.79 | 83.71 | 110.23 | 211.43 |
| 9. | केरल | 7.44 | 14.19 | 13.63 | 35.89 | 60.24 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 18.40 | 75.68 | 142.29 | 278.09 | 369.22 |
| 11. | महाराष्ट्र | 46.42 | 92.27 | 101.60 | 220.83 | 279.63 |
| 12. | मणिपुर | 3.93 | 11.93 | 20.81 | 21.86 | 53.49 |
| 13. | मेघालय | 14.81 | 17.14 | 19.67 | 27.28 | 30.84 |
| 14. | नागालैंड | 8.33 | 10.08 | 12.03 | 22.22 | 24.54 |
| 15. | उड़ीसा | 21.49 | 59.70 | 64.41 | 96.69 | 161.89 |
| 16. | पंजाब | 0.39 | — | 61.88 | 72.91 | 70.47 |
| 17. | राजस्थान | 35.56 | 59.01 | 103.14 | 186.34 | 300.85 |
| 18. | सिक्किम | 3.31 | 9.87 | 4.77 | 13.89 | 25.24 |
| 19. | तमिलनाडू | 60.90 | 62.38 | 98.13 | 173.83 | 261.52 |
| 20. | त्रिपुरा | 11.96 | 5.07 | 15.34 | 17.10 | 32.75 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 19.14 | 117.85 | 205.83 | 325.36 | 504.86 |
| 22. | पश्चिमी बंगाल | 26.16 | 21.35 | 78.32 | 101.11 | 119.82 |
| 23. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1.88 | 1.15 | 2.70 | 2.52 | 6.57 |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 3.25 | 1.50 | 3.72 | 7.88 | 21.87 |
| 25. | चंडीगढ़ | 0.55 | 0.85 | 1.21 | 12.63 | 25.22 |
| 26. | दादरा और नागर हवेली | — | — | — | 3.25 | 9.34 |
| 27. | दिल्ली | 6.79 | 8.45 | 8.25 | 25.76 | 23.34 |
| 28. | गोवा, दमन और द्वीव | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.91 | 10.06 |
| 29. | लक्षद्वीप | 0.65 | 0.85 | 0.70 | 0.47 | 2.05 |
| 30. | मिजोरम | 1.78 | 4.15 | 4.76 | 10.82 | 9.02 |
| 31. | पांडिचेरी | 4.97 | 2.98 | 3.85 | 15.19 | 14.10 |
| | कुल : | 592.00 | 782.90 | 1507.83 | 2477.20 | 3660.67 |

*अस्थायी

**पूराडांगा हाल्ट स्टेशन को पुन: चालू करना**

[अनुवाद]

2677. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में अजीमगंज-फरक्का लाइन पर पूराडांगा हाल्ट स्टेशन को पुन: खोलने के लिए आवश्यक प्राथमिक प्रबन्ध पूरे कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पुन: खोले जाने की सम्भावना है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी हां।

(ख) इन्जीनियरी कार्य पूरे हो चुके हैं। हाल्ट-ठेकेदार की नियुक्ति, स्टेशन नाम के कूटनाम और आवश्यक अधिसूचना के सम्बन्ध में कारंवाई की जा रही है।

(ग) पूराडांगा हाल्ट स्टेशन को 30-4-1985 तक पुन: खोल दिए जाने की सम्भावना है।

**फरक्का बांध प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई भूक्षरण रोधी योजनाएं**

2678. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध प्राधिकरण ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जांगीपुर उपमण्डल में पदमा नदी का कटाव रोकने के लिए आवश्यक कुछ भूक्षरण रोधी योजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का क्या ब्यौरा है; और

(ग) योजनाओं के कार्यान्वयन को तेजी से पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम हैं/उठाने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (ग). गंगा नदी के तट को जांगीपुर एफलक्स बंध की पूरी लम्बाई को स्टोन रिवेटमेंट तथा लांचिंग एप्रेन के द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के लिए, फरक्का बराज परियोजना संगठन ने 16.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक कटाव-रोधी स्कीम तैयार की है। केन्द्रीय जल आयोग में इस स्कीम की तकनीकी जांच की जा रही है तथा इस स्कीम को सातवीं पंचवर्षीय योजना में फरक्का परियोजना के कार्यों में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

**वंशधारा परियोजना चरण-II की संशोधित परियोजना रिपोर्ट**

2679. **श्री वी० सोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 की बाढ़ के अधिक से अधिक पानी को निकालने के लिए वंशधारा परियोजना चरण-II की संशोधित रिपोर्ट वर्ष 1982-83 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी; और

(ग) वह इस सम्बन्ध में उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को बैठक कब बुला रहे हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी हां।

(ख) संशोधित रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना पर 126.14 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है तथा इसकी 43430 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता होगी। आन्ध्र प्रदेश सरकार को अभी इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करनी है। इस प्रकार, यह बता पाना सम्भव नहीं होगा कि इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित करने पर उचित स्थिति में विचार किया जाएगा।

### नौवहन उद्योग में मन्दी

2680. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नौवहन उद्योग में आयी भारी मन्दी के बारे में मालूम है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों के जहाजों के निर्माण और खरीद कार्यक्रम पर कुप्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार वर्तमान मन्दी पर काबू पाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी, हां।

(क) जहाज खरीद कार्यक्रम का निर्णय कम्पनियों द्वारा विभिन्न सम्बन्धित कारणों को मद्दे-नजर रखते हुए किया जाता है। इनमें विश्वव्यापी मंदी सहित नौवहन उद्योग की मौजूदा स्थिति, नौवहन व्यापार के लिए भविष्य की मांग की सम्भावनाएं, पुराने जहाजों की स्क्रैपिंग और विश्व बाजार में जहाज का मौजूदा तथा सम्भावित मूल्य आदि शामिल है।

(ख) विश्वव्यापी मंदी पर सरकार का कोई सीधा नियन्त्रण नहीं है। फिर भी कठिन समय से गुजरने में उद्योग को मदद देने के लिए, सरकार नौवहन कम्पनियों को यथासम्भव अधिकतम वित्तीय सहायता और माल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

### मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता

2681. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितनी है;

(ख) 1983-84 के अन्त तक मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत कितना था और सारे भारत की तुलना में यह प्रतिशत कितना था;

(ग) क्या पूरी सिंचाई क्षमता का निर्माण करने के लिए कोई सार्थक योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो यह लक्ष्य किस वर्ष तक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) भारत सरकार का विचार मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता को ध्यान में रखकर और राज्य में सीमित स्रोतों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) बृहद्, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से मध्य प्रदेश की अन्ततः सिंचाई 10.2 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है।

(ख) 1983-84 तक देश में अन्ततः सिंचाई क्षमता के प्रति सृजित 58 प्रतिशत क्षमता के मुकाबले राज्य में 35 प्रतिशत तक सिंचाई क्षमता सृजित की गई है;

(ग) पूर्ण सिंचाई क्षमता के विकास के लिए कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, मुख्य उद्देश्य शताब्दी के समाप्त होने तक पूरी क्षमता का विकास करना है।

(घ) सिंचाई एक राज्य विषय है, अतः सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त-पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा यह विकास की किसी स्कीम अथवा सेक्टर से जुड़ी नहीं होती है। तथापि, भारत सरकार, निर्माणाधीन परियोजनाओं को पर्याप्त निधियां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराकर उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही है। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को सहायता देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग चुनिंदा परियोजनाओं की मानीटरी करता है जिसमें दुर्लभ सामग्रियों की सप्लाई में बाधाओं तथा कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। राज्य सरकार के लिए ऐसी सामग्रियों के लिए सहायता तथा अन्य तकनीकी सहायता का प्रबन्ध किया जाता है। अतिरिक्त योजनागत सहायता प्राप्त करने में राज्यों को मदद करने के विश्व बैंक, कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि तथा अन्य द्विपक्षीय एजेंसियों जैसी विदेशी ऋणदाता एजेंसियों से क्रैडिट ऋण सहायता के लिए भी केन्द्रीय सरकार प्रबन्ध करती है।

## बंसधारा नदी पर निरावी बांध के बारे में आन्ध्र-उड़ीसा विवाद

2682. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंसधारा नदी पर निरावी बांध के बारे में लिए गए निर्णय के अनुसार उड़ीसा सरकार और आन्ध्र प्रदेश द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया है और तत्संबंधी विचारों से उनके मंत्रालय को अवगत करा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा सर्वेक्षण कब शुरू किया गया और कब तक पूरा हुआ और आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित परियोजना रिपोर्ट कब तैयार की गयी और उड़ीसा सरकार के पास उस पर टिप्पणी के लिए कब भेजी गयी;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इस विवाद को निपटाने के लिए क्या भूमिका निभाई गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ). संयुक्त सर्वेक्षण फरवरी, 1985 में आरम्भ हुए थे और जुलाई, 1984 के आस-पास पूरे हो चुके हैं। चूंकि ये सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण थे, अतः इन सर्वेक्षणों के बारे में विचारों से अवगत कराने का प्रश्न नहीं उठता। उड़ीसा सरकार के परामर्श से संयुक्त सर्वेक्षणों के अनुसार नेरादी बराज के लिए एफलक्स बांध के वास्ते आन्ध्र प्रदेश को अभी प्रस्तावों का ब्यौरा तैयार करना है। केन्द्रीय जल आयोग ने, विवाद में निहित तकनीकी मामलों का पता लगाया, बैंच-मार्क सर्वेक्षण किए, संयुक्त सर्वेक्षण प्रारम्भ किए और अपनाए जाने वाले बाढ़ अभिकल्प सहित एफलक्स बंधों की आयोजना के लिए तकनीकी पैरामीटरों के संबंध में सहमति करवाई।

### मंजूरी के लिए विचाराधीन महाराष्ट्र की पनबिजली परियोजनाएं

2683. श्री हुसैन दलवाई : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की कौन-कौन सी पनबिजली परियोजनाएं स्वीकृति हेतु भारत सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) परियोजनाएं ये हैं, कनहेर, धोम, सूर्य, घाटघरपम्पड स्टोरेज, कोयना चरण-4, वारना, दूधगंगा, मानिकदोह, कोनल और तालम्बा।

(ख) छठी योजनावधि के दौरान स्वीकृत की गई जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| स्कीम | प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट) | अनुमानित लागत (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| पवाना | 10 | 395 |
| भातसा | 15 | 1225 |
| खड़कवासला | 16 | 1429 |
| वैतरना बांध टो | 1.5 | 94 |
| उज्जानी | 12 | 1630 |

### दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को घटिया दर्जे के ग्लूकोज की सप्लाई

2684. श्री राम भगत पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को सप्लाई किया गया ग्लूकोज पानी घटिया दर्जे का पाया गया है और दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के संस्थानों को ग्लूकोज पानी सप्लाई करने वालों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी, नहीं। सप्लायरों के नाम इस प्रकार हैं :

1. डावसन्स फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद।

2. टैबलेट्स इंडिया लिमिटेड, मद्रास।

3. माडनगाउटर फार्मा० लिमिटेड, मद्रास।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**नौवहन उद्योग में यात्री सेवा के लिए तेज गति वाले पोत**

2685. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन उद्योग में यात्री सेवाओं में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु तेज गति वाले पोत चलाने का है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) यात्री सेवाओं में कमी के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :—

(i) सड़क परिवहन और हवाई सेवाओं के साथ कड़ा मुकाबला,

(ii) परिचालन में उच्च लागत और काफी लम्बा यात्रा समय, और

(iii) जलयानों की खरीद में उच्च प्रारम्भिक पूंजीनिवेश।

(ख) सरकार के अधीन इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**महाराष्ट्र में बिजली का उत्पादन**

2686. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में इस समय कुल कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है;

(ख) पन-बिजली संयंत्रों के माध्यम से कितनी यात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) ताप बिजली संयंत्रों के माध्यम से कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है; इसके संयंत्रवार आंकड़े क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) महाराष्ट्र में स्थित विद्युत संयंत्रों का मार्च, 1985 के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन 2459 मिलियन यूनिट था।

(ख) महाराष्ट्र में मार्च, 1985 के दौरान जल विद्युत का उत्पादन 416 मिलियन यूनिट था।

(ग) मार्च, 1985 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों सहित न्यूक्लीय विद्युत केन्द्रों का केन्द्रवार उत्पादन निम्नानुसार है :-

| | | मिलियन यूनिट |
|---|---|---|
| नासिक | ... | 387 |
| कोराडी | ... | 307 |
| खापरखेड़ा | ... | 16 |
| पारस | | 9 |
| भूसावल | ... | 244 |
| पारली | ... | 154 |
| चन्द्रपुर | ... | 59 |
| उरण गैस टर्बाइन | ... | 125 |
| अन्य | ... | 6 |
| ट्राम्बे | ... | 486 |
| चोला | ... | 15 |
| जोड़ (ताप विद्युत) | | 1808 |
| तारापुर (न्यूक्लीयर) | | 234 |

**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा मुख्य भूमि के बीच नौवहन सेवा**

2687. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य भूमि—अंडमान यात्री/माल सेवाएं जहाजों की कमी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अप्रैल, 1985 के महीने में स्कूलों की छुट्टियां शुरू होने पर मुख्य भूमि के लिए यात्रियों की भारी भीड़ होगी; और

(घ) यदि हां, तो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से मुख्य भूमि के लिए पर्याप्त नौवहन सेवा की व्यवस्था करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) और (ख). भारत और उसके द्वीप अंडमान और निकोबार के बीच अभी कुल चार जहाजों अर्थात् एम० वी० अकबर, एम० वी० हर्षवर्धन, एम० वी० अंडमान और टी० एस० एस० नानकौड़ी के द्वारा यात्री

सेवाएं चलायी जाती है। ये सेवाएं इन जहाजों के उपलब्ध होने पर निर्भर करती हैं। मौजूदा यातायात को पूरा करने के लिए ये जहाज पर्याप्त हैं। तथापि, आगामी वर्षों में यात्रियों की संख्या में संभाविद वृद्धि को देखते हुए और एम० बी० अंडमान और टी० एस० एस० नानकौड़ी को बदलने की आवश्यकता को देखते हुए, सरकार द्वारा गठित कार्यदल ने सातवीं योजना अवधि में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में नौवहन सेवाओं की आवश्यकताओं के बारे में पता लगाया है और बढ़ी हुई क्षमता के तीन नये जहाजों को लगाने के बारे में बताया है।

(ग) और (घ). इस अवधि में बढ़ी हुई और मौसमी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय नौवहन निगम कम से कम तीन जहाजों को उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है।

## गुजरात की सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

2688. **श्री नवीन रावणी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बड़ी, मध्यम तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं की संख्या क्या है जिन्हें वर्ष 1985-86 में केन्द्रीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है;

(ख) गुजरात में बड़ी, मध्यम तथा छोटी परियोजनाओं की संख्या कितनी है जो निर्माणाधीन हैं तथा उनके बारे में अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या यह सच है कि उनके निर्माण में विलम्ब हो रहा है; यदि हां तो उसके क्या कारण हैं तथा इन परियोजनाओं का निर्धारित समय-सीमा के अधीन पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद)** : (क) से (ग). सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, उनका वित्त-पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारें करती है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों या ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह किसी विशेष स्कीम या विकास के क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं होती है।

राज्य में 16 बृहद तथा 95 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। लघु सिंचाई स्कीमों के ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं।

लगभग सभी परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ रही हैं। संसाधनों की कमी, निर्माणाधीन परियोजनाओं का अत्यधिक होना, सामग्री की लागत तथा मजदूरी में वृद्धि होना तथा भूमि अधिग्रहण में कठिनाईयां विलम्ब के मुख्य कारण हैं।

भारत सरकार, राज्य सरकारों को अनुरोध करती रही है कि वे निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर निधियां उपलब्ध कराकर उन्हें शीघ्रता से पूरा करें। परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य से केन्द्रीय जल आयोग चुनिंदा परियोजनाओं की मानीटरी करता है जिसके दौरान अड़चनों तथा दुर्लभ सामग्री के सप्लाई में आने वाली बाधाओं का पता लगाया जाता है। ऐसी आपूर्तियां तथा अन्य तकनीकी सहायता राज्य सरकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। केन्द्र सरकार बाह्य ऋणदाता अभिकरणों से क्रेडिट/ऋण सहायता की भी व्यवस्था करती है।

### 201/202 दिल्ली अहमदाबाद मेल में नये प्रथम श्रेणी सवारी डिब्बे लगाया जाना

[हिन्दी]

2689. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 201 अप तथा 202 डाउन दिल्ली-अहमदाबाद मेल में लगाए गए प्रथम श्रेणी सवारी डिब्बे कितने पुराने हैं;

(ख) क्या मेल गाड़ी के प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को इन डिब्बों की खराब हालत के कारण अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो उनके स्थान पर नये डिब्बे कब लगाये जायेंगे?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख). अहमदाबाद-दिल्ली सेवा 4 रेकों द्वारा परिचालित है जिसमें पहले दर्जे और पहले तथा दूसरे दर्जे के मिले-जुले डिब्बों सहित कुल 18 सवारी डिब्बे होते हैं। इन 18 सवारी डिब्बों में से, 9 डिब्बे 6-10 वर्ष की आयु वर्ग, 2 डिब्बे 11-15 वर्ष की आयु वर्ग, 4 डिब्बे 16-20 वर्ष की आयु वर्ग और 3 डिब्बे 21-25 वर्ष की आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें से अधिकांश डिब्बों की हालत सामान्यतः संतोषजनक बतायी जाती है। पुराने सवारी डिब्बों को कार्यक्रम आधार पर अन्दर से पूरी तरह सुधारा जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### तालचेर-सम्बलपुर रेल सम्पर्क

[अनुवाद]

2690. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचेर-सम्बलपुर रेल सम्पर्क के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार का विचार उपर्युक्त रेल सम्पर्क को कब तक पूरा करने का है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख). तालचेर-सम्बलपुर नयी बड़ी लाइन का निर्माण-कार्य 1984-85 के बजट में अनुमोदित किया गया था। सम्बलपुर से मानेश्वर (17.5 कि० मी०) तक और तालचेर से आंगुल (18 कि० मी०) तक के खंडों में कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में उपलब्ध होने वाले संसाधनों पर निर्भर करेगा।

### कलगांव सुपर ताप बिजली घर के लिए सोवियत संघ से सहायता

2691. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सोवियत संघ की मदद से कलगांव में सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा सोवियत संघ ने कितनी सहायता देने की पेशकश की है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) कलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (चरण-1, 4 × 210 मेगावाट) को सोवियत सहायता से स्थापित करने के संबंध में सिद्धान्त रूप में सहमति हो गई है ।

(ख) विचार-विमर्श के पश्चात् औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## बालासोर तथा भुवनेश्वर के बीच एक शटल एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाना

2692. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक ने रेलवे के अन्य अधिकारियों सहित 3 अक्टूबर, 1984 में उड़ीसा के मुख्य मंत्री के साथ एक अनौपचारिक बैठक में दिसम्बर, 1984 से बालासोर से भुवनेश्वर तक एक शटल एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रेलगाड़ी प्रारम्भ कर दी गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रयोक्त तथा उड़ीसा राज्य सरकार तथा स्थानीय संसद सदस्य सरकार से इस रेलगाड़ी को शीघ्र आरम्भ करने का अनुरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और यह रेलगाड़ी कब से चलनी आरम्भ हो जाएगी ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी नहीं । बहरहाल, प्रस्ताव की जांच करने के लिए सहमति हो गयी थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) वाणिज्यिक औचित्य न होने के अलावा, संसाधनों की कमी के कारण बालासौर और भुवनेश्वर के बीच एक शटल एक्सप्रेस चलाना व्यावहारिक नहीं है ।

## बड़े पत्तनों पर "कण्टेनर हैण्डलिंग" सुविधाएं

2693. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न बड़े पत्तनों पर अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्ट विवरण और मानकों के अनुरूप पूर्ण स्तर के "कण्टेनर टर्मिनल"/"कंटेनर हैण्डलिंग" सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन और बम्बई पत्तनों पर उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में कलकत्ता और हल्दिया में "कण्टेनर हैण्डलिंग" की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर "कण्टेनर हैण्डलिंग" की विद्यमान सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :** (क) और (ख). मद्रास पोर्ट में दिसम्बर, 1983 में 3000 टी० ई० यू० तक माल ढोने वाले तीसरी पीढ़ी के कंटेनर जहाजों को हैंडल करने के लिए आवश्यक उपकरण वाले एक पूर्ण कंटेनर टर्मिनल को चालू किया गया।

न्हावा शेवा पत्तन परियोजना में जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है पूर्ण कंटेनर टर्मिनल का प्रावधान है जिसमें तीसरी पीढ़ी के जहाजों को हैंडल करने के लिए तीन कंटेनर बर्थ और सम्बद्ध उपकरण उपलब्ध होंगे।

(ग) और (घ). मद्रास, बम्बई और हल्दिया पत्तनों में निम्नलिखित कंटेनर हैंडलिंग उपकरण उपलब्ध हैं :—

| पत्तन | यार्ड जेन्ट्री क्रेन | की साइड जेन्ट्री क्रेन |
|---|---|---|
| मद्रास | 2 | 2 |
| बम्बई | 3 | 2 |
| हल्दिया | 1 | 1 |

कलकत्ता के लिए कंटेनर हैंडलिंग उपकरण लगाने की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है जिसमें 2 यार्ड जेन्ट्रीक्रेन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और कंटेनर पार्किंग यार्ड शामिल हैं।

कोचीन में कंटेनर हैंडलिंग उपकरण लगाने की दूसरी परियोजना/भी क्रियान्वित की जा रही है जिसमें 2 यार्ड जेन्ट्री क्रेन और उससे सम्बद्ध उपकरण शामिल हैं। विशाखापत्तनम में अभी कंटेनर हैंडल करने के विशेष उपकरण नहीं हैं और अभी ऐसे उपकरण लगाने का भी कोई विचार नहीं है।

## हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

[हिन्दी]

2694. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई;

(ख) इन बैठकों में क्या-क्या संकल्प पारित हुए; और

(ग) इन संकल्पों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :** (क) एक।

(ख) और (ग). 18-1-1984 को सम्पन्न बैठक में रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा पारित कुछ महत्त्वपूर्ण संकल्प/की गयी सिफारिशें तथा उन पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा नीचे

दिया गया है :--

| क्रम सं० | पारित संकल्प/की गयी सिफारिश | की गयी कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अखिल भारतीय रेल राजभाषा सेवा के गठन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। | क्षेत्रीय रेलों पर वर्ग "क" (श्रेण-I) की एक नयी सेवा अर्थात् "भारतीय रेल राजभाषा सेवा" गठित करने के लिए एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) तथा वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। गृह मंत्रालय ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं जिनकी जांच की जा रही है। |
| 2. | तकनीकी रेल विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन की योजना में सेवानिवृत्ति रेल कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए तथा रेलों पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की पुरस्कार राशि की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। | समीक्षा समिति का गठन कर दिया गया है और इस समिति ने 25-3-85 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रोत्साहन योजनाओं में इस समय उपलब्ध प्रोत्साहन राशि के दायरे और उसकी वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। समीक्षा समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। |
| 3. | परिपत्र आदि हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किए जाने चाहिए। हिन्दी अनुवाद बाद में भेजना नियम विरुद्ध है। | धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करने के लिए रेलवे बोर्ड तथा रेलों पर चैक प्वाइंट बनाए गए हैं जिन पर नियमित रूप से कड़ी निगरानी रखी जाती है? केवल अंग्रेजी में तैयार किए गए परिपत्र और सामान्य आदेश हिन्दी अनुवाद संलग्न करने के लिए सम्बन्धित अनुभागों को लौटा दिए जाते हैं।<br>इस बात का भरसक प्रयास किया जाता है कि धारा 3 (3) के अन्तर्गत सभी सामान्य आदेश/परिपत्र आदि हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी हों। |
| 4. | राजभाषा नियमों के अनुपालन के लिए एक संरचनात्मक ढांचा बनाया जाना चाहिए। "रेल राजभाषा" त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन के लिए आवश्यक | राजभाषा के प्रयोग से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय रेलों/अन्य यूनिटों पर हिन्दी कक्ष स्थापित किए गए हैं। नए पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध के कारण संरचनात्मक ढांचे को और सुदृढ़ करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | कर्मचारियों की व्यवस्था करने से सम्बन्धित प्रस्ताव की जांच की जाय। | जिसमें "रेल राजभाषा" त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन से सम्बन्धित प्रस्ताव भी शामिल है, कार्रवाई नहीं की जा सकी है। |
| 5. | गाड़ियों में आरक्षण के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कम्प्यूटर आदि जैसे आधुनिक उपकरणों में द्विभाषिक व्यवस्था करने की कार्रवाई अभी से कर लेनी चाहिए। | राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के साथ परामर्श करके इसकी व्यवहारिकता का पता लगाया जा रहा है। |
| 6. | अन्य सेवाओं में श्रेणी-II से श्रेणी-I में पदोन्नत होने पर अधिकारियों को जो लाभ मिलते हैं, वे लाभ पदोन्नति के समय हिन्दी अधिकारियों को भी मिलने चाहिए ताकि वे हतोत्साह न हों। | जैसा कि ऊपर मद संख्या-1 में बताया गया है, भारतीय रेल राजभाषा सेवा के गठन के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है। इस सेवा के संगठन के पश्चात हिन्दी संवर्ग के अधिकारियों को वे सभी लाभ सुलभ हो सकेंगे जो श्रेणी-I की अन्य संगठित रेल सेवाओं में श्रेणी-II से श्रेणी-I में पदोन्नत होने पर अन्य अधिकारियों को मिलते हैं। |
| 7. | भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए क्योंकि इससे संसद द्वारा पारित संकल्प के उपबन्धों का उल्लंघन होता है। | भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने के प्रश्न पर राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) को ही निर्णय करना है और इस मामले में वह विभाग कार्मिक विभाग से पहले ही परामर्श कर रहा है। |
| 8. | कम से कम 5000 से अधिक पुस्तकों वाले पुस्तकालयों के लिए पूर्णकालिक पुस्तकाध्यक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए। | मार्च, 1985 के अन्त तक नये पदों के सृजन पर प्रतिबंध रहा है। तथापि, इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। |

**मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाना**

2695. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था ताकि छतरपुर, पन्ना, हरपालपुर, सागर, छतरपुर दमोह को रेल लाइन से जोड़ा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब से शुरू किए जाने की सम्भावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**उड़ीसा के बौद्ध केन्द्रों को कलकत्ता से जोड़ने के लिए विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाना**

[अनुवाद]

2696. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल अधिकारियों ने उड़ीसा के दौरान केन्द्रों को कलकत्ता से जोड़ने के लिए विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत भुवनेश्वर को भी जोड़ा जाएगा क्योंकि वहां पर भी अनेक बौद्ध मठ हैं जिन्हें देखने अनेक पर्यटक वहां जाते हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**जनसंख्या के अनुपात में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या**

2697. **श्री अजय विश्वास :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न अस्पतालों में राज्यवार, बिस्तरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) जनसंख्या के अनुपात में इस समय बिस्तरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिस्तरों की संख्या का अनुपात इनकी आवश्यकता की तुलना में काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो अस्पतालों में बिस्तरों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करने हेतु सरकार की कोई दीर्घावधि योजना है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई)** : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ). इस समय अस्पतालों में पलंग-जनसंख्या का अनुपात प्रति हजार संख्या जन के पीछे लगभग 0.69 अस्पताली पलंग है जबकि सामान्यदण्डों के अनुसार प्रति हजार जनसंख्या के पीछे एक पलंग होना चाहिए । वैसे, सरकार इस बात में विश्वास नहीं करती कि अस्पतालों में पलंगों की संख्या बढ़ाने की मात्र से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है । इससे पड़ने वाले वित्तीय भारों के अलावा सरकार यह महसूस कररती है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार और अनुवर्ती संसाधनों के आबंटन में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के जरिए निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए । इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

## विवरण

### स्वामित्व के अनुसार अस्पतालों और पलंगों की मांग

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सरकारी | | स्थानीय निकाय | | निजी एवम् स्वैच्छिक संगठन | | कुल | | प्रति पलंग आबादी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अस्पताल | पलंग | अस्पताल | पलंग | अस्पताल | पलंग | अस्पताल | पलंग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 341 | 24581 | 4 | 46 | 266 | 11103 | 611 | 35730 | 1579 |
| 2. | असम (1-1-83) | 81 | 7559 | — | — | 30 | 2086 | 111 | 9645 | 2164 |
| 3. | बिहार (1-1-81) | 100 | 14078 | 1 | 49 | 125 | 8447 | 226 | 22574 | 2987 |
| 4. | गुजरात | 119 | 13550 | 62 | 4182 | 735 | 16339 | 914 | 34071 | 1062 |
| 5. | हरियाणा | 69 | 4845 | — | — | 18 | 2566 | 87 | 7411 | 1854 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 52 | 3472 | 5 | 58 | 8 | 440 | 65 | 3970 | 1138 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर (1-1-78) | 30 | 3667 | सरकारी अस्पतालों में शामिल | | 5 | 276 | 35 | 3943 | 1324 |
| 8. | कर्नाटक | 161 | 23146 | 29 | 738 | 43 | 6584 | 233 | 30468 | 1293 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | केरल (1-1-79) | 152 | 24875 | सरकारी अस्पतालों में शामिल | | 606 | 18203 | 758 | 43078 | 576 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 276 | 17099 | + | + | + | + | 276 | 17099 | 3229 |
| 11. | महाराष्ट्र | 222 | 37369 | 183 | 13556 | 869 | 30807 | 1274 | 81732 | 811 |
| 12. | मणिपुर | 18 | 1201 | — | — | 3 | 65 | 21 | 1266 | 1203 |
| 13. | मेघालय | 7 | 1389 | — | — | 4 | 616 | 11 | 2005 | 717 |
| 14. | नागालैंड | 33 | 1080 | — | — | 2 | 32 | 35 | 1112 | 758 |
| 15. | उड़ीसा (1-1-83) | 272 | 10013 | 3 | 98 | 32 | 1471 | 307 | 11582 | 2337 |
| 16. | पंजाब | 217 | 11311 | 4 | 103 | 35 | 2013 | 256 | 14327 | 1236 |
| 17. | राजस्थान | 190 | 16010 | 2 | 54 | 38 | 2034 | 230 | 18098 | 2027 |
| 18. | सिक्किम | 5 | 477 | — | — | — | — | 5 | 477 | 730 |
| 19. | तमिलनाडु (1-1-82) | 307 | 31574 | 8 | 479 | 61 | 8562 | 376 | 40615 | 1181 |
| 20. | त्रिपुरा | 16 | 1235 | — | — | — | — | 16 | 1235 | 1772 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 522 | 33336 | 41 | 1014 | 152 | 11803 | 715 | 46153 | 2541 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 259 | 43223 | 21 | 567 | 124 | 6372 | 404 | 50162 | 1146 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 11 | 687 | — | — | — | — | 11 | 687 | 306 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 18 | 656 | — | — | 4 | 332 | 22 | 1008 | 661 |
| 25. | चंडीगढ़ (1-1-83) | 1 | 370 | — | — | 1 | 750 | 2 | 1120 | 441 |
| 26. | दादर और नागर हवेली | 1 | 50 | — | — | — | — | 1 | 50 | 2300 |
| 27. | दिल्ली | 21 | 6749 | 22 | 3413 | 23 | 4342 | 66 | 14504 | 471 |
| 28. | गोवा, दमन और द्वीव | 20 | 2211 | — | — | 69 | 1146 | 89 | 3357 | 344 |
| 29. | लक्षद्वीप | 2 | 50 | — | — | — | — | 2 | 50 | 860 |
| 30. | मिजोरम | 9 | 643 | — | — | 3 | 210 | 12 | 853 | 619 |
| 31. | पांडिचेरी | 8 | 2103 | — | — | 2 | 143 | 10 | 2246 | 284 |
| | योग : | 3540 | 338609 | 385 | 24357 | 3256 | 137662 | 7181 | 500628 | 1447 |

नोट— + उपलब्ध नहीं

— शून्य

**डाक्टर जनसंख्या अनुपात**

2698. **श्री अजय विश्वास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार कुल कितने डाक्टर हैं;

(ख) इस समय डाक्टर-जनसंख्या का अनुपात क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक्टर-जनसंख्या अनुपात अपेक्षित अनुपात से बहुत कम है; और

(घ) वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें 1983 में संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या और उन्होंने औसतन कितने लोगों की सेवाएं प्रदान की, विवरण में दिखाया गया है ।

(ग) जी हां ।

(ग) नगरीय और देहाती इलाकों में अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ जाने से लोगों को डाक्टरों तथा चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता में काफी सुधार होने की सम्भावना है ।

**विवरण**

**विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में डाक्टरों की संख्या तथा उन्होंने औसतन जितने लोगों को सेवाएं प्रदान की, उनकी संख्या-1983**

| क्रम सं० | राज्य/संघ क्षेत्रों का नाम | कार्यरत डाक्टर सरकारी एजेंसियों में | कार्यरत डाक्टर गैर-सरकारी एजेंसियों में | | योग्य डाक्टर जनसंख्या अनुपात | जिस अवधि की सूचना |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 4289 | + | 4289 | 1:13151 | 31-12-83 |
| 2. | असम | 1518 | + | 1518 | 1:11879 | 1-1-79 |
| 3. | बिहार | | | 13438× | 1:4746 | 1-1-78 |
| 4. | गुजरात | 2057 | 4415 | 6472 | 1:5592 | 31-12-83 |
| 5. | हरियाणा | 1044 | 3756 | 4800 | 1:2862 | 30-6-83 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 535 | + | 535 | 1:7514 | 1-1-79 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 800 | + | 800 | 1:6996 | 1-1-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | कर्नाटक | | | 32462× | 1:1753 | 31-12-83 |
| 9. | केरल | 3956 | + | 3956× | 1:6735 | 31-12-83 |
| 10. | मध्यप्रदेश | + | + | 13125 | 1:4206 | 30-6-82 |
| 11. | महाराष्ट्र | | | 34103× | 1:1945 | 31-12-83 |
| 12. | मणिपुर | 516 | 12 | 528 | 1:2884 | 31-12-83 |
| 13. | मेघालय | 226 | + | 226 | 1:6363 | 31-12-83 |
| 14. | नागालैण्ड | 177 | 30 | 207 | 1:4072 | 31-12-83 |
| 15. | उड़ीसा | 2682 | + | 2682 | 1:9377 | 1-1-78 |
| 16. | पंजाब | 3286 | + | 3286 | 1:5389 | 31-12-83 |
| 17. | राजस्थान | 3236 | + | 3236 | 1:11334 | 31-12-83 |
| 18. | सिक्किम | 75 | 3 | 78 | 1:3115 | 1-4-79 |
| 19. | तमिलनाडु | 6463 | + | 6463 | 1:7677 | 31-12-82 |
| 20. | त्रिपुरा | 446 | + | 446 | 1:4908 | 31-12-83 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 7243 | + | 7243 | 1:15880 | 31-12-82 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | + | + | 26367 | 1:2181 | 31-12-83 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 66 | + | 65 | 1:3231 | 31-12-83 |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 221 | + | 221 | 1:2841 | 31-12-81 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 344 | + | 344 | 1:1512 | 31-12-83 |
| 26. | दादर और नगर हवेली | 18 | 5 | 23 | 1:5000 | 31-12-83 |
| 27. | दिल्ली | + | + | + | | |
| 28. | गोवा, दमन एवं दीव | 528 | 707 | 1235 | 1:935 | 31-12-83 |
| 29. | लक्ष दीप | 19 | 1 | 20 | 1:2150 | 31-12-83 |
| 30. | मिजोरम | 97 | 9 | 106 | 1:5981 | 31-12-83 |
| 31. | पाण्डिचेरी | 519 | + | 519 | 1:1229 | 31-12-83 |

नोट : × = डाक्टरों की पंजीकृत संख्या

+ = अनुपलब्ध

अनुपात अपूर्ण आंकड़ों के कारण (अखिल भारतीय) नहीं निकाला गया है।

**कालीकट में फ्रांसिस रोड पर रेलवे फाटक पर उपरिपुल का निर्माण**

2699. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट में फ्रांसिस रोड पर कि० मी० 664/1-2 पर वर्तमान रेल फाटक के स्थान पर एक उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) से (ग). जी हां। कालीकट में फ्रांसिस रोड पर वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य 1984-85 के रेलवे बजट में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

**वाल्टेयर और अहमदाबाद के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना**

2700. **श्री एन० बी० रत्नम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान के बहुत से लोग तमिलनाडु और कर्नाटक के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश में रहते हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु और कर्नाटक से अहमदाबाद तक के लिये सीधी रेलगाड़ियां हैं परन्तु आन्ध्र प्रदेश से अहमदाबाद तक के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है;

(ग) क्या सरकार को वाल्टेयर और अहमदाबाद के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने के लिए जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक उनका निवेदन स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख). जी हां। तमिलनाडु और कर्नाटक से अहमदाबाद के लिए सीधी गाड़ियां हैं। बहरहाल दो जोड़ी गाड़ियां अर्थात 145/146 नवजीवन एक्सप्रेस और 903/904 तिरुवनन्तपुरम-अहमदाबाद एक्सप्रेस अहमदाबाद से आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करती हैं।

(ग) और (घ). जी हां। इन दो स्टेशनों के बीच एक पूरी गाड़ी चलाना न तो वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न ही परिचालनिक रूप से व्यावहारिक।

**तेलुगू गंगा परियोजना**

2701. **श्री एन० बी० रत्नम** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने तेलुगू गंगा परियोजना की स्वीकृति के लिए 1983 में केन्द्रीय जल आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश की थी;

(ख) क्या उसने पारिस्थितिकी/पर्यावरण सम्बन्धी प्रभावों के सम्बन्ध में भी 1984 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने गैर-वन क्षेत्रों से जुड़े कार्यों पर पहले ही भारी धनराशि खर्च कर दी है;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या केन्द्रीय जल आयोग को इस परियोजना से सम्बद्ध तमिलनाडु राज्य की पेय जल समस्या की जानकारी है और क्या इस परियोजना को यथाशीघ्र स्वीकृति दी जायेगी ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार 637 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के मुकाबले मार्च, 1985 तक परियोजना पर लगभग कुल 68 करोड़ रुपए व्यय होने की प्रत्याशा है । इसमें 35 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है जो वनेत्तर पहुंच पर किया गया बताया गया है ।

(घ) और (ङ). परियोजना में श्री सैलम जलाशय से मद्रास शहर जल सप्लाई के लिए 15 टी० एम० सी० कृष्णा जल की सप्लाई तथा आन्ध्र प्रदेश के सिंचाई के मार्ग की परिकल्पना की गई है । वर्ष 1984 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार को परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियां भेजी थी । किन्तु परियोजना की स्वीकृति पर विचार करने के लिए राज्य सरकार से पूरे स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए हैं ।

### आंध्र प्रदेश की प्रियदर्शिनी-जूरल के लिए केन्द्र की स्वीकृति

2702. **श्री एन० बी० रत्नम** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने प्रियदर्शिनी-जूरल परियोजना के बारे में वर्ष 1980 में केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार भी इसके लिए सहमत हो गई थी और दोनों राज्यों ने 4 अगस्त, 1978 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ग) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार इस परियोजना के प्रारंभिक ढाचों पर पहले ही 9.43 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं जब कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण राज्य सरकार पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1980 में 76.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की जुराला सिंचाई परियोजना प्रस्तुत की थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के पांचवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के प्रारूप के अनुसार, मार्च, 1985 के अंत तक इस परियोजना पर 15.60 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर 1980-81 में मांगे गए स्पष्टीकरण अभी तक राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

**ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों के निर्माण के लिए सहकारी अथवा धर्मार्थ संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

2704. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी या धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी संस्थाओं द्वारा लाभ उठाया गया और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

**विवरण**

**भुगतान किए गए सहायता अनुदान की कुल रकम और संस्थाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा**

| क्र० सं० | संस्थान का नाम | वर्ष | राशि (रुपए) | उद्देश्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **आन्ध्र प्रदेश** | | | | |
| 1. | श्री एम० बी० एम० मेडिकल ट्रस्ट, | 1975-76 | 4,56,000 | निर्माण कार्य |
| | टनाकु | 1976-77 | 47,330 | निर्माण कार्य |
| | | 1977-78 | 3,27,617 | उपकरण |
| | | 1978-79 | 3,28,343 | उपकरण |
| 2. | विश्व हिन्दु परिषद चिकित्सालय | 1979-80 | 46,666 | निर्माण कार्य |
| | कोकीरोनी, हुजूर नगर | 1979-80 | 46,666 | निर्माण कार्य |
| | | योग : | 12,52,622 | |
| **गुजरात** | | | | |
| 1. | श्री वगाद वेल्फेयर सोसायटी, बचाऊ, | 1979-80 | 2,48,466 | निर्माण कार्य |
| | कच्छ | 1982-83 | 2,48,267 | निर्माण कार्य |
| 2. | जैसलपुर आरोग्य मंडल, जैसलपुर | 1975-76 | 44,300 | निर्माण कार्य |
| | | 1978-79 | 32,386 | निर्माण कार्य |
| | | 1980-81 | 7,995 | उपकरण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | श्री सर्वोदय आरोग्य मण्डल, जिला गांधी नगर | 1983-84 | 1,68,044 | निर्माण कार्य |
| 4. | काका-बा और कलाबुद्ध पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद | 1982-83 | 5,00,000 | निर्माण कार्य |
| 5. | ज्ञान मण्डल लक्ष्मीपुरा आरोग्य मण्डल, लक्ष्मीपुरा | 1984-85 | 5,00,000 | निर्माण कार्य |
| 6. | तख्तगढ़ आरोग्य मण्डल जिला सबरकान्ता | 1984-85 | 5,00,000 | निर्माण कार्य |
| | | योग : | 22,49,458 | |
| हरियाणा | | | | |
| 1. | डी० ए० वी० कालेज और प्रबन्ध समिति, नई दिल्ली | 1982-83 | 4,90,900 | निर्माण कार्य |
| 2. | उद्यम सिंह जैन धमार्थ ट्रस्ट, दिल्ली | 1984-85 | 6,00,000 | निर्माण कार्य |
| | | योग : | 10,90,900 | |
| कर्नाटक | | | | |
| 1. | रामनगरम रोटरी ट्रस्ट, रामनगरम | 1983-84 | 5,00,000 | निर्माण कार्य |
| 2. | श्री 108, आचार्य रत्न देश भूषण दिगम्बर जैन शान्ति गिरि ट्रस्ट, वेलगाम | 1984-85 | 6,00,000 | निर्माण कार्य |
| | | योग : | 11,00,000 | |
| महाराष्ट्र | | | | |
| 1. | राजमाता जीजो प्रतिष्ठान, बम्बई | 1977-78 | 1,04,000 | उपकरण |
| | | 1978-79 | 4,248 | उपकरण |
| | | 1977-78 | 1,04,000 | उपकरण |
| | | 1978-79 | 4,248 | उपकरण |
| 2. | के० ई० एम० अस्पताल, पूना | 1977-78 | 1,05,150 | निर्माण कार्य |
| | | 1979-80 | 1,59,047 | निर्माण कार्य |
| | | 1982-83 | 1,06,820.65 | उपकरण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | प्रेवरा मेडिकल ट्रस्ट, जिला अहमदाबाद | 1978-79 | 4,98,266 | निर्माण कार्य |
| | | 1979-80 | 4,98,265 | निर्माण कार्य |
| | | 1980-81 | 4,93,319 | निर्माण कार्य और उपकरण |
| 4. | हस्तीमल सानोवेटी मेमोरियल ट्रस्ट, पूना | 1978-79 | 3,95,500 | निर्माण कार्य |
| | | 1979-80 | 11,42,161 | निर्माण और उपकरण |
| | | 1981-82 | 4,23,621 | निर्माण और उपकरण |
| 5. | अश्विनी ग्रामीण कैंसर अनुसंधान एवं सहायता समिति, बार्सी | 1984-85 | 5,00,000 | निर्माण कार्य |
| 6. | रोहा अष्टमी रेजिडेंट्स एसोसिएशन, रोहा, कोलावा | 1978-80 | 3,75,000 | निर्माण कार्य |
| | | 1982-83 | 1,25,000 | उपकरण |
| 7. | विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसायटी, अमरावती (कैम्प) | 1983-84 | 5,00,000 | निर्माण कार्य |
| | | योग : | 55,38,649.65 | |
| **पंजाब** | | | | |
| 1. | भारतीय रेड क्रास सोसायटी, पंजाब राज्य शाखा, चण्डीगढ़ | 1978-79 | 1,68,311 | निर्माण कार्य और उपकरण |
| | | 1981-82 | 1,68,311 | निर्माण कार्य और उपकरण |
| 2. | भारतीय रेड क्रास सोसायटी, जिला शाखा, फरीदकोट | 1978-79 | 1,76,644.50 | तदैव |
| | | 1981-82 | 1,78,644.11 | तदैव |
| 3. | भारतीय रेड क्रास सोसायटी, जिला शाखा, पटियाला | 1978-79 | 3,53,289.00 | तदैव |
| | | 1979-80 | 7,06,678.00 | तदैव |
| | | 1981-82 | 3,53,289.00 | तदैव |
| 4. | भारतीय रेड क्रास सोसायटी, जिला शाखा, होशियारपुर | 1979-80 | 1,68,311.50 | निर्माण कार्य और उपकरण |
| | | 1981-82 | 1,63,311.50 | तदैव |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 5. भारतीय रेडक्रास सोसायटी जिला शाखा, जलन्धर | 1979-80 | 5,98,309.00 | तदैव |
| | | 1982-83 | 5,98,309.00 | तदैव |
| | | योग : | 36,31,307.61 | |
| राजस्थान | | | | |
| | 1. वनस्थली विद्यापीठ, जिला टोक | 1977-78 | 96,479 | निर्माण कार्य और उपकरण |
| | | 1979-80 | 96,479 | तदैव |
| | | 1980-81 | 96,479 | तदैव |
| | | योग : | 2,89,437 | |
| उत्तर प्रदेश | | | | |
| | 1. श्री जयकरण शर्मा धर्मार्थ ट्रस्ट, | 1977-78 | 1,57,500 | तदैव |
| | | 1983-84 | 1,57,500 | तदैव |
| | 2. रचना चक्र फाऊंडेशन, इब्राहिम पट्टी बलिया | 1978-79 | 2,65,000 | तदैव |
| | | योग : | 5,80,000 | |

**"इंटरनेशनल का कार्डियोलाजी" के बारे में सम्मेलन और प्रदर्शन कार्यशाला**

2705. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्टरनेशनल कार्डियोलाजी" के बारे में हाल ही में नई दिल्ली में एक सम्मेलन और प्रदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) इस सम्मेलन में अन्वेषित नई तकनीकों का ब्यौरा क्या है और इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग). कार्डियालाजिकल सोसाइटी आफ इंडिया की सतत चिकित्सा शिक्षा की उत्तर क्षेत्रीय परिषद के तत्वावधान में नई दिल्ली में 1 से 3 अप्रैल, 1985 तक इंटरनेशनल कार्डियालॉजी पर एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बहुत से लेखों पर विचार विमर्श हुआ। इसमें राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय कार्डियोलाजिस्टों और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंगलैंड और आस्ट्रेलिया के कार्डियो-वास्कुलर सर्जनों

ने भाग लिया। आशा है कि कार्डियालॉजी और कार्डियो-वास्कुलर सर्जरी के क्षेत्र में यह सम्मेलन भारत में इस विशेषज्ञता के विकास में सहायक होगा।

## सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा संबंधी उपायों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशें

2706. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, 2000 ईसवी तक सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सहायता करने हेतु अपने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम में नर्सों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपने तथा विकासशील देशों को यथा संभव न्यूनतम कीमत पर आवश्यक दवाएं सप्लाई करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) जेनेवा में कार्यकारी बोर्ड के 75वें सत्र में हुए विचार-विमर्श का अन्य ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख). अनिवार्य औषधियों और वैक्सीनों से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यक्रम का लक्ष्य सभी व्यक्तियों को स्वीकार्य कोटि की सुरक्षित और प्रभावकारी दवाइयां यथासंभव कम से कम कीमत पर नियमित रूप से उपलब्ध करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के जनवरी, 1985 में जेनेवा में हुए 75वें अधिवेशन में विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के संदर्भ में नर्सों की शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट पर चर्चा की गई है। चर्चा के दौरान, सदस्य राष्ट्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों में नर्सों का अधिक से अधिक योगदान प्राप्त करने के संबंध में विचार व्यक्त किए गए।

उक्त अधिवेशन में जिन अन्य मुद्दों पर विचार किया गया उनमें स्वास्थ्य और विकास में खाद्य सुरक्षा की भूमिका, लसीका-फाइलेरिया भेषजीय योगों के विनिर्देशनों, उल्लेखनीय क्षेत्रीय विकास के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशकों की रिपोर्टों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास के लिए प्रबंध प्रक्रिया, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर आधारित स्वास्थ्य पद्धतियों का आयोजन, अनुसंधान संवर्धन और विकास, औषध और वैक्सीन की कोटि, सुरक्षा और प्रभावकारिता, रोगों का निवारण तथा नियंत्रण (जिनमें कुष्ठरोग, क्षयरोग, नियंत्रण, दृष्टिहीनता, यौन संचारित रोग, कैंसर; अतिसार रोग, मलेरिया, हृदय वाहिका के रोग आदि शामिल हैं), 2000 ईसवी तक सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की विश्वभर के लिए कार्यनीति, विश्व स्वास्थ्य संगठन में अन्तर्राष्ट्रीय स्टाफ की भरती, गैर-सरकारी संगठनों तथा महिलाओं के साथ सहयोग, स्वास्थ्य और विकास, शामिल हैं।

## रेबीज रोधी टीके

2707. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जल संत्रास (हाइड्रोफोबिया) के कारण मृत्युदर के प्रतिशत को कम करने के लिए अच्छी किस्म के रेबीज रोधी टीकों का तत्काल उत्पादन करने की आवश्यकता है; और

(ख) रेबीज के मरीज के इलाज हेतु सस्ते और प्रभावी टीकों के विकास के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख). भारतीय पास्च्यूर संस्थान, कुन्नूर तथा कुछ अन्य संस्थाओं में तैयार की जा रही बी० पी० एल० इनएक्टिवेटिड अलर्क-रोधी वैक्सीन बहुत ही प्रभावकारी है और इसके द्वारा इलाज के असफल रहने की संभावना नगण्य है। वैक्सीन का उत्पादन कर रहे अन्य केन्द्र भी धीरे-धीरे वैक्सीन के उत्पादन की इस किस्म को अपना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुद्ध टिशु कल्चर रेबीज वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किए जाने की संभावना है।

**केन्द्रीय जल आयोग के उड़ीसा में काम कर रहे कर्मचारी**

2708. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग के उड़ीसा में स्थित तीन डिवीजनों में कुल कितने कार्य प्रभारित कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) अब तक कितने कार्य प्रभारित कर्मचारियों को स्थायी और अर्ध-स्थायी घोषित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) 340।

(ख) और (ग). उड़ीसा में केन्द्रीय जल आयोग के तीन में से दो डिवीजनों के अधीन 47 पदों को स्थायी बना दिया गया है। तीसरे डिवीजन नामत: केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान डिवीजन, बुरला, ने 5-9-1983 को ही कार्य करना आरम्भ किया था और उनमें 104 कार्य प्रभारित कर्मचारी हैं। इसलिए बुरला डिवीजन के लिए संस्वीकृत कार्य प्रभारित कर्मचारियों के पद फिलहाल स्थाई पदों में परिवर्तित किए जाने के वास्ते सक्षम नहीं है। उड़ीसा में केन्द्रीय जल आयोग के दो डिवीजनों में 47 स्थाई पदों के प्रति कार्यप्रभारित कर्मचारियों को स्थाई घोषित किया जा चुका है। कुछेक कागजात उपलब्ध न होने के कारण शेष 39 पदों के प्रति स्थायीकरण के प्रस्तावों पर अब तक विचार नहीं किया जा सका। इस संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र ही की जा रही है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पैटर्न पर कार्य-प्रभारित स्टाफ को अर्ध-स्थायी घोषित करना बन्द कर दिया गया है क्योंकि अस्थाई कार्यप्रभारित स्टाफ के लिए परिवर्तित लाभ अधिकारों को देखते हुए इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता।

**श्री हरिकोटा और नेल्लौर (आंध्र प्रदेश) में केन्द्रीय विद्यालय**

2709. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा और नेल्लौर कस्बे में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख). कुछ समय पूर्व अन्तरिक्ष विभाग से इस आशय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि उनके चलाए जा रहे अन्तरिक्ष सेण्ट्रल स्कूल, श्री हरिकोटा को अधिकार में लेकर उसको केन्द्रीय विभाग संगठन द्वारा एक केन्द्रीय विद्यालय के रूप में चलाया जाए। इस प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया था किन्तु प्रशासनिक आधार पर संभव नहीं हो सका।

नेल्लौर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन को किसी भी समुचित प्रायोजक प्राधिकरण से निर्धारित मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है।

**अजमेर और मैरटा के बीच रेल लाइन**

2710. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अजमेर और मैरटा के बीच, नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह रेल लाइन बिछाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस रेल लाइन के कब तक बिछाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) से (ङ). पुष्कर के रास्ते अजमेर से मेड़ता रोड तक नई लाइन के लिए टोह इंजीनियरी सर्वेक्षण शुरू किया गया है और यह प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा होने और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच करने के बाद परियोजना के संबंध में निर्णय लिया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो तथा योजना आयोग इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे।

**अजमेर-इन्दौर मार्ग को राजमार्ग घोषित करना**

[हिन्दी]

2711. **श्री विष्णु मोदी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अजमेर-इन्दौर मार्ग को राजमार्ग घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का, इस राजमार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा करने का विचार है; और

(ग) उक्त राजमार्ग के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**दिल्ली अहमदाबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलना**

2712. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-अहमदाबाद छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस लाइन का पहले कोई सर्वेक्षण करवाया था;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि इस बीच कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) योजना आयोग द्वारा दिल्ली-अहमदाबाद आमान-परिवर्तन परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने और इसके लिए धन की व्यवस्था हो जाने के बाद इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

(ख) से (ङ). 1973-74 में इस परियोजना के लिए किए गए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण से पता चला है कि इस प्रस्तावित लाइन की लम्बाई लगभग 925 कि०मी० होगी। इस आमान परिवर्तन की वर्तमान लागत लगभग 300 करोड़ रुपए होगी। इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि संसाधनों की बेहद तंगी के कारण योजना आयोग द्वारा इस परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

**कोटा रेलवे स्टेशन पर आरक्षण का समय निश्चित करना**

**[अनुवाद]**

2713. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्य स्टेशनों के आरक्षण के समय के अनुसार कोटा रेलवे स्टेशन पर आरक्षण का समय निश्चित करने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या कोटा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को आरक्षण के बारे में टेलीफोन पर पूछताछ करने की सुविधा देने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख). कोटा रेलवे स्टेशन पर आरक्षण का समय 0900 बजे से 1400 बजे और 1430 बजे से 1630 बजे तक है जो इस स्टेशन पर आरक्षण के कार्यभार को सम्हालने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) से (ङ). आरक्षण के बारे में टेलीफोन पर पूछताछ करने की सुविधा पहले दर्जे के यात्रियों के लिए पहले से ही उपलब्ध है। दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए इस सुविधा की व्यवस्था यथा समय कर दी जायेगी।

## डकनिया तालाब को नगर (सिटी) स्टेशन बनाने की मांग

[हिन्दी]

2714. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोटा के स्थानीय निवासियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें नगर के निरन्तर विस्तार को देखते हुए डकनिया तालाब को नगर (सिटी) स्टेशन बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख). जी हां। डाकिया तालाब में 19 डाउन/20 अप देहरादून/एक्सप्रेस और 23 डाउन/24 अप जनता एक्सप्रेस को ठहराने, प्लेटफार्म को ऊंचा करने, माल गोदाम सुविधाएं, प्रतीक्षालय आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय जनता से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन मांगों की जांच की गई है। डाकिया तालाब पहले से हीं एक "बी" श्रेणी स्टेशन है जो स्थानीय यात्री, पार्सल और सामान यातायात के लिए खुला है। इंजीनियरी और वित्तीय दृष्टिकोण से माल गोदाम की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है। बहुत कम यात्री यातायात के कारण प्लेटफार्म को ऊंचा करने का औचित्य नहीं है।

यात्री यातायात के वर्तमान स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रतीक्षालय पर्याप्त है। अतिरिक्त गाड़ियों को ठहराने और अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए बहुत अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रस्ताव चरणबद्ध आधार पर बनाए जाते हैं बशर्ते धन उपलब्ध हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## मध्य प्रदेश में रेलवे डिवीजन

[अनुवाद]

2715. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने रेलवे डिवीजन बनाए गए हैं;

(ख) उन डिवीजनों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के लिए कुछ और रेलवे डिवीजन बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में तीन मंडल अर्थात् जबलपुर, बिलासपुर और रतलाम स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले क्षेत्र जबलपुर मंडल द्वारा सेवित किये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा बिलासपुर

मंडल द्वारा सेवित किए जा रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश रतलाम मंडल द्वारा सेवित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). जी हां। भोपाल में एक मंडल मुख्यालय पहले ही स्वीकृत कर दिया गया था और इसकी स्थापना से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर है। अभी तक मंडल कार्यालय काम्प्लेक्स, आवासीय क्वार्टरों आदि जैसी आवश्यक अवसंरचना के निर्माण पर 62.85 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। मंडल शीघ्र स्थापित करने के लिए 1985-86 के बजट में 15.18 लाख रुपए की राशि आबंटित की गयी है।

**मध्य प्रदेश के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय योजनाएं**

2716. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में शिक्षा के विकास पर अधिक बल दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में कौन-कौन सी केन्द्रीय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ग) छठी योजना के दौरान उक्त आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में उक्त योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध की गई शैक्षणिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ग). जी हां। केन्द्रीय क्षेत्र के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक जन-जातीय उप-योजना है। जहां राज्य क्षेत्र का संबंध है, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों द्वारा मुख्य रूप से बसे हुए क्षेत्रों में शिक्षा के सभी केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें। मध्य प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों में संचालित शिक्षा मंत्रालय की छठी योजना की केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के ब्यौरे संलग्न हैं।

**विवरण**

| क्रम संख्या | योजना का नाम | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | गैर-औपचारिक शिक्षा | इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य सहित शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार में मुख्य दबाव को पूरा करने के लिए 50 : 50 की भागीदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजातियों के कम से कम 20 प्रतिशत नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस योजना का उद्देश्य गैर-नामांकित अथवा 9-14 आयु वर्ग में औपचारिक पद्धति से पढ़ाई |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | बीच में ही छोड़ जाने वालों को शिक्षा प्रदान करना है। |
| 2. | लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक केन्द्र | इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा प्रणाली में लड़कियों को शामिल करने में सुधार लाने के लिए मध्य प्रदेश सहित शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों को 90 : 10 हिस्से के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। |
| 3. | अध्यापिकाओं की नियुक्ति | इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को 80 : 20 की भागीदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। |
| 4. | शिशु-शिक्षा | ये केन्द्र ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में प्रथम पीढ़ी अध्ययन करने वाले परिवारों के 3-6 आयु-वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शिशु-केन्द्र भी उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि लड़कियां ऐसे केन्द्रों की देख-रेख में अपने भाई अथवा बहनों को छोड़कर स्कूलों में जा सकें। |
| 5. | शैक्षिक प्रोद्योगिकी कार्यक्रम | इस योजना का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना तथा रेडियो और दूरदर्शन सहित सभी शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के समेकित प्रयोग के जरिए व्यापक शिक्षा प्राप्त करना है। |
| 6. | विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा | यह योजना उन विकलांग बच्चों, जिन्हें विशिष्ट संस्थागत देख-रेख और पुनर्वास की आवश्यकता है, को गैर-औपचारिक स्कूल प्रणाली में शिक्षा प्रदान करती है। |
| 7. | ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं | प्रौढ़ शिक्षा के लिए केन्द्रीय प्रायोजित यह एक प्रमुख योजना है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय-सहायता प्रदान की जाती है। परिव्यय का 15 प्रतिशत जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत निर्धारित किया जाता है। |
| 8. | उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती | प्रौढ़ शिक्षा का यह दूसरा स्तर है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि नव साक्षर पुनः निरक्षर न बन जायें। |
| 9. | ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां | इस योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों के संभावी प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा VIII से कक्षा XII तक के छात्रों को छात्र-वृत्तियां प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक जनजातीय |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | विकास खंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 छात्रवृत्तियां आरक्षित की जाती हैं। |
| 10. | राष्ट्रीय छात्रवृत्ति | इस योजना का उद्देश्य उत्कृष्ठ छात्रों के शैक्षिक व्ययों को पूरा करना है ताकि वे उच्च शिक्षा को जारी रख सकें। यह उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है। छात्रवृत्ति की औसत वार्षिक लागत 1250/- रु० प्रति छात्र है। प्रत्येक वर्ष लगभग 25,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। |
| 11. | संस्कृत शिक्षा की प्रोन्नति | संस्कृत शिक्षा की प्रोन्नति के लिए राज्य सरकारों को अनुदान तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय-सहायता दी जाती है। |
| 12. | उभरती हुई प्रौद्योगिक के क्षेत्रों में आधार ढांचों का सृजन | इस योजना के अंतर्गत देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण नई उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का पता लगाया जाता है। |
| 13. | कमजोर-क्षेत्र | इस योजना में उन अन्तरालों, जिसका तकनीकी शिक्षा के विकास में पहले ही पता लगाया जा चुका है, पर ध्यान दिया जाता है। |
| 14. | इंजीनियरी प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण | इस योजना के अन्तर्गत, उन उपकरणों, जिनमें अधिक शैक्षणिक क्षमता है, के अनुरूप तथा बहुमुखी प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए सहायता दी जाती है। |

## त्रिवेन्द्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना

2717. **श्री टी० बशीर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी हां।

(ख) त्रिवेन्द्रम में आयुर्वेदिक शिक्षा का एक स्नातकोत्तर केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

## केरल में बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाएं

2718. **श्री टी० बशीर :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के निर्माणाधीन बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल सरकार ने पिछले वर्ष बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की थी; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए पिछले वर्ष कितनी धनराशि मंजूर की थी ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री ( श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) निर्माणाधीन बृहद् सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । लघु सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा केन्द्र द्वारा नहीं रखा जाता है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने 1984-85 में राज्य की बृहद् परियोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 12.97 करोड़ रुपए के आबंटन का अनुरोध किया था । तथापि, इस सहायता की व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

**विवरण**

**केरल में निर्माणाधीन बृहद् सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति**

(करोड़ रुपए में)

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | अद्यतन अनुमानित लागत | 3/85 तक संभावित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1. | कलाडा | 210.00 | 139.14 |
| 2. | परियार घाटी | 57.00 | 44.93 |
| 3. | पम्बा | 52.00 | 48.67 |
| 4. | कुट्टाडी | 48.60 | 46.72 |
| 5. | चितरपुझा | 17.86 | 13.93 |
| 6. | कनिहारपुझा | 42.00 | 36.25 |
| 7. | पझासी | 54.00 | 46.86 |
| 8. | मुवतुपुझा | 48.00 | 19.25 |
| 9. | चिमोनी | 24.43 | 10.09 |
| 10. | इदमलयार | 61.47 | 15.25 |
| 11. | बेपारेपुझा | 250.00 | 0.37 |
| 12. | कुरियारपुटी-करपारा | 26.85 | 0.98 |
| 13. | ककादवू | 26.00 | 1.53 |

**केरल एक्सप्रेस में खानपान सेवा में सुधार करना**

2719. **श्री टी० बशीर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली केरल एक्सप्रेस में घटिया स्तर की खानपान सेवा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन गाड़ियों में खानपान सेवा को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) से (ग). भोजन की किस्म, वेंडरों से दुर्व्यवहार तथा अधिक कीमत लेने के बारे में तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। यात्रियों के प्रति दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार कमीशन के आधार पर काम करने वाले दो बेयरों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं। खान-पान सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें गाड़ियों में सेवा के लिए वरिष्ठ खानपान अधिकारियों के कड़े पर्यवेक्षण में आधुनिक जुगतों से युक्त आधार रसोईघरों में स्वच्छ वातावरण में पौष्टिक भोजन तैयार करना भी शामिल है।

## कावेरी संबंधी अन्तरलराज्य विवाद

2720. **श्री टी० बशीर** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कावेरी अन्तर-राज्य जल विवाद का समाधान अभी तक भी नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विवाद को निपटाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विवाद के शीघ्र समाधान के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कावेरी के जल के उपयोग के बारे में कावेरी बेसिन राज्यों के बीच मतैक्य नहीं हो पाया है। अप्रैल, 1983 में केन्द्र द्वारा आयोजित मुख्य मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि आपसी समझौते के लिए कर्नाटक तथा तमिलनाडु द्विपक्षीय विचार-विमर्श शुरू करेंगे तथा संबंधित राज्यों के अधिकारी जल की उपलब्धता और कावेरी जल के विद्यमान उपयोग में किफायत करने के संबंध में भी विचार-विमर्श करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया था कि इन द्विपक्षीय विचार-विमर्शों के पश्चात् केन्द्र चार मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करेगा। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों की बातचीत जनवरी, 1984 में हुई थी तथा यह निर्णय किया गया था कि आंकड़ों के पारस्परिक आदान-प्रदान के पूरा होते ही, वे आगे और विचार-विमर्श करेंगे। मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए केन्द्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु से पत्र-व्यवहार कर रहा है।

## ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को लाभ और हानि

[हिन्दी]

2721. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली का लाभ वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान निगम की आय और व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या निगम पिछड़े राज्यों की सहायता के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर कम करने पर विचार करेगा ताकि निगम के लाभ से पिछड़े राज्य भी लाभान्वित हो सकें ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, हां । गत पांच वर्षों की प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

| वर्ष | ब्याज आदि के रूप में कुल आय (करोड़ रु०) | कुल व्यय/ऋण पर ब्याज/कर दायित्व (करोड़ रु०) |
|---|---|---|
| 1979-80 | 43.15 | 37.16 |
| 1980-81 | 55.08 | 47.83 |
| 1981-82 | 67.97 | 58.82 |
| 1982-83 | 84.29 | 73.29 |
| 1983-84 | 97.85 | 85.64 |

(ख) निगम, राज्य सरकारों और पिछड़े क्षेत्रों सहित आदिवासी क्षेत्रों एवं पर्वतीय क्षेत्रों को उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता कर रहा है ।

### दीमापुर से मणिपुर तक रेल लाइन

[अनुवाद]

2722. **प्रो० मिजिनलंग कामसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीमापुर से मणिपुर तक बरास्ता दानसिरी, बारक नदी घाटी और कारोंग, एक नई रेल लाइन के लिए वर्षों पूर्व सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख). इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण किया गया था इस बारे में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

### रेल हैड का सिल्चर से आगे जिरीबाम तक विस्तार

2723. **प्रो० मिजिनलंग कामसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में सिलचर स्थिति रेल हैड का मणिपुर में जिरीबाम तक विस्तार करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या उक्त कार्य एक समयबद्ध कार्य है, यदि हां तो यह कार्य कब शुरू किया जाएगा और इसके पूरा होने के लिए कितनी अवधि निश्चित की गई है;

(घ) उक्त कार्य की गति धीमी होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उक्त रेलवे लाइन को इम्फाल तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) फरवरी, 1985 तक सिल्चर से जीरीबाम तक रेलवे लाइन के निर्माण में लगभग 25 प्रतिशत वास्तविक प्रगति हुई है।

(ख) 1984-85 के अन्त तक संभावित परिव्यय की राशि 10.90 करोड़ रुपये तथा 1985-86 के लिए प्रस्तावित परिव्यय की राशि 1.00 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार द्वारा अभी तक समूची भूमि न सौंपने तथा धन की तंगी के कारण कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। कार्य का पूरा होना रेलों को समय पर अपेक्षित भूमि सौंपे जाने तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ङ) जीरीबाम से माकरु तक (19 कि० मी०) मीटर आमान की लाइन का विस्तार करने के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है। फिलहाल इम्फाल तक लाइन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**अपर कोलाब के बांध के निर्माण के कारण गांवों का जलप्लावित होना**

2724. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर कोलाब बांध परियोजना के पूरा होने पर उड़ीसा के बहुत से गांव जलप्लावित हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरा होने पर अनुमानतः कितने लोग विस्थापित होंगे;

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा उस भाग में प्रभावित लोगों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया है या दिए जाने का विचार है; और

(घ) इन प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए आरम्भ किए गए अथवा किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) तथा (ख). अपर कोलाब परियोजना के पूरा होने पर लगभग 149 गांवों के जलमग्न हो जाने का अंदेशा है जिससे लगभग 5389 परिवार विस्थापित हो जाएंगे।

(ग) और (घ). मुआवजे का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान किए जाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है :—

(1) वासभूमि : प्रत्येक परिवार को 0.2 हैक्टेयर तक विकसित भूमि मिलेगी।

(2) कृषि योग्य भूमि : प्रत्येक परिवार को 1.2 हैक्टेयर सिंचित भूमि या 2.4 हैक्टेयर असिंचित भूमि मिलेगी।

(3) निर्वासन प्रभार : 150 रु० प्रति परिवार की दर से।

50 परिवारों के प्रत्येक समूह के लिए सामुदायिक, कुआं, विद्यालय, पहुंच मार्ग तथा ट्राजिट शेड आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पुनर्वासित गांवों के लिए गोचारा तथा शमशान-घाट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। पुनर्वास की दो स्कीमें, एक बतसाना के

पास तथा दूसरी न्यूगांव के पास तथा दोनों में 3536 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं, भूमि सुधार कार्य पूरे होने के बाद पुनर्वास हेतु तैयार हैं। 1417 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हुई बेरीगुमा तहसील में एक और स्कीम का, जब भी आवश्यक होगा, भूमि सुधार एवं पुनर्वास कार्यों के लिए, पता लगाया गया है। जो विस्थापित परिवार पुनर्वास सुविधाओं का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं उन्हें प्रति परिवार 14,040 रुपए का समतुल्य नकद अनुदान दिया जाएगा। एक पुनर्वास सलाहकार समिति बनाई गई है जो समय-समय पर पुनर्वास कार्यों से उठने वाले मुद्दों पर विचार करती है तथा राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों को मार्गदर्शन प्रदान करती है।

### वाल्टेयर का नाम बदलकर विशाखापतनम रखना

2725. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाल्टेयर का नाम बदल कर विशाखापतनम रखने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख). वाल्टेयर स्टेशन का नाम बदलकर विशाखापटनम रखने के सम्बन्ध में एक सुझाव प्राप्त हुआ है। यह सुझाव राज्य सरकार को भेज दिया गया है क्योंकि प्रचलित नीति के अनुसार, मौजूदा स्टेशन के नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन गृह मंत्रालय की सहमति से सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिश पर ही किया जा सकता है।

### काचरांयलेम में उपरि-पुल का निर्माण

2726. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम शहर में काचरांयलेम में उपरि-पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहर के अत्यधिक यातायात वाले क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं न होने के कारण विशाखापतनम के नागरिकों को नियमित रूप से दिक्कत उठानी पड़ती है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) से (ग). मौजूदा नियमों के अनुसार, व्यस्त समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण लागत की भागीदारी के आधार पर रेलों द्वारा राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। ऊपरी सड़क पुलों के लिए प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किये जाने होते हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापटनम टाउन में कचरांयलेम के इस व्यस्त 'ए' श्रेणी समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है।

### दिल्ली में होम्योपैथी संबंधी राष्ट्रीय विचारगोष्ठी

2727. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में होम्योपैथी संबंधी कोई राष्ट्रीय विचारगोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो विचारगोष्ठी में क्या सिफारिश की गई और कौन-कौन से संकल्प पारित किये गये तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सा संघ की दिल्ली राज्य शाखा द्वारा 23 और 24 मार्च, 1985 को नई दिल्ली में एक "राष्ट्रीय होम्योपैथी" विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया था ।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस विचारगोष्ठी की सिफारिशें/संकल्प प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए सरकार ठोस प्रयास कर रही है। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, देश में होम्योपैथिक शिक्षा और प्रेक्टिस को विनियमित करती है और केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, इस पद्धति के वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का विकास और समन्वय करती है। सरकार राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान और होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला का विकास कर रही है। सरकार देश में प्राइवेट होम्योपैथिक कालेजों को पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए और प्रयोगशाला के उपकरणों की खरीद के लिए भी अनुदान दे रही है।

### मद्रास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दक्षिण क्षेत्रीय मुख्यालय

2728. **श्री आर० अनानम्बी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दक्षिण क्षेत्र के लिए एक मुख्यालय मद्रास में खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### सहायकों और उच्च श्रेणी लिपिकों के संवर्गों में गत्यावरोध दूर करना

2729. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय में सहायकों और उच्च श्रेणी लिपिकों के संवर्गों में गत्यावरोध दूर करने के लिए केवल उक्त संवर्ग के लिए ही कुछ तकनीकी सहायकों के पद बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों का निदेशालयवार ब्यौरा क्या है और इन पदों को भरने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी पदोन्नति किए जाने वाले कुछ ऐसे सहायक हैं जो गत 15 वर्षों से उसी पद और उसी वेतनमान में काम कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो निदेशालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के

लिए कि सहायकों की समयबद्ध पदोन्नति हो तथा उन्हें पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि उनमें व्याप्त असंतोष समाप्त हो?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) तकनीकी सहायकों के कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किए गए हैं। लेकिन, 425-800 रु० (संशो० वे०) के वेतनमान वाले सहायकों के 35 पदों का 700-900 रु० (सं० वे०) के वेतनमान में तकनीकी सहायकों के रूप में अस्थायी ग्रेडोन्नयन किया गया है।

(ख) इन पदों का वर्तमान वितरण निम्न प्रकार से है :—

| | |
|---|---|
| वित्त निदेशालय : | 10 |
| सचिव की शाखाएं : | 4 |
| स्थापना निदेशालय : | 4 |
| प्रबन्ध सेवा निदेशालय : | 3 |
| यातायात वाणिज्य निदेशालय : | 3 |
| वेतन आयोग निदेशालय : | 2 |
| सिगलन और दूर संचार निदेशालय : | 2 |
| रेल भंडार निदेशालय : | 2 |
| यातायात सामान्य निदेशालय : | 2 |
| यातायात परिवहन निदेशालय : | 2 |
| बिजली निदेशालय : | 1 |

ये पद वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता के आधार पर भरे गए हैं।

(ग) और (घ). इस समय ग्रेड में 15 वर्ष से अधिक सेवा वाले केवल पांच सहायक हैं जो 425-800 रु० (सं० वे०) के वेतनमान में अभी भी सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति देने के लिए इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## दक्षिण-पूर्व रेलवे में नयी गाड़ियां चलाना

2730. **श्री नारायण चौबे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में 1 जनवरी, 1982 से अब तक वर्ष-वार कितनी नयी गाड़ियां चलाई गई हैं;

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे में 1 जनवरी, 1982 से अब तक वर्ष-वार कितने किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है; और

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे में वर्ष 1982 से 1984 तक वर्ष-वार कितना माल ढोया?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) सूचना इस प्रकार है :—

| कैलेण्डर वर्ष | चलायी गयी गाड़ियां | |
|---|---|---|
| | अनुपनगरीय | उपनगरीय |
| 1982 | 6 | 9 |
| 1983 | 10 | 1 |
| 1984 | 20 | 18 |

(ख) सूचना इस प्रकार है :—

| वर्ष | जोड़ी गयी नयी लाइनें |
|---|---|
| 1982 | ···कुछ नहीं |
| 1983 | ···कुछ नहीं |
| 1984 | ···24 कि० मी० |

(ग) आंकड़े केवल वित्त वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं। पिछले तीन वित्त वर्षों की सूचना नीचे दी गयी है :—

| वर्ष | प्रारम्भिक टन (000) | रेलवे द्वारा ढोए गए टन (000) |
|---|---|---|
| 1981-82 | 78,989 | 92,619 |
| 1982-83 | 80,678 | 96,459 |
| 1983-84 | 80,579 | 96,546 |

### कलकत्ता पत्तन न्यास के कोयों की जांच

2731. **श्री नारायण चौबे** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 19-2-85 के दैनिक बंगाली "कलांतर" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है कि कलकत्ता पत्तन न्यास को उसके आर्थिक दृष्टि से समक्ष होने के बावजूद भी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सच है कि कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा बिना किसी निविदा के फर्नीचर खरीदा गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं के क्या कारण हैं और इस खरीददारी पर कितना धन खर्च हुआ था;

(घ) क्या चार हजार खाली बैठे कर्मचारियों को वेतन अथवा मजदूरी दी गई थी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कलकत्ता पत्तन की स्थिति और उसकी आर्थिक क्षमता की जांच कराने का है?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट बगैर टेंडर प्रक्रिया अपनाए फर्नीचर नहीं खरीद रहा है। तथापि वर्ष 1982 और 1984 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मिलने वाले आगंतुकों के आपातकालीन आधार पर लोहे की छह-छह कुर्सियां खरीदी गई थी। ये कुर्सियां वर्ष 1982 और 1984 में क्रमश: 1830 रुपए और 2610 रुपए की खरीदी गई थी।

(घ) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के पास अनेक वर्षों से जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हैं। तथापि यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि किसी खास समय में कितने व्यक्ति अधिक या बेकार थे। इन अधिक कर्मचारियों में से काफी संख्या में बेरोजगार नहीं हैं, बल्कि इन्हें कम रोजगार मिला हुआ है।

(ङ) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

## कुछ चुने हुए जिलों में कैंसर का पता लगाने के केन्द्र खोलने का प्रस्ताव तथा मध्य प्रदेश के लिए प्रस्ताव

2732. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के कुछ चुने हुए जिलों में कैंसर का पता लगाने के ऐसे केन्द्र खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में मध्य प्रदेश में कैंसर का पता लगाने के ऐसे कितने केन्द्र खोले जाएंगे; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर का जल्दी पता लगाने और उपचार करने के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अन्य क्या उपाय करने का विचार है?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख). 7वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों की उन संस्थाओं में कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है जो इन केन्द्रों को खोलने सम्बन्धी कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करती हों। इन संस्थाओं को ऐसे केन्द्रों को खोलने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों और आवास के रूप में कतिपय आधारभूत ढांचे की अवश्य व्यवस्था करनी होगी। इस समय मध्य प्रदेश में कैंसर का शुरू में पता लगाने का कोई केन्द्र नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसा केन्द्र खोलने के लिए यदि अनुरोध किया जाता है तो उस पर विचार किया जायेगा। वैसे, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक पोस्टपार्टम पाप स्मीयर परीक्षण केन्द्र है।

(ग) कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने 9 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र और कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले 17 केन्द्र स्थापित किए हैं। अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अधीन 25 प्रसवोत्तर कैंसर पता लगाने वाले केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। ये क्षेत्रीय केन्द्र और कैंसर का पता लगाने वाले केन्द्र समय-समय पर आस-पास के क्षेत्रों में व्यापक

पैमाने पर शिक्षा देने और जांच करने के कार्यक्रम चलाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मुख-गुहा कैंसर और महिलाओं में गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर की जिनके देश में 50 प्रतिशत से ज्यादा कैंसर रोगी होते हैं, प्रारम्भिक और बाद की रोकथाम के लिए व्यवहार्यता मॉड्यूल तैयार करने में लगी हुई है।

**अशोक विहार में सी० जी० एच० एस० की डिस्पेंसरी में डाक्टरों की अनुपलब्धता और अत्यधिक भीड़ होना**

2733. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक विहार, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सी० जी० एच० एस०) की डिस्पेंसरी में एक बार में केवल दो ही डाक्टर बैठे होते हैं जिसके कारण घंटों तक मरीजों की अत्यधिक भीड़ बनी रहती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त डिस्पेंसरी को आवश्यक संख्या में डाक्टर उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि डिस्पेंसरी में अनेक औषधियों विशेषतः जीवन रक्षक औषधियों का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई औषधियां भी मरीजों को नहीं मिल रही हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग). अशोक विहार स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में चिकित्सा अधिकारियों के आठ स्वीकृत पद हैं। किन्तु चिकित्सा कार्मिकों की कमी के कारण इस समय केवल छः पद ही भरे हुए हैं। चिकित्सा कार्मिकों की इस कमी के कारण तथा आकस्मिक परिस्थितियों में चिकित्सा अधिकारियों की अनुपस्थिति से कभी-कभी अधिक भीड़ हो जाती है तथा रोगियों को अधिक इंतजार करना पड़ता है। दो और डाक्टर तैनात करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि इस औषधालय में स्वीकृत संख्या में डाक्टर उपलब्ध हो सकें। औषधालय में दवाइयों की कोई कमी नहीं है लेकिन यदि किसी खास समय पर कोई दवाई उपलब्ध नहीं होती तो उसे विशेषज्ञ के नुस्खे पर सीधे सुपर बाजार से खरीदा जा सकता है।

**बकिंघम नहर का विकास**

2734. **श्री बेजवाड़ा पापी रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 पर विशेष रूप से विजयवाड़ा मद्रास क्षेत्र में यातायात बहुत बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 19वीं शताब्दी में निर्मित 250 मील लम्बी बकिंघम नहर को जिसमें अब गाद जमा हो गई है, थोड़ा चौड़ा करने की आवश्यकता है ताकि उसका अल्प और बचतपूर्ण प्रक्रिया द्वारा इस क्षेत्र में माल और यात्रियों को ले जाने के लिए तेज गति से चलने वाली हाइड्रोफोइल नौकाओं को चलाने के लिए उपयोग किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 के मद्रास विजयवाड़ा खंड में यातायात की पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग). यह नहर थोड़ी बहुत चौड़ी करने के बाद भी माल और यात्रियों के ले जाने के लिए तेज गति से चलने वाली हाइड्रोफोइल नौकाओं को चलाने के लिए अनुकूल नहीं हो सकती क्योंकि इन नौकाओं के प्रचालन के लिए नहर की गहराई इतनी पर्याप्त नहीं होगी कि यहां उक्त प्रकार की नौकाएं चल सकें। इसके अलावा यह भी पुष्ट होना है कि भारत में हाइड्रोफोइल नौकाओं के परिचालन खर्च की दृष्टि से उचित रहेगा।

यंत्रचालित जलयानों के परिचालन के लिए एन्नोर से बेड्डागंजम लाक तक बकिंघम नहर के विकास के लिए एक स्कीम सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावित की गई है। इस योजना को अभी तक अन्तिम रूप दिया जाना है।

## कवाड़ी (नेल्लौर जिला) में ऊपरी पुल का निर्मांण

2735. **श्री बेजवाड़ा पापी रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कवाड़ी जिला नेल्लौर में एक ऊपरी पुल के निर्माण के लिए वर्षों से लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं और लम्बे समय से चली आ रही इस उचित मांग को पूरा करने के बारे में क्या विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि कवाड़ी नगरपालिका ने इसकी लागत के एक हिस्से को वहन करने का प्रस्ताव भी किया है; और

(घ) क्या इस क्षेत्र के विकास और वहां की सामाजिक, आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के पास इसे शुरू करने की योजना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). मौजूदा नियमों के अनुसार, व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों का कार्य लागत की भागीदारी के आधार पर रेलवे और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत किया जाता है। कवाड़ी में ऊपरी सड़क पुल से सम्बन्धित प्रस्ताव रेलों और राज्य सरकार के बीच विचाराधीन है जो लागत का अपना भाग वहन करने को तैयार हैं। संसाधनो की तंगी तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य में ऊपरी/निचले सड़क पुलो के कई निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण, इस कार्य को अभी तक रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करना सम्भव नहीं हो पाया है। इस प्रस्ताव को इसी प्रकार के अन्य कार्यों के साथ-साथ रेलवे के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जायेगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

## रेपेल्ले रेलवे स्टेशन पर वैगन आवंटन की सुविधा देना बन्द करना

2736. **श्री सी० सम्बु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे प्राधिकारियों ने आन्ध्र प्रदेश के गुटूर जिले में रेपेल्ले स्टेशन पर वैगन

आबंटन की सुविधा देना बन्द कर दिया है जो अब तक निजामपत्तनम और उसके निकटवर्ती समुद्र तटीय क्षेत्र के मछुओं को उनकी निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जा रही थी; और

(ख) यदि हां, तो रेपेल्ले स्टेशन पर वैगन आबंटन सुविधा फिर से देना तुरन्त शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख). मत्स्य उद्योगों द्वारा प्रस्तुत यातायात में कोई माल यातायात नहीं होता है । चूंकि रेपेल्ले स्टेशन पर प्रस्तुत अन्य यातायात भी मामूली रहा है, इसलिए रेपेल्ले स्टेशन के लिए शाखा लाइन पर नियमित मालगाड़ी सेवाएं गठित करना सम्भव नहीं हो सका है । अतः इस स्टेशन से फुटकर माल डिब्बों के लदान की सुविधा प्रदान कर दी गई । बहरहाल, जब कभी इस स्टेशन से पूरे गाड़ी भार लदानों की मांग की गयी उस समय यातायात की निकासी के लिए विशेष प्रबन्ध किए जाते रहे हैं । माल डिब्बा लदान के पंजीकरण की सुविधाओं के हटाये जाने के समय से इस स्टेशन पर यातायात की ढुलाई की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अतः, इस सुविधा को पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

## हरखुआ गोपालगंज रेलवे स्टेशन का सुधार

2737. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरखुआ गोपालगंज रेलवे स्टेशन की हालत बहुत खराब है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गोपालगंज जिले में अनेक उद्योग और चीनी मिलें चल रही है हरखुआ गोपालगंज रेलवे स्टेशन की दशा में सुधार करने तथा वहां आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रस्तावों में प्रतीक्षा हाल का विस्तार, विश्राम कक्ष की व्यवस्था, बुकिंग कार्यालय, एस० क्यू० टी० गोदाम, पार्सल-कार्यालय-एवं-गोदाम और स्टेशन मास्टर के कार्यालय का विस्तार शामिल है ।

## उड़ीसा की सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के बारे में निर्णय

2738. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रेषित उन सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास निर्णय के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) उड़ीसा सरकार की दो बड़ी तथा तीन मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य

पाई गई हैं फिर भी कुछ टिप्पणियों पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा अभी कार्रवाई करनी है। एक बड़ी तथा दो मध्यम स्कीमें तकनीकी सलाहकार समिति के विचाराधीन हैं। छः बड़ी तथा नौ मध्यम श्रेणी की स्कीमों का केन्द्रीय जल आयोग में, परियोजना प्राधिकारियों के साथ परामर्श से मूल्यांकन किया जा रहा है।

जहां तक विद्युत स्कीमों का सम्बन्ध है, एक जल विद्युत स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक रूप से मंजूरी दे दी गई है तथा इसे योजना आयोग को उनके अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। एक ताप विद्युत स्कीम (इब ताप विद्युत केन्द्र) तथा एक जल विद्युत स्कीम (हीराकुंड चरण-तीन) पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच चल रही है। भीमकुण्ड बहुद्देशीय स्कीम की संशोधित परियोजना रिपोर्ट की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।

(ख) राज्य प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियों के अनुसार कार्रवाई करने के पश्चात् परियोजनाओं के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी जाती है।

**ड्राफ्ट्समैन, एस्टीमेटर्स एण्ड ट्रेसर्स के रिक्त पदों का भरा जाना**

2739. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में प्रत्येक डिवीजन में और मुख्यालय में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में ड्राफ्ट्समैन, एस्टीमेटर्स एण्ड ट्रेसर्स के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को भरने के लिए रेल प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या इन श्रेणियों के पदों को भरे जाने के लिए रेल सेवा आयोग ने समाचार-पत्रों में कोई विज्ञापन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**मानवीय त्रुटियों के कारण होने वाली रेल-दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कारगर उपाय**

2440. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में हुई तीन बड़ी रेल दुर्घटनाओं में जिनमें लोगों की जानें गईं और रेल सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंची, एक बात तो सब में समान रूप से पाई गई है कि ये दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटियों के कारण हुईं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की मानवीय त्रुटियों में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु क्या कारगर उपाय किए गए हैं, और इंजनों के चालकों एवं अन्य कर्मचारियों की थकावट में कमी करने, उन्हें ड्यूटी के समय सुस्त न होने देने हेतु उन पर चौकसी रखने, तथा जोनल रेलवेज में साइको टैक्निकल सैलों को सुदृढ़ करने के प्रयोजन से रेलवे में आधुनिकीकरण के लिए क्या नए तरीके अपनाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि इन मानवीय त्रुटियों में स्विचमैन, कैबिनमैन, पोइंटमैन तथा लीवरमैन जैसे महत्वपूर्ण संचालन कर्मचारियों की गलतियां पाई गई हैं, और क्या ऐसा इसलिए हुआ था कि भारी कार्यभार अथवा अन्य कारणों से वे बुरी तरह थके हुए थे; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जनवरी, 1985 से 3 बड़ी दुर्घटनाओं में से 2 मानवीय गलतियों के कारण हुई । तीसरी दुर्घटना की रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ख) मानवीय गलतियों की घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी स्तरों पर गहन निरीक्षणों, कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों को परामर्श देने, संरक्षा नियमों और पूर्वोपायों के अनुपालन की अचानक जांच, ड्राइवरों द्वारा सिगनलों और रफ्तार प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फुट-प्लेटों के निरीक्षणों पर ध्यान देने के लिए हाल में एक 10 सूत्री कार्रवाई योजना शुरू की गई थी । मानवीय सतर्कता के पूरक के रूप में रूट रिले अन्तर्पाशन, रेलपथ परिपथन, गाड़ी के गुजर जाने के पश्चात् स्वचल विपर्यय सिगनलों, पैनल अन्तर्पाशन, धुरा काउण्टरों, आदि जैसे अधिकाधिक प्रोद्योगिकी उपकरणों की व्यवस्था कर दी गई है । व्यस्त क्षेत्रों में आनुषंगिक चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था करने की योजना भी बनाई गयी है ।

श्रान्ति की रोकथाम के लिए कार्य घंटों के कड़े अनुपालन की समय-समय पर जांच की जाती है और रनिंग रूमों की स्थिति संतोषजनक स्तर पर बनाए रखी जाती है ताकि कर्मचारी ठीक से आराम कर सकें ।

कर्मी बुकिंग स्थलों पर श्वास विश्लेषण जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ड्राइवर शराब के नशे में तो नहीं है ।

अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन में मनो-तकनीकी कक्षों के सुदृढ़ीकरण की कार्य-भार के आधार पर समीक्षा की जाएगी ।

(ग) और (घ). अधिकांश दुर्घटनाएं परिचालनिक कर्मचारियों की निर्णय लेने में गलती और उनकी लापरवाही के कारण हुई हैं । स्विचमैन, केबिनमैन और प्वाइंटमैन जैसे महत्त्वपूर्ण परिचालनिक कर्मचारियों से सामान्यतः लम्बे समय तक ड्यूटी नहीं ली जाती है । ऐसे कर्मचारियों के कार्य घंटे, आराम की अवधि, आदि रेल कर्मचारी नियोजन काल विनिमय द्वारा विनियमित की जाती है । विश्राम दाताओं, छुट्टी एवजियों की पर्याप्त रूप से व्यवस्था की गयी है और यह देखने के लिए जांच की जाती है कि परिचालनिक कर्मचारी लम्बे समय तक ड्यूटी न करें ।

**क्विलोन मद्रास लाइन को बड़ी लाइन में बदलना**

2741. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान क्विलोन मद्रास मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना से संबंधित ब्यौरा क्या है तथा इसके कब शुरू हो जाने की आशा है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### रेलवे में ड्राइंग कर्मचारी काडर का पुनर्गठन

2742. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने ड्राइंग कर्मचारी (ड्राफ्ट्समैन एस्टीमेटर्स, डिजाइन सहायक आदि) के नामक काडर का पुनर्गठन करने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी जोनल रेलों द्वारा इन आदर्शों को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कौन-कौन से जोनल रेलों ने उक्त आदेशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है और उसके कारण क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पुनसंरचना आदेश नवम्बर, 1984 में जारी किए गए थे। सभी रेलों के क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों, मंडलों, आदि में इन आदेशों का कार्यान्वयन प्रगति पर है और इनके शीघ्र ही पूरा किए जाने की संभावना है।

### राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ विश्राम स्थल और वाहनों के लिए गाड़ी ठहराने के स्थानों के निर्माण हेतु आबंटन

2743. **श्री बी० सोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाओं को कम करने तथा चालकों के विश्राम की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ प्रत्येक 100 मील के पश्चात् विश्राम स्थल और मोटर वाहनों के लिए गाड़ी ठहराने के स्थानों (पार्किंग एरिया) के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ चुने हुए मुख्य मार्गों पर लगभग प्रति 300 कि०मी० की दूरी पर उचित स्थान पर ट्रक पार्किंग काम्पलेक्स के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना शामिल की गई है। योजना में, इन परियोजनाओं को ट्रक ऑपरेटर्स हाईवे एमीनीटीज सोसायटी के राज्य एककों द्वारा अपने हाथ में लेना और कार्यान्वित करना शामिल है। केन्द्र सरकार भूमि, पहुंच मार्ग और पार्किंग स्थलों के विकास की लागत वहन करेगी और बिल्डिंग के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों पर होने वाला व्यय, ट्रक ऑपरेटरों से प्राप्त होने वाले अंशदान से ट्रक आपरेटर्स हाईवे एमेनीटीज सोसायटी की राज्य यूनिटों द्वारा बनाए गए रिवॉल्विंग फंड से किया जाएगा। ट्रक पार्किंग काम्प्लैक्स "नो प्रोफिट नो लॉस" आधार पर कार्य करेंगे। भारत सरकार ने, अब तक चार अर्थात्—

पंजाब और हरियाणा में एक-एक और आंध्र प्रदेश में दो ट्रक पार्किंग काम्पलेक्स बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें केन्द्र सरकार 59.26 लाख रु० की वित्तीय सहायता देगी।

इन कार्यों को वित्तीय सहायता देने में, जहां तक केन्द्र सरकार के योगदान का सम्बन्ध है, उक्त सहायता राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए दी जाने वाली धनराशि से अलग है।

**पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में ए०टी० मेल और वैशाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का काफी समय से रद्द रहना**

2744. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे काफी समय से ए०टी० मेल ओर वैशाली एक्सप्रेस चलाने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का उक्त सैक्शन पर पुरानी समय सारणी को पुनः लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख). बरौनी-कटिहार मीटर लाइन खंड दो बड़ी लाइन में बदले जाने के परिणामस्वरूप मीटर लाइन की गाड़ियां 1/2 ए०टी० मेल और 15/16 वैशाली एक्सप्रेस का चलाया जाना बन्द कर दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पाटन रेलवे स्टेशन पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिए आरक्षण कोटा**

2745. **श्री पूनम चन्द मीठाभाई वनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन में विभिन्न गाड़ियों से बम्बई तक की यात्रा के लिए पाटन रेलवे स्टेशन और निकटवर्ती रेलवे स्टेशनों का प्रथम और द्वितीय श्रेणी का आरक्षण कोटा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न संगठनों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों, वाणिज्य मंडल आदि ने कोटा में वृद्धि की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोटा में वृद्धि हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) बम्बई की यात्रा के लिए पाटन और मेहसाणा स्टेशनों को निम्नलिखित आरक्षण कोटा आबंटित किया गया है :

| | I | II |
|---|---|---|
| **पाटन** | | |
| 6 अप सौराष्ट्र मेल | — | 5 |
| 8 अप अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस | — | 4 |

मेहसाणा

| | | |
|---|---|---|
| 2 अप गुजरात मेल | 2 | — |
| 8 अप अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस | — | 8 |
| 18 अप सौराष्ट एक्सप्रेस | — | 4 |
| 6 अप सौराष्ट्र मेल | — | 4 |

(ख) और (ग). जी हां। मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति राजकोट के माध्यम से राजकोट मंडल के स्टेशनों के लिए 6 अप सौराष्ट्र मेल में विभिन्न स्टेशनों के कोटे में वृद्धि करने के लिए मांग प्राप्त हुई थी। उसके परिणामस्वरूप, मेहसाणा स्टेशन को दूसरे दर्जे को दो शायिकाओं का अतिरिक्त कोटा आबंटित किया गया है अर्थात् इसे 12-2-85 से दो शयिकाओं से बढ़ाकर चार शायिकाएं कर दिया गया है।

**सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले मानद पासों में रेल कर्मचारियों की विधवा मां को शामिल करना**

2746. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय को आल इंडिया रेलवे-मेन फेडरेशन का दिनांक 10 फरवरी, 1985 का कोई पत्र मिला है जिसमें नौकरी कर रहे रेल कर्मचारियों की तरह सेवानिवृत्ति के बाद रेल कर्मचारियों को मिलने वाले मानद पासों में उनकी विधवा मां को शामिल करने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आशय का कोई अनुदेश जारी किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) मौजूदा पास नियमों के अंतर्गत, सेवा निवृत्ति के बाद मानार्थ पास आश्रित रिश्तेदारों के लिए अनुमेय नहीं है जिसमें विधवा आश्रित माता भी शामिल है। इस संबंध में नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के मूल निर्माण और रखरखाव तथा मरम्मतों पर किया गया व्यय**

2747. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्गों के मूल निर्माण तथा उनकी मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को प्राधिकृत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के मूल निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए केन्द्र द्वारा प्राधिकृत व्यय की तुलना में राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितना व्यय किया गया;

(घ) यदि व्यय कम हुआ तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) से (ग). जी, हां। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान मूल कार्यों की लागत लगभग 27 करोड़ रुपये थी और पश्चिम बंगाल में विभिन्न मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के लिए लगभग 18 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी गयी थी। इन संस्वीकृत कार्यों और छठी योजना अवधि के पहले के कार्यों के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों (मूल) कार्यों के लिए और अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्यों के लिए क्रमश: 30.65 करोड़ रु० और 14.85 करोड़ रु० आबंटित किये गये थे। छठी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों (मूल) पर कार्यों के लिए (फरवरी, 1985 तक) 30.73 करोड़ रुपये और मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यों के लिए (नवम्बर, 1984 तक) 16.79 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं होता।

### बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु आबंटित तथा उपयोग की गई धनराशि

2748. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों के निर्माण तथा सुधार तथा रखरखाव और मरम्मत के लिए वर्ष वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) और (ख). बिहार में पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण पर निम्नलिखित धनराशि आबंटित की गई और खर्च की गई :—

| वर्ष | राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण | | राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण | |
|---|---|---|---|---|
| | आबंटित धनराशि | वास्तविक खर्च | आबंटित धनराशि | वास्तविक खर्च |
| | | (रुपये लाखों में) | | |
| 1982-83 | 860.00 | 932.27 | 406.38 | 412.72 |
| 1983-84 | 1022.56 | 1010.82 | 448.78 | 422.17 |
| 1984-85 | 1130.60 | 421.39* | 572.58 | 293.86* |

*दिसम्बर, 84 तक खर्च

अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले क्षेत्रों में छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण

2749. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले क्षेत्रों में छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख). अल्पसंख्यक सघनित क्षेत्रों में छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु फिलहाल, कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, वर्ष 1984-85 के दौरान, तकनीकी निपुणता प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक सघनित क्षेत्रों में छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश में 10 पालिटेक्निकों को चुना गया था । इन पालिटेक्निकों को सामुदायिक पालिटेक्निकों के रूप में पदनामित किया गया है । इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन की अपनी सामान्य जिम्मेदारी के अतिरिक्त, इन पालिटेक्निकों ने संबंधित अल्पसंख्यक सघनित क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न ट्रेडों में, कौशल प्रशिक्षण के अल्पकालीन पाठ्यक्रमों को आयोजित करने की गतिविधि भी आरम्भ कर दी है । उनके द्वारा अपने ही परिसर में तथा इस प्रयोजनार्थ इन संस्थाओं द्वारा स्थापित किए गए विस्तार केन्द्रों में प्रदान किए गए कौशल/तकनीकी प्रशिक्षण की अवधि को तीन महीने से बढ़ाकर छः महीने कर दिया गया है । इस समय, 922 छात्र विभिन्न ट्रेडों में इस कौशल प्रशिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं ।

स्वैच्छिक शिक्षा संस्थानों को अनुदान

2750. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थानों को उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल चलाने के लिए अनुदान देती है;

(ख) क्या सरकार को इन संस्थानों द्वारा अनुदान के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार सार्वजनिक धन के इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने तथा अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

छिड़काव सिंचाई का संवर्धन

2751. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में छिड़काव सिंचाई संवर्धन के लिए कोई योजना प्रारम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख). जी, हां। इस स्कीम के अधीन छिड़काव/ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रतिष्ठापित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत की दर से तथा अन्य किसानों को 20 प्रतिशत की दर से सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। सब्सिडी की उच्चतम सीमा छोटे और सीमांत किसानों के लिए 20,000 रुपए तथा अन्य किसानों के लिए 8,000 रुपए है। सब्सिडी की लागत केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच बरांबर-बराबर वहन की जाती है।

**कोचीन शिपयार्ड का पोत खरीदने सम्बन्धी सौदा**

2752. **श्री बी० जी० स्वैल** :

**श्री के० प्रधानी** :

**क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड ने हाल ही में पौलैंड से 22 करोड़ रु० प्रति मूल्य पर चार पोत खरीदे हैं जबकि इसी प्रकार के पोतों की पश्चिम जर्मनी द्वारा 3 करोड़ रु० के मूल्य पर देने की पेशकश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के फिजूलखर्ची निर्णय लेने के क्या कारण हैं, जिससे सरकार-राजकोष को प्रति पोत 19 करोड़ रु० की हानि होगी; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सारे सौदे की संवीक्षा की जा रही है।

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) और (ख). कोचीन शिपयार्ड पोलैण्ड या किसी अन्य देश से कोई जहाज नहीं खरीद रहा है। तथापि कोचीन शिपयार्ड अपने द्वारा निर्मित/निर्मित किए जाने वाले 002 से 005 जहाजों के लिए एच० सी० पी० पोलैंड नामक पोलिश फर्म से मुख्य इंजिनों का आयात करता रहा है। अन्य देशों की मुख्य इंजिनें पौलैंड से खरीदी गई इंजिनों से काफी महंगी हैं।

(ग) सरकार को ऐसे किसी सौदे की जांच किए जाने की जानकारी नहीं है।

**कानपुर में गंगा नदी पर बराज**

[हिन्दी]

2753. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** :

**श्री जगदीश अवस्थी** :

**क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में गंगा नदी के ऊपर बराज का निर्माण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख). कानपुर में गंगा के ऊपर बराज का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। परियोजना में मुख्यतया कानपुर को पेयजल सप्लाई करने तथा खरीफ अवधि के दौरान कुछ सिंचाई सहित उसके आसपास कुछ औद्योगिक संगठनों के लिए जल की परिकल्पना की गई है। इस बराज के लिए उपयुक्त स्थान के सुझाव के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने, भैरोंघाट के लगभग 1 किलोमीटर के प्रतिप्रवाह में कानपुर के पास गंगा नदी पर एक स्थल की सिफारिश की है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**'लूजिंग कैश विदाउट क्रास-चैकिंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

**[अनुवाद]**

2754. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 मार्च, 1985 के इण्डियन एक्सप्रैस में 'लूजिंग कैश विदाउट क्रास-चैकिंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे के साथ लगभग कितने रुपये का धोखा किया है;

(ग) उक्त धोखा-धड़ी की कार्यप्रणाली क्या है और रेलवे के स्टेशन एकाऊंट्स इन्स्पेक्टर अथवा ट्रैफिक एकाउंट्स ब्रांच द्वारा उक्त धोखा धड़ी को क्यों नहीं पकड़ा गया;

(घ) क्या रेलवे कोडस/कौचिंग मैन्यूएलस में कुछ कमी के कारण इस तरह की धोखा-धड़ी संभव हुई है अथवा यह साफ तौर पर इनसानी गलती है; और

(ङ) धोखा की गई राशि को वसूलने और अन्य रेलों को भविष्य में इस तरह की धोखा-धड़ी से बचाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी हां।

(ख) लगभग 63,810 रु० की राशि का अनुमान लगाया गया है।

(ग) वरिष्ठ सहायक कोचिंग क्लर्क द्वारा अपनायी गयी धोखा-धड़ी की कार्यप्रणाली यह थी कि वह गाड़ियों के छूटने के बाद आरक्षण रजिस्टर से प्रतीक्षा सूची में रखी गयी और पुष्टिशुदा कुछ प्रविष्टियां। कहीं-कहीं से उठा लेता था और उन्हें रिफंड रजिस्टर में दर्ज कर लेता था जबकि यात्री टिकट वस्तुतः होते ही नहीं थे और रेलवे की रकम हड़प लेता था। उन टिकटों की भी झूठी प्रविष्टियां करता था जिन पर रकम की वापसी पहले से ही स्वीकृत हो चुकी होती थी और इस प्रकार वह दोहरी राशि अपनी जेब में रख लेता था।

अहमदाबाद में की जा रही इस प्रकार की धोखा-धड़ी का पता चल निरीक्षक, लेखा द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान लगा। इस घटना के बाद रिकार्डों की गहराई से जांच करने के लिए निरीक्षकों के एक दल की प्रतिनियुक्ति की गयी ताकि ऐसे सभी मामलों का पता लगाया जा सके।

(घ) यदि सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा सम्बद्ध नियमों तथा अनुदेशों का सही-सही पालन किया गया होता तो धोखा-धड़ी नहीं हुई होती।

(ङ) पश्चिम रेल प्रशासन ने इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक वरिष्ठ

वेतनमान के अधिकारी द्वारा जांच करने के आदेश दिए हैं। सम्बन्धित कर्मचारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेलों को पुन: अनुदेश देते हुए इस बात पर बल दिया है कि नियमों का ईमानदारी से अनुपालन किया जाय ताकि भविष्य में धोखा-धड़ी के ऐसे मामले न होने पायें।

— — ——

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के खाद्य तेल का कोटा कम करने का निर्णय लिया है···

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे लिखकर दें।

**श्री बसुदेव आचार्य** : मैंने आज एक ध्यानाकर्षण सूचना दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आपने आज दी है, तो मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा और इसके बाद निर्णय दूंगा।

**प्रो० के० के० तिवारी** (बक्सर) : हाल ही में बंगलौर में विदेशी जासूसों का एक दल पकड़ा गया था। उनका संबंध नशीली वस्तुओं का व्यापार करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह तथा जासूसों से था···

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपने कुछ लिखित में दिया है ?

**प्रो० के० के० तिवारी** : मैंने एक सूचना दी है···

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पता करूंगा। मेरा विचार है कि उन्होंने कल कोई सूचना दी थी।

**प्रो० के० के० तिवारी** : उन्होंने कुछ स्थानीय लड़कियों को फंसा लिया है और उनके साथ विवाह कर लिया है। आपको यह जानकार दु:ख होगा—यह बात समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुकी है—कि एक अमरीकन को, जिसने एक स्थानीय लड़की से विवाह किया था···प्राप्त हुआ···**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पता करूंगा। आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं।

**प्रो० के० के० तिवारी** : यह बड़ा गंभीर मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी से विरुद्ध लांछन लगाने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। अनुमति नहीं है।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : विवाह से आपको क्या आपत्ति है ?

**प्रो० के० के० तिवारी** : वे लोग अन्तर्राष्ट्रीय जासूस हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : हम लोग पता लगायेंगे।

**प्रो० मधु दंडवते** : किसी दूसरे के विवाह के बारे में वह क्यों परेशान हैं ?

---

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो किसी भी मामाले में दखल देने की चेष्टा नहीं करता। वह एक व्यक्तिगत मामला है।

[हिन्दी]

**श्री गिरधारी लाल व्यास** (भीलवाड़ा) : हमारे यहां के नेशनेलाइज्ड बैंक्स किसानों को दिए गए लोन्स पर तीन-चार गुना ब्याज वसूल कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे लिख कर दीजिए, फिर मैं देखूंगा।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : मैंने पहले ही इस सम्बन्ध में आपको हाफ-एन-आवर डिस्कशन दिया हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : नॉट अलाउड···(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री ललित माकन** (दक्षिण दिल्ली) : मैं एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। दिल्ली में डबल रोटी का अत्यधिक अभाव है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप कुछ लिखकर दीजिए।

**श्री ललित माकन** : यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह महत्त्वपूर्ण हो सकता है किन्तु उस पर इस प्रकार विचार नहीं किया जा सकता। अनुमति नहीं दी जाती है।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** (महबूब नगर) : ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब के दो राज्यपाल हैं। श्री सतारा वाला, जो···, स्थानान्तरित हुए हैं**···

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं दी जाती है।

**श्री सोभनाद्रीश्वर राव** (विजयबाड़ा) : मैंने बम्बई में शांता क्रुज हवाई अड्डे पर लीला पेन्टूर होटल के अवैध निर्माण के बारे में एक ध्यानाकर्षण सूचना दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, वह राज्य से संबंधित मामला है।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

**12.00 म० प०**

### सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 670/85]

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर, बम्बई आदि में वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और इनके कार्यकरण की समीक्षा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खड़गपुर आदि के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखे**

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 671/85]

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 672/85]

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खड़गपुर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खड़गपुर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (2) से (4) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खड़गपुर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 673/85]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 674/85]

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 675/85]

(चार) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मद्रास, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 676/85]

(पांच) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 677/85]**

(7) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजिनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(8) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 678/85]**

(9) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नॉलोजी, रांची, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

**[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 679/85]**

(10) (एक) रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, श्रीनगर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, श्रीनगर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 680/85]**

(11) (एक) मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

**[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 681/85]**

(12) हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 682/85]

(14) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(15) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 683/85]

(16) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(17) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये एल० टी० 684/85]

(18) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(19) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 685/85]

(20) रीजनल इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलोजी, जमशेदपुर, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 686/85]

(21) लेखा वर्ष की समाप्त के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, सिलचर, जमशेदपुर और श्रीनगर के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 687/85]

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई)** : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार, मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 688/85]**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें**

**रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष, 198 -86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 689/85]**

**महापत्तन न्यास अधिनियम, 1983 की धारा 124 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : मैं महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा० का० नि० 141(अ), जो 6 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा अधिसूचना की अनुसूची से संलग्न बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1984 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 291(अ), जो 22 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना की अनुसूची से संलग्न तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (अस्थाई सेवा) संशोधन विनियम, 1984 का अनुमोदन किया गया है।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 690/85]**

**दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा**

**विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 691/85]

**राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा**

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 692/85]

---

## नियम 377 के आधीन मामले

**12.06 म० प०**

**(एक) बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर और आसपास के गांवों में टैंकरों द्वारा पेयजल की व्यवस्था करने हेतु सैनिक प्राधिकारियों को निदेश की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत में निम्नलिखित विषय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं—

राजस्थान प्रान्त में गत वर्ष कई स्थानों में वर्षा न होने से कुओं में पीने के पानी का स्तर नीचे आने से जल कष्ट की समस्या गम्भीर रूप धारण कर रही है। रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में गर्मी के दिनों में हर साल टैंकरों द्वारा पीने का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। काफी गांवों में अकाल की स्थिति होने से टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

मई, जून और 15 जुलाई तक युद्धस्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाने के लिए अभी से व्यवस्था करनी आवश्यक है। अभी से गर्मी शुरू हो गई है, अतः जहां पीने के पानी का संकट है, वहां पानी ट्रकों और टैंकरों द्वारा पहुंचाना है।

जब-जब पीने के पानी का भयंकर संकट पैदा हुआ है, केन्द्र सरकार ने मिलैट्री की सेवा भी

प्रदान की है और मिलैट्री ने बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में मई, जून और 15 जुलाई तक पानी पहुंचाया है।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार की मदद में आकर मिलैट्री की सेवा का प्रबन्ध करावे ताकि युद्धस्तर पर मिलैट्री द्वारा टैंकरों से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाकर उन्हें राहत पहुंचावे।

**(दो) मुरादाबाद के पीतल उद्योग की सहायता करने के लिए नट कोक और पर्ल कोक की सप्लाई करने की मांग**

**श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र है। मुरादाबाद की परम्परागत जगत प्रसिद्ध ब्रास उद्योग की छोटी-छोटी भट्टियों में प्रयोग में आने वाला विशेष प्रकार का कोयला "नट कोक" "परल कोक" की सप्लाई ठीक नहीं होने से उद्योग को भारी संकट हो रहा है। उपरोक्त कोक पीतल के बर्तनों के बनाने में काम आता है। सरकार इन कोक को वैगनों द्वारा भेजने की उचित व्यवस्था करे।

**(तीन) सम्बलपुर से उड़ीसा के पश्चिमी भागों तक दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण करने हेतु वहां पर एक 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता**

**[अनुवाद]**

**डा० कृपासिन्धु भोई** (सम्भलपुर): सम्भलपुर में जो कम शक्ति का ट्रांसमीटर लगा हुआ है उसकी क्षमता 1 किलोवाट है। चूंकि सम्भलपुर पश्चिमी उड़ीसा का एक महत्त्वपूर्ण नगर है जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के 47 प्रतिशत लोग रहते हैं इसलिए इस पिछड़े क्षेत्र में वैज्ञानिक वातावरण तैयार करने के लिए बड़ी क्षमता वाला ट्रांसमीटर लगाना आवश्यक है जिसकी आजादी के बाद से उपेक्षा की गई है और 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लिए भारत सरकार का संदेश तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा हस्ताक्षरित अल्प-आय घोषणा पत्र में समाविष्ट 2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य का सन्देश भी वहां पहुंचाना चाहिए। पश्चिम उड़ीसा में अधिकांश लोगों तक ये संदेश नहीं पहुंचते हैं।

इसको ध्यान में रखते हुए इस कम शक्ति के ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाकर 10 किलोवाट तक किया जाना चाहिए, ताकि पश्चिमी उड़ीसा के 70 प्रतिशत लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

इसके साथ ही वहां एक स्टूडियो स्थापित किया जाए। पश्चिमी उड़ीसा की भाषा उड़िया से पूर्णतया भिन्न है। इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब तक पश्चिमी उड़ीसा में कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए स्टूडियो नहीं बनाया जाएगा तब तक वहां के लोग उड़िया भाषा को नहीं समझ सकेंगे। समृद्ध सांस्कृति विरासत वाले पश्चिमी उड़ीसा के कलाकारों को सुविधाएं देने के लिए इस स्टूडियो की तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिए।

यदि 10 किलोवाट की क्षमता का ट्रांसमीटर लगाया जाता है तो यह पश्चिमी उड़ीसा के लोगों की आवश्यकताओं को काफी सीमा तक पूरा करने में सहायक होगा।

**12.10 म० प०**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**(चार) नौकाओं से यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक नदी यात्रा विकास निगम स्थापित करने की आवश्यकता**

**श्री दिग्विजय सिंह** (राजगढ़) : अति प्राचीन काल से नदियों में नावों द्वारा यात्रा संचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन रहा है। पर्यटन, जिसे अतीत में तीर्थ यात्रा कहा जाता था नावों द्वारा बहुत लोकप्रिय था।

परिवहन के अन्य साधन शुरू होने के कारण नदी परिवहन उपेक्षित-सा हो गया। लेकिन अब समय आ गया है जबकि इसके पुनः शुरू होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी।

आंशिक रूप से इसका कारण यह है कि परिवहन के अन्य साधनों के साथ काफी अड़चनें आ रही हैं परन्तु मुख्य कारण यह है कि यह अद्वितीय और अत्याधुनिक किस्म के यात्रा का साधन है। गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों में स्थानीय पर्यटन और तीर्थयात्रा दोनों के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा सर्किटों के लिए लांच चलाने की अत्याधिक साधन क्षमता है।

लेकिन इस संकल्पना को बढ़ावा को देने के लिए सभी नई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। विशेष नौकाओं में व्यापक बुकिंग सुविधा की व्यवस्था करनी होगी। आविष्कार परियोजना का आकार बहुत बड़ा हो सकता है।

इस तरह कार्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार को नदी यात्रा विकास निगम के नाम से एक स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना करनी चाहिए और इस तरह की एजेंसी द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराना चाहिए। इस निगम के पास न केवल अपनी ही नावें हों और वह यात्रा की व्यवस्था अपने आप करे बल्कि निजी क्षेत्र में विशेष परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित करे।

**(पांच) अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, कश्मीरी गेट, दिल्ली का विस्तार करने तथा उसके प्रबन्ध को सुधारने की आवश्यकता**

**[हिन्दी]**

**श्री जयप्रकाश अग्रवाल** (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कश्मीरी गेट स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल आज सर्वथा अनुपयोगी सिद्ध हो गया है। लगभग 20 वर्ष पहले चार करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया गया था और इसका उद्देश्य यह था कि राजधानी में विभिन्न स्थानों पर बढ़ती हुई परिवहन सेवाओं को नियन्त्रित कर व्यवस्थित और सुचारू रूप दिया जा सके।

इस परिवहन टर्मिनल पर प्रशासनिक नियन्त्रण दिल्ली विकास प्राधिकरण का है, जबकि ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक का दिल्ली विकास प्राधिकरण से कोई सरोकार नहीं है। आगामी वर्षों में दिल्ली में आने और जाने वाली बसों की संख्या 1000 तक पहुंच जायेगी जिसे सम्भालने में मौजूदा टर्मिनल अपर्याप्त है।

वर्तमान में चार हजार बसें टर्मिनल का उपयोग कर रही हैं और प्रतिदिन ढाई लाख

मुसाफिर यहां चढ़ते-उतरते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए इसी स्थान को और बड़ा बनाने की आवश्यकता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान. मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से आने-जाने वाली बसों के लिए स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता है। सब राज्यों के लिए उद्‌गम होने वाला ट्रैफिक एक स्थान पर रखना उचित नहीं है।

अत: हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए पृथक और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए अलग स्थान, लेकिन इससे जुड़ा हुआ हो ताकि मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह भागना न पड़े। मुसाफिरों और परिवहन प्रबंधकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को दृष्टिगत कर राजधानी में इस बस टर्मिनल को और बड़ा तथा सुविधाजनक बनाया जाए।

**(छ:) मुरैना, मध्य प्रदेश में एक तेल शोधक कारखाना खोलने की आवश्यकता**

**श्री कम्मोदी लाल जाटव** (मुरैना): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के चम्बल सम्भाग के मुरैना जिले में पिछले काफी दिनों से एक तेल शोधक कारखाने की चर्चा काफी नर्मी-गर्मी से चली थी जिसको हर-रोज अखबार वगैरह में प्रसारित किया जाता रहा, लेकिन अचानक ही खबरें आनी बन्द हो गई हैं और न ही वह तेल शोधक कारखाना कहीं पर लगाया गया है। अब मध्य प्रदेश की जनता इसका इन्तजार कर रही है कि कारखाना खुलने से मध्य प्रदेश एवं मुरैना की जनता को रोजी-रोटी मिलेगी व आसपास के इलाकों की वृद्धि होगी।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मुरैना जिले में तत्काल तेल शोधक कारखाना बनाया जाये तो अति कृपा होगी।

**(सात) एन० आर० ई० पी० और एन० एल० एल० ई० जी० कार्यक्रमों के अधीन मिर्जापुर जिले के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता**

**[अनुवाद]**

**श्री उमाकान्त मिश्र** (मिर्जापुर): हमारी स्वर्गीय और महान प्रधान मंत्री तथा नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारत के निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्यक्रम शुरू किए थे। 20-सूत्री कार्यक्रम में दो मुख्य बातें हैं, अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिसका उद्देश्य निर्धन ग्रामीण लोगों को रोजगार जुटाना है और साथ ही साथ ये कार्यक्रम गांवों में विकास-सम्बन्धी गतिविधियों के लिए बहुत उपयोगी हैं। उन गावों को जहां सिंचाई सुविधाओं, सम्पर्क सड़कों, पेयजल के कुओं, स्कूल भवनों तथा पुलियों आदि की आवश्यकता है, उपर्यक्त विकास सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था करने के लिए इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लिया जा सकता है। मेरे जिला मिर्जापुर में ऐसे कई गांव तथा विकास खंड हैं जिनमें सिंचाई सुविधाओं, पेय जल के कुओं, सम्पर्क सड़कों, स्कूल भवनों तथा पुलियों आदि की कमी है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि एन० आर० ई० पी० तथा एन० एल० एल० ई० जी० कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिर्जापुर जिले में इस तरह की परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था की जाए।

**(आठ) नवम्बर में हुए दंगों के दौरान आजादपुर फल मंडी के आस-पास फलों से लदे हुए ट्रकों को आगजनी से पहुंची क्षति तथा इससे प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की आवश्यकता**

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** (बारामूला) : 1, 2, 3 नवम्बर 1984 को आजादपुर सब्जी मण्डी में तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आगजनी की घटनाएं हुई थीं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 290 ट्रक क्षतिग्रस्त हुए थे और फल जला दिए गए थे। 160 ट्रक पूरी तरह से जला दिए गए थे। इस घटना के तुरन्त बाद विभिन्न एजेंसियों ने ट्रक मालिकों और फल उत्पादकों को मुआवजा दिलाने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ सम्पर्क स्थापित किया। चार महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक फल उत्पादकों को, जिनके फल से लदे 290 ट्रक क्षतिग्रस्त हुए थे, मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी प्रकार ट्रक मालिकों को भी मुआवजा नहीं मिला है। कृषि मंत्रालय को फल उत्पादकों और अन्य लोगों को निर्धारित मानकों के अनुसार राहत देने हेतु मुआवजा देना है। मैं कृषि मंत्रालय से फल उत्पादकों और अन्य लोगों को मुआवजा देने के लिए तथा निर्धारित मानकों के अनुसार तुरन्त सहायता राशि मंजूर किए जाने के लिए आग्रह करता हूं।

**(नौ) 9 अप्रैल 1985 को हुई आकस्मिक वर्षा के कारण राजधानी में सार्वजनिक जीवन का अस्त-व्यस्त हो जाना तथा जल निकासी व्यवस्था का सुधार करने की आवश्यकता**

**श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : हमारे देश राजधानी में कल थोड़े समय की वर्षा तथा तूफान के कारण सामान्य-जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया था।

काफी दिनों के शुष्क मौसम के बाद कल दिल्ली में थोड़े समय तक वर्षा हुई। लेकिन इससे दिल्ली के विभिन्न भागों में शहर का जन जीवन ठप्प पड़ गया। कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कुछ घायल हो गए, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में मकान गिर गए थे। यातायात ठप्प हो गया था, क्योंकि पेड़ों से शाखाएं टूटकर सड़कों पर गिर पड़ी थीं। कुछेक स्थानों पर पानी भर गया और कुछेक स्थानों को बिजली की सप्लाई के बन्द होने का सामना करना पड़ा। इन सभी समस्याओं को निपटाने में काफी समय लगा।

ऐसी स्थिति में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि राजधानी में जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए और एक ऐसा स्थायी तन्त्र स्थापित किया जाए जो कि शीघ्र ही इस तरह की स्थिति को निपटा सके।

---

**12.17 म० प०**

## सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें, 1985-86

### इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 83 से 85 पर चर्चा तथा मतदान करेगी जिसके लिए छः घंटे दिए गए हैं।

सदन में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित

किए गए हैं। यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं तो वे जिन कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं उनके क्रमांक को दर्शाते हुए पर्चियों को वे 15 मिनट के अन्दर सभा-पटल भेज दें। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ समझा जाएगा।

जिन कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ माना जाएगा उनको एक सूची, जिसमें क्रम संख्या बताई गई होगी, थोड़ी देर में नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में किसी प्रकार की गलती पाता है तो वह कृपया बिना विलम्ब के इसे पटल अधिकारी के ध्यान में लाए।

प्रस्ताव प्रस्ताव हुआ :

"इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 83 से 85 तक के सामने कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

**लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय से सम्बन्धित 1985-86 की अनुदानों की मांगें**

| मांग संख्या | मांग का नाम | 25-3-85 को सभा द्वारा स्वीकृति लेखानुदान की मांग की राशि | | सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| | इस्पात खान और कोयला मंत्रालय | राजस्व रु० | पूंजी रु० | राजस्व रु० | पूंजी रु० |
| 83. | इस्पात विभाग | 2,43,11,000 | 1,17,32,83,000 | 12,15,60,000 | 5,86,64,17,000 |
| 84. | खान विभाग | 20,47,79,000 | 50,24,16,000 | 1,09,89,00,000 | 1,47,12,84,000 |
| 85. | कोयला विभाग | 24,74,48,000 | 1,77,50,01,000 | 1,23,72,44,000 | 8,87,50,05,000 |

अब श्री एस० एम० भट्टम चर्चा शुरू करेंगे ।

**श्री एस० एम० भट्टम** (विशाखापत्तनम) : महोदय, आरम्भ में मुझे "माउन्टेन्स आफ कोल अप इन स्मोक" (कोयले का विशाल भण्डार आग की लपटों में) शीर्षक के अन्तर्गत कल के स्टेट्समैन में छपे एक समाचार का उल्लेख करने की अनुमति दी जाए । इसमें यह कहा गया था :

"कोल इण्डिया लिमिटेड की कोयला खानों के मुहानों पर हजारों टन कोयले में आग लग गयी और वह या तो पूरी तरह नष्ट हो गया या उद्योग के लिए बेकार हो गया ।"

यह कोई छुटपुट घटना नहीं है । यह आकस्मिक आग लगने का मामला नहीं है । इसमें आगे और कहा गया है :

"प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपया का कोयला जलकर नष्ट हो जाता है...।"

जैसा कि पता चला है यह एक स्थायी और सतत प्रक्रिया है ।

इसके बाद महोदय यह भी आगे कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड कम्पनियों के पास 31 मार्च को 700 करोड़ रुपए के मूल्य का 298 ला टन कोयला मुहानों पर था । इस तरह के कई जगह पड़े कोयला भण्डारों में आग लगा दी गई । यह एक गम्भीर स्थिति है । यह एक गम्भीर मामला है । मुझे विश्वास नहीं है कि सरकार ने इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया है । मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री जी या सरकार के किसी महत्वपूर्ण अधिकारी ने इस स्थान का दौरा किया है, उन्होंने आवश्यक कदम उठाए हैं और स्थिति की उपयुक्त जांच के आदेश दिए हैं तथा स्थिति से निपटने की कोशिश की है । यह अनिश्चित काल तक क्यों चलती रहती है ? वे इसे रोकते क्यों नहीं हैं ? यह राष्ट्र के धन का अपव्यय है । केवल यही नहीं इसमें कोक का कोयला भी शामिल है । इस्पात के उत्पादन के प्रयोजन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल है । जब मैं इस बारे में बता रहा हूं तो मैं उस समय सरकार से आवश्यक कदम उठाने के लिए आग्रह करता हूं कि इस तरह की घटनाएं न हों और पूरे मामले में आवश्यक जांच के आदेश दिए जाएं तथा यह देखें कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्पत्ति इस तरह व्यर्थ न की जाए ।

अब मैं विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र पर आता हूं जिसके बारे में कुछ समय पहले मुझे मंत्री जी को एक अभ्यावेदन भेजने का मौका मिला था । इससे पहले कि मैं इस विषय में कहूं, मैं उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस संयंत्र को शुरू करने में जो प्रतिदिन का विलंब हो रहा है उससे सरकार को 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन की हानि होगी । मैं यह स्थिति या बचाव अपनी ओर से नहीं बता रहा हूं । 18-19 फरवरी को इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में यह स्थिति अचानक आ गई है । अतः इसकी आलोचना या खण्डन करने का प्रश्न ही नहीं होता । यह मूल तथ्य है । वास्तव में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र बहुत खराब हालत में है । यह स्थिति जारी है । इसकी स्थिति नाजुक है । जानबूझकर या गलतियां करके इसकी स्थिति खराब कर दी जाती है या कभी इसकी स्थिति सुधर जाती है संयंत्र की यह स्थिति हो गयी है । किसी को यह पता नहीं है कि यह कब चालू किया जाएगा । केवल भगवान् ही इसे जानता है । मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री जी भी इसे जानते हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि इसे केवल भगवान् जानता है ।

मेरी जानकारी के अनुसार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के अधिकारियों ने इस वर्ष के लिए 2500 करोड़ रुपए की मांग की थी । इस्पात तथा-खान मंत्रालय ने 1600 करोड़ रुपए की सहायता की है । योजना आयोग ने लगभग 1400 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी । अन्त में

वित्त मंत्रालय ने 215 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह रवैया है। आज हमारी क्या स्थिति है ? क्या सरकार पूरी तरह गंभीर है ? इसका कार्यान्वयन गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यह देश का सबसे पहला अत्याधुनिक तट पर आधारित संयंत्र है। क्या सरकार इस संयंत्र के साथ यही बर्ताव करना चाहती है ? मुझे आश्चर्य हुआ है और धक्का लगा है। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि इसकी वर्तमान स्थिति से आन्ध्र प्रदेश के लोग काफी चिन्तित हैं। उन्हें स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। इस स्थिति और वित्तीय दशा को सुधारने के लिए कोशिश करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कुछ किया जाए।

मैं संक्षिप्त रूप में इस सभा में संयंत्र के अजीब इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। 1960 में पहली बार इसके बारे में विचार किया गया था। 1970 में इसे संयंत्र को विशाखापत्तनम में स्थापित करने का निर्णय किया गया। 1971 में आधारशिला रखी गई। 1979 में सार्वजनिक निवेश ब्यूरो ने इसकी स्वीकृति दी। अत: इस परियोजना के स्वीकृत करने के लिए 20 वर्ष लगे। यह प्रारंभिक समस्या थी।

इसके बाद सोवियत संघ तथा भारत इस संयंत्र को दिसम्बर 1980 तक लगाने के लिए सहमत हो गए। उसी समय ऐसा अनुमान था कि इस संयंत्र का पहला चरण 1984 में पूरा हो जाएगा और दूसरा चरण 1986 में पूरा हो जाएगा। इसमें 2 वर्ष का अन्तर था। 1980 के बदले 1982 से दिन लिए गए जिसके परिणामस्वरूप पहला चरण फरवरी 1986 में पूरे हो जाने की आशा थी। इस प्रकार इसका कार्यक्रम दोबारा से तैयार किया गया। बाद में इसका कार्यक्रम 1987-88 तक के लिए तैयार किया गया। पहले और दूसरे चरण के बीच जैसे कि शुरू में परिकल्पना की गयी थी केवल 2 वर्ष का अन्तर था। लेकिन अब पहला चरण 1987-88 में पूरा किया जाएगा और दूसरा चरण उसके 4 वर्षों के बाद अर्थात 1991-92 में पूरा किया जाएगा। यह परियोजना का पुन: चरणबद्ध कैसा है। इस इस्पात संयंत्र के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया है।

क्या यह उचित है ? क्या यह ठीक है ? मैं माननीय मंत्री से एक मिनट के लिए इस पर विचार करने के लिए आग्रह करता हूं। 1979 में जब पहली अनुमानित लागत तैयार की गई थी तो यह आशा की गयी थी कि यह संयंत्र 2256 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो जाएगा। 1980 में और संशोधन किया गया और यह 2907 करोड़ रुपए हो गई। यह आशा की गयी थी कि यह संयंत्र उस राशि से पूरा हो जाएगा। उन्होंने उस समय क्या किया। 1980-81 में उन्होंने 71 करोड़ रुपए, 1981-82 में 146 करोड़ रुपए और 1982-83 में 1250 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की थी। इसी प्रकार वे करते गए। उन्होंने इसमें विलम्ब किया। वे टाल मटोल करते रहे। उन्होंने परियोजना के लिए आवश्यक धन नहीं दिया जिसका परिणाम यह हुआ है कि मूल्यों में वृद्धि से कारण अब यह धनराशि 8300 करोड़ रुपये हो गई है। जिस परियोजना को 2256 करोड़ रुपये से पूरा किया जा सकता था अब उसकी लागत 8300 करोड़ रुपए हो गई है। मैं यह नहीं समझ सका कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में ताजे प्राक्कलन, ताजे आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत करते। मैंने यह प्रश्न उठाया था और मुझे यह उत्तर दिया गया है कि यह ताजे प्राक्कलन नहीं हैं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सभा को अन्धेरे में न रखें। उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि यह ताजे और संशोधित प्राक्कलन हैं। वे इसके बारे में बताते क्यों नहीं ? यह प्रस्ताव उनके ध्यान में कब लाया गया ? मुझे बताया गया है कि सलाहकार ने इसे तैयार कर दिया

है; इसे तैयार कर दिया है और इस पर मन्त्रालय विचार कर रहा है। मन्त्रालय इस पर कितनी देर तक विचार करता रहेगा। उन्हें यह बताना चाहिए कि इसे कब तक पूरा किया जाएगा। यदि इसमें और विलम्ब किया गया तो इससे उसकी लागत और बढ़ जाएगी और उसकी लागत में असामान्य वृद्धि हो जाएगी। अन्ततः उन्हें यह घोषित करना पड़ेगा कि इसकी लागत में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। मेरे विचार से इस परियोजना का भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा, ऐसी हमारी आशंका है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त धनराशि देने में अब जानबूझ कर अथवा अन्यथा विलम्ब न किया जाए।

मैं इस समय विशाखापत्तनम में बनने वाली इस परियोजना की कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न कमियों, भूलों तथा अन्य सूचना के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल उसका उल्लेख मात्र कर देना चाहता हूं। मैं ऐसा करने के लिए बाध्य हूं मेरे लिए ऐसा करना अनिवार्य है।

$4\frac{1}{2}$ लाख टन में से केवल 7670 टन के उपकरण ही लगाए गए इन्हेंहैं। सही एवं सन्तोषजनक ढंग से नहीं लगाया गया है। संरचनात्मक इस्पात की विशेष किस्में उपलब्ध नहीं हैं। विशेष किस्म में इस इस्पात के लिए आदेश भी नहीं दिए गए हैंक्योंकि धनराशि ही उपलब्ध नहीं है। यदि आप आदेश भी नहीं देते तो आप कारखाने की स्थापना की कैसे आशा कर सकते हैं। यह कारखाना कब तक स्थापित हो जाएगा? चरण एक के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के आदेश नहीं दिए गए हैं। चरण एक के लगभग सभी प्रमुख एकक शोचनीय स्थिति में हैं। इस सम्बन्ध में यह स्थिति है।

मैं एक अन्य पहलू अर्थात् पुनर्नियोजन की नीति का उल्लेख करना चाहता हूं। भारत सरकार प्रति विस्थापित परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है। इस सम्बन्ध में यह आश्वासन दिया गया है। भारत सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। क्या वे इस आश्वासन को पूरा नहीं करना चाहते? मैंने एक प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर यह दिया गया है। मैं उस उत्तर को यहां उद्धृत करना चाहूंगा :

"यह भारत सरकार की नीति है कि वह रोजगार के बारे में विचार करेगी।"

इस सम्बन्ध में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है "रोजगार के लिए विचार करेगी।"

"इस्पात संयंत्रों में प्रत्येक परिवार से एक समर्थांग व्यक्ति।"

वे मात्र विचार करना चाहते हैं। वे वचनबद्ध नहीं हैं। इससे पहले वचन दिया गया था। आप उससे मुकर कैसे सकते हैं?

मैं स्वर्गीय प्रधान मन्त्री द्वारा तथा सम्बद्ध मन्त्रियों द्वारा इस सभा में और अन्य स्थानों पर और विशाखापत्तनम में भी दिए गए पुनः अनेक आश्वासनों का उल्लेख कर सकता हूं जिनमें कहा गया कि विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा।

अब वे यह कह रहे हैं कि इस सम्बन्ध में प्रयास किए जाएंगे और वे उन पर विचार करेंगे। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं उन्हें समस्या की गम्भीरता से परिचित कराना चाहता हूं।

25,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लगभग 13,000 परिवार विस्थापित हुए थे, उनमें से अब तक केवल 1274 परिवारों को ही रोजगार दिया जा सका है। क्या आप शेष लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते? क्या आप उनका कल्याण नहीं करना चाहते? उन्हें

उनके घरों से विस्थापित किया गया था। उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उनके घरों को गिराया गया था। यद्यपि उनका कहीं न कहीं पुनर्वास किया गया है किन्तु उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई हैं। सभी को नौकरियां नहीं दी जा सकी हैं। पिछले 5-6 वर्षों से वे सड़क पर थे। उनके लिए कुछ नहीं किया गया है।

केवल इतना ही नहीं, आप आंकड़े देखिए। 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन में उन्होंने कहा है कि 1124 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया।

1984-85 में उसमें कुछ सुधार हुआ। 1274 व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई। इस सम्बन्ध में 1983-84 की तुलना में लगभग 100 व्यक्ति अधिक हैं। केवल इतना ही सुधार हुआ है।

इनकी नियुक्ति संविदा पद्धति के अन्तर्गत की गई है। इसका भी उल्लेख किया गया है। वे इसका श्रेय लेना चाहते हैं। ठेकेदार रोजगार देते हैं और सरकार उसका श्रेय लेना चाहती है और इसका वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख करती है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यहां वास्तविक स्थिति क्या है?

कृपया आप इस बात को देखें कि 1983-84 के वर्ष में 4533 व्यक्तियों को ठेकेदारों द्वारा रोजगार दिया गया।

अगले वर्ष 1984-85 में यह संख्या घट कर 4327 ही रह गई।

आगे इतनी संख्या भी नहीं रही और उसमें और कमी की गई। एक इस्पात संयंत्र में नैमित्तक श्रमिकों समेत रोजगार की सम्भावनाएं क्या हैं? जिस अवधि में अत्यधिक कार्य होता है तब 50,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है। अब 30,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है। अतः ऐसा क्यों हो रहा है कि ठेकेदार केवल 4000 व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं? इन सभी 30,000 व्यक्तियों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं? यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। इस गैर-जिम्मेदारी को लोग सहन नहीं करेंगे। मन्त्री महोदय मुझे क्षमा करें। मेरे हृदय में उनके लिए बहुत सम्मान है। मैंने आपके कुछ भाषण और लेख पढ़े हैं और मेरे हृदय में आपके प्रति आदर का भाव पैदा हो गया है। किन्तु आप भी क्या कर सकते हैं? आपने तो हाल में इस मन्त्रालय का प्रभार सम्भाला है। अनेक बाते हुई हैं। 1984 में समाप्त होने वाले 12 वर्षों में इस्पात और खान मन्त्रालय में 9 बार मंत्री पद में परिवर्तन हुआ है, सचिव पद में पांच बार और इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष पद में 5 बार परिवर्तन हुआ है। यह पता नहीं चलता कि कौन कब तक पद पर बना रहेगा। अतः ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के निरन्तर दायित्व अथवा एक नीति विशेष के पालन की बात नहीं होती। इसलिए, यह कठिनाई पैदा होती है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूं। किन्तु आपको भी वहां की जनता की मुसीबतों को समझना चाहिए। हम उनके कष्टों के लिए उत्तरदायी हैं। हमारी उनके प्रति जवाब देही है। हो सकता है कल हमें उन लोगों के रोष का सामना करना पड़े।

इस्पात संयंत्र के बारे में, मैं अन्त में एक बात कह रहा हूं इस पर मन्त्रालय को विचार करना चाहिए। 25,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और वह भी 1250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। वे इससे भी सन्तुष्ट नहीं हुए हैं वे 5000 अथवा 10,000 एकड़ भूमि का और अधिग्रहण करना चाहते हैं, इस तरह वे लोगों को भूमि से वंचित कर देंगे, उन्हें विस्थापित कर देंगे और फिर उनका कभी ध्यान नहीं रखेंगे। इस भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य क्या है? आप अधिक से

अधिक भूमि का अधिग्रहण करते जा रहे हैं। यह बड़ी क्रूरता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसे बन्द करे। भविष्य में उन्हें कभी भी भूमि अधिग्रहण की मांग नहीं करनी चाहिए। पश्चिमी देशों में 100 अथवा 200 एकड़ भूमि में प्रमुख उद्योगों की स्थापना कर ली जाती है। यहां आप पहले ही 25,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुके हैं और अभी आप और 10,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में सीमा लागू करनी होगी। कृपया इस पर विचार कीजिए। मैं इस विषय पर और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा विचार है कि मैंने जो मुद्दे उठाये हैं उन पर मन्त्री महोदय समुचित विचार करेंगे। वे पहले ही कह चुके हैं कि इस्पात क्षेत्र में स्थिति सुधारने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है, चाहे उन्हें इस्पात के लिए कहीं से भी प्रबन्ध क्यों न करना पड़े उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसकी केवल वर्तनी में परिवर्तन किया है उन शब्दों का अर्थ और भाव यही है। मुझे विश्वास हैं कि वे ऐसा कर सकेंगे और परमात्मा उन्हें ऐसा करने की पर्याप्त शक्ति देगा।

इस्पात अनेक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला मूल कच्चा माल है। यह उचित ही है कि देश में औद्योगिक विकास को तेज करने हेतु पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस्पात की उत्पादिकता और उत्पादन में वृद्धि की जाए। एक वर्ष में इस्पात के उत्पादन में से 4 प्रतिशत की खपत भवन निर्माण क्षेत्र में होती है, लघु उद्योग 18 प्रतिशत ले लेते हैं उद्योगिक मशीनों के लिए 5 प्रतिशत की आवश्यकता होती है और धातु निर्माता 15 प्रतिशत लेते हैं। यदि किसी देश को विकास करना है तो इस्पात की सभी क्षेत्रों में मांग होती है। इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैं यह सोच रहा था कि क्या मन्त्री महोदय इस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करने में सफल हो सकेंगे जो सरकार द्वारा जनता में संचारित की गई आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होंगे। मेरे विचार से इस सदी के अन्त तक के लिए यदि लक्ष्य निर्धारित किए गए तो वह 500 अथवा 600 लाख टन होंगे। किन्तु उन्होंने केवल 310 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि विकास दर 4 प्रतिशत है तो उत्पादन की मांग चार करोड़ टन होगी। यदि विकास दर 5 प्रतिशत हो तो तब यह मांग 5 करोड़ टन होगी। इसी प्रकार 2000 वर्ष तक मांग 310 लाख टन होगी। बस इतना ही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किन्तु क्या हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे? क्या इसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है। मुझे इसमें सन्देह है क्योंकि हर वर्ष बजट में की जा रही व्यवस्था में कमी आती जा रही है। यह बढ़ने की बजाय घट रही है। उदाहरण के वेदि पर, दूसरी पंच-वर्षीय योजनावधि में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आबंटन 4.5 प्रतिशत था। तीसरी योजनावधि में यह 5.9 प्रतिशत था। चौथी योजनावधि में 4.5 प्रतिशत और पांचवी योजनावधि में 3.3 प्रतिशत और छठी योजनावधि में 2.36 प्रतिशत था। हर वर्ष आबंटन में कमी आ रही है। यह कम होता जा रहा है। इस बारे में मन्त्रालय क्या कर सकता है? जब तक सरकार स्वयं सरकारी क्षेत्र, विशेष रूप से निर्माणाधीन इस्पात परियोजनाओं के लिए निरन्तर आबंटन करके मुख्य क्षेत्र में सुधार नहीं करती, वे कोई अधिक सहायता नहीं दे सकेंगे। अत: आवश्यकता इस बात की है कि इस्पात प्राधिकरण की परियोजनाओं में आधुनिकीकरण, नवीकरण किया जाये, विस्तार कार्यक्रमों को पूरा किया जाए और निर्माणाधीन परियोजनाओं और विभाग इस्पात संयंत्र को पूरा किया जाए। मैं आधुनिक प्रौद्योगिकी का उल्लेख करते समय एक बात कहना चाहूंगा। अनुसन्धान और विकास विधियों के माध्यम से ऊर्जा के समुचित परिक्षण से ऊर्जा की अमरीका और जापान में 25 से 40 प्रतिशत खपत कम हो गई है। दूसरा, भारत में धमन भट्टियों का उत्पादन दूसरे देशों की तुलना में धमन भट्टी आयतन का प्रति घन फुट 2.5 टन की तुलना में एक टन है। यह सब अनुसंधान और विकास के बल पर किया गया है। अनुसन्धान और विकास के लिये कितनी धनराशि

दी गई थी ? यह धनराशि केवल 50 करोड़ रुपए थी। यह धनराशि तो 100 करोड़ रुपये भी नहीं थी। समस्या यह है कि आपको चूना पत्थर में से अलुमीना तत्व निकालना है सिलीकन तत्व निकालना है और आपको कोयले में से राख तत्व निकालना है। यह कार्य अनुसन्धान और विकास के माध्यम से किया जा सकता है। इस विषय की ओर कितना ध्यान दिया जा रहा है ? कृपया इस पर अवश्य विचार करें।

मैं एक अन्य मुद्दा भी उठाना चाहता हूं। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि इस्पात अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में अनेक उद्योगों में आधारभूत कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। देश में इस्पात के उत्पादन और उसकी खपत के स्वर से ही उसके विकास स्तर का निर्धारण होता है। अत: विश्व के देशों की तुलना में भारत की स्थिति क्या है ? हमें इस समय इस तथ्य की जांच करनी है। 1982 में विश्व में 6440 टन इस्पात का उत्पादन हुआ और इसमें से भारत में केवल 1.7 से 2 प्रतिशत उत्पादन हुआ जबकि हमारी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 20 प्रतिशत है। यह हमारी स्थिति है, हमारा स्वर है। भारत में इस्पात की खपत भी अत्यन्त कम है—जापान में इस्पात खपत 629 किलोग्राम, पश्चिम जर्मनी में 549 किलोग्राम, रूस में 570 किलोग्राम और अमरीका में 508 किलोग्राम है उसकी तुलना में भारत में केवल 18 किलोग्राम की खपत है। मध्यम आय वर्ग के देशों—ब्राजील, अर्जेनटीना जैसे नए उद्योगीकृत देशों में भी इस्पात की खपत भारत की तुलना से कहीं अधिक है। भारत और जापान ने 1948 में एक ही स्तर से आरम्भ किया था। हमारा उत्पादन 13 लाख टन था और उनका 17 लाख टन था। किन्तु जापान की आज स्थिति क्या है ? 1970 में जापान में 930 लाख टन का उत्पादन था जबकि भारत में केवल 63 लाख टन का उत्पादन था। 1982 में वे 1000 लाख टन उत्पादन कर रहे थे किन्तु हम 110 लाख ही उत्पादन कर रहे थे। जापान को भी गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके पास आवश्यक कच्चा माल नहीं है। उन्हें विभिन्न देशों से कच्चे माल का आयात करना पड़ता है जबकि प्रकृति ने हमें कच्चे माल के प्रचुर संसाधन दिए हैं। हमें इसके लिए किसी अन्य देश के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और फिर भी हमारा उत्पादन इतना कम है। हम उत्पादन के सम्बन्ध में इतना अधिक पीछे क्यों रह गए हैं—हम इतना क्यों पिछड़ गए हैं—मन्त्री महोदय इन बातों पर ध्यान दें।

अब मैं छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र की वित्तीय स्थिति पर गौर करूंगा। इस सम्बन्ध में स्थिति बड़ी ही असन्तोषजनक और निराशाजनक है। लाभ-प्रदत्ता कम हो रही है। एस० ए० आई० एल० हानि उठा रहा है। 1978-79 में लाभ 65.84 करोड़ रुपए था और 1982-83 में हानि 106 करोड़ रुपए है जबकि 1983-84 में 215 करोड़ रुपए की हानि हुई। अब हम हमेशा बढ़ रही हानि के नए युग में प्रवेश कर गए हैं और आज जहां हम खड़े हैं वह यही जगह है। मेरे दिमाग को जिस बात ने उलझन में डाला, वह यह है कि जब वर्ष 1978-79 में कुल उत्पादन का मूल्य 1677 करोड़ रुपए था तो शुद्ध लाभ 66 करोड़ रुपए हुआ जबकि 1983-84 में कुल उत्पादन 3108 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। ठीक दुगुना हो गया लेकिन इसने हानि उठानी शुरू कर दी है। मैं नहीं जानता कि यह प्रवृत्ति क्या है और यह निरन्तर बनी हुई है। इसी तरह आई० आई० एस० सी० ओ० भी है। 1980-81 में 29 करोड़ रुपए की हानि थी और 1983-84 तक यह 74 करोड़ रुपए हो गयी। एस०ए०आई० एल० तथा जिसके बीच लाभ की स्थिति में बहुत अन्तर है।

अब मैं सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के उत्पादन पर आता हूं। छठी योजना में उत्पादन

का लक्ष्य 8.1 लाख टन था तथा मध्यवर्ती मूल्यांकन के समय इसे 7.3 लाख टन नीचे लाया गया। 1984-85 में इसे और आगे 5.44 लाख टन तक कम किया गया था। नवीनतम संकेतों के अनुसार आप इस लक्ष्य को भी नहीं पहुंच सकते हैं। क्षमता उत्पादन में वृद्धि हुई है और मांग में भी वृद्धि हुई है लेकिन लक्ष्य नीचे क्यों आए हैं। 1979-80 में मांग 80 लाख टन तक बढ़ी थी। 1984-85 में यह 129 लाख टन होगी और 1989-90 तक यह 184 लाख टन होगी। अतः मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह, क्षमता भी बढ़ी है। 1979-80 में यह 72.3 लाख टन थी। 1984-85 में यह 98 लाख टन होगी।

अब मैं वर्ष वार आंकड़े लेता हूं। वर्ष 1981-82 में लक्ष्य 63 लाख टन था। तीन वर्ष के पश्चात् वर्ष 1984-85 में लक्ष्य कम करके 544 लाख टन कर दिया गया था। उत्पादन क्षेत्र में भी वर्ष 1981-82 में उत्पादन 56.5 लाख टन का और तीन वर्षों के पश्चात 1984-85 में उत्पादन को 54.1 लाख टन तक कम कर दिया गया था। हमें छठी योजना के लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए जिसका लक्ष्य 81 लाख टन था और अब लक्ष्य को 34 प्रतिशत कम कर दिया गया है। यह स्थिति है।

इसके बाद महोदय अब भिलाई इस्पात संयंत्र 1978-79 का उल्लेख करता हूं। यदि हम भिलाई इस्पात संयंत्र में 1978-79 की बेचे गए इस्पात की अभी भी तुलना करें तो यह 1846 था। ये आंकड़े हजारों में हैं। अब यह 1266 है। अतः 1978-79 से 1984-85 तक यह कम हो रहा है। यह बढ़ नहीं रहा है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में यह 778 था। अब यह 411 है। यह आधा कम हो गया है। 1978-79 में राउरकेला में यह 1042 था। यह अब 686 तक कम हो गया है। यह कैसे हो रहा है ? वर्ष 1982-83 में भिलाई इस्पात संयंत्र बिक्री योग्य इस्पात के क्षमता उपयोग के बारे में यह 93.5 प्रतिशत था। अब इसकी 86% होने की आशा है। 1982-83 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में यह 65.6 प्रतिशत था और इस वर्ष यह 44 प्रतिशत होने जा रहा है। 1982-83 में इसको में यह···प्रतिशत था। अब यह 41 प्रतिशत होने जा रहा है। अतः हम उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर सके हैं। इसमें पूरी तरह असफल हुए हैं। उत्पादन के क्षेत्र में सरकार पूर्णतः असफल हुई है। यह उत्पादन को नहीं बढ़ा सकी है। वे आधुनिकीकरण तथा नए प्रोद्योगिकी को नहीं अपना सकी है। ये वे बातें हैं जो बहुत आवश्यक है। यदि इसमें बिलम्ब होता है तथा दीर्घकालीन स्थिति बनी रहती है तो इसमें राष्ट्र को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार को इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। भिलाई कारखाने ने विस्तार के लिए 10 वर्ष लगाए। बोकारो कारखाने के बारे में हालांकि 17 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मूलरूप से भिलाई कारखाने के विस्तार कार्यक्रम के लिए 938 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था, अब यह 2140 करोड़ रुपए है। बोकारो कारखाने का मूल अनुमान 947 करोड़ रुपए था और अब यह 1981 करोड़ रुपए तक चला गया है। इस तरह प्रत्येक वर्ष लागत में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकार लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है और अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकी है। इसलिए सरकार को अपनी स्थिति पर दोबारा से विचार करना चाहिए तथा आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रमों के बारे में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्हें चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर अधिक जोर देना चाहिए। जहां कहीं आवश्यक हो उन्हें नवीनतम प्रोद्योगिकी को अपनाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**कटौती प्रस्तावों का पाठ**

**श्री वी० सोभनाद्रीश्वरा राव** (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए और अधिक धन राशि के आवंटन में असफलता (1)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए।"

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए अर्जित की गई भूमि के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने में असफलता (2)

[हिन्दी]

**श्री गिरधारी लाल व्यास** (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्टील माइंस और कोल मंत्रालय की डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में जिंक और लैड की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण हुआ है और उस आधार पर मेरे क्षेत्र रामपुरा-अगूचा में जिंक का बहुत बड़ा भंडार मिला है। यह इतना बड़ा भंडार है कि शायद इससे बड़ा भंडार हिन्दुस्तान में दूसरा नहीं है। इसकी वहां पर जो परसेण्टेज है, वह भी हिन्दुस्तान के अन्य इलाकों से सबसे ज्यादा है। इस आधार पर इसे जल्दी से जल्दी चालू किया जाना चाहिए।

अब तक हम सैकड़ों-करोड़ों रुपया जिंक और लेड को इम्पोर्ट करने पर खर्च कर रहे हैं, हमारा फारेन-एक्सचेंज खर्च हो रहा है। यदि इसे जल्दी से जल्दी शुरू कर दें तो उस पैसे को बचाया जा सकता है और अपने देश में इसकी मजबूत व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन आपने प्रावधान रखा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस खदान को शुरू किया जायेगा और उसके बाद एक जिंक स्मैल्टर प्लाण्ट स्थापित किया जाएगा। यह खदान कब चालू होगी और यह प्लाण्ट कब स्थापित होगा, उसके बारे में कोई निश्चित बात आपकी रिपोर्ट में नहीं लिखी गई है। अगर टाइम लिमिट कुछ दिया जाता तो उससे देश को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता था।

इसके अलावा आपने चन्देरिया में जिंक स्मैल्टर प्लाण्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है जो कि गलत कदम है। मैं कहना चाहता हूं कि रामपुरा अगूचा से चन्देरिया कम-से-कम 80 किलोमीटर दूर है। अगर इस प्लाण्ट को रामपुरा अगूचा में ही स्थापित कर दिया जाता तो निश्चित तरीके से लदान का जो पैसा बरसों तक खर्च होगा, जिससे इस पर काफी भार पड़ेगा और उसके कारण यह जिंक और लैड भी बहुत महंगा पड़ेगा, वह बच सकता था।

इसके बारे में हमने पहले भी निवेदन किया था, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपने एक कमेटी इस बारे में बैठाई, उसमें पता नहीं जर्मन के कौन से स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने कह दिया कि जाओ चन्देरिया में स्थापित करो, क्योंकि रामपुरा अगूचा में बिजली और पानी की कमी है।

आप चन्देरिया में भी जो प्लान्ट स्थापित कर रहे हैं, उस पर भी आपको 60 मेगावाट बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब यह व्यवस्था आप वहां करेंगे तो जहां इसका प्रोडक्शन होता है, वहीं इसे स्थापित कर देते तो आप पर लदान का भार जो कि 80 और 100 किलोमीटर

का पड़ेगा, वह कितना मंहगा पड़ेगा ? यह 60 किलोमीटर से ज्यादा का खर्चा बढ़ेगा और बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए इस व्यवस्था पर गौर कीजिए ।

इसके साथ-साथ यह सुझाव दिया गया था कि यहां चन्देरिया में पास में एक प्लांट और घौसूड़ा में सिचाई का प्रोजेक्ट बनाकर उस पर 18-20 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और वहां से चंदेरिया के जिंक स्वैलैटर प्लांट को पानी देंगे । इसी तरीके से हमने सुझाव दिया है कि नन्दराय के पास में हमारे जिले में 15-20 किलोमीटर दूर पर बेड़च नदी है जो कि नन्दराय के पास बहती है । घौसूड़ा से जो पानी चन्देरिया को लाया जाएगा यह 40-50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, उसमें जितनी आप पाइप लाइन लगाएंगे उतना खर्चा बढ़ेगा और जो बांध बनेगा वह कम खर्चे में बन सकता है और यहां से कम एरिया में पाइप-लाइन लगानी पड़ेगी, इसलिए यह जो रामपुरा आगूचा में प्लांट लगाया जाता है तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा ? इस सारी चीज के लिए जो कमेटी बैठी उसने नहीं देखा, किन कारणों से उन्होंने निर्णय ले लिया, मालूम नहीं इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इन पर गौर करें ।

जहां से बहुत डिपाजिट निकलता है और कई वर्षों तक यह जो बराबर ढलाई चलती रहेगी और इस पर लगाने पर जो खर्चा होगा वह इस सारे प्रोजेक्ट से दुगुने-तिगुने से ज्यादा खर्च होगा, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इसे चन्देरिया के बजाय रामपुरा आगूचा में स्थापित किया जाए तो निश्चित तरीके से अच्छा रहेगा । दूसरा निवेदन यह है कि इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए क्योंकि आप देखें कि जो प्रोडक्शन हमारे यहां जिंक और लोड का होता है ।

[अनुवाद]

"इस समय सीसा और जस्ता का देशी उत्पादन मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । प्रतिदिन 8100 टन की उत्पादन क्षमता के मौजूदा सीसा-जस्ता की 6 खानें तथा प्रतिवर्ष सीसा के 30,000 टन की क्षमता और 96000 टन प्रतिवर्ष जस्ता सहित 4-सीसा-जस्ता प्रगालक (स्मेल्ट्स) में 1984-85 के दौरान सीसा की 17000 टन और जस्ता की 57,700 टन के उत्पादन होने की आशा है।"

[हिन्दी]

इसी तरीके से जिस प्रकार की हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को यह जो जितने हमारे प्रोडक्शन हैं, पूरा नहीं करते :

[अनुवाद]

"कार्यकारी दल ने मांग में इस प्रकार हो रही वृद्धि के आधार पर यह परियोजना बनाई कि 1984-85 और 1989-90 के बीच जस्ता धातु के उत्पादन और मांग के बीच अन्तर होगा । यह 1984-85 में 73000 टन होगा । 1985-86 में 62500 टन और 1989-90 में 73800 टन होगा जिसका अर्थ है कि जस्ता के आयात पर अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होगी । जस्ता धातु के लिए मांग के स्तर का संतोष बिना किसी नए प्रगालक संस्थान में 1984-85; 1985-86 और 1989-90 में क्रमश: 44%, 54% और 55% होने की आशा है । रामपुर-अगुच्छा के भंडार को काम में लाने और एक प्रगालक की स्थापना के लिए जिसको 7वीं योजना के लिए प्रस्तावित किया गया है, उससे औसत समय में आयात पर निर्भरता में कमी आने की सभावना है ।"

[हिन्दी]

यह खास तौर पर आपके ध्यान में सारी चीज है जिसको आप देखें। आप जल्दी से जल्दी इन खानों को चलाइए। जो हमारी आवश्यकता है इसको पूरा करें। जो पैसा दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं, उसको वहां खर्च करें। 200 करोड़ रुपए जो बाहर भेजते हैं, उसे बचाने के लिए जिंक स्वैलटर प्लांट को स्थापित कर दें। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता है। करीब 40-50 किलोमीटर में जस्ता और सीसे के भंडार के सम्बन्ध में सर्वेक्षण भी हुआ है जिससे पता चलता है कि काफी मात्रा में यहां से जस्ता और सीसा निकलने की गुंजाइश है।

1.00 म०प०

इसके साथ ही साथ उदयपुर और भीलवाड़ा से आगे जिंक और लीड की बहुत बड़ी बेल्ट अन्दर ही अन्दर चली गई है। मेरे विचार से तो इस देश में ही नहीं, दुनिया में यह जिंक और लीड का सबसे बड़ा डिपाजिट है इसलिए मैं यहीं पर कारखाना स्थापित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं।

इसके साथ-साथ मुझे यह निवेदन करना है कि इसका जो मैनेजमेन्ट है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी पिछले साल ही उन्होंने घाटा दिखलाया है। जब जिंक का इतना प्रोडक्शन हो रहा है फिर लासेज का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। इस साल जरूर कुछ प्राफिट दिखालाया गया है। जब इसमें आपकी मानोपोली है, कोई दूसरी कम्पनी इसको निकालती ही नहीं है तब लासेज का क्या प्रश्न है? या तो फिर मिसमैनेजमेंट की वजह से लास हो रहा है। इसलिए इसकी तरफ भी आपको निश्चित तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जानते ही हैं कि पब्लिक सेक्टर की संस्थायें ठीक प्रकार से काम नहीं करती हैं क्योंकि आपने वहां पर बड़े-बड़े आई०ए०एस० आफिसर्स को बिठाल रखा है, जोकि राजा-महाराजाओं जैसे ठाठ से रहते हैं और उसी प्रकार से खर्चा करते हैं तथा किसी की कोई बात सुनते तक नहीं हैं। वहां जिंक स्मेल्टर में जो* साहब हैं उनसे जब हमने कहा कि आप मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनके मिजाज इस तरह के हैं कि एक पार्लमेंट मेम्बर से बात तक नहीं करना चाहते। उनको बोलने और बात करने तक की तमीज नहीं है। ऐसे लोगों को आपने वहां पर बिठा रखा है। यदि ऐसे ही लोगों को आप बिठायेंगे तो वे कभी भी पब्लिक सेक्टर को आगे नहीं बढ़ने देंगे।

आपने बताया है कि मजदूरों के साथ तथा अन्य लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है लेकिन कल्याण योजनाओं पर जो आपने खर्चा किया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। करोड़ों रुपया कल्याण योजनाओं पर खर्च किया है उसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। यह डिस्क्रीशनरी फंड है, जैसी मर्जी हो खर्च कर देते हैं। लेकिन यह जो पैसा है यह मजदूरों के लिए है, न कि बड़े-बड़े अफसरों के लिए। किस तरह से पैसा खर्च हुआ है, उसको यदि आप ठीक ढंग से नहीं देखेंगे तो मजदूरों का नाम लेकर कल्याण योजनाओं पर बड़ी-बड़ी संस्थायें गड़बड़-घोटाला करती रहेंगी, उस पैसा का दुरुपयोग करती रहेंगी।

इसी तरह से मैं आपका ध्यान हिन्दुस्तान कापर की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। जब मैं 1980 में पहली बार यहां आया था तब मैंने कहा था कि जनता पार्टी के समय में, पता नही कौन अफसर था जिसने 35 हजार टन कापर को इंग्लैंड में, जबकि 34 हजार प्रति टन पर

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बिकना था, 31 हजार प्रति टन पर बेच कर 21 करोड़ का घपला किया था। इस सम्बन्ध में जब मैंने प्रश्न किया तो बताया गया कि मामला अण्डर इंवेस्टिगेशन है, लेकिन आज तक उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इतने बड़े-बड़े लोग जो घपला करते हैं उनके खिलाफ यदि आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो पब्लिक सेक्टर के कारखाने किस तरह लाभ दे सकेंगे और किस तरह से आप आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे? मैं चाहूंगा मंत्री जी इस सम्बन्ध में बतायें कि सरकार की तरफ से क्या ऐक्शन लिया गया है।

इसी तरीके से माननीय मंत्री महोदय से हिन्दुस्तान कापर के हैडक्वार्टर, जो कि कलकत्ता में बना रखा है, के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कलकत्ता में बड़े-बड़े अधिकारियों को रखने की क्या आवश्यकता है, जबकि खानें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और आन्ध्र प्रदेश के अन्दर हैं। कलकत्ता में रहकर कोई भी अधिकारी सारी व्यवस्थाओं को कैसे देख सकता है और सारी व्यवस्था के सम्बन्ध में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हैडक्वार्टर ऐसी जगह पर स्थापित होना चाहिए, जो सारी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से देख सके। ऐसी बात तो है नहीं कि कापर के मामले में कोई खास मार्केट कलकत्ता में हो और सारे हिन्दुस्तान में कहीं पर नहीं है। यदि कलकत्ता में विशेष तौर से हैडक्वार्टर रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो अलग बात है, अन्यथा जहां पर बड़ी-बड़ी खानें हैं, उनके सेण्ट्रल प्लेस में हैडक्वार्टर बनाना चाहिए, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं ऐसे अधिकारी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिन्होंने करोड़ों रुपयों की मशीनरी बिना किसी जरूरत के मंगाकर रखी हुई है और कई वर्षों से सड़ रही है, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने कमीशन खाने के लिए ऐसी बड़ी-बड़ी मशीनें मंगा ली हैं, क्या आप कोई कार्यवाही करेंगे? इससे दूसरे लोगों को शिक्षा मिलेगी, यदि पब्लिक फण्ड के साथ खिलवाड़ करेंगे तो सख्त कार्यवाही की जा सकती है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था आप करेंगे, तो लोगों को निश्चित रूप से इस बात का भय रहेगा।

जब कापर काम्पलैक्स बना था, तो कहा गया था जिस किसी व्यक्ति से जमीन ली जाएगी, उनके परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। नौकरी देना तो दूर की बात है, उनको किसी भी प्रकार का मुआवजा तक भी नहीं दिया गया है। वहां के अधिकारियों ने किसी भी परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं दी। वहां के लोगों को नौकरी नहीं दी गई, बल्कि जो अधिकारी मान लीजिए बिहार से आकर वहां नौकरी करता है, उसने अपने यहां के लोगों को नौकरी दी। इतना ही नहीं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी वहां के लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है। इसलिए आप निश्चित तरीके से इसकी तरफ ध्यान दीजिए ताकि वहां की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

इसी तरह से जो आपके अन्य महकमे हैं, बड़े-बड़े प्राजैक्टस हैं, स्टील प्लांट्स हैं उनमें सैकड़ों करोड़ रुपयों का घाटा है। आज जबकि छोटे-छोटे प्लांट्स लाभ कमा रहे हैं, लेकिन आपके बड़े-बड़े प्राजेक्ट्स नुकसान दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इसको देखने की जरूरत है।

कोल इण्डिया की सब कम्पनियां घाटे में चल रही हैं और उनमें सैकड़ों करोड़ रुपयों का घाटा है। इतना बड़ा घाटा पब्लिक सैक्टर में किस वजह से हो रहा है? कोल के मामले में तो हमारे मार्क्सिस्ट भाई भी कहते हैं कि वहां पर माफिया का राज है। वे सारा कोयला बिना पैसा दिए वहां से रवाना कर देते हैं और इसमें आपके लोग मिले हुए हैं। इसको देखना चाहिए कि किस तरीके से वहां पर ज्यादा अच्छी व्यवस्था लागू की जा सकती है। हम चाहते हैं कि हमारा पब्लिक सैक्टर

मजबूत बने, देश की रीढ की हड्डी बने, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरे लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया खा चुके हैं—इस तरह की व्यवस्था उचित नहीं है, उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए जिस से देश का विकास हो, आगे बढ़ने को गति तेज हो सके और जो हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के हाथ मजबूत कर सके तथा देश के धन को बढ़ाकर आर्थिक तौर पर देश को ज्यादा से ज्यादा सम्पन्न बनाने में योगदान दे सकें। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पूर्णचन्द्र मलिक** (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, 1985-86 के लिए इस्पात, खान तथा कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को उस मंत्रालय के प्रभारी माननीय मंत्री ने सदन के सामने प्रस्तुत की है। मैं इन मांगों का विरोध करता हूं।

इस सदन के सामने मुझसे पहले इन मांगों पर कई सदस्यों ने अपने विचार रखे। कुछ समय पहले तेलगू देशम दल के एक सदस्य ने विस्तृत तथ्यों तथा आंकड़ों के द्वारा कोयला तथा इस्पात के बारे में सरकार की असफलता को साबित किया है। सत्ताधारी दल के एक माननीय सदस्य ने कुछ समय पहले अपनी बात कही और उनके भाषण से यह भी स्पष्ट होता कि जहां तक कोयला और इस्पात का सम्बन्ध है, सरकार इसमें पूर्णतः असफल हुई है। दिन प्रतिदिन उत्पादन में कमी आ रही है। 37 वर्ष की आजादी के बाद भी आज कोयला और इस्पात के उत्पादन की क्या स्थिति है। कोयला उद्योग के विकास और उन्नति के क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा निर्धारित उत्पादन के लक्ष्य से कोयले का उत्पादन बहुत पीछे जा रहा है। उत्पादन में बहुत गिरावट आई है। मैं आर्थिक सर्वेक्षण 1984-85 के अध्याय 3, सारणी-1 से अपनी बात को साबित करने के लिए लिए कुछ निम्नलिखित आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं:

| | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
|---|---|---|---|
| (लाख टनों में) | | | |
| लक्ष्य | 133.0 | 142.0 | 152.0 |
| उत्पादन | 130.5 | 138.2 | 101.6 |
| | | | (दिसम्बर 1984 तक) |

आवश्यक लक्ष्य पूरे नहीं किए गए थे।

महोदय, कोयला और इस्पात दो अनिवार्य उद्योग हैं। किसी भी अन्य उद्योग की स्थापना करने के लिए कोयला और इस्पात दोनों अनिवार्य हैं। जो कुछ कोयले का उत्पादन किया जा रहा है उसे परिवहन सुविधाओं के अभाव में खानों के मुहानों पर जमा किया जा रहा है। सरकार प्रायः सड़क यातायात पर बहुत निर्भर करती है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद रेल व्यवस्था के आवश्यक विस्तार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए कए हैं। रेल डिब्बों की अत्यधिक कमी है और इस कमी के कारण कोयले की खानों के मुहानों पर जमा किया जा रहा है और विभिन्न उद्योगों को

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जहां पर इसकी अत्यधिक आवश्यकता है वहां समय पर इसकी सप्लाई नहीं की जा रही है। आज यह शोचनीय दशा है। महोदय, 1984-85 में 15 फरवरी 1985 तक कोयले का उत्पादन 1485 लाख टन है लेकिन उसी अवधि में 12136 लाख टन कोयले को परिवहन के द्वारा ले जाया गया जिसके परिणामस्वरूप 270 लाख टन कोयले की खानों के मुहानों पर जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। यह हमारा अनुभव है। दूसरी तरफ डिब्बों की कमी बनी हुई है साथ ही पश्चिमी बंगाल की बड़े माल डिब्बों का निर्माण करने वाली दो कम्पनियां रेल माल डिब्बा के निर्माण के आर्डर प्राप्त करने के अभाव में बन्द होने को है। जो कुछ आर्डर दिए गए हैं उसकी सुपुर्दगी अभी तक नहीं ली जा रही है। कम्पनियां हानि पर पर चल रही हैं। इसलिए यदि रेल व्यवस्था का विस्तार नहीं किया गया, यदि नए माल डिब्बे नहीं बनाए गए तथा उपलब्ध नहीं कराए गए तो कोयला उद्योग कभी उन्नति और विकास नहीं कर सकता।

महोदय, कोयला उद्योग में मशीनीकरण को शुरू किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप आज के पूंजीवाद समाज में कई हजार श्रमिक बेकार होते जा रहे हैं। केवल पूर्वी कोयला क्षेत्र में लगभग 10,000 श्रमिक फालतू हो गए हैं। इसके अलावा मशीनीकरण के कारण कोयले की किस्म पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोयला और पत्थर के साथ-साथ खानों से निकाला जा रहा है। जब यह कोयला विभिन्न उद्योगों और फैक्टरी को सप्लाई किया जाता है तो इस घटिया किस्म के कोयले के कारण उनके बॉयलर तथा अन्य मंहगी मशीनें खराब होती जा रही हैं। नई परियोजनाएं प्रगति नहीं कर रही हैं। मैं दुर्गापुर से आया हूं। मैं जानता हूं कि गंगाजल वाले व्यापक क्षेत्र बांकुरा में, मेझिया में, अच्छे किस्म का कोयला भूमिगत है। कालीदासपुर परियोजना को शुरू किया गया था लेकिन आज ये समाप्ति के कगार पर है। पुरुलिया जिले मधुकुन्डा में लाखों टन कोयला भूमिगत पड़ा हुआ है। उसे काम में लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने मेझीया होते हुए रानीगंज से बांकुरा तक एक रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव बार-बार दिया है। यदि इस लाइन का निर्माण किया जाता है तो उस क्षेत्र में पड़े हुए लाखों टन कोयले को उपयोग में लाया जा सकता है और कोयला उद्योग बहुत अधिक लाभ कमा सकता है। देश में कोयले की मांग को पूरा किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार नई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए कोई अभिरुचि नहीं ले रही है।

आज कोयला उद्योग में श्रमिक और मजदूर की क्या स्थिति है? इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें भी हर रोज बहुत ऊंची जा रही हैं। सामान्य बजट के पास होने के तुरन्त बाद हमने देखा कि रात में ही चीनी के दाम 40 पैसे प्रति कि०ग्रा० बढ़ गए थे, दिल्ली में दूध के दाम 6) पैसे प्रति लीटर एकदम बढ़ गये थे। इसलिए जब रोज कीमतें हर तरह से बढ़ रही हैं तो मजदूरी में बढ़ोतरी से मजदूर की वास्तविक आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। मूल आय वास्तविक रूप से गिरती है। उनका जीवन स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है और इसके आगे कोयला क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज, आसनसोल, बर्नपुर, दुर्गापुर के कोयला खान क्षेत्रों और पूर्वी कोयला खान क्षेत्र में वामपंथी सरकार पीने के पानी की सप्लाई के लिए प्रयास कर रही है लेकिन केन्द्रीय सरकार आज तक ई० सी० एल० मजदूरों को जो उनके नियन्त्रणाधीन है पीने के पानी की सप्लाई के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था करने में असफल हुई है। कोयलाखान मजदूरों के उपचार तथा उचित चिकित्सा सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वे टी० बी० रोग से पीड़ित हैं। वे अस्वस्थ हैं और गंदे मकानों में रहते हैं। उनके लिए उचित

मकानों की व्यवस्था नहीं की गई है। मजदूरों और उनके बच्चों को शिक्षा के लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है। मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए ट्रेड यूनियन लीडरों के साथ कई बार समझौते किए गए। लेकिन इन समझौतों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। खानों में दुर्घटनाएं तथा विपत्ति से बचने के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में कई प्रकार के नियम बनाये गये हैं। लेकिन इनको कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप खानों में रोज दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके बाद महोदय, खानों पर चल रहे कार्य विशेषकर रानीगंज क्षेत्र में गांव सहित भूमि के बड़े क्षेत्र धसते चले जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक दुर्घटना होती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले गांवों के लोगों को अपने गांव और सब कुछ छोड़ने के लिए तथा अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए विवश किया जाता है। हमने इन कोयला खानों को बालू से भरने के लिए बार-बार अनुरोध किया है। लेकिन इसको भी नहीं किया जा रहा है। यह कोयला उद्योग की आज की स्थिति है।

महोदय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को कोयला खान क्षेत्रों में कोयला खानों के संस्थापन और सम्पति की सुरक्षा के लिये तैनात किया गया है। लेकिन महोदय, इस बल को मजदूरों तथा किसानों के वैध प्रदर्शन और आन्दोलन को दबाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। आसनसोल क्षेत्र के एक गांववालों के ऊपर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा किये गए गम्भीर अत्याचारों के बारे में हमने सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। मकान जला दिए गये थे। सरकार का ध्यान कई बार आकृष्ट किया गया है लेकिन अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्य तस्करों तथा जमाखोरों के साथ मिले हुए हैं। ये कोयला खानों से कोयले से लदे हुए कई ट्रकों की चोरी करते हैं। उनकी ड्यूटी सम्पत्ति की रक्षा करने की है लेकिन वे चोरी में सक्रिय रूप से सांठ-गांठ करते हैं और इस तरह बहुत पैसा बनाते हैं। इस तरह वे कोयला उद्योग को नष्ट कर रहे हैं। वे बड़ी रकम के बदले में बांकुरा, मेझिया, गंगाजल घाटी आदि क्षेत्रों में कोयलों की खानों में से अवैध कोयले को निकालने में भी सहायता कर रहे हैं। रातोंरात उन क्षेत्रों में अवैध खानें खोदी जा रही हैं। सरकार का ध्यान इन भ्रष्टाचारों की ओर आकर्षित कराया गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस्पात के बारे कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैं दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया हूं। मैं कह सकता हूं कि दुर्गापुर, बर्नपुर और उस क्षेत्र में अन्य संयंत्रों में दिन प्रतिदिन हानि हो रही है। हमारे देश की आजादी के समय इस्पात का उत्पादन 1.5 लाख टन था। आज आजादी के 37 वर्षों के बाद इस्पात का उत्पादन केवल 9 लाख टन है। महोदय, समाजवादी देशों में जैसे सोवियत रूस में प्रति व्यक्ति इस्पात का उत्पादन 200 कि० ग्रा० से ऊपर है लेकिन भारत में यह केवल 18 कि०ग्रा० है। यह हमारे देश की स्थिति है। ऐसा क्यों है? हम इस्पात एककों के अधुनिकीकरण विस्तार तथा आगे बढ़ाने की जोर से मांग कर रहे हैं। सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया है लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। पिछले लोक सभा चुनावों के समय तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए गये हैं। भिलाई संयन्त्र को 931 करोड़ रुपए दिए गए हैं और राउरकेला संयन्त्र को 611 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन अभी तक यह राशि नहीं दी गई है।

अतः आधुनिकीकरण अथवा विस्तार संभव नहीं है। विशेषतः बर्नपुर में इस्पात के उत्पादन के लिए युगों पुरानी 'बेस्सिआर' प्रणाली प्रचलित है। आज तक भी अधिक सक्षम एवं आधुनिक एल०

डी० प्रणाली शुरू नहीं की गई है। बर्नपुर में कोई आक्सीजन अथवा पिघलाने का संयंत्र नहीं है। महोदय हमारे इस्पात संयंत्र धनाभाव के कारण निष्क्रिय हो रहे हैं परन्तु इस्पात के आयात पर भारी व्यय किया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा से देखा जा सकता है—इस्पात का प्रति वर्ष आयात 1100 करोड़ रुपए का है। यदि इतनी बड़ी राशि हमारे इस्पात संयंत्रों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर व्यय कि जाए तो हम इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं तथा हमें इस्पात की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 1982-83 में हानि 105.7 करोड़ रुपए की थी, 1983-84 में 170 करोड़ रुपए हो गई और आज यह 200 करोड़ रुपए से अधिक है। इस्पात उद्योग की यह स्थिति है।

महोदय, दुर्गापुर में एक मिश्रित इस्पात संयंत्र है। वहां विस्तार के पहले चरण के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, 1982 से एक 50 टन का आर्क फर्नेस बना पड़ा है क्योंकि दामोदर घाटी निगम बिजली की पूर्ति नहीं कर रही। अतः यह आज भी कार्य शुरू नहीं कर सका है। मिश्रित इस्पात उत्पादन के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, परन्तु धन उपलब्ध नहीं किया गया। अतः उत्पादन कम हो रहा है तथा हानि हो रही है।

महोदय, स्वतंत्रता के 37 वर्ष पश्चात् भी स्थिति इतनी निराशाजनक है। हमारे देश की ऐसी स्थिति क्यों हुई। हमारी धरती में लाखों टन कोयला, लोहा, तांबा, मैंगनीज तथा अन्य मूल्यवान धातुएं दबी पड़ी हैं। हमारे पास करोड़ों मजबूत हाथ हैं, जो उन्हें निकाल सकते हैं। तब भी हमारे देश की स्थिति इतनी निराशाजनक क्यों है? आप भली प्रकार जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात् शासक वर्ग देश को पूंजीवाद की ओर ले चले। उसी कारण यह स्थिति पैदा हुई है। यदि हम समाजवादी देशों के साथ तुलना करें, तो वहां पर उत्पादन के सभी साधनों का सामाजीकरण किया गया है, वितरण प्रणाली का स्वरूप बदल दिया गया है। परिणामस्वरूप उनके देश में मशीनीकरण दुर्भाग्य न होकर वरदान सिद्ध हुआ है। वहां पर मशीनीकरण के कारण छंटनी नहीं करनी पड़ती अपितु समृद्धि प्राप्त होती है। उत्पादनों के यंत्रीकरण से हमारे देश में हजारों कार्मिक बेरोजगार हो गए हैं। इस पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन प्रक्रिया निजी लाभ के लिए उपयोग में आती है जबकि समाजवादी देशों में यह जनता के कल्याण के लिए होता है। यदि मेरे पास सम्पत्ति नहीं है तो आप मेरे से किसी उत्तरदायित्व अथवा कर्त्तव्य की उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे देश में किसानों मजदूरों को, जो कि सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं, वंचित रहना पड़ता है तथा उनका शोषण होता है। यदि सम्पत्ति पैदा करने वाले व्यक्ति का सम्पत्ति पर अधिकार न हो तो आप उससे किसी भी कर्त्तव्य अथवा दायित्व की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए देश की स्थिति खराब है। हम बहुराष्ट्र की एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। अतः हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन अर्थ-व्यवस्था पर विदेशी साम्राज्यवादियों का प्रभाव बढ़ रहा है। महोदय, आज इस्पात तथा कोयले के महत्वपूर्ण क्षेत्र दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। प्रत्येक उद्योग को इस्पात तथा कोयले की जरूरत होती है। बिजली, उर्वरक, सीमेंट आदि के उत्पादन के लिए कोयला तथा इस्पात अपेक्षित होता है। वास्तव में प्रत्येक उद्योग को कोयले तथा इस्पात की आवश्यकता है। जबकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की ऐसी दुर्दशा हो गई है, मैं इस्पात खान और कोयला मंत्रालय की मांगों का समर्थन नहीं कर सकता। मैं इन मांगों का विरोध करता हूं। धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

**श्री विष्णु मोदी** (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, स्टील माइन्स और कोल की डिमांड्स का सपोर्ट करते हुए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि

चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में खनिज विभाग एक अलग सें विभाग था और उसका एक अलग से मंत्री था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी भी राज की आय का स्रोत उसकी खनिज सम्पदा ही होती है जो कि उसका मुख्य स्रोत माना जाता है। हिन्दुस्तान जब से आजाद हुआ और जब से यहां अंग्रेजों का जमाना था, हिन्दुस्तान की खनिज सम्पदा का दोहन किया जाता रहा है। मेरी यह मान्यता है कि आजादी के बाद से यह विभाग जब से स्टील के साथ जोड़ दिया गया तो स्टील इतना बड़ा महकमा हो गया, लेकिन खनिज विभाग ज्यों का त्यों ही रहा। बजट की तरफ ध्यान दें तो पता चलेगा कि 1800 करोड़ रुपए रखे गए। उसमें से मात्र दो प्रतिशत खनिज विभाग के जिम्मे आता है जो कि 327 करोड़ के आस-पास बैठता है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी देश को 21वीं सदी की ओर ले जाना चाहते हैं। खनिज सम्पदा से जो धन अर्जित कर सकते हैं, वह हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में पिछले साल एक करोड़ कुछ लाख रुपए का प्राफिट प्रोजेक्ट था। लेकिन वह 25 करोड़ के घाटे में आ गया। हिन्दुस्तान खेतड़ी प्रोजेक्ट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। खेतड़ी प्रोजेक्ट उसके नजदीक ही है। कॉपर एक इतना महत्वपूर्ण मिनेरल है जो कि हमारे देश के अन्दर इम्पोर्ट हो रहा है। इन-एफीशिएंसी और कमजोर मैनेजीरियल कैपेसिटी के कारण आज हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज अगर किसी एक कारपोरेशन की इन-एफीशिएंसी के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर नुकसान पड़े तो मैं समझता हूं कि हमें इस तरह के प्रयास करने चाहिए जिससे यह कारपोरेशन प्राफिट में आ सके। कॉपर के रिजर्व खेतड़ी के आस-पास भी हैं। जिस वक्त इस प्रोजेक्ट का सर्वे किया गया था, उस वक्त से इसकी तरफ ध्यान नहीं रखा गया जिसके कारण उसका खामियां हमें भुगतना पड़ रहा है। वहां से निकलने वाले पानी और वेस्ट के कारण कुओं का पानी खराब हुआ है। वहां के काश्तकारों और आस-पास के लोगों की जिन्दगी दूभर हो गई है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उस कारपोरेशन से वहां के लोगों को नुकसान न पहुंच सके। हिन्दुस्तान जिंक को इस साल प्राफिट मिला है। हिन्दुस्तान जिंक जैसा प्रतिष्ठान ज्यादा एफीशिएंसी से काम करेगा तो मैं समझता हूं कि उसका प्राफिट और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अगर बिजली की समुचित व्यवस्था हो जाए और जो उसका रिजर्व है, उसका सही एस्टीमेट करें और लेटेस्ट टैक्नोलाजी को अपनाएं तो मेरी मान्यता है कि हिन्दुस्तान जिंक का प्राफिट कई फोल्ड में बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ-साथ अगर हम माइंस की बात करते हैं, खनिज सम्पदा की बात करते हैं तो हमारे यहां कई कार्पोरेशन्स बने हुए हैं और आपने बजट में भी प्रावधान रखा हुआ है कि इतने क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा, इतने क्षेत्र में रिजर्व के एस्टीमेटस बनाए जाएंगे मगर मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या आपको कल्पना है कि हिन्दुस्तान की खनिज सम्पदा कुछ ही सालों में समाप्त हो जाएगी। एक तरफ तो हम देश के इंडस्ट्रियलाईजेशन की बात करते हैं, उन्नति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आज हमें यह पता नहीं है कि कौन-कौन से मिनरल्स के कितने-कितने रिजर्व्स हमारे पास मौजूद हैं।

हमारा क्षेत्र विभिन्न भागों में बंटा हुआ है और हमारे पास मिनरल्स के इतने विशाल भंडार हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है, हम आजादी के बाद से आज तक उनका सर्वे भी नहीं करा सके। आप कल्पना कीजिए, कोयले की बात को छोड़ दीजिए, स्टील की बात छोड़ दीजिए, हमारी स्टील इंडस्ट्री में फ्लक्स ग्रेड लाइम स्टोन प्रयुक्त किया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देहरादून की खानें जब से बन्द हुई हैं तब से इंडस्ट्री के सामने अहम समस्या खड़ी हो गई है कि

फ्लक्स ग्रेड लाइम स्टोन कहां से आयेगा। मैं आपका ध्यान राजस्थान की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां इंडस्ट्री के काम में आने वाला लाइम स्टोन दूसरे प्रयोग में लाया जाता है। सवाल इस बात का है कि जब तक हमको जानकारी नहीं होगी कि हमारे पास कितना लाइम स्टोन उपलब्ध है, कितने सालों तक वह मिनरल हमें उपलब्ध हो सकता है, उस पर आधारित हमारे कौन-कौन से प्रोजेक्ट होंगे, उसका हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, जब तक हमें उसके रिजर्व्स की जानकारी नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि आगे आने वाला समय ही भयंकर समय होगा और उसमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें छोटी-छोटी चीजों के लिए बाहर की ओर ध्यान रखना पड़ेगा।

जहां तक माइन्स एक्ट का ताल्लुक है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा किस तरह सरल रूप में बना सकते हैं जिस तरह का माइन्स एक्ट बना हुआ है, उसमें आज जितने लीज-होल्डर्स हैं या छोटे-छोटे खनिज वाले लोग हैं उनको किन भारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। यदि स्टेट गवर्नमेंट किसी कारणवश किसी खान की विक्स सैक्शन नहीं कर पाती है तो उसे गवर्नमेंट आफ इण्डिया के पास आना पड़ता है और यहां सालों गुजर जाने पर भी फाइल जहां की तहां पड़ी रहती है और उस पर कोई तारीख या पेशी नहीं दी जाती। इस तरह उस मामले में इतनी देरी हो जाती है, विलम्ब हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते।

इसके साथ-साथ मैं फौरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जब से यह एक्ट लागू हुआ है, तब से मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश की खनिज सम्पदा का दोहन करीब-करीब रुक-सा गया है। आप इस तरह का प्रावधान करायें कि जिस चीज की खान का रिनीवल होने वाला है, कोई आदमी 20-25 साल से उस खान पर काम करता आ रहा है, यदि उस आदमी को रिनीवल की जरूरत आती है तो उसमें फौरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट किसी तरह आड़े नहीं आना चाहिए। जैसे ही वहां स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार को मामला रिकमैंड करके भेजती है, उसकी स्वीकृति मिल जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि शायद ही कोई एक-आध मामला ऐसा हुआ होगा जिसकी स्वीकृति इन प्रावधानों से गुजरने के बाद मिली होगी। फौरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के लागू हो जाने के बाद खनिज के दोहन का कार्य लगभग रुक-सा गया है।

अब मैं कुछ बातें रॉक फास्फेट के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा जिसको हम पहले इम्पोर्ट करते थे। जी० एस० आई० ने हमारे यहां सर्वे कन्डक्ट किया इसके साथ ही दूसरी एजेन्सियों ने भी जांच की खोज की लेकिन उदयपुर में हमारे पास जो रॉक फास्फेट उपलब्ध है, विशाल भण्डार है और जिसकी सप्लाई फर्टिलाइजर यूनिट्स को काफी मात्रा में की जाती है, यह मात्र संयोग की बात है कि स्टेट गवर्नमैंट के कुछ ज्योलौजिस्टस पिकनिक मनाने के लिए उस तरफ गए थे कि वहां के लोकल लोगों ने उनका ध्यान उन डिपॉजिटस की ओर दिलाया। उसके बाद उन्होंने खोज की और आज हमारे पास रॉक फास्फेट का वह ऐसा भण्डार है जो हमें काफी मात्रा में रॉक फास्फेट सप्लाई कर सकता है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम जो चीजें इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमें जिन चीजों की वर्तमान में या भविष्य में आवश्यकता होगी, इसके लिए हम एक टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम बनाएं और उसी के अनुरूप खोज की व्यवस्था करें उस पर कन्सैन्ट्रेट करें। जहां हम रॉक फास्फेट इम्पोर्ट करते हैं, हमारे पास राजस्थान में लो-ग्रेड रॉक फास्फेट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन

वह आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। यदि उसकी बैरिफिकेशन करवाई जाए, और उस ग्रेड के रॉक-फास्फेट को तैयार करने के लिए यदि हमें थोड़े से पैसों की टैक्नोलोजी इम्पोर्ट करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए और स्टेट सैक्टर में या सैन्ट्रल सैक्टर में एक इंडस्ट्री बनानी चाहिए। यदि हम राजस्थान में उपलब्ध रॉक-फास्फेट का दोहन करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर हमारे देश को रॉक-फास्फेट बाहर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुल मोटिव्ज हैं, कुछ लोग इस बात में इन्टरेस्टेड हैं कि रॉक फास्फेट, जो लोअर ग्रेड का है, उसका बैनिफिकेशन न हो, उस पर ज्यादा तवज्जह न दी जा सके, तो उनकी बात बनकर आ सके।

चाइना क्ले एक ऐसा इम्पोर्टेंट मिनरल है जो फैक्टरियों में भी काम आता है और पौटरी इंडस्ट्री में भी काम आता है। जिस तरह से हमारा देश उत्पादन की ओर बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से सिरेमिक रा-मेटीरियल की कमी अनुभव की जा रही है। यह कमी इस कारण है कि हम ठीक से इसका पता नहीं लगा पाए हैं और हमारे यहां जो रा-मैटीरियल है, उसका बैनिफिकेशन ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं।

मात्र दो कंपनियों हैं जो साउथ में हैं, उन्होंने बाहर से टैक्नोलाजी लाकर चाइना क्ले का बैनिफिकेशन शुरू किया है। बिहार, राजस्थान और दिल्ली में इतनी भारी मात्र में चाइना क्ले के भंडार उपलब्ध हैं, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप माइन्स में खनिज के दोहन के लिए और उसके बैनिफिकेशन और प्रासेसिंग के लिए इस तरह का प्रावधान करायें कि उसकी टैक्नोलाजी और इक्विपमैंट सुविधाजनक तरीके से हम इम्पोर्ट कर सकें जिससे अन्य विकसित देशों के मुकाबले में हम भी खड़े हो सकें।

मार्बल के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। 1980 से एक मार्बल इंडस्ट्री बहुत पुराने अर्से से चली आ रही थी, लेकिन 1980 में जब डाइमंड टैक्नोलाजी इटली से इम्पोर्ट हुई तो उसके बाद राजस्थान में मार्बल का प्रोडक्शन मैनिफोल्ड में बढ़ गया। इस बजट में जो एक्साइज खाली मार्बल पर लगी है, मार्बल एक मिनरल ही नहीं है बल्कि फ्लोरिंग और फेंसिंग के काम आता है। दूसरे कोडप्पा स्टोन, कोटा स्टोन, धौलपुर स्टोन इस तरह के स्टोन हैं जो फ्लोरिंग और फेंसिंग के काम में आते हैं। खाली मार्बल पर एक्साइज लगाने के कारण, मार्बल जो कि खनिज है, वह बहुत बड़े संकट में आ गया है। जब से यह एक्साइज लगी है, मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि राजस्थान में डेढ़ लाख से ज्यादा मजदूर बेकार हैं और जितनी भी फैक्टरियां हैं, वह बन्द हैं। अगर अपने मंत्रालय के माध्यम से आपने इसे वित्त मंत्रालय में नहीं उठाया तो मैं समझता हूं कि मार्बल जो कि बहुत इम्पोर्टेन्ट मिनरल है, उसका फेट ठीक नहीं होगा।

राजस्थान जो कि खनिज में बहुत ही रिच है, वहां पर बस मैटल के बेरी प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट था जिसके अन्दर बहुत बड़ी मात्रा में लेड और जिंक हैं, लेकिन आज तक उस पर कुछ भी नहीं हो पाया, ना ही स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है और ना ही सैंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है।

ग्रैफाइट, जो कि माही सागर बांध के अन्तर्गत नीचे था, स्टेट गवर्नमेंट ने कार्पोरेशन बनाकर उसके दोहन करने का काम तो शुरू किया, लेकिन में जानकारी मैं लाना चाहता हूं कि दो सालों में जब माही डेम बनकर तैयार हो जाएगा तो ग्रेफाइट का कितने ही मिलियन डिपाजिट, जो कि कार्बन ब्लैक और बहुत सारे इम्पोर्टेन्ट कोर सैक्टर में काम आता है, वह खनिज सम्पदा निकल नहीं पाएगी। आप इस तरह की व्यवस्था करायें कि जो ग्रैफाइट का डिपाजिट माही सागर के

नीचे आने वाला है वह इस माही सागर के पूरा होने से पहले किसी भी तरह से निकाला जा सके ताकि हम लोग अपने देश की इस सम्पदा को बचा सकें।

सलादीपुरा राजस्थान में पैराइट फास्फेट की लीज पी० पी० सी० एल० कार्पोरेशन को दे रखी है। यह भारत सरकार का कार्पोरेशन है, लेकिन आज तक जब से यह लीज दी गई है, तब से उस पर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। उससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं। वहां इसका इतना रिच डिपाजिट है कि उससे हम फर्टिलाइजर यूनिट भी स्थापित कर सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी उससे पैदा कर सकते हैं।

जहां तक रामपुरा अगूचा की बात है जो कि भीलवाड़ा में है जिसको विश्व का सबसे बड़ा लैड और जिंक का भंडार कहा जाता है, उसके लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है।

मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खनिज के साथ स्टील और कोल के विभाग भी सम्बन्धित हैं इसलिए हमारे मंत्री जी को और विभाग के अधिकारियों को खनिज के लिए उतना समय नहीं मिलता होगा कि वह उसे देख सकें। चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी खनिज का विभाग अलग था, हमारे कोटिल्य ने भी अपने अर्थ-शास्त्र में खनिज की बात लिखी है तो जब 21वीं शताब्दी के भारत की कल्पना हमारे प्रधान मंत्री जी ने की है, उस कल्पना को हम तभी साकार कर पाएंगे जब हम अपने देश में खनिज सम्पदा का ठीक से दोहन कर सकें और उसका अलग से मंत्रालय बना सकें और उसके सम्बन्ध में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सके।

[अनुवाद]

***श्री ए० सी० शनमुगम** (बेल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, आपने मुझे इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की मांगों का स्वागत करने के लिए अवसर दिया है; मैं उसका अपनी पार्टी अन्ना-द्र.मुक. की ओर से स्वागत करता हूं तथा मुझे कुछ सुझाव देने हैं।

शुरू में ही मेरा कहना है कि जहां तक राष्ट्रों द्वारा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास के क्षेत्रों में उत्थान का सम्बन्ध है, मैं जापान द्वारा की गई अतुलनीय प्रगति का उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, आप जानते हैं कि जापान को इस्पात, कोयला तथा अन्य मूलभूत कच्चा माल आयात करना पड़ता है। इस अभाव के बावजूद जापान हर वस्तु का उत्पादन कर रहा है तथा विश्व के बाजारों में जापानी माल मुकाबिला कर रहा है। जापान विश्व के अत्यन्त विकसित देशों से आगे बढ़ गया है। हमें जापान के लोगों के प्रयास की सराहना करनी है तथा अपने देश को भी उनके स्तर तक ले जाना है।

भारत प्राकृतिक संसाधनों में धनी है। हमारे मुख्य मंत्री ने एक गीत में उल्लेख किया है जबकि भारत में सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तब हम बाहर मांगने क्यों जाते है लोह-अयस्क कोयला तथा सभी मूलभूत कच्चा माल भारत में उपलब्ध है। इस सन्दर्भ में मेरा सुझाव है कि एक उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी समिति गठित की जाए जो कि उपलब्ध संस्रोतों का अध्ययन करके समुचित सिफारिशें करे। मुझे विश्वास है कि अपनी प्रतिभा के लिए प्रख्यात मंत्री महोदय ऐसा कराएंगे।

महोदय, बिजली उत्पादन के लिए कोयला मूल सामग्री है। तापीय-बिजली उत्पादन उतना

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जटिल नहीं है जितना पनबिजली उत्पादन। तमिलनाडु पूर्णत: तापीय बिजली उत्पादन पर निर्भर करता है। चाहे यह तुती कोरन सुपर थर्मल स्टेशन है अथवा बेसिक ब्रिज है या इन्नौर है सभी तापीय बिजलीघर उत्तर द्वारा सप्लाई किए जाने वाले कोयले पर निर्भर करते हैं। 1976 में कोयला 107 रु० प्रति टन पर उपलब्ध था। 1985 में यह 400 रुपए प्रति टन है। कोयले का मूल्य प्रति वर्ष बढ़ रहा है क्योंकि उसकी ढुलाई का व्यय प्रति वर्ष बढ़ाया जा रहा है। तमिलनाडु को इन सभी कठिनाइयों का सामना करके बिजली का उत्पादन करना पड़ता है हमारे मुख्य मंत्री डा० एम० जी० आर० श्रीमती इंदिरा गांधी के आदर्श विचारों को कार्यरूप में परिणत करना चाहते हैं। उन्होंने झोपड़ियों के निवासियों को बिना शुल्क बिजली देने का आदेश जारी किया है। उसी प्रकार 2.5 लाख किसानों को बिजली मुफ्त सप्लाई की जाती है ताकि वे अपना अनाज का उत्पादन बढ़ा सकें। पिछले 9 वर्षों में बिजली का मूल्य बढ़ाया नहीं गया है। वास्तव में बिजली की दर 16 पैसे प्रति यूनिट से कम करके 12 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है। लेकिन कोयले की कीमतें कई बार बढ़ाई गई हैं। माल डिब्बों की सप्लाई दोषपूर्ण है। कोयले की किस्म घटिया है। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि कोयले की सप्लाई पर 50% रियायत दी जाए।

महोदय, पूरे देश में कोयले की कमी है। परन्तु मंत्रालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि खानों के मुहानों पर 700 करोड़ रु० का कोयला जमा है जिसके कारण कोल इंडिया को कोयले का उत्पादन कम करना पड़ा। महोदय इस दुखद स्थिति से बचना चाहिए तथा कोयले को युद्ध-स्तर पर देश के सभी भागों में भेजा जाना चाहिए। यह भी देखा गया है कि विविध अग्निकांडों में कई करोड़ रुपयों का कोयला जल कर राख हो जाता है। विशिष्ट रूप से कहें तो इससे 100 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष हानि होती है। मंत्री महोदय सुनिश्चित करें कि समुचित सावधानी बरत कर इस राष्ट्रीय क्षति को रोका जाए। प्रभावी परिवहन नीति अपनाकर तथा अग्निकांडों को रोककर इस कोयले की कमी पर काबू पा सकते हैं।

इस्पात, एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है जो कि औद्योगिकीकरण के लिए मूलभूत कच्चा माल है। दुर्भाग्य से हमारे पास बहुत से इस्पात संयंत्र हैं तो भी सप्लाई की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस उद्योग पर सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार है, इसमें प्रतिस्पर्धा के लिए निजी उद्योग नहीं हैं। बजट से केवल 15 दिन पूर्व इस्पात का मूल्य 2000 रुपए प्रति टन बढ़ाया गया था। ऐसे वातावरण में हम औद्योगिक प्रगति कैसे कर सकते हैं। 'सेल' जैसा शिखर संगठन सफेद हाथी बन गया है। इस्पात कोटे के वितरण में बहुत से कदाचार तथा अनियमितताएं हैं। लघु उद्योग इस्पात लेने के लिए अधिक धन का व्यय नहीं कर सकते अत: उनके साथ अनुचित व्यवहार होता है। मैं मांग करता हूं कि स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया की पूर्ण समीक्षा एवं उसका नवीकरण किया जाए। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को पूरे देश के उद्योगों का मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए।

महोदय, मध्य प्रदेश के माननीय सदस्य कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कच्चे माल की प्रचुरता है तो भी उन्हें इस्पात लेने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दक्षिणी राज्यों से दूर नहीं हैं तमिलनाडु के लघु उद्योगों को इस्पात केवल इन्हीं संयंत्रों से मिलता है। इस इस्पात संयंत्रों के निकट स्थित उद्योगों को जो मूल्य लाभ मिलता है उसे संतुलित करने के लिए सरकार भाड़ा समीकरण योजना शुरू कर रही है। यह समाचार पत्रों में छापा है तथा सरकार इस योजना को रद्द कर रही है। यदि ऐसा किया जाता है तो

दक्षिणी राज्यों के लघु उद्योगों को बहुत हानि होगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय दक्षिणी राज्यों के लघु उद्योगों के हित में भाड़ा समीकरण नीति को क्रियान्वित करे।

महोदय, आप जानते हैं कि सलेम इस्पात संयंत्र पर करोड़ों रुपया लगे हैं। तमिलनाडु की जनता को उम्मीद थी कि एक पूर्ण इस्पात संयंत्र सलेम में कार्य करेगा। उन्हें सब्ज बाग दिखाया गया था। अब यह मांग एक रोलिंग मिल बन कर रह गई है। मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हुआ। दस्तूर समिति द्वारा पेश की गई विस्तृत रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्पात के उत्पादन के लिए अच्छी किस्म का लौह-अयस्क वहां पर उपलब्ध हैं। लौह-अयस्क को पिघलाने के स्थान पर राउर-केला से प्राप्त प्लेटों को 'रोल' कर रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान यहां से लौह अयस्क लेकर उसे इंगलैंड में उससे सामान निर्मित करके वहां पर पुल बनाया गया था। उस पुल का नाम सलेम पुल रखा गया। चूंकि यहां लौह-अयस्क की किस्म अच्छी है, इसलिए मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सलेम संयंत्र द्वारा इस्पात का उत्पादन किया जाए न कि वह स्टेनलेस स्टील शीटों की रोलिंग का कार्य करें।

स्टेनलेस स्टील शीटों के आबंटन में भी कदाचार हैं भारी खरीद पर अधिक छूट दी जाती है जो कि छोटे उद्योगों को उपलब्ध नहीं है तथा पूरा माल भारी उद्योगों द्वारा उठा लिया जाता है जो कि इस्पात के बर्तन बनाते हैं। मंत्री महोदय को इसे दुरस्त करना चाहिए।

कर्नाटक के माननीय सदस्य वर्षों से विशाखपत्तनम में इस्पात संयंत्र लगाने की मांग कर रहे हैं। यदि यह इस्पात संयंत्र लगा दिया जाए तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल की इस्पात की आवश्यकताएं वहां से पूरी की जा सकतीं हैं। मैं मंत्री महोदय से इस पर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करने के लिए निवेदन करता हूं।

सोना हमारी चल मुद्रा के लिए स्थाई रिजर्व है। मंत्रालय को कोलार की सोना खानों के दूसरे चरण के विस्तार कार्य को हाथ में लेना चाहिए। इसमें शुरू में कुछ कठिनाइयां अथवा हानि हो सकती हैं। परन्तु हमें धरती में प्राप्य इस कीमती धातु की खोज से अन्ततः लाभ की दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, आपके निर्वाचित क्षेत्र धर्मपुरी में भारतीय भूगर्भी सर्वेक्षण के अनुसार सोना उपलब्ध है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : धर्मपुरी में नहीं, अपितु कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में-- महाराज कदाई में। कृष्णगिरि के सदस्य उपस्थित हैं तथा वह इस बारे में अपना दावा करेंगे।

**श्री ए० सी० शनमुगम** : आपके धर्मपुरी जिले में सोना मिला है। अपने उपाध्यक्ष रहने की अवधि में आप कृपया उसे पूरी तरह उपलब्ध कराने का यत्न करें। आपको यह मामला प्रधान मंत्री तथा संबद्ध मंत्री के साथ अवश्य उठाना चाहिए। यह बात मैं पूरे तमिलनाडु के हित में कह रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय विराजमान हैं तथा वह इसे नोट कर लेंगे।

**श्री के० राम मूर्ति (कृष्णागिरि)** : भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण पहले ही उसका सर्वेक्षण कर रहा है। खान मंत्रालय ने खुदाई कार्य पहले ही शुरू कर दिया है, परियोजना चालू है।

**श्री ए० सी० शनमुगम** : खानों का विकास किया जाना चाहिए। चाहे खानें धर्मपुरी जिले में हों या कृष्णागिरि जिले में, सारा लाभ तमिलनाडु राज्य सरकार को मिलता है।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मुझे पता चला है कि श्री टंडन नवेली लिगनाइट कारपोरेशन के अध्यक्ष हैं। वह तमिल भाषा नहीं जानते। इससे वह श्रमिकों तथा अन्य लोगों की समस्याओं को समझ नहीं पाते। जनता से सम्बन्ध रखना उनकी पहुंच से बाहर है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में तेलगु भाषा न जानने वाले व्यक्ति को वहां का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और अब तेलगु भाषा जानने वाले को वहां का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेरा सुझाव है कि राज्यों में स्थित सरकारी उपक्रमों में जहां तक संभव हो भाषा जानने वाले लोगों को ही संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं नेवेली खानों में तीसरी खान खोलने, आस्ट्रेलिया से एक लाख टन कोयले का आयात करने और उत्तर से तूतीकोरिन तक कोयले के परिवहन के लिए जलयान खरीदने के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृति दिए जाने के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए अनुरोध का जिक्र करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

**डा० पी० वल्लल पेरुमान** (चिदम्बरम) : महोदय, मैं इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

यह देश के लिए अच्छी बात है कि इस्पात, खान और कोयला मंत्री श्री वसंत साठे बहुत व्यवहारिक और अनुभवी हैं। उनके सहायक श्री नटवर सिंह हैं जिन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है।

मैं सीधे इस मंत्रालय के कार्यकरण में पाए गए परस्पर विरोधी दावों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं कोयले के बारे में कहूंगा। कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खानों में काफी कोयला जमा हो जाने के कारण वह अपने उत्पादन में कटौती कर रहा है। दूसरी ओर, तापीय विद्युत केन्द्रों को कोयला उपलब्ध न होने के कारण वे अधिकतम मात्रा में बिजली का उत्पादन करने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए, कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में एन्नौर तापीय केन्द्र को, जो मद्रास के निकट है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तापीय विद्युत केन्द्र में एक महीने के लिए कोयले का भंडार होना आवश्यक है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास केवल एक दिन के लिए कोयले का भंडार होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां बिजली की इतनी कमी है कि गर्मी के मौसम में तमिलनाडु में बिजली के सप्लाई में 60% तक कटौती की जाती है।

दूसरे, कोयला खानों में धोवनशालाएं बहुत पुरानी पड़ गई हैं। कोयले को ठीक तरह धोया नहीं जाता। हमारे यहां कोयले में राख की मात्रा इतनी अधिक होती है कि विद्युत उत्पादन करने वाले उपकरण खराब हो जाते हैं। सभी विद्यमान धोवनशालाओं को आधुनिक बनाने के हर प्रयास किए जाने चाहिए। कोयला मंत्री को खान मुहानों से कोयले का भंडार शीघ्र हटाने का आश्वासन देना चाहिए ताकि उत्पादन न रुक सके।

अब नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन के सम्बन्ध में वहां पर तीसरी खान खोले जाने की मंजूरी किए जाने की आवश्यकता है जिससे बिजली का अधिक उत्पादन करने में सहायता मिलेगी। पिछले साल 60 करोड़ से भी अधिक लाभ हुआ था। अतः नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लाभकारी है। मंत्री महोदय उस इकाई को थोड़ी और राशि प्रदान कर सकते हैं। तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड पर

नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन द्वारा उन्हें की गई बिजली की पूर्ति के सम्बन्ध में 70 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। जब तक एन० एल० सी० को तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड से पैसा नहीं मिल जाता, एन० एल० सी० विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मंत्री महोदय को एन० एल० सी० को तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड से पैसा दिलाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में केवल एक निर्माण इकाई है। सलेम इस्पात संयंत्र के इस्पात के वितरण में लघु उद्योगों की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल बड़े प्रयोक्ताओं को सबसे अधिक कोटा मिलता है। सलेम इस्पात संयंत्र द्वारा बड़े खरीदारों को अधिक छूट दी जाती है। उनकी इस प्रणाली को बदला जाना चाहिए। छोटे प्रयोक्ताओं को नियमित रूप से स्टेनलेस स्टील की सप्लाई होनी चाहिए।

मैं भाड़ा समीकरण नीति, जो दक्षिणी राज्यों के औद्योगीकरण में बहुत सहायक रही है, को समाप्त करने के प्रस्ताव का उल्लेख करना चाहता हूं। अगर इस नीति को समाप्त कर दिया गया तो इस्पात की कीमतें बढ़ जायेगी और इसका सबसे बुरा असर दक्षिणी राज्यों पर पड़ेगा। मैं मांग करता हूं कि इस्पात मंत्री को इस भाड़ा समीकरण नीति को समाप्त करने पर सहमत नहीं होना चाहिए।

मैं नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन से सम्बन्धित कुछ खास मामलों का भी उल्लेख करना चाहता हूं। चूंकि नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन मेरे चुनाव क्षेत्र में है, इसलिए इसमें मेरा इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है।

नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन में लगभग 15000 मजदूर ठेका श्रम प्रणाली के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी के आधार पर प्रतिदिन काम करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी दैनिक मजदूरी लगभग 6 रुपये है। क्या आप इतने पैसों में एक परिवार का गुजारा करने की बात सोच सकते हैं?

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त नहीं किया जाता तब तक उनकी मजदूरी और जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होगा।

मैं सुझाव देता हूं कि नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन के प्रबन्धकों को कम से कम उनकी मजदूरी में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए।

इसी प्रकार से वहां पर लगभग 300 इंजीनियर हैं जिन्होंने डिप्लोमा से अंशकालिक आधार पर पढ़कर बी० ई० डिग्री हासिल की है। उन्हें नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन के स्नातक इंजीनियरों के बराबर समझा जाना चाहिए।

कर्मचारियों के हित में एन० एल० सी० प्रबन्ध इंजीनियरों के बारे में चिर-प्रतीक्षित कार्मिक नीति की शीघ्र घोषणा की जानी चाहिए। इस अवसर पर मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि मुख्य अभियंताओं, महाप्रबन्धकों तथा प्रधान मुख्य अभियंताओं के पदों को एन० एल० सी० के कर्मचारियों में से ही भरा जाये।

**2.00 म० प०**

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

मुझे पता चला है कि एन० एल० सी० में इंजीनियरों के 500 पद रिक्त हैं। सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए।

मैं सुझाव देता हूं कि नेवेली में एक राष्ट्रीय लिगनाइट विकास और वित्त निगम की स्थापना की जाये। यह निगम जनता की जमाराशि जुटा सकता है और इसे लिगनाइट खानों में इस्तेमाल कर सकता है। यह निकाय परामर्श प्रयोजनों के लिए एन० एल० सी० में उपलब्ध विशेषज्ञता का भी इस्तेमाल कर सकता है।

नेवेली खानों के बेकार पानी के विकास के लिए कोई कारगर जल विकासी व्यवस्था नह है। अगर बेकार पानी का ठीक से निकास किया जाए तो आस-पास की भूमि की सिंचाई की जा सकती है और पानी के जमाव से धान और गन्ना की उपज वाली भूमि पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है उससे बचा जा सकता है। लगभग 2000 एकड़ भूमि पर इसी कारण से खेती नहीं की जा रही है। वलायामादेवी कीलपट्टी में परवानार ओडाइ को गहरा और चौड़ा किया जाए ताकि इसका प्रयोग जल विकास के रूप में तथा नहर सिंचाई के रूप में किया जा सके।

प्रस्तावित तीसरी खान के बेकार पानी की निकासी नालियों द्वारा की जाए। बेकार पानी को सिंचाई के प्रयोजन के लिए वीरानाम झील में इकट्ठा किया जा सकता है।

नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन ने विस्थापित किसानों और कृषकों के पुनर्वास कार्यक्रम की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा उस क्षेत्र में वर्तमान बाजार मूल्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। एन० एल० सी० को वन भूमि तथा बेकार भूमि का सुधार करना चाहिए और इसे विस्थापित किसानों को आबंटित करना चाहिए।

वहां पर कोई उचित परिवहन सुविधा भी नहीं है, वहां पर कोई शिक्षण संस्था भी नहीं है। माननीय मंत्री को वहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

**श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस्पात, खान तथा कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं।

हमारे देश के औद्योगिक विकास में इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय हमें स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करना चाहिए जिनके पास दूरदर्शिता थी तथा जिन्होंने यह सोचा था कि हमारा देश दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात उद्योग का विकास किए बिना प्रगति नहीं कर सकता। दूसरी पंचवर्षीय योजना से कई इस्पात संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। प्रति वर्ष इस्पात उद्योग के क्षेत्र में काफी विस्तार हो रहा है। परन्तु यहां पर मैं एक बात सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं। इस्पात उद्योग का विस्तार हुआ है परन्तु उसके साथ ही इस्पात उत्पादन में कमी आयी है। जब विस्तार हुआ है तो उसी अनुपात में उत्पादन की बढ़ोतरी होनी चाहिए परन्तु दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि कम से कम गत तीन वर्षों में इस्पात के उत्पादन में कमी हुई है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। हमें इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में इस्पात का मुख्य स्थान है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के नियंत्रण में लगभग छः यूनिटें हैं और इसके सभी यूनिट घाटे में चल रहे हैं। अगर मेरे आंकड़े ठीक हैं, 1981-82 में इसमें 39.7 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था, परन्तु 1982-83 में इसमें 105 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और 1983-84 में लगभग 250 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। मेरे पास नवीनतम आंकड़े नहीं हैं। मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री हमें नवीनतम आंकड़े बतायेंगे।

**इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवरसिंह)** : जब मैं उत्तर दूंगा तब मैं आपको आंकड़े दे दूंगा।

**श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : अतः यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। उन्हें कारणों का पता लगाना चाहिए कि यहां पर घाटा क्यों हो रहा है। इस्पात उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस्पात उद्योग पर निर्भर करती है। हर कार्य में इस्पात की आवश्यकता होती है। अतः इस्पात मंत्रालय को कारणों का अवश्य पता लगाना चाहिए कि इस क्षेत्र में हमें भारी घाटा क्यों हो रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र भली भांति कार्य कर रहे हैं। टाटा के संयंत्रों में लाभ हो रहा है। वे अपनी पुरानी मशीनों से लाभ कमा रहे हैं जबकि हम अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, हमने करोड़ों रुपये इसमें लगा दिए हैं और फिर भी हम इस तरह से घाटा उठाने लगे तो निस्सन्देह हमें नहीं मालूम कि हम कहां जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह घाटे के कारणों का पता लगायें। मुझे मालूम है कि प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि उत्पादन में कमी का मुख्य कारण अनेक स्थानों में बिजली की कमी, कोककर कोयले की कमी है, उसके अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं, विशेषतौर पर रेलवे सुविधाओं की कमी है। आप समन्वय समितियां नियुक्त कर रहे हैं तथा आपके पास इन पर नियंत्रण करने के लिए मंत्रालय स्तर पर एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति भी है।

इस संबंध में आपके माध्यम से मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। संयंत्रों के प्रबन्ध की जिम्मेदारी आपको उच्च अधिकारियों पर डालनी चाहिए। आप उनको उत्तरदायी बनाइए। आपको उन्हें वर्ष का लक्ष्य बताना चाहिए जो उन्हें प्राप्त करना होगा। आपको उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्हें उपयुक्त लाभ भी कमाना होगा। लाभ का एक निश्चित प्रतिशत उन्हें कमाकर के दिखाना होगा। किसी भी अवस्था में घाटा नहीं होना चाहिए। यद्यपि, मेरे चुनाव क्षेत्र बंगलौर जहां पर आपके कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं—मेरा उनसे न कि संसद का सदस्य बनने के बाद बल्कि इससे भी पहले संपर्क रहा है—मेरा अनुभव यह रहा है कि उनमें निरन्तर कार्यपालिका और विशेषकर नौकरशाहों का हस्तक्षेप रहा है। यही कारण है कि वे प्रशासन को मितव्ययिता के आधार पर सुचारु रूप से नहीं चला पाते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो न सिर्फ इस्पात मंत्रालय पर लागू होती है बल्कि सरकारी क्षेत्र के दूसरे उद्योगों पर भी लागू होती है। मेरे विचार में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेदारी निर्धारित कीजिए। आप उनको बताइए, उन्हें लक्ष्य बताइए—आपको यह लक्ष्य प्राप्त करना होगा तथा आप उनको कहिए कि घाटे की अनुमति नहीं होगी। 'अगर कोई घाटा होगा तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।' उनको यह भी बताइये, 'हमने इतना धन लगाया है, अतः हमें इतना लाभ मिलना चाहिए।' एक कुशल प्रबन्ध के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आज भी लाभ कमा सकते हैं। हम चार वर्ष पहले लाभ कमा रहे थे। 1981-82 में हमने लाभ कमाया है।···(व्यवधान)। अगर श्री दत्त जो बता रहे हैं वह ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी है···

**श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर)** : हमें बताया गया है कि उनमें सुधार हो रहा है।

**श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज)** : इस वर्ष ये 100 करोड़ रुपये का लाभ कमाने जा रहे हैं।

**श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : परन्तु नवीनतम प्रतिवेदन में यह नहीं दिया गया है।

हमें वास्तव में अपने इस्पात संयंत्रों पर गर्व है परन्तु मेरे राज्य, कर्नाटक के लोग खुश नहीं हैं। आप जानते हैं कि हम प्रसन्न नहीं हैं। आपको मालूम है कि गत 15 वर्षों से हम विजयनगर

इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए कहते रहे हैं। संयंत्र की आधारशिला स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दरा गांधी ने 1971 में रखी थी। हम सबको आशा थी कि अगले दिन से संयंत्र पर कार्य शुरू हो जाएगा। परन्तु आधारशिला रखे जाने के 15 वर्षों पश्चात् भी संयंत्र सिर्फ कागजों पर है और यह एक स्वपन बनकर रह गया है। आपको मालूम है कि कर्नाटक के लोगों के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। कर्नाटक का औद्योगिक विकास विजयनगर इस्पात संयंत्र पर निर्भर करता है। आपको ज्ञात ही है कि हमारे पास सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए हमने हजारों एकड़ भूमि भी अधिग्रहण कर ली है। हमारे पास सब सामग्री है। अयस्क वहां पर उपलब्ध है। अभी तमिलनाडु के मेरे मित्र ने भी हमारे लिए ही वकालत की है। वहां पर सभी चीजें उपलब्ध हैं। आपके पास कई प्रतिवेदन विशेषज्ञ समितियों के हैं। उन सभी में विजयनगर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की गई है। उस दिन मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने यह कहा था, "मैं इस्पात संयंत्र स्थापित करवा दूंगा बशर्ते कर्नाटक राज्य मुझे आश्वासन दे कि वह इसके लिए आवश्यक बिजली दे सकेगा। अब बिजली के लिए मुख्य मन्त्री ने आपको आश्वासन दे दिया है। अब यह आप पर निर्भर करता है। जो भी बिजली की आवश्यकता होगी कर्नाटक सरकार सप्लाई करने को तैयार है। अतः मैं चाहता हूं कि अपने उत्तर में आप यह घोषणा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान विजय नगर इस्पात संयंत्र आरम्भ किया जाएगा। उस दिन आपने यह भी कहा था कि आपने पहले ही सातवीं योजना में इस्पात संयंत्र के लिए 420 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है। जो कुछ भी है, और अधिक देर नहीं होनी चाहिए; अब और कोई बहाना नहीं होना चाहिए; इस संयंत्र की स्थापना को टालने के लिए सरकार को और बहाने नहीं बनाने चाहिए। यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जो हमारे राज्य के लोगों के मन में गत 15 वर्षों से खटक रहा है। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह आज एक विशेष तथा निश्चित जवाब दे और उस तारीख की घोषणा करे जब इस संयंत्र पर कार्य शुरू किया जायेगा।

अपने प्रौद्योगिकी बदल दी लेकिन हमने बुरा नहीं माना। इस समय जो उत्पादन हो रहा है वह प्रत्याशित मात्रा से 100 प्रतिशत कम है। अब दस लाख टन उत्पादित किया जा रहा है। उत्पादन की मात्रा चाहे जितनी भी हो शुरूआत तो की जानी चाहिए थी। इस संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जब भी किसी नए इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है—चाहे उसकी स्थापना कर्नाटक में या कहीं और की जाए —आपको विद्युत-उत्पादन की योजना बनानी चाहिए। विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए केप्टिव जनरेटर स्थापित किए जा रहे हैं। आपको विजयनगर के बारे में भी विचार करना चाहिए था। 1971 में जिस समय शिलान्यास हुआ था हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध थी और तब यह प्रश्न हो नहीं उठता था। अब हम कठिनाई में हैं। इसके बावजूद कर्नाटक भावी पीढ़ी के लिए हर सुख-सुविधा का त्याग करने को तैयार है। आपको किसी भी हालत में इस मामले को स्थगित नहीं करना चाहिए और मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री चर्चा का उत्तर देते समय इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन देंगे। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है हमारे मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि सभी सुविधाएं दी जाएंगी। अपने नवीनतम पत्र में भी उन्होंने यही आश्वासन दिया है।

हमारे राज्य में एक और महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र है। इस प्रतिष्ठित इस्पात संयंत्र की स्थापना इंजीनियर, राजनीतिज्ञ, मैसूर के भूतपूर्व दीवान स्वर्गीय सर एम० विश्वश्वरैया ने की थी। इस इस्पात संयंत्र का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। स्टील अथारिटी आफ

इंडिया लिमिटेड के इसमें 40% शेयर हैं। यह संयंत्र अनेक कारणों से, जैसे अप्रचलित मशीनरी आदि के कारण घाटे में चल रहा है। अन्य संयंत्र भी हानि पर चल रहे हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि यह संयंत्र घाटे में चले। यदि सरकार इसमें 100 करोड़ रुपये लगाये तो यह लाभ कमा सकता है। हम इस इस्पात संयंत्र को बचाना चाहते हैं। भारत सरकार के लिए 100 करोड़ रुपये कुछ भी नहीं हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूर कर ले तथा परियोजना को अधिग्रहीत कर ले।

मुझे इस्पात मन्त्रायल के प्रतिवेदन से अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा किए जा रहे प्रशंसनीय काम के बारे में जानकारी हासिल हुई तथा उनका काम देखकर प्रसन्नता हुई। हमें इस संगठन को और प्रोत्साहित करना चाहिए। इस समय यह संगठन प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग पर कार्य कर रहा है और इसने ऐसा उपाय खोजा है जिसके माध्यम से ईंधन की बचत की जा सकती है। यह अभी परीक्षण स्तर पर है।

इस्पात मन्त्रालय के अन्तर्गत एक और महत्वपूर्ण परियोजना कुद्रे मुख परियोजना है। पिछले साल आपने इसके लिए केवल 18 करोड़ रु० की व्यवस्था की थी जबकि अब आपने 11 करोड़ रुपये दिए हैं। प्रत्येक वर्ष धनराशि की मात्रा बढ़ने के बजाय घट रही है।

अन्त में मैं इस्पात की कीमतों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि इस्पात की कीमतों में वृद्धि इस्पात मन्त्रालय की इच्छानुसार की जाती है। पिछले 4 महीनों में इस्पात की कीमतों में 60 से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। आम आदमी का क्या होगा ? इस्पात की कीमतें बढ़ने से प्रायः हर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि सब कुछ इस्पात पर निर्भर करता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि जब कभी इसकी कीमत में वृद्धि की जाए तो वह वृद्धि उपयुक्त होनी चाहिए।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आशा है कि माननीय मन्त्री चर्चा का उत्तर देते समय इस सम्बन्ध में निश्चित उत्तर देंगे कि विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिए काम कब आरम्भ किया जाएगा।

**श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** (राजनन्दगांव) : सभापति महोदय, इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय की मांगों पर बोलते समय सर्वप्रथम मैं प्रधान मन्त्री को इस बात की बधाई दूंगा कि इन मन्त्रालयों को एक मन्त्री के अन्तर्गत कर दिया गया है। आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि इस्पात का कोयले से गहरा सम्बन्ध है। विगत में ऐसे अनेक मामले हुए हैं जब कोयला या इस्पात मन्त्रालय से संबद्ध मामलों की फाइलें एक दूसरे मन्त्रालय को कार्रवाई हेतु भेजी गई लेकिन फाइलें महीनों तक तो क्या कई बार सालों तक उपलब्ध नहीं हुई। अब यह एक मन्त्री के अधीन है इसलिए मुझे आशा है कि अब पूरी तरह से समन्वय होगा और मन्त्रालय ठीक से काम करेगा।

मैं केवल कोयला मन्त्रालय की ही बात करूंगा क्योंकि लगभग 65-70 संसद सदस्य कोयला मन्त्रालय से प्रभावित हैं। कोयला मन्त्रालय से जिस तरह हमारे विपक्ष के मित्र चिन्तित हैं उसी तरह हम भी हैं। जब कभी कोयला विभाग से सम्बन्धित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो केन्द्र का विषय होने के कारण सभी लोग संसद सदस्यों से संपर्क करते हैं और उनसे सीधे बात करना हमारा काम है।

कोयला विभाग में पर्याप्त आयोजना का यहां तक की उच्च स्पर पर भी पर्याप्त आयोजना का अभाव है। वहां एक चेयरमैन है लेकिन निदेशकों के बहुत से पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। सरकार

को उन अफसरों की अदला-बदली के मामलों पर भी विचार करना चाहिए जो कोयला उद्योग के हैं लेकिन इस समय खान मन्त्रालय या अन्य मन्त्रालयों के संगठनों में काम कर रहे हैं।

महोदय, मन्त्रालय के मौजूदा निर्वैयक्तिक रवैये के कारण बहुत से सक्षम अधिकारी जिनकी काबिलयत के बारे में पता है यहां से कहीं और जाने की फिराक में हैं। यह कोयला मन्त्रालय के हित में नहीं है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि कोल इंडिया की सहायक कंपनी डब्ल्यू० सी० एल० में मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व, छिंदवाड़ा का जिलाधीश जैसा एक छोटा सा अधिकारी करता है। डब्ल्यू० सी० एल० व्यवहार्यत मध्य प्रदेश के एक तिहाई हिस्से में फैली हुई है। कोयला उद्योग में लगभग 8 लाख कर्मचारी तथा 10,000 अधिकारी कार्यरत हैं। अगामी वर्षों में इस संख्या में वृद्धि होगी। इस उद्योग में इतनी अधिक संख्या में लोगों के लगे होने पर भी प्रबन्ध स्तर पर कोई निदेशक (कार्मिक) नहीं है तथा संभवत अध्यक्ष के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कार्मिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध विभाग के प्रबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

कोयला उद्योग द्वारा करोड़ों की लागत के सामान की खरीद को देखते हुए मौजूदा सामग्री प्रबन्ध डिवीजन में परिवर्तन की जरूरत है। इसी तरह, बहुत अधिक सालाना उत्पादन तथा लाखों उपभोक्ताओं की सेवा करने के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड के तथा उसकी नियन्त्रित कम्पनियों का बोर्ड स्तर पर बाजार में प्रतिनिधित्व नहीं है।

इस सम्बन्ध में सरकार के विचारार्थ एक व्यवहारिक सुझाव देना चाहूंगा। उच्च स्तर पर मामलों पर विचार करने के लिए एक वाणिज्यिक निदेशक होना चाहिए। कोयला खानें अन्दरूनी क्षेत्रों में स्थित हैं। संसद सदस्यों तथा विधायकों के भाग्य का फैसला ये लोग, ये मतदाता करते हैं। हाल ही में चिरीमिरी में जानबूझ कर कोयलों में आग लगा दी गई है। आग के नाम पर हजारों टन कोयले को वहां से चोरी छिपे बाहर भेजा जा रही है। वहां अभी भी आग लगी हुई है। भारी मात्रा में वायु प्रदूषित हो रही है तथा गैसें वहां रहने वाले श्रमिकों पर कुप्रभाव डाल रही हैं।

मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि ई० सी०एल० तथा बी०सी०सी० एल० घाटे में चल रही हैं जबकि डब्ल्यू सी०एल० तथा सी०सी०एल० को लाभ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। ई० सी०एल० तथा बी०सी० सी०एल० में कहीं कोई गडबड़ी होगी। डब्ल्यू० सी० एल० के पास ब्लैंडेबल कोयला उपलब्ध है। कोल इंडिया लिमिटेड, जिसके पास ब्लैंडेबल कोल का पर्याप्त स्टाक है, ने मध्य प्रदेश सरकार से उसका उपयोग करने का अनुरोध किया था। उसके बाद, उनके आश्वासन पर मध्य प्रदेश सरकार ने कोककर कोयला बनाने के लिए एस० एस० सी० यूनिटों के लिए छह: लाईसेंस दिए। मध्य प्रदेश में केवल छह: कोककर कोयला यूनिटें हैं। उद्यमियों ने पूंजी लगाई हुई है और मध्य प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता ली हुई है। अब छह: महीने से वे यूनिटें बंद हैं। वे इसलिए बंद हैं क्योंकि ब्लैंडेबल कोल की नंदन वाशरी को जरूरत है। 'नंदन वाशरी परियोजना' 'तमसी' परियोजना से जुड़ी हुई हैं और 'तमसी' परियोजना के अन्तर्गत अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। अगर आप नंदन वाशरी की परियोजना रिपोर्ट पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि तमसी परियोजना को वास्तव में नंदन वाशरी से पहले शुरू किया जाना चाहिए था। सरकार ने उस पर 50 करोड़ रु० लगाए हैं और वहां कोककर कोयला को धोने के बजाय ब्लैंडेबल कोल धोया जा रहा है। तीन खानों का ब्लैंडेबल कोयला खत्म हो रहा है। वहां इस्पात संयंत्र को भेजा जा रहा है जहां इसका इस्तेमाल, भाप पैदा करने के लिए कोकिंग बैटरी के स्थान पर बायलरों के लिए किया जा रहा है। डब्ल्यू० सी० एल० को उनके कोयले के

लिए भाप उत्पादन करने वाले कोयले के समकक्ष ही भुगतान किया जाता है। भुगतान की जाने वाली यह राशि स्टीम कोल के बराबर होती है। अतः इस्पात मंत्रालय को भी इस मामले पर भी विचार करना चाहिए। इन छहः एस० एस० यूनिटों में से बहुत सी यूनिटें बंद हो गई हैं जबकि उनका इसमें कोई दोष नहीं था। डब्लयू० सी० एल० ने मंत्रालय को सूचित नहीं किया कि ये खानें ब्लेंडेबल कोयला खानें हैं ना कि कोककर कोयला खानें। माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे उन सभी मुद्दों पर विचार करें जो मैंने उठाए हैं और उनका उत्तर दें। जिन अधिकारियों ने मंत्रालय को गलत सूचना दी है उनके खिलाफ कोई कारवाई की जाए। सरकार इन छहः एस० एस० आई० यूनिटों को दोबारा से कच्चा माल, जिसे वह पहले सप्लाई किया करती थी, सप्लाई करना कब शुरू करेगी। माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मुद्दे का जवाब दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री ललितेश्वर शाही** (मुजफ्फरपुर): सभापति महोदय, मैं स्टील, कोल और माइंस मिनिस्टर की जो डिमांड हैं, उसके सम्बन्ध में कुछ बातें रखना चाहता हूं। अभी इस सदन में कुछ दिन पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि उनके पास 147 मिलियन टन कोयला जमा है और रेलवे उसको उठा नहीं पा रही है। कल खाद्य मंत्री जी ने कहा कि उनके पास व्हीट इतना जमा हो गया है कि उन्होंने प्राइवेट एक्सपोर्ट्स को भी यह इजाजत दे दी है कि व्हीट यहां से बाहर भेजा जा सके। उसके पहले उद्योग मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि देश में अगर टायर की कमी हो गई तो बाहर से टायर मंगा कर देंगे, लेकिन उसकी सेल पर पाबंदी नहीं रखना चाहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन पर पाबंदी रखना नहीं चाहते।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है इसका उत्पादन 114 मिलियन टन से बढ़कर 124 मिलियन टन, दूसरे साल 130 मिलियन टन, तीसरे साल 138 मिलियन टन और इस साल 147 मिलियन टन के फीगर्स इन्होंने बताए तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि फिर कोयले पर क्यों पाबंदी रखी गई है। जब आपके पास सरप्लस प्रोडेक्शन है, जब आप रेल से इसे नहीं उठा पा रहे हैं तो ट्रकों का लाइन क्यों लगाए रहते हैं और उनमें ट्रकों को सामान लेने में 20-24 घण्टे की देरी क्यों होती है। यह परमिट सिस्टम किस लिए रखा गया है। अगर कोयला इतना उत्पादन हो चुका है तो क्यों नहीं यह सब पाबन्दियां हटा देते हैं जिससे लोगों को परेशानी न हो।

एक दूसरी चीज मैं यह रखना चाहता हूं कि रेलवे कहती है कि कोयला जब तक वह रेल में नहीं ढोयेंगे तब तक उन्हें इकानमी नहीं होगी क्योंकि रेल का वैगन 11वें दिन लौटकर आ जाता है और इंडीविजुअल 2-4-5 वैगन कहीं जाते हैं तो उसके लौटने में 17-18 दिन लग जाते हैं, इसलिए रेलवे के लिए इकॉनमिक नहीं है कि वह अलग-अलग छुटपुट वैगन में कोयला ढ़ोए। महोदय, रेल से कोयला मंगाने वाले कौन हैं? स्टील प्लांट हो सकता है, पावर प्लांट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कंज्यूमर हो सकता है या कोई स्टेट का यूनिट हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह लगाया जा सके कि जिनको 5-7 वैगन हर महीने चाहिए इण्डस्ट्री वास्ते उनको कोयला नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो क्या उपाय होगा? सरकार क्या उस सिलसिले में कुछ करना चाहती है।

आज से डेढ़ साल पहले सुना था कि कोल डंप बनाए जाएंगे उससे कंज्यूमर कोयला ले जाएंगे या इंडवीजुअल इंडस्ट्री वहां से उठा कर ले आएगी, लेकिन वह योजना कागजों पर ही रह

गई। वह बना ही नहीं, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो कोयला नहीं मिलने के कारण परेशान हो रही हैं, उनको कोयला देने की कोई व्यवस्था है?

महोदय 1-2 चीजों का और जिक्र करना चाहता हूं जैसा कि मैंने कोल फील्ड में देखा कि अब तक विभिन्न देशों से मशीनें खरीदी जाती रही हैं। अगर दूसरे पहलू में देखें तो सड़क पर चलने के लिए 3-4 तरह की मॉडल गाड़िया ही फीक्सड हो गई जिससे उन्हीं का डेवलपमेंट होता रहा। पहले ट्रेक्टर का नहीं था। 5-6 जिस माडल के ट्रेक्टर इस देश में बनेंगे, खरीदने वाले आपनी जरूरत के अनुसार उसको खरीदेंगे, लेकिन जहां तक कोल माइंस का सवाल है, कभी पोलैंड से, कभी जर्मनी से, कभी इंग्लैण्ड से, कभी कैनेडा से या आस्ट्रेलिया से विभिन्न डिजाइन, विभिन्न मेक की मशीनें आती हैं और उसका नतीजा यह होता है कि कंटिन्युटी नहीं रहने से एक बार जब मशीन खराब होती है तो फिर खराब ही रह जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा मंत्री जी जवाब देते समय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मशीनें ये मंगाते हैं उनका वर्किंग-लाइफ पीरियड क्या है और यह पीरियड इतना कम क्यों है तथा उसको बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है।

जहां तक एम्पलायमेंट का सवाल है, कहा जाता है कि कोल सेक्टर में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है और यह बात सही भी है लेकिन इसके बावजूद वहां पर इम्पलायमेंट घटता चला जा रहा है। जैसे-जैसे मेकेनाईजेशन बढ़ता जा रहा है, ह्यूमन एम्पलायमेंट घट रहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जिनके घर उजाड़े जाएंगे उनको क्या मिलेगा? कोल इंडिया जिनकी तीन एकड़ जमीन लेगी उनके यहां एक व्यक्ति को एम्पलायमेंट देगी। लेकिन जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, वहां पर पर-हेड एवरेज लैंड 32 डिसमल है। यदि पांच व्यक्तियों का परिवार मानकर चलें तो भी उनके पास डेढ़ पौने दो एकड़ जमीन ही बैठेगी। इस तरह से एक परिवार के पास तीन एकड़ जमीन होगी नहीं और फिर किसी को एम्पलायमेंट भी नहीं मिलेगा। यद्यपि कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन किस हद तक बढ़ा है, फिर जरूरत वालों को क्यों नहीं मिलता है? इसलिए जो आप कहते हैं उसमें कुछ कंट्राडिक्शन मालूम होता है।

जहां तक स्टील का सवाल है, मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहूंगा। बिहार में एक बड़ा जामदा सेक्टर है जहां 1920 से आयरन-ओर की माइन्स चल रही हैं। जो लोग उनमें काम कर रहे थे उनकी आज तीसरी पुश्त काम करने के लिए आ गई है लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से धीरे-धीरे माइनिंग बन्द होती जा रही है। पहले तो इसलिए बन्द हुई कि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन उनसे माल लेकर अपने देश में स्टील मिल्स को देता था और वह धीरे-धीरे बन्द हो गया। कहते हैं कि यह 62 से 63 परसेन्ट कन्टेन्ट का है, उससे ज्यादा काटेन्ट का उन्हें चाहिए। तो पहले जो इन्टर्नल सप्लाई थी वह बन्द हुई और फिर बाद में जो एक्सपोर्ट से बाहर जाता था, वह भी बन्द हो गया, क्योंकि इस्टर्न इण्डिया के जितने भी पोर्ट हैं वह शैलो-वाटर पोर्ट हैं वहां एक लाख टन ड्रैफ्ट के जहाज नहीं लग सकते हैं इसलिए दो बार ट्रांशिपमेंट करना पड़ेगा, छोटे जहाज से बड़े जहाज में, और इस तरह से उसकी कास्ट ज्यादा बढ़ जाती है और वह बाहर भी नहीं जा सकेगा। नतीजा यह हुआ कि 60 वर्षों से उस इलाके के आदिवासी जो लौह खनिज माइनिंग में काम करते थे, जिनकी अब तीसरी जेनरेशन काम पर आ गई है, वह आउट आफ एम्पलायमेंट चले गए हैं। इससे भी बड़ा खराब नतीजा यह निकला है कि जब वे बेकार हो गए तो वे जंगल काटने लगे हैं। जंगल काटने का दुष्परिणाम भी हमारे सामने आने लगेगा। कुछ दिनों के बाद हमें पता चलेगा कि जहां पर हरे-भरे जंगल थे उसकी जगह पर रेत होने लगी है और जब वहां वर्षा नहीं होगी

तब उसका दुष्परिणाम पता चलेगा। पिछले वर्षों 6 में बीसियों हजार लोग आट आउफ एम्पलायमेंट हो गए हैं।

दूसरी ओर आप देखें कि कुदरेमुख प्रोजेक्ट की पाइप-लाइन मंगलौर तक गई है जिस पर साढ़े तीन सौ करोड़ का खर्चा आया है। तीन साल पहले यह काम पूरा हो गया लेकिन आज साढ़े तीन सौ करोड़ इन्वेस्टमेंट की क्या यूटिलिटी है ? वह बेकार पड़ी हुई है क्योंकि मंगलौर में पैले-टाइजिंग प्लान्ट नहीं लग सका है। इस से हेवी इन्वेस्टमेंट करने का क्या लाभ है ? हम दस जगह इन्वेस्टमेंट करदें और एक काम को भी पूरा न करें तो उसका क्या लाभ है ? कोशिश तो यह होनी चाहिए कि जब पैसे की कमी है तो जो भी पैसा लगे वह ठीक से लगाया जाए और वह काम पूरा हो जाए ताकि अरनिंग भी शुरू हो सके। हमारे बिहार में दो स्टील मिल्स हैं—एक तो टिस्को और दूसरा बोकारो—लेकिन ऐसा लगता है जैसे समुद्र में चिड़िया को पानी नहीं मिलता है उसी तरह से स्टील अथारिटी ने आज तक भी मांग करने के बावजूद रांची में स्टाक यार्ड नहीं खोला, नार्थ बिहार में मुजफ्फरपुर में स्टाक यार्ड नहीं खोला। कहते हैं कि इस्टेबलिशमेंट कास्ट बहुत हेवी है तो उसको आप कम कीजिए। इस्टैबलिशमेंट कास्ट के लिए लोग नहीं बने हैं, आप उसको कम कीजिए। छोटे आकार का ही स्टाक यार्ड खोलिए। पर लोहा दीजिए तो सही।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम रेल लाइन के सामने खड़े होते हैं, तो देखते हैं कि भरी रेलगाड़ियां लोहा खनिज लादकर जमशेदपुर और बोकारो चली जाती हैं। भरी रेलगाड़ियां कोयला लेकर चली जाती हैं फिर तैयार स्टील लेकर चली जाती हैं और हम डिब्बे गिनते रह जाते हैं। क्या उस लोहे में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। इस पर मुझे एक उर्दू का शेर या आ रहा है—

"महफिल उनकी, साकी उनका, आंखें अपनी, बाकी उनका"

एक दूसरी चीज मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं और वह यह है कि वे ज्यादा समय एडमिनिस्ट्रेटिव गुत्थियों को सुलझाने में न लगाएं। कनेडियन इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ने दो मिलियन डालर जीरो परसेंट इन्टरैस्ट पर 50 वर्षों में वापसी के लिए पैसा दिया था कि सिंहभूम कॉपर बेल्ट को फरदर डेवलप किया जाए। कॉपर के प्रोडक्शन को वहां पर बढ़ाया जाए। आपको सुनकर सभापति महोदय आश्चर्य होगा कि पिछले दो वर्षों में वह प्रोसेस भी नहीं हो सका है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। फाइलों की गुत्थी को सुलझाने में काफी समय लग जाता है, तो धरातल पर काम कैसे होगा। वस्तुस्थिति कैसे बदलेगी, जो कास हम जल्दी करना चाहते हैं, वह कैसे होगा। बहुत सुनते हैं कि कोशिश हो रही है कि जल्दी करना है, लेकिन यह काम दो वर्षों में भी प्रौसैस में नहीं हो सका और अंत में वह ग्रांट लैप्स होने की स्थिति में आ गई है। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, समय कम है, इसलिए मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

**डा० कृपासिन्धु भोई** (संभलपुर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं कोयला, इस्पात और खान विषयों को एक मंत्रालय के अन्तर्गत लाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। इससे मंत्रालय को इक्कीसवीं सदी में चुनौती का सामना करने में आसानी होगी। मैं उन आंकड़ों का जाल नहीं बिछाऊंगा जिसके बारे में विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि भारत में कोयले की प्रति व्यक्ति उपभोग दर 18 किलो है। लेकिन हमें यह जरूर जानना चाहिए

हमारी स्थिति क्या है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के 36 वर्षों के बाद इस सम्बन्ध में हम अन्य विकासशील राष्ट्रों की तुलना में कहां तक पहुंचे हैं। देश में इस्पात के उत्पादन के संबंध में अनेक बातें कहीं जाती हैं क्योंकि वही देश में अर्थव्यवस्था के विकास को मापने का माध्यम है। ठीक है। पांचवी पंच-वर्षीय योजना तक एकीकृत इस्पात संयंत्रों में 4,500 करोड़ लगाए गए तथा 3,700 करोड़ रु० छठी योजना पर व्यय किए जा चुके हैं। श्री राजीव गांधी ने अपने प्रथम भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के उप-क्रमों का समर्थन करते हुए बोकारो, भिलाई तथा राऊरकेला इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में स्लीपेज तथा 18 से अधिक महीनों के हुए बिलम्ब के बारे में पूछताछ की थी। अगर आप इस्पात मंत्रालय के अधि-कारियों से पूछें कि स्लीपेज तथा बिलम्ब के क्या कारण हैं तो कहेंगे कि हमारे देश में जो कोककर कोयला उपलब्ध है उसमें राख की मात्रा बहुत अधिक है जिससे धमन भट्ठी को फायदा नहीं होता। वे बिजली फेल होने तथा रेलवे रैकों के माध्यम से होने वाली परिवहन संबंधी कठिनाइयों की भी चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के बाद एक बार इस विभाग का प्रबन्ध ठीक से किया गया था जब श्री वदूद खां स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष और साथ ही साथ इस्पात मंत्रालय के सचिव भी थे। अतः निर्णय लेने तथा उसे कार्यान्वित करने के बीच कोई अन्तर नहीं था। उस समय दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की आलोचना की गई थी जबकि उसकी क्षमता का 80 प्रतिशत से भी अधिक उपयोग किया जा रहा था। अब दुर्गापुर संयंत्र के पास अप्रचलित प्रौद्योगिकी है। अन्य संयंत्रों में क्षमता का पूरा उपयोग किया गया था।

मैंने अनेक बार सदन में तत्कालीन इस्पात मंत्री श्री साल्वे को स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के पुनर्गठन करने के लिए अनेक टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं। नीलांचल इस्पात निगम, विशाखापत्तनम इस्पात निगम, विजयनगर इस्पात निगम आदि जैसे निगमों की भरमार नहीं की जानी चाहिए। यदि एक व्यक्ति हो तो आप उसे जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। वह निर्णय लेने की स्थिति में तथा उसे कार्यान्वित कराने के लिए जिम्मेवार होगा। तब वह स्थापित क्षमता को प्राप्त कर सकेगा।

हमारे अनुसंधान तथा विकास स्कन्ध ने धमन भट्ठी में ऊर्जा के पूरे उपयोग में अभूतपूर्व प्रगति की है। इससे पूर्व धमन भट्ठी में ऊर्जा का 60 प्रतिशत ही उपयोग हो पाता था लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से प्रयोग में न लाई जा सकी ऊर्जा को इलैक्ट्रिक ओर फर्नेस तथा गैसीकरण और उससे विद्युत उत्पन्न करने की प्रणाली द्वारा समस्त ऊर्जा का रीसाईकलिंग द्वारा उपयोग कर सकते हैं। वे इसका परीक्षण विशाखापत्तनम, भिलाई तथा बोकारो में कर रहे हैं। स्पंज आयरन में वे सफलता प्राप्त कर ही चुके हैं। इसके लिए हमें अपने अनुसंधान तथा विकास संगठन को बधाई देनी चाहिए तथा उन्हें अधिक धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे अपना काम जारी रख सकें।

पिछली संसद में कई दफे तत्कालीन इस्पात मंत्री ने हमें बताया था कि विजयनगर और दातरी इस्पात संयंत्र लगाने आवश्यक थे और इस वजह से सन् 1982 में दो निगम बनाए गए परन्तु जिस प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाना था उस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ दिनों पहले मेरे द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने हमें बताया था कि स्वीडन फर्म द्वारा विकसित आई० एन० आर०ई०डी० प्रक्रिया तथा पश्चिमी जर्मनी द्वारा विकसित के० आर० प्रक्रिया की जांच की जा रही थी और इसके पश्चात् सरकार निर्णय लेगी कि इनमें से कौन-सी प्रक्रिया हमारे लिए उपयुक्त होगी। प्रत्यक्ष अपचयन या कोई अन्य प्रक्रिया। परन्तु मंत्रालय के प्रतिवेदन से हम

इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्होंने प्रत्यक्ष अपचयन प्रक्रिया को अपनाने का फैसला कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, विजयनगर इस्पात संयंत्र की बिक्री योग्य इस्पात की निर्धारित क्षमता 12 लाख टन होगी और इस प्रतिवेदन के अनुसार दातारी संयंत्र में स्पंज लोह और विक्रय हेतु एक लाख टन इस्पात का उत्पादन किया जाएगा। यह भेद-भाव किसलिए है ? उड़ीसा देश का एक ऐसा केन्द्र है; जहां पर सभी तरह के खनिज पदार्थ विद्यमान हैं। वहां पर उपलब्ध लोह अयस्क में फेरस की अधिकतम मात्रा 64 प्रतिशत से 68 प्रतिशत है। इसमें सिलिका की न्यूनतम मात्रा है। इससे किसी भी प्रकार के मापदण्डों के डिजाइन बनाने में मुश्किल नहीं होती है और न ही कोई समस्या ही पैदा होगी। दातारी में परिवहन लागत विजयनगर इस्पात संयंत्र से कम होगी, और दातारी संयंत्र में प्रति टन इस्पात की उत्पादन लागत भी विजयनगर से बहुत कम होगी। परन्तु तब भी उड़ीसा के मामले में भेदभाव बरता जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उड़ीसा का स्थान नीचे से दूसरा है। प्रधानमंत्री जी ने हमें बार-बार कहा है कि पिछड़े क्षेत्रों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और पिछड़े जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। अत: मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। मंत्री जी अपने उत्तर में हमें यह भी बताएं कि क्या हम स्वीडन की आई० एन० आर० ई० डी० प्रक्रिया अथवा पश्चिम जर्मनी की के० आर० प्रक्रिया को अपनाने जा रहे हैं, दातारी संयंत्र की प्रौद्योगिकी वही होगी जो हम विजयनगर इस्पात संयंत्र में प्रयोग करते हैं। स्पंज लोहा तथा बिक्री योग्य इस्पात के अन्तिम उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोककारी कोयले के स्थान पर अकोककारी कोयला ही इस्तेमाल किया जाएगा। उड़ीसा के सभी सदस्य और वहां के लोग नाराज होंगे यदि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में यह घोषणा नहीं कर देते कि दातारी इस्पात संयंत्र में बेचने योग्य इस्पात की संस्थापित क्षमता 10 लाख टन है।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर) : परन्तु आप विजयनगर इस्पात संयंत्र के विरुद्ध नहीं हैं।

**डा० कृपासिन्धु भोई** : नहीं, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि तत्कालीन मंत्री श्री साल्वे ने संसद में वायदा किया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में विजयनगर इस्पात संयंत्र और दातारी इस्पात संयंत्र प्रत्येक के लिए 422 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

जहां तक खानों का सम्बन्ध है उड़ीसा में विपुल खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। जैसाकि मेरे मित्र श्री शाही बता रहे थे कि उड़ीसा के नजदीक बर्जमाड़ा क्षेत्र में लघु खान मालिकों तथा सरकारी क्षेत्र की खानों ने 50 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया है। इसकी आपूर्ति करने के लिए एम० एम० टी० सी० को बाहर से ठेका न मिलने की वजह से 20,000 से ज्यादा श्रमिक बेरोजगार हैं। इनमें अधिकतर आदिवासी और हरिजन हैं। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे एम०एम०टी०सी० से कहें कि वे 30 या 40 लाख टन से ज्यादा लोहा वहां से उठाएं जैसाकि 1974-75 में किया गया था।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पारादीप बन्दरगाह की तुलना युगोस्लाविया के ओडेसा बन्दरगाह से की जा सकती है। पारादीप बन्दरगाह पर कलकत्ता और हल्दिया बन्दरगाहों की तुलना में गाद निकालने की लागत एक-तिहाई आती है। यहां पर बड़े जहाजों को नहीं रखा जा सकता। यहां पर डुबाव जो प्रारम्भ में 40 मीटर था अब 30 मीटर है। यहां रेत वगैरह साफ करने के लिए और इस बन्दरगाह को सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन का प्रावधान नहीं किया गया है। नौवहन और परिवहन मंत्रालय पारादीप बन्दरगाह पर एक लाख डी० डब्ल्यू० टी० वाले जहाजों को

खड़ा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए धनराशि मुहैय्या नहीं करा रहा है। बंगलादेश युद्ध के समय विजन्त टैंक को पारादीप बन्दरगाह के सिवाय और कहीं नहीं उतारा जा सका।

मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिहार और उड़ीसा के भीतरी प्रदेशों का समुचित विकास सुनिश्चित किया जाए। पारादीप बन्दरगाह से खनिजों का निर्यात करने से काफी मदद मिलेगी। पारादीप बन्दरगाह पर एक और संचालन संयंत्र स्थापित करने के लिए मंत्री जी को कोशिश करनी चाहिए। वहां पर गाद आदि निकालने की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

खान विभाग के अन्तर्गत बहुत सी कम्पनियां हैं, परन्तु क्या वे माननीय मंत्री जी की गतिवाद और दृष्टि से सामंजस्य बनाए हुए हैं? सन् 1983-84 में हिन्दुस्तान कापर ने लगभग 7 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया। और अब यह घाटा बढ़कर दुगुना हो गया है। बी० जी० एम० एल० को सन् 1972 में इसके प्रारम्भ से सन् 1983-84 तक 9 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। 1984-85 में घाटे की यह राशि 10 करोड़ रुपए है। एम० ई० सी० एल० को राजसहायता एक लाख से कम का लाभ हुआ है वह भी राजसहायता मिलने पर। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अच्छा हो अगर आप इन कम्पनियों को बन्द कर दें और उन कम्पनियों पर ज्यादा ध्यान दें जो अच्छी तरह कार्य कर सकती हैं। अच्छा कार्य-निष्पादन कर सकती हैं। इस सन्दर्भ में, मैं मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि एच० सी० एल० को 32 करोड़ रुपया देने से पहले वह किसी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अथवा हमारे शोध और विकास विंग के विशेषज्ञों से गहराई से अध्ययन करा लें। तभी आप यह पैसा इसे देने की सिफारिश करें।

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी 'नेल्को' भी काफी अच्छी प्रगति कर रहा है। 26 जनवरी, 1980 को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिना-एल्यूमिनियम काम्पलेक्स देश को समर्पित किया था। सन् 1981 में उन्होंने फ्रांस की पेशिने लि० कम्पनी के साथ टर्नकी के आधार पर बराबर की हिस्सेदारी पर, एक करार पर हस्ताक्षर किए। सन् 2000 तक एल्यूमिनियम का उत्पादन क्या होगा? एल्यूमिनियम का निर्यात आप किस प्रकार कर रहे हैं क्योंकि विश्व में एल्यूमिनियम की खपत 5 प्रतिशत है और हमें 50 प्रतिशत एल्यूमिनियम की आवश्यकता होती है; यह एकदम नामुमकिन और अव्यावहार्य है कि जितना भी एल्यूमिनियम का उत्पादन होगा हम उसे खपा लेंगे। 1982 जनवरी में उन्होंने उसकी पुनरीक्षा की और देशीकरण के नाम पर ई० आई० एल० को परामर्शदायी बनाया। उन्होंने बराबर की हिस्सेदारी वाली बात समाप्त कर दी। परन्तु 1981 में इसी पेशिनी लिमिटेड ने आस्ट्रेलिया में टोमेगा के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने पहले से ही एक एल्यूमिनियम प्रगालक लगा लिया है जो कि 4 लाख टन उत्पादन कर रहा है। इसकी लागत में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु हमारे संयंत्र में 1981 में बढ़ी हुई लागत 1224 करोड़ रुपए थी और अब यह 2200 करोड़ रुपए हो गई है। अत: शत-प्रतिशत वृद्धि हुई है।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : क्यों? क्या उन्होंने कोई कारण दिया है?

**डा० कृपासिंधु भोई** : मैं मंत्री जी से पूछूंगा। इस विचार को बदलने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं। करार के तहत संयंत्र की निर्माण अवधि नौ महीने की थी। परन्तु पेशिनी लिमिटेड ने अपने शोध एवं विकास व्यवस्था से इस अवधि को तीन महीने ही कर दिया। उन्होंने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया और उन्होंने संयंत्र को चालू कर दिया है जो कि एल्यूमिनियम का उत्पादन कर रहा है।

मैं बाल्को एल्यूमिनियम काम्पलेक्स के काम से काफी खुश हूं क्योंकि इसका कार्य-निष्पादन शानदार है। परन्तु गण्डामार्डन बाक्साइट परियोजना में, जो कि मेरे क्षेत्र में खोली गई है, जैसाकि श्री शाही कह रहे थे कि रोजगार के अवसर के बारे में वहां के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। साक्षात्कार के समय किसी भी राज्याधिकारी को भरती नहीं किया गया। क्या मंत्री जी कम्पनी से कहेंगे कि राज्य सरकार अधिकारी की उपस्थिति के बिना कोई भी साक्षात्कार नहीं लिया जाना चाहिए ? बाहर से लोगों की भर्ती करके ये लोग यहां के निवासियों में ईर्ष्या की भावना पैदा कर रहे हैं।

महोदय, अब मैं कोयले के उत्पादन पर आता हूं। हमारे मंत्री श्री साठे जी 1981 में बनी सलाहकार परिषद से खुश नहीं हैं। उसकी अभी तक कोई भी बैठक नहीं हुई है। इस्पात सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद मौके पर यानि मेज पर निर्णय लेने के लिए गोल मेज सम्मेलन कर रहे हैं। श्री साठे ने कहा है कि मजदूरों की छंटनी न की जाए। इसके बजाय उन मजदूरों को विभिन्न उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कोयले को तोड़कर विभिन्न आकार देने के लिए कहा जाए।

साथ ही यह आश्चर्य की बात है कि कोयले की पूर्ति बिना धुलाई किए ही की जाती है। दुनिया में कहीं पर भी बिना धोए कोयले की आपूर्ति विभिन्न उद्योगों में नहीं की जाती। सभी जगह धोवनशालाएं विद्यमान हैं। ऐसा सिर्फ भारत में ही हो रहा है। कोयले में राख की मात्रा अधिक होने के कारण कोल इण्डिया लिमिटेड को धोवनशाला लगाने के लिए कहा जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अन्य क्षेत्रों में ध्यान देने की बजाय अगर आज बिहार में माफिया लोगों को रोक सकते तो आप आन्तरिक रूप से 300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष जुटाने में समर्थ हो सकेंगे। क्या आप यह साहसिक कदम उठा सकते हैं ?

कोयले का घोल बनाने की प्रक्रिया के बारे में वे एक परियोजना शुरू कर चुके हैं। परन्तु कोयले के क्षेत्र में इस दिशा में एक सामूहिक कार्यक्रम होना चाहिए। ऊर्जा के लिए ईंधन के वास्ते कोयला-पानी मिश्रण प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए यूरोप के देशों में इसे काम में लाया गया है इससे ईंधन के लिए ऊर्जा खपत में भी कमी होगी।

अब मैं कोठागुडम के बारे में बताना चाहूंगा। कोठागुडम निम्न ताप कार्बनीकरण संयंत्र जो कि एकदम देशी परियोजना है, कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण कठिनाई में है। अगर इसे कोयले की पर्याप्त आपूर्ति की जाए तो यह देश की भावी आवश्यकताओं के लिए उपोत्पादन रसायनों का उत्पादन कर सकता है। हमें लाखों टन कोयले की मात्रा पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि हम खानों से प्राप्त करते हैं परन्तु हमें कोयले की कैलारी मूल्य को देखना चाहिए जो कि खानों से निकाला जा सकता है। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में मजदूरों की ओ० एम० एस० न्यूनतम है। साथ ही, अन्य देशों के साथ तुलना करने पर यह 0.8 है। ऐसा क्यों है ? इसलिए औद्योगिक व्यवहार बनाए रखना चाहिए; यह एकदम शांतिपूर्वक होने चाहिए। एक संगठन : एक उद्योग; एक कोयला खान : एक संगठन। प्रबन्धन में श्रमिकों और खनिकों को इस तरह से कार्य करना चाहिए। यह एक सराहनीय बात होगी।

अन्त में मैं इस्पात मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह बदूद खान के दिनों को फिर से याद करें। हमारे देश में उस वक्त इस्पात उद्योग का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था इसमें 50 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है। हम 1999 के अन्त तक बिक्री योग्य इस्पात का 75 प्रतिशत उद्देश्य

प्राप्त कर लेंगे। विभिन्न प्रकार का लौह मिश्रण जिसका हम आयात कर रहे हैं उसमें भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। परिवर्तन आवश्यक है। तभी हम साबित कर सकते हैं कि हमारा रहन-सहन स्तर बढ़ गया है।

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : माननीय मंत्री महोदय को देने के लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब कोयले का अतिरिक्त स्टाक है। यह बताया गया है कि करोड़ों टन कोयले का स्टाक मिदनापुर में कोयला खान के मुहाने पर पड़ा हुआ है। यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। दूसरी ओर एक महीने से कोयला उपलब्ध नहीं है, इसमें कुछ दिक्कतें हैं। जिन लोगों ने कोयले का ठेका लिया था वे कोयला नहीं उठा रहे हैं; और यह समस्या अभी सुलझाई नहीं गई। इस कारण से कोयले की कीमतें बहुत ऊंची चली गई हैं जबकि हमारे पास खान के मुहानों पर जरूरत से ज्यादा कोयला है।

हमें वह नारा याद है : 'उत्पादन करो या मरो'। परन्तु कोयले के बारे में आज यह नारा 'उत्पादन करो और मरो बन गया है।

**प्रो० ए० जी० रंगा** : और इसे जला दो।

**श्री नारायण चौबे** : यही बात है। कोयले का उत्पादन कम करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। चूंकि कोयले को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने के लिए रेल मंत्रालय वैगनों की पर्याप्त मात्रा देने में असफल रहा है। कोयला का जमाव मुहानों पर होता रहा है और उसे ढोया नहीं जा सकता। अब नारा उत्पादन कम करने का है।

हमें बताया गया है कि हम 20वीं सदी के अन्तिम सिरे पर हैं और हमें 21वीं सदी में जाने के लिए तैयार होना है। मैं समझता हूं कि कोयले के क्षेत्र में हम लोग 20वीं सदी से 19वीं सदी में जा रहे है। अन्यथा, कोयले का उत्पादन करने के लिए यह हास्यास्पद निर्देश क्यों दिया जाता ? आप कोयला शीघ्र पहुंचाने के लिए उपलब्ध वैगनों और ट्रकों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते ? इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें उत्पादन में कमी नहीं करनी है। यह मेरा पहला निवेदन है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम बिहार कोयला खदान क्षेत्रों में वितरण आदेश पर्ची (डी० ओ० एस०) के बारे में बड़ी ही खाराब व्यवस्था है। बाड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार का भी यही कारण है। कोल इंडिया के अधिकारी इन बातों को पूरी तरह से जानते हैं। इस सम्बन्ध में होता यह है कि अपने कृपा पात्रों को वितरण आदेश पर्चियां (डी० ओ० एस०) दी जाती हैं। वे 240 रुपए प्रति टन की दर से मुहाने पर ही कोयला ले लेते हैं। उस कोयले को वह 500 अथवा 800 रुपए प्रति टन की दर से बेच देते हैं। बिहार राज्य में भी, जहां कोयला काफी मात्रा में उपलब्ध है, इस वितरण आदेश पर्ची पद्धति के कारण अनेक क्षेत्रों में कोयले का मूल्य 1000 रुपए प्रति टन तक हो गया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में जांच करें और यह आदेश जारी करें कि कृपापात्रों का हितसाधन करने वाली इस खाबी बितरण अदेश पर्ची पद्धति को कोयला खदान क्षेत्रों में समाप्त किए जाए।

पता नहीं कि श्री साठे इस समय यहां मौजूद क्यों नहीं हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है। यह 1984 में प्रकाशित हुई थी और इसका शीर्षक "समाज क्रान्ति की ओर" था। इस पुस्तक के पृष्ठ 84 पर श्री साठे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और कहते हैं :

"पहले दिए गए आंकड़ों के आधार पर 1981-82 में 54,000 करोड़ रुपए का काला धन होने का अनुमान है।"

3.00 म० प०

यह पुस्तक श्री साठे ने लिखी है किसी और ने नहीं। मैं अब आपको इस बात का उदाहरण दूंगा कि बड़ी-बड़ी चोरियां कैसे होती हैं। मैं एक कोयला खदान में घटी घटना के बारे में बताना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में जांच करें। बिहार में रांची के समीप चूड़ी कोयला खदान से कोई दो वर्ष पहले कोयले से भरे 35 ट्रक भटिंडा भेजे जा रहे थे जहां से वह पाकिस्तान भेजे जाने थे। हमारे अखिल भारतीय कार्मिक संघ ने पुलिस को इस मामले की रिपोर्ट की। उन्होंने उस कोयले को अपने कब्जे में ले लिया। मेरे विचार से 1983 से वह कोयला पुलिस के कब्जे में है। उस कोयले को लेने कोई नहीं आया। सी० सी० एल० कहता है कि यह कोयला उनका नहीं है। सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। कोयला कहां से आता है? हमारे नेता ने इस बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखा। उन्होंने एक जांच का आदेश दिया। 16-2-1985 को श्री वसन्त साठे रांची गये। फिर हमारे लोग उनसे मिले और उन्हें पाकिस्तान जाने वाले कोयले के बारे मे उन्हें बताया। एक पूरा रैक पाकिस्तान भेजा जा रहा था। बिहार पुलिस ने इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की। तब यह कहा गया कि सी० बी० आई० जांच करेगी। अब सी० बी० आई० के एस० पी० पर यह दबाव डाला जा रहा है कि जांच करने के लिए किसी प्रकार का कार्य न किया जाए। कोल इण्डिया के अध्यक्ष तथा अन्य लोग यहां बैठे हैं। वे क्या कर रहे हैं? मैं इस सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वह भ्रष्टाचार को कभी सहन नहीं करेगी और काले धन को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी। मैंने जिस मामले का अभी उल्लेख किया है सरकार उस बारे में क्या करने जा रही है?

11-11-1983 को श्रमिकों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता किया गया था। इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है; इस समझौते के आवास, पेय जल, सामाजिक सुरक्षा आदि सम्बन्धी उपबन्धों को लागू नहीं किया गया है। एक उप-समिति गठित की गई थी किन्तु इसकी कभी कोई बैठक नहीं हुई। इस समझौते को लागू करने के लिए एक संयुक्त द्विपक्षीय समिति का गठन किया गया था किन्तु कोल इण्डिया के अध्यक्ष के कहने पर भी इसकी बैठक नहीं होने दी गई। इसके लिए 5 और 6 जून को 48 घंटे की हड़ताल की गई थी। जब हड़ताल हुई थी तो अध्यक्ष का रवैया प्रतिकारी हो गया। उन्होंने एक दिन की हड़ताल के लिए आठ दिन का वेतन काटने को आदेश दिये। कर्मकारों ने न्यायालय के द्वार खटखटाए और इस कार्यकारी आदेश के विरुद्ध एक आदेश जारी करवा लिया। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सभी कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों में समुचित सुधार करें। आपको सभी कार्मिक संघों की एक बैठक बुलानी चाहिए। अब कोल इंडिया के अध्यक्ष की मेहरबानी से केवल 'इंटक' के लोगों को ही बुलाया जाता है। किसी भी अन्य कार्मिक संघ को कोयला मुहाने पर नहीं बुलाया जाता है। मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सुधार करें। अब आप आए हैं, शायद आप यह कार्य कर सकेंगे।

बोकारो स्टील के लिए कोयला दुग्धा धोवनशाला से आना अपेक्षित था। 8 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं फिर भी यह कोयला खदान स्वप्न ही है। अब हमने बोकारो में 40 लाख टन उत्पादन आरम्भ करना है। वास्तव में हम इतना उत्पादन कर रहे हैं किन्तु पता नहीं आप कागजों में यह क्यों दिखा रहे हैं कि हम 25 लाख टन उत्पादन कर रहे हैं।

बोकारो में 'केपटिव' बिजली संयन्त्र स्थापित किए जाने थे। उन्हें अभी चालू क्यों नहीं किया गया ? इस बोकारो इस्पात संयन्त्र के लिए पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन क्यों उपलब्ध नहीं की गई ? इसी प्रकार, भिलाई इस्पात संयंत्र के पास दिल्ली राजहरा में लगभग 10,000 कर्मकार खदानों में काम कर रहे हैं।

महोदय, आप मेरी बात सुनिए। इन सभी 10,000 कर्मकारों को विभागीय श्रमिकों जितना वेतन और भत्ता दिया जा रहा है। किन्तु फिर भी उनका विभागीकरण नहीं किया गया। ठेकेदारों को प्रति टन 17.50 रुपए दिए जा रहे हैं। मैं यह नहीं जानता कि उन्हें यह पैसा किस लिए दिया जाता है। इससे केवल उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। मेरे विचार से ठेकेदारों का समुचित उत्पादन करने के सम्बन्ध में बिल्कुल सरोकार नहीं है। वे तो केवल यह सोचते हैं कि वह इतना उत्पादन कर रहे हैं और इतनी धनराशि उन्हें मिल रही है। मेरा यह सुझाव है कि इन कार्मिकों का विभागीकरण किया जाए।

भिलाई इस्पात संयन्त्र का विस्तार हो रहा है, इसकी क्षमता अब 450 लाख टन है। किन्तु एच० एस० सी० एल० के 5800 कार्मिक बेकार बैठे हैं। मैं इस बात को नहीं समझ सका कि जब अनेक कार्मिक बेकार बैठे हैं तो प्राइवेट कार्मिकों को रोजगार में क्यों लिया जा रहा है।

मैंने जो मुद्दे उठाए है, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे उन पर विचार करें। यह सही है कि हमें कोयले और इस्पात की आवश्यकता है। किन्तु आप निजी कोयला खदानों को समाप्त कर दें यह अच्छा रहेगा। जैसा कि डा० कृपासिन्धु भोई ने कहा है कि यदि आप कोयला खदानों में माफिया गिरोह पर नियन्त्रण कर सकें तो सभी प्रकार के लाभ उपलब्ध हो सकते हैं। मुझे आशा है आप अपने प्रयासों में सफल होंगे।

**सभापति महोदय** : श्री शान्ति धारीवाल।

**प्रो० एन०जी० रंगा** : आज तो आप बड़े रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : हम हमेशा रचनात्मक सुझाव देते हैं।

[हिन्दी]

**श्री शांति धारीवाल** (कोटा) : सभापति महोदय, इस्पात, कोयला व खान मंत्रालय के अनुदानों की मांगों को सपोर्ट करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था की इस्पात, खान व कोयला जान है। सारे इस्पात के कारखानों में सरकार की प्राधिकृत पूंजी करीबन 4,000 करोड़ रुपए लगी हुई है। हानि, लाभ का जो ब्यौरा दिया गया है उसमें 1983-84 है 214.53 करोड़ का नैट लास बताया गया है। इससे एक वर्ष पूर्व 1982-83 में नैट लास 105.76 करोड़ रुपए का है। यानी इस वर्ष दुगुना लास हो गया है।

सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की पूंजी के इन्वैस्टमैंट के बाद कारखाने निरन्तर हानि की ओर अग्रसर हैं और होते जा रहे हैं। जब कभी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो कारखानों के अध्यक्षों ने महज बिजली की कमी व कोयले की खराबी बताकर, कोई न कोई बहाना बताकर इस कमी को रेंगुलराइज करने की बात की है और वह अपनी जिम्मेवारी दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं।

मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि क्या यह बिजली और कोयले की समस्या उन लोगों के

मिस-मैनेजमैंट, करप्शन और लो-प्रोडक्टिविटि की घोर समस्याओं से भी ज्यादा गम्भीर नहीं हो गई ? क्या बिजली और कोयले की समस्या का प्रभाव निजी क्षेत्र के कारखानों पर नहीं पड़ता है जिनकी उत्पादन क्षमता 1983-84 में 99 प्रतिशत और 1984-85 में 92 प्रतिशत एस्टीमेटेड रही है जब कि सरकारी कारखानों में यह क्रमशः 63 प्रतिशत रहा है ।

ताज्जुब की बात यह है कि सरकारी कागजों में स्टील मैल्टिग कैपिसिटी और रोलिंग कैपिसिटी को डोमैस्टिक डिमांड से ज्यादा बता रखा है तथा कच्चे स्टील का उत्पादन सारे इस्पात के कारखानों का 60 प्रतिशत क्षमता का बता रखा है, तब भी हमें डेढ़ से 2 मिलियन टन का आयात करना पड़ता है ।

भारत में 14 के० जी० पर कैपिटा कंजम्पशन है जब कि चीन में यह 40 के० जी० है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में टारगैट रखे गये थे, वह आज भी पूरे नहीं हो रहे हैं। इतनी लार्ज कास्ट पर इनकी लो-लैवल परफार्मेन्स होने के क्या कारण हैं ?

भारत के सरकारी इस्पात के प्रतिष्ठान जबरदस्त हानि उठाते रहे हैं और उठा रहे हैं। अख-बारों में खबर थी कि 84-85 में सेल को 20 करोड़ का फायदा हुआ, परन्तु क्या यह सही नहीं है कि सरकार ने इन्टरेस्ट होली-डे कर के 90 करोड़ का ब्याज का खर्चा बचाने की कोशिश की ताकि इन प्रतिष्ठानों को लाभ में दिखाया जा सके ? क्या यह सही नहीं है कि साल में 150 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष ऑपरेटिंग लॉस है । हमें ईमानदारी से हिसाब बनाते वक्त सरकार द्वारा दिए गए रिलिफ एण्ड एग्जैम्शन नहीं गिनने चाहिए और यह स्थिति भी उस समय आई जबकि जून, 1984 और फरवरी, 1985 में दो बार स्टील की कीमतें बढ़ाकर सेल का घाटा कम करने का प्रयत्न किया जिसका लाभ सेल को कम व टाटा के कारखाने को ज्यादा मिला । इस प्रकार से बार-बार दाम बढ़ाने से जनरल प्राइस लैवल पर और गवर्नमेंट प्रोजैक्ट्स की कास्ट पर बड़ा भारी इमपैक्ट पड़ा है तथा उपभोक्ताओं की कमर टूटी है ।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एनर्जी कास्ट इस्पात के भारतीय प्रतिष्ठानों में दुगना और कहीं-कहीं पर तिगुना भी इंटरनैशनल स्टैंडर्ड से है। इसको हमें कम करना होगा । ज्यादातर प्रतिष्ठान 20-25 साल पुराने पड़ गए हैं । टाटा ने अभी अपना प्लांट का नवीनीकरण सैकड़ों करोड़ों रुपया लगा कर किया है । यह कार्य उनको काफी मुनाफा दे रहा है। हमें भी अपने प्लांट का नवीनीकरण करना होगा। सरकार को शीघ्र इस पर निर्णय लेना होगा । हर दिन कैपिटल कास्ट बढ़ रही है ।

महोदय, क्या कारण है कि जापान एक छोटा सा देश है जो हमसे ऑयरन, कोल लेता है और 8 हजार किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बीअर करता है और फिर भी हम से चार गुना वेतन मजदूरों को देता है, फिर भी 35 प्रतिशत कम कीमत पर इस्पात हमें ही बेचता है, इसके क्या कारण हैं। गम्भीरता से इसकी जांच करनी होगी ।

कुछ साल पहले बोकारो स्टील के सर्वे में यह बताया गया कि इस कारखाने में सिर्फ 9000 मजदूर लगने चाहिए जबकि 32,000 मजदूर लगे हुए थे। तत्कालीन मंत्री महोदय ने कहा कि हम सिर्फ मुनाफे के लिए ही कारखाने नहीं लगाते बल्कि इम्पलायमेंट के लिए भी काम करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक फायदे के लिए कितना नुकसान उठाया जाता है । इसको हमें नहीं करना चाहिए। जितने मजदूरों की आवश्यकता है, उतने ही मजदूर खपाने चाहिए। तभी अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला पाएंगे ।

महोदय, एक अर्ज और करना चाहता हूं कि जापान, ताईवान, कोरिया यह स्टेनलैस स्टील कोयला 15 हजार टन देते हैं जो कि स्लेम स्टील प्लांट द्वारा 42 हजार रुपए टन में बेचा जाता है और उसके बाद भी 200 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होता है। इन कारणों का जब तक रचनात्मक हल नहीं होगा और जब तक कारखानों में इन-एफिशेंसी जारी रहेगी तब तक सरकार को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इसके लिए स्माल-स्केल इंडस्ट्री को समय पर माल नहीं मिलेगा और प्राइस भी बहुत अधिक देनी पड़ेगी। इससे एक्सपोर्ट मार्किट पकड़ने में भी दिक्कत आती है। प्रोडेक्शन बढ़ाने के साथ ही रा-मैटिरियल की प्राइसिज भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लानी चाहिए।

अब मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से मन्त्री जी को देना चाहता हूं। पहला सुझाव तो यह है कि इन कारखानों में प्रोफेशनल मैनेजमेन्ट को रखा जाना चाहिए और निजी संस्थाओं में जो मैनेजर्स हैं उनको यहां पर चांस दिया जाना चाहिए। क्या कारण है कि सरकारी कारखाने नुकसान में चल रहे हैं जबकि प्राइवेट कारखाने लाभ कमा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं यह आवश्यक है कि प्राइवेट कारखानों के प्रोफेशनल मैनेजमेंट को सरकारी कारखानों में बढ़ावा दिया जाए।

मेरा सुझाव है कि फारेन एक्सचेंज बचाने के लिए सिर्फ क्रिटिकल आइटम्स ही इम्पोर्ट करने चाहिए और बाकी सभी आइटम्स, जिनकी तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, देश में ही निर्मित होने चाहिए। हाट रोल्ड स्टेनलेस स्टील क्वायल के इम्पोर्ट पर जो 110 परसेन्ट ड्यूटी लगी हुई है उसको समाप्त किया जाए ताकि कुछ उत्पादकों की जो यहां मोनोपोली है वह खत्म हो सके। मेरा यह भी सुझाव है कि रिजल्ट ओरिएन्टेड मैनेजर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए और उन्हें इस बात का भय होना चाहिए कि यदि उन्होंने कुप्रबन्ध किया तो उनको दण्ड दिया जायेगा।

मेरा सुझाव है कि बिजली तथा कोयले के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि इनकी कमी को आसानी से पूरा किया जा सके। अअनुशासित, अनियमित तथा अकार्मिक मैनेजरों व मजदूरों को तत्काल रोकने का काम होना चाहिए तथा उनको दण्ड भी मिलना चाहिए। निजी क्षेत्रों से सरकारी क्षेत्रों के उत्पादन लाभ की तुलना समय-समय पर होती रहनी चाहिए ताकि उन कमियों को उजागर करके समाप्त किया जा सके। हर स्तर पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में सुधार होना चाहिए। कोयले, फ्यूयल, नेफ्ता के खर्च को कम किया जाना चाहिए। जो निजी बड़े-बड़े प्लान्ट्स हैं उनके जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स और कुशल प्रशासक हैं, जो इस उद्योग को जानने वाले हैं उनको रखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं तथा कहना चाहता हूं कि अभी कुछ देर पहले इसी हाउस में माननीय सदस्य श्री विष्णु मोदी ने खान की बाबत जिक्र किया था कि जब से फारेस्ट ऐक्ट लागू हुआ है, खानों के खनन कार्य में काफी बाधा आई है। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र कोटा से यहां पर आता हूं वहां पर सैण्ड स्टोन माइन्स हैं जिन पर आज बड़ा भारी संकट पैदा हो गया है। उनको नोटिसेज दे दिए गए हैं और खनन कार्य बन्द हो गया है जिसके कारण हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम खनिज के मामले में फारेस्ट ऐक्ट को आड़े नहीं आना चाहिए तथा ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जहां पर अच्छे खनिज उपलब्ध हैं वहां पर यह ऐक्ट अपने पांव न बढ़ा सके।

**श्री योगेश्वर प्रसाद** (चतरा) : सभापति महोदय, मैं इस्पात, खान, कोयला मन्त्री द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस्पात, खान व कोयला मन्त्री के ऊपर देश के

विकास की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये तीन विभाग ऐसे हैं जो देश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। किसी भी देश के विकास एवं सम्पन्नता का द्योतक यह है कि वहां पर प्रति व्यक्ति कितना इस्पात का उत्पादन हो रहा है और किस प्रकार से उसका सदुपयोग किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में जो इस्पात उपलब्ध हो रहा है वह मैं समझता हूं हमारी रिक्वायरमेंट का पांचवां हिस्सा भी नहीं है। हमारी स्टील की जो आवश्यकता है उस लक्ष्य तक, हमारे पास जो साधन हैं, उनसे ही पहुंचा जा सकता है। हमारे यहां भिलाई, राऊकेला, दुर्गापुर के जो सरकारी कारखाने हैं तथा निजी क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं वे अगर ठीक प्रकार से स्टील का उत्पादन करें तो स्टील की कमी को पूरा किया जा सकता है। मैं मन्त्री जी का ध्यान कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों की ओर ले जाना चाहूंगा। हमारे मन्त्री जी बड़े ही कुशल और डायनैमिक व्यक्ति हैं और देश को विकास की ओर ले जाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुए पन्द्रह साल हो गए हैं, फिर भी कोयले के अभाव में हमारे स्टील का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। संतोषप्रद ढंग से नहीं हो रहा है। पहले भिलाई और टाटा के माध्यम से जिन रेल लाइनों की पूर्ति की जाती थी, बड़े अफसोस की बात है कि अब 25 करोड़ रुपए की लागत से हमें रेल लाइनें बाहर से मंगानी पड़ रही है। इस ओर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, कोयले के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी का ध्यान ग्लैडस्टोन द्वारा कही गई बात की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था—प्राइम मिनिस्टर शुड सिट आन ए सैक आफ कोल। यह मैं जरूर मानता हूं कि कोयले की भूमिका को किसी भी दृष्टि से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि नजर अन्दाज किया जाएगा तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। हमने अखबारों में पढ़ा है और पढ़ कर बड़ी खुशी हुई कि सी० आई० एल० ने 1984-85 में 25 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है, जबकि 1983-84 में 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घाटा हुआ। यह मुनाफे की दर कोई नई नहीं है। 1982-83 में हमने 39 करोड़ रुपए का मुनाफा किया था। प्रधान मन्त्री ने भी कहा है कि अभी जिस रफ्तार से हमारी कोयले की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। 15 साल कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण को हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें कोकिंग कोल का आयात करना पड़ रहा है। यह हमारी इनएफिशियेंसी का द्योतक है। इस कोल को आयात करने में जो विदेशी मुद्रा की खपत हो रही है, उसका अन्दाजा आप सहज ही लगा सकते हैं।

सभापति महोदय, सी० आई० एल० के अन्दर भारत कोकिंग कोल एक ऐसी संस्था है, जो कोकिंग कोल पैदा कर सकती है। हमारी 55 हजार मिट्रिक टन की प्रतिदिन की आवश्यकता है और उसकी जगह पर हम 45 हजार मिट्रिक टन पैदा करते हैं। सम्पूर्ण भारत में कोकिंग कोल का उत्पादन 21 मिलियन मिट्रिक टन है, जिसमें से 16 मिलियन मिट्रिक टन कोकिंग कोल का उत्पादन होता है और 5 मिलियन मिट्रिक टन नॉन कोकिंग कोल का उत्पादन होता है। सभापति महोदय, मैं अपने कर्त्तव्य से वंचित रहूंगा यदि मैं सच्चाई को सदन के माध्यम से मन्त्री महोदय के ध्यान में नहीं लाऊंगा। भारत कोकिंग कोल एक ऐसी संस्था है, जो कोकिंग कोल पैदा कर सकती है, जिससे स्टील का उत्पादन होता है। इसी सी० सी० एल० के अन्दर 83 साल में कोकिंग ओवन्स को बन्द कर दिया गया था, हार्ड कोक का उत्पादन बन्द कर दिया गया और इसका नतीजा यह हुआ प्राइवेट सैक्टर में जो ओवन्स हैं, वे इसका ज्यादा तादाद में उत्पादन कर रहे हैं। वजह यह है कि कोकिंग कोल प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट सैक्टर में जाता रहा और उनके यहां हार्ड कोक का उत्पादन होता रहा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने खंडर पड़े हुए ओवन को अब

फिर से चालू करने का विचार किया है। अब स्थिति यह है कि प्राइवेट सैक्टर के लोग दो-तीन सौ रुपया बलैक में हार्ड कोक को बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं और वहां मजदूरों का भी शोषण हो रहा है। मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को बन्द करने के लिए भी सरकार को जल्दी ही कदम उठाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कोल वाशिंग में एक गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है, जिसको सूलरी कहा जाता है, वह पानी की तरह बहा दिया जाता है। इस गाढ़े पदार्थ को निजी क्षेत्र के लोग उठाकर ले जाते हैं और उससे हार्ड कोक का उत्पादन करते हैं। हम जो हार्ड कोक उत्पादन करते हैं, उसमें 25 प्रतिशत एश-कन्टैन्ट होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में जो हार्ड कोक उत्पादन होता है, उसमें 10 से 15 प्रतिशत तक एश-कन्टैन्ट होते हैं। इस प्रकार निजी क्षेत्र के लोग कौड़ी के मोल पर उठाए गए माल की कीमत ज्यादा ले जाते हैं। कोल वाश्यरीज के सम्बन्ध में मैंने पहले भी आपका ध्यान आकर्षित किया था। जितनी कोल वाश्यरीज हैं सबकी हालत खस्ता है। वहां जितना अच्छा कोयला होता है, उसमें से बहुत सामिडलिंग्ज में चला जाता है और यह सब वहां के सम्बन्धित लोगों के भ्रष्टाचार से होता है। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। निम्न कोटि के कोयले का उत्पादन हमारे दूसरे कामों के लिए फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन कोकिंग कोल के उत्पादन में कोई फायदा नहीं होगा। हमें पता चला है वैस्टर्न कोल फील्डस के विलासपुर में ऐसे कोयले का बहुत बड़ा स्टाक है, लेकिन वहां से मूवमेंट की कठिनाइयां हैं, कम्यूनिकेशन औन आवागमन के साधन नहीं हैं। बिहार में पालामऊ जिले के बालूनाथ में एम० इ० सी० ने काफी काम किया है, काफी खोज की है और मालूम हुआ है कि वहां ऐसे कोयले का बहुत बड़ा भण्डार है। यदि उसका दोहन किया जाय तो इतना कोयला मिल सकता है जिससे सब जगहों की आपूर्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं मांग करता हूं कि बालूनाथ में कोयले के खनन का काम शीघ्र शुरू किया जाए।

सभापति महोदय, कोयला खदानों में मजदूरों के वेलफेअर पर अभी तक जो खर्चा होता था, अब उसमें कटौती की जा रही है। जब तक कोयला खदान के मजदूरों की एफिसियेन्सी नहीं बढ़ेगी, उनके रहन-सहन और अच्छे वातावरण की व्यवस्था नहीं की जाएगी, हम मजदूरों से ज्यादा अच्छे काम की अपेक्षा नहीं कर सकते। आज भी कोयला खदानों में काम करने वाले बहुत से मजदूरों के पास रहने के लिए क्वार्टर नहीं हैं। उनकी झोपड़ियों के आगे गन्दगी के ढेर होते हैं, पास में गन्दे पानी की नाली बहती है और उसी के सामने उनके बच्चे बैठ कर खाना खाते हैं जिससे "साइलोकोसिस" और "निमोकिनयोसिस" जैसे बीमारियां उनको हो जाती हैं और आज हजारों की संख्या में मजदूर इन रोगों से ग्रसित हैं।

अब मैं चन्द सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां पहले परम्परा थी कि जो मजदूर रिटायर होगा, उसके वारिस को नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी यह मामला कोर्ट में भेज दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनका हक है, मजदूर के रिटायर होने के बाद उनके वारिस को अवश्य नौकरी दी जाय। मन्त्री महोदय इस पर विचार करें और उनका हक उनको देने की कोशिश करें।

जहां पर इल्लीगल माइनिंग होती है वहां पर किसानों की हालत बहुत खस्ता है। माइनिंग के आसपास के किसानों के तालाब और कूओं का पानी सूख जाता है। आप जानते हैं इस पानी का उपयोग खदानों में होता है, लेकिन इसका कोई कम्पेन्सेशन किसानों को नहीं मिलता है। किसानों

तथा उनके मवेशियों के लिए पानी का अभाव हो जाता है। मैं चाहता कि वहां पर जो पानी का अभाव है उसको दूर करने के लिए सरकार मुस्तैदी से इस पर ध्यान दे।

भ्रष्टाचार के बारे में काफी चर्चा हुई है और होती रहती है। अभी एक साथी कह रहे थे कि बिहार में भ्रष्टाचार होता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। ईस्टर्न कोल फील्डस में जो इल्लीगल माइनिंग होता है उससे लोग 6 लाख रुपये प्रतिदिन का मुनाफा कमाते हैं। इल्लीगल माइनिंग का सबसे बड़ा उदाहरण मैं चापापुर कोलियरी का देता हूं जहां इल्लीगल माइनिंग हो रहा था और जहां खदान के गिर जाने से दर्जनों मजदूर मर गये। उस मामले को इस तरह से दबा दिया गया जैसे कोई घटना ही नहीं हुई थी।

मई, 1983 में लोयाबाद कोल्यरी के बारे में स्टेट्समैन में पब्लिश हुआ था। वहां पर रिजैक्टेड कोयला रखा हुआ था उसको दुर्गापुर और दूसरी जगहों पर भेज दिया गया। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है।

दुर्गापुर का एक्सपेन्शन हो रहा है। मैं जानना चाहता हू कि उस पर कितनी लागत आयेगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी तथा कितने मजदूर नियोजित होंगे। इन सब बातों की जानकारी माननीय मन्त्री जी देने की कृपा करें।

मैंने चन्द सवालों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। मुझे विश्वास है कि आप इन पर तवज्जह देंगे और भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करेंगे।

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्ट्सगंज) : चैयरमैन साहब, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, अभी नारायण चौबे जी बोल कर चले गये। मैं खास कर कोयले के सम्बन्ध में पहले बोलना चाहता हूं। जो उपलब्धियां सन् 1980 के बाद से कोयले के सैक्टर में हुई हैं, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आपको स्मरण होगा कि सन् 1979 में जब जनता सरकार थी, तो कोयले का उत्पादन लगभग 90 मिलियन टन था और 1980 के बाद से उत्तरोत्तर कोयले का उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ है और आज यह 147.6 या 146.7 मिलियन टन तक पहुंच गया है। हमारे पटेल साहब यहां पर बैठे हुए हैं, हम उनको याद दिलाना चाहेंगे कि तीन साल के जनता रिजीम में ट्रेनों का चलना बन्द हो गया था, पावर हाऊसेज को कोयला मिलना मुश्किल था और जो आम कन्ज्यूमर था और जो गवर्नमेंट के दूसरे सैक्टर थे, उनको कोयले की बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी और जो की-सैक्टर के उद्योग थे, वे जर्जर हो गये थे और उत्पादन बिल्कुल गिर गया था लेकिन जैसे ही हमारी सरकार सन् 1980 में पुनः सत्ता में आई, तो जो की-सैक्टर की इंडस्ट्रीज थी, खासकर कोयला, बिजली, इस्पात, सीमेंट और ट्रान्सपोर्टेशन, इन पर विशेष ध्यान दिया गया और उसी का यह परिणाम है कि कोयले का उत्पादन ज्यादा हुआ। यह खुशी की बात है कि जितने हमने लक्ष्य रखे थे, उन लक्ष्यों को हम बराबर प्राप्त करते रहे। नतीजा यह हुआ कि सभी सैक्टरों के उत्पादन में चाहे बिजली का उत्पादन हो, चाहे सीमेंट का उत्पादन हो, चाहे इस्पात के कारखानों का उत्पादन हो और चाहे दूसरे सैक्टर के कारखाने हों, जब कोयला वहां पहुंचने लगा, तो उनके उत्पादन में उत्तरोत्तर सुधार हुआ।

वितरण व्यवस्था के बारे में नारायण चौबे जी कह रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दो-तीन सालों में जो नीति अपनाई गई है कोयले के मूवमेंट के बारे में, इससे कोयले की कीमतों में गिरावट आई है और ट्रकों के द्वारा कोल मूवमेंट से जो भ्रष्टाचार होता था, वह समाप्त हुआ है।

कोयले में भ्रष्टाचार यदि कोई है, तो उसके लिए यह मिनिस्ट्री जिम्मेवार नहीं है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट है, जो कोयले देने का काम करती है। कितना कोयला किसको मिलेगा, विल हैव टू बी डिसाइडेड बाई दि गवर्नमेंट। जब वे इसको रिकमेंड कर देते हैं, तो कोल इण्डिया को निश्चित तौर पर उनको परमिट देना पड़ता है। मैं कोल इण्डिया की प्रशंसा करता हूं कि उसने पिछले दो तीन सालों में कारगर कार्यवाही की है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दो तीन साल पहले कोल इण्डिया में 263 हड़तालें हुई थी और इस साल 200 हड़तालें घटकर करीब 63 और 64 हड़तालें ही रह गई हैं। यह इस चीज को शो करता है कि उत्पादन का वातावरण बना है और कर्मचारियों में अनुशासन की भावना आई है और इस कारण कोयले का उत्पादन बढ़ा है और आज 30 मिलियन टन के आसपास कोयला पिट-हेड्स पर पड़ा हुआ है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्री जी उच्च स्तरीय मीटिंग की, जिसमें हमारे पावर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और मंत्री जी थे लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी भी रेलवे वेगन्स आप को मुहैय्या करने हैं क्योंकि अगर फिर ट्रकों को हम इस क्षेत्र में ला देंगे, तो माफिया गैंग को आप रोक नहीं सकते और कोयले में व्याप्त भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं सकते और अभी जो कीमतों पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, वह भी समाप्त हो जाएगा।

कोयले के क्षेत्र में मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। इसमें कई सुधार के काम हुए हैं लेकिन जो कर्मचारियों के कल्याण का काम है जैसे उनके लिए भवन बनें और जिसके बारे में अभी नारायण चौबे जी कह रहे थे, उस दिशा में कुछ काम होना चाहिए। जो समझौता 1983 में हुआ था, उसके अनुसार काफी कार्यवाही हुई है लेकिन भवनों का आवंटन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोल इंडिया के पास भवन बनाने के लिए कोई अलग से यूनिट नहीं है। तो मैं यह चाहता हूं कि जैसा अन्य विभागों में एक सिविल इंजीनियरिंग का यूनिट होता है, उसी तरह से यहां भी हो जो कि आवश्यकतानुसार भवन बनाए और उनके मेन्टीनेन्स का काम देखे। ठेके पर काम दे दिया जाता है और काम नहीं होता है। सिंगरौली कोल फिल्ड में, काफी दिनों से कोल इण्डिया यह चाह रहा है कि मजदूरों के लिए मकान बन जाएं लेकिन ठेकेदार भाग जाता है और समय से काम नहीं होता। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सिविल इंजीनियरिंग का एक सेल कोल इण्डिया में बनाया जाए। इससे उनको मकान और कंस्ट्रक्शन की अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोयले की जो ओपन कास्ट माइन्स हैं, वहां का वातावरण बहुत दूषित है। आज जरूरत इस बात की है कि जैसे और जगहों पर अस्पताल हैं, सेंट्रल अस्पताल हैं, सिंगरौली में सेंट्रल अस्पताल है जो उत्तर-प्रदेश के हिस्से में पड़ता है इनकी सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो अभी नार्म्स हैं प्रोडक्शन के, एडमिनिस्ट्रेशन के जो यूनिट्स बनाने के, उसके हिसाब से सेंट्रल कोल फील्ड के लिए एक कम्पनी का विचार बहुत दिनों से है, लेकिम अभी तक क्रियान्वित नहीं हो रहा है। आपने एक डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि आप वहां कम्पनी बनायें। मैं इस बात के लिए तारीफ करना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट आफिसर को आपने जी० एम० का रैंक दे दिया है, जिससे लोगों में काफी उत्साह आया है और काफी अधिकार दे दिए हैं। अब उनको छोटे-छोटे कामों के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यहां पर स्कूलों की जो सुविधा दी गई है, वह पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से आप कोल फील्ड का काम फैला रहे हैं, उसी तरह से इस सुविधा को भी बढ़ावें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आपके यहां सिविल इंजीनियर्स काम करते हैं माइन्स में या मेकेनिकल इंजीनियर हैं ओपेन कास्ट में, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक नहीं लिया गया है। न किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है और न प्रोजेक्ट आफिसर बनाया है। इस नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। उन लोगों में काफी असंतोष है, क्योंकि ओपन कास्ट माइन्स में तो 60 प्रतिशत इनका ही काम होता है। उनको आपको इसमें मौका देना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आपकी कोल-यार्डस् की कल्पना थी, वह एक सफल प्रयोग है। मैं चाहता हूं कि कंज्यूमर्स के हित में कोल यार्डस् को और फैलाएं ताकि कोयले में जो भ्रष्टाचार होता है, उसको दूर किया सके।

एक व्यवस्था और करने की आवश्यकता है, जिस तरह की व्यवस्था ईंट-भट्ठों के बारे में की गई है। जहां पर कोयले की आवश्यकता हो, प्रयास यह होना चाहिए कि नजदीक से नजदीक स्थान से कोयला मिल सके। जैसे मिर्जापुर कोल माइन्स हैं, सीधी में हैं, वहां पर दूसरी जगहों से कोल इण्डिया कोयला अलाट करे तो यह समझ में नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि मिर्जापुर के लोगों को मिर्जापुर खान से ही कोयला दें तो अच्छा रहेगा।

मान्यवर, 'सेल' के बारे में बात हो रही थी, यह बात सही है कि जो चार महत्वपूर्ण, टाप के पब्लिल सेक्टर हैं, इण्डियन आइल, एफ० सी० आई०, ओ० एन० जी० सी० और इनके बाद "सेल" का नम्बर आता है। सेल से हमें इस साल बहुत उत्साह मिला है, खासकर चेयरमैन का नोट देखकर कि 20 करोड़ का आप लाभ देने जा रहे हैं, जबकि पिछले साल ही 14 करोड़ का घाटा था। हमें बड़ी प्रसन्नता है और इसके लिए मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे भी आपका प्रोजेक्शन है 100 करोड़ का 1985-86 में लाभ देने का। यह बात सही है कि एक दो प्रोजेक्ट्स को छोड़कर प्रोडेक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में आपने तरक्की की है, जैसे कैपेसिटी यूटीलाइजेशन के बारे में, नई टेक्नालाजी के बारे में आपने तरक्की की है, यह बड़ी प्रशंसनीय बात है, लेकिन यह जानकर आश्चर्य हुआ, मैं रिपोर्ट देख रहा था कि इस सेक्टर में हमको बिजली और कोयला नहीं मिलता है। यानी आप देखें कि बिजली और कोयला नहीं मिल रहा है। मान्यवर बिजली तो आप भी कुछ पैदा करते हैं और इस बार रिकार्ड उत्पादन रहा है और लिग्नाइट का भी रिकार्ड उत्पादन हुआ है, यह सबसे बड़ी खुशी है कि 263-264 करोड़ का लाभ इस कारपोरेशन ने दिया है, इसलिए मैं चाहता कि कैप्टिव पावर की तरफ आप ध्यान दें। आप विद्युत मंत्री जी पर ज्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि इनको एग्रीकल्चर और अन्य जगहों पर बिजली पहुंचानी है, इसके लिए काफी दबाव है इनके ऊपर, इसलिए कैप्टिव पावर की ओर ध्यान दें। मेरा ख्याल है कि पावर मिनिस्टर आपको ज्यादा से ज्यादा लायसेंस देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। जैसे एल्यूमिनियम का उत्पादन है, हिन्डालको है, उसका जब हम उत्पादन देखते हैं और बालको का उत्पादन देखते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से पैसा ले लिया और कहा कि जो पावर हम पैदा करेंगे वह एल्यूमिनियम कारखाने को देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। अब समय आ गया है कि अल्यूमिनियम की ओर, अलौह धातु के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसको बाहर से मंगाया जाता है, इसके लिए आपका जो पावर हाउस लगाने का प्लान है, उसको पूरा करें। मैं कहना चाहता हूं कि जहां आप जमीन लेते हैं, हमने हमेशा सहयोग किया है, चाहे पावर प्लांट के लिए हो, चाहे किसी चीज के लिए हो, हमने जमीन दी है। अभी एक खड़िया प्रोजेक्ट है। हमारे पावर मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं। इनसे यह कहना

चाहता हूं कि जब आप कोल इण्डस्ट्री चालू करते हैं तो जो हमारे पावर स्टेशन्स हैं, उनसे प्रापर टाईम में लिंकेज नहीं हो पाता। स्टेट सैक्टर में अनपरा प्रोजेक्ट एशिया में सबसे बड़ा है। उसके लिए जो खड़िया प्रोजेक्ट था, वह बहुत प्रयास करने के बाद इस साल शुरू हुआ। तीन साल पहले ही उसके लिए जमीन का समझौता करवा दिया गया था। वहां के किसान कहते हैं कि सन् 1932 में जो रेट दिए हैं, वह सन् 1985 में नहीं लेंगे। इस बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। रिक्रिएशन की बात भी मैं करना चाहता हूं। कोल फील्ड सिंगरौली, बिना, में मांग थी कि एक सिनेमाघर बनवा दिया जाए। जिला अधिकारी से कहकर मैंने एक सिनेमाघर बनवा दिया। इस बीच कोल इण्डिया ने जमीन एक्वायर कर ली। सिनेमा तो बन गया। वे लोग कहते हैं कि चलने नहीं देंगे। आपसे निवेदन है कि वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहें कि उस सिनेमा को चलने दें ताकि जंगल के इलाके में लोगों को मनोरंजन का साधन उपलब्ध हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा है कि यह मंत्रालय स्टील और कोयले के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा।

**श्री मानवेन्द्र सिंह** (मथुरा) : माननीय सभापति महोदय, स्टील, माइन्स और कोल की डिमाण्ड्स का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। भारत एक विशाल प्रगतिशील देश है और एक बड़ी अच्छी आबादी अपने में सीमित रखता है। यहां पर औद्योगिक विकास भी बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। भारत ने अपनी आजादी के 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इन वर्षों में औद्योगिक विकास बड़ी तेजी से हुआ है। इससे पूर्व का इतिहास देखें तो भारत का औद्योगिक विकास नगण्य था। आज इस देश में बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हो चुके हैं। डिफेंस की तरफ देखें तो पता चलेगा कि इसके उपयोग में आने वाले उपकरण और पानी के जहाज इस देश में बनते हैं। खनिज और कोयले का उत्पादन जो हमारे देश में होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। देश में जो कोयले और खनिज के सरकारी आरगेनाइजेशन्स हैं, उनमें करोड़ों रुपए का घाटा देखने को मिलता है। उसका भार जनता पर पड़ता है जो कि बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। उत्पादन की कमी और परिवहन की उचित व्यवस्था न होने के कारण आज बहुत से उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यह देखने को मिलता है कि कोयले की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण बिजली के उत्पादन में बहुत सी कमियां आई हैं। मैं, यू० पी० प्रान्त के मथुरा जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। उसके पास फिरोजाबाद और आस-पास के इलाकों में कांच के काफी उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग और ईंटों का उद्योग काफी प्रगति पर है। यह देखने में लगता है कि कोयले और ईंधन की कमी की वजह से उन उद्योगों को बहुत हानि हुई है और वे बन्द होते जा रहे हैं। इससे न केवल प्रोडक्शन में कमी हो रही है बल्कि लाखों मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह आगे बढ़ती हुई औद्योगिक व्यवस्था में भारी अड़चन आ रही है। जो प्रभाव इन उद्योगों पर पड़ रहा है, उसके लिए सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोयले, खनिज एवं इस्पात के उत्पादन में, और परिवहन तथा वितरण प्रणाली में मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है।

**3.45 म० प०**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

उनमें आपस में सामंजस्य होना चाहिए। जब हम इसकी परेशानियों की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि परिवहन और वितरण एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट की कमी है,

वैधन की कमी है या उन साधनों की कमी है जिसके माध्यम से हम इन साधनों को वहां उपलब्ध नहीं करा सकते।

मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो खनिज सम्पदा आज हमारे भारतवर्ष में है, इस सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने नए-नए प्रयासों से जो उपलब्धियां की हैं जिससे खनिज के खजाने प्राप्त हो रहे हैं, उसमें बढ़ोत्तरी हो और सरकार इन सम्पदाओं के भंडार का पता लगाने का और अधिक से अधिक प्रयास करे।

कोयला खानों में मजदूर संगठनों तथा ठेकेदारों ने भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत में धांधली मचा रखी है और वहां उनकी मनमानी अभी भी जारी है। कोयला खानों के क्षेत्र में इन अपराधी माफिया तत्वों तथा उनके सहयोगियों की समाप्ति कोयले के अधिक उत्पादन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इन खानों में उत्पादन क्षेत्रों के अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी वहां पर रखे जाएं जिससे वहां के उत्पादन की क्षमता बढ़े और वहां की देखरेख की व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके।

इस्पात की खानों में, जो कि अधिकतर सरकारी क्षेत्र में हैं, लौह-खनिज का उत्पादन लक्ष्य से कम है। सरकारी एकाधिकार के कारण समय-समय पर इस्पात के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। इस्पात की खानों तथा कारखानों में अपव्यय पर रोक लगाकर तथा उत्पादन बढ़ाकर सरकार को इस्पात की कीमतों में कमी करनी चाहिए। इन क्षेत्रों में विभिन्न खनिजों के उत्पादन खर्च में कमी करके उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करनी चाहिए। जिन खनिज प्रतिष्ठानों में लगातार घाटा पड़ रहा है, उनके अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए जिससे कि इनकी वजह से जो व्यवस्था में कमी आ रही है, उससे जनता को छुटकारा मिल सके।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इस ओर अपना विशेष ध्यान दिया है जिससे खनिजों के उत्पादन तथा वितरण प्रणाली में सुधार हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री श्री कुंवर नटवर सिंह जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि अभी हाल में उन्होंने अखबारों में दिए अपने बयान में एक वर्ष में व्यवस्था उचित कर लाभ की दिशा में कदम रखने का विश्वास दिलाया है। हमें आशा है कि वह इसी वर्ष में लाभ प्रदान करवायेंगे।

मैं मथुरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिये मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मथुरा जैसे पिछड़े क्षेत्र में कोई इस्पात का छोटा उद्योग स्थापित करें जिससे वहां बेरोजगार लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।

मथुरा में रिफाइनरी भी है और पर्यावरण की दृष्टि से ताज-महल पर उसका बुरा असर पड़ रहा है, इसलिये बोर्ड ने यह प्रतिबंध लगाया है कि ताज से लगभग 100 किलोमीटर दूर तक कोई भी इस तरह के उद्योग धंधे स्थापित न किये जायें जिससे उसको कोई नुकसान पहुंचे। ऐसे उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

मथुरा क्षेत्र में इस बात का भी सर्वेक्षण हो कि इसे भूगर्भ में क्या है? क्या वह वस्तु देश के हित में है? इसलिये वहां पर भी खनिक कार्य ही शुरू किये जाने चाहियें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

———

**3.52 म० प०**

## पंजाब में सामान्य स्थिति कायम करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए कतिपय निर्णयों के सम्बन्ध में वक्तव्य

**[अनुवाद]**

**गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : महोदय, सदन ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और हमारे लोगों की एकता को सुदृढ़ करने के व्यापक परिप्रेक्ष्य में विवादों को हल करने की दृष्टि से कई बार पंजाब में स्थिति पर चर्चा की है। माननीय सदस्य को सरकार द्वारा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किये गये अनेक उपायों की जानकारी है।

इस सन्दर्भ में मैं सरकार द्वारा किये गये कुछ निर्णयों की घोषणा करता हूं। सरकार भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुई संगठित हिंसक घटनाओं के बारे में लगाये गये आरोपों की न्यायिक जांच कराएगी। उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश जांच आयोग का अध्यक्ष होगा।

इस सदन को इन परिस्थितियों की जानकारी है जिनमें अखिल भारतीय सिख छात्र संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके कुछ पदाधिकारियों का ऐसी गतिविधियों में हाथ था जो भारत की एकता और अखण्डता के लिए प्रतिकूल थीं। हमें मालूम है कि संघ के अधिकांश छात्र प्रतिनिधि एक शक्तिशाली और एकीकृत भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के इच्छुक हैं और इसलिए प्रतिबन्ध उठाने का निर्णय किया गया है।

विभिन्न अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों पर शीघ्र मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय गठित किये गये थे। सरकार नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के मामलों का पुनरीक्षण कर रही है और उनमें से ऐसे कई व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है। हाल के पुनरीक्षण करने के बाद और व्यक्तियों को रिहा किया जा रहा है। सम्पूर्ण स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती रहेगी।

मुझे आशा है और मैं विश्वास करता हूं कि भारत की एकता और अखण्डता में विश्वास रखने वाले सभी व्यक्ति वर्तमान स्थिति का कोई हल निकालने में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार स्थिति के अनुसार आवश्यकता होगी, उसके अनुसार हम सभी कुछ करेंगे।

**3.54 म० प०**

## सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें, 1985-86—जारी

### इस्पात खान और कोयला मन्त्रालय—जारी

**[अनुवाद]**

**श्री अमल दत्ता** (डायमंड हार्बर) : मुझ से पहले अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि किसी भी देश में इस्पात और कोयले के उत्पादन ही वहां की प्रगति का प्रतिबिम्ब होता है। अब इस बारे में सभी एकमत हैं कि भारत में इस्पात का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है जितनी उसकी मांग है और भारत के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

इस्पात मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि

सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र का एकमात्र संयंत्र भी शामिल है, 114 लाख टन की क्षमता वर्तमान विस्तार एवं आधुनीकरण कार्यक्रमों के पूरे होने पर बढ़ कर 145 लाख टन हो जाएगी। इस 114 लाख टन में से हम केवल 74.80 लाख टन का उत्पादन कर रहे हैं। कहानी का यही अन्त नहीं है। इस 74.80 लाख टन में से यह आंकड़े केवल 11 मास के हैं हम 10 लाख टन इस्पात भी बेच नहीं सके हालांकि हमें इतना ही इस्पात बाहर से आयात करना पड़ा है। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादन के सम्बन्ध में हमारी सही आयोजना नहीं है। इस्पात उद्योग से हम जो उत्पाद चाहते हैं उसका उत्पादन नहीं हो रहा है। हम कुछ और ही बना रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि हमने मूल रूप से उत्पादन की योजना ऐसी बनाई होगी कि अब उसकी आवश्यकता नहीं रही है। इसमें परिवर्तन किया जाना होगा। दूसरा, उत्पादन सम्बन्धी योजना दोषपूर्ण है क्योंकि कुछ इस्पात संयंत्र अपेक्षाकृत अधिक भारी सेक्शनों का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे यह कह सकें कि उन्होंने 60 से 70 प्रतिशत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली है। यदि वे बाजार में बिकने वाली सही मदों के उत्पादन का प्रयास करें तो उनके उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े कम होंगे। इन कारणों से हम अपना 10 लाख टन इस्पात भी बेच नहीं सके हैं जबकि हम 10 लाख टन इस्पात का आयात कर रहे हैं।

अब यह कहा जा सकता है कि इनमें से कुछ मदें अत्यन्त ऊंचे स्तर के इस्पात की है जो हमारे एकीकृत इस्पात संयंत्रों में अभी बन नही सकता किन्तु लघु इस्पात संयंत्रों में हमारी लगभग 50 लाख टन की क्षमता उपलब्ध है। समस्त संसार में लघु इस्पात संयंत्रों में आम किस्म का इस्पात नहीं बनता किन्तु उनमें विशेष प्रकार की मिश्र धातु तथा अन्य प्रकार का इस्पात बनता है। यदि हम यह जान सकें कि हमारे बाजारों में किस प्रकार के इस्पात की मांग है तो हमारे लघु इस्पात संयंत्र उस मांग के अनुसार इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं। या तो हमने समुचित ढंग से मांग के बारे में सर्वेक्षण नहीं किया अथवा यदि हमें बाजार की मांग का कुछ अनुमान है तो हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया कि हमारे इस्पात एककों में भी उस प्रकार का इस्पात बने जिसकी देश में आवश्यकता है।

महोदय, हमारे देश में इस्पात उद्योग का विकास सही ढंग से नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में सभी एकमत हैं कि हमें काफी इस्पात की आवश्यकता है। किन्तु हमारा उत्पादन क्या रहा है? दूसरी योजना आरम्भ होने से पहले हम 10 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर रहे थे, अब विस्तार कार्यक्रम पूरे हो जाने पर हम 140 लाख टन का उत्पादन कर रहे होंगे। यह स्थिति तो बड़ी एकीकृत संयंत्र क्षेत्र की है। लघु इस्पात क्षेत्र की 50 लाख टन की क्षमता है। दूसरी योजना के दौरान जब हमने एकीकृत इस्पात संयंत्र आरम्भ किये तो योजना बनाने वालों ने 2000 ई० तक 750 लाख टन इस्पात उत्पादन की संकल्पना की थी किन्तु इस समय के अनुमान के अनुसार अगले वर्ष तक हम 200 लाख टन उत्पादन कर पायेंगे। यह हमारी स्थापित क्षमता होगी। यदि हम उतना ही उत्पादन कर पायेंगे तो क्या हम वर्तमान दर पर सारे उत्पादन को बेच पायेंगे? इसके मूल्यों में इतनी वृद्धि हो गई है कि हम बाजार में इसे बेच नहीं पा रहे हैं। हमारे इन्जीनियरिंग उद्योग की वस्तुएं भी इसलिये नहीं बिक पा रही क्योंकि इतने मूल्य पर विश्व के बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा में टिकना कठिन हो रहा है। अतः देश में इस्पात के इतने अधिक दाम के कारणों का पता लगाया जाना चाहिये। क्या इस्पात के ऊंचे दामों का कारण ऊर्जा की ऊंची लागत दर है अथवा अन्य कारण हैं?

महोदय, सभी देश यह सुनिश्चित करने में सफल हो गये है कि इस्पात निर्माण में कोयले की

खपत कम हो। क्या हम यह सुनिश्चित कर सके हैं? कोयले का अनुपात क्या है अर्थात् एक टन इस्पात के उत्पादन के लिए कितने कोयले की आवश्यकता होती है?

**4.00 म० प०**

भारत में एक टन इस्पात उत्पादन के लिये 800 से 1,000 किलोग्राम कोकधारी कोयले की आवश्यकता होती है जबकि जापान, कोरिया तथा अन्य देशों में केवल 450 से 500 किलोग्राम लगता है, अर्थात् भारत में लगने वाले कोयले से बिल्कुल आधी मात्रा में कोयला लगता है। किन्तु इन देशों में यह उपलब्धि एक दिन में ही प्राप्त नहीं की गई है। इसे प्राप्त करने में काफी समय लगता है। हमें अपने इस्पात कारखानों में निरन्तर सुधार करते रहना चाहिए था ताकि इस्पात उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कोयले की खपत में कमी आती। किन्तु जब से हमने पांचवे दशक के अन्त में और छठे दशक में एकीकृत इस्पात संयंत्र लगाने आरम्भ किये हमने इस दिशा में कुछ नहीं किया। सातवें दशक में हमने बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की। उस समय तक हमें यह जान लेना चाहिए था कि विश्व भर मे इस्पात संयंत्रों को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसमें अपेक्षाकृत कम कोयला लगता है। किन्तु हमने इस विकास का लाभ नहीं उठाया। और अब ऐसी स्थिति है कि हमें आधुनीकरण के लिए अत्यधिक धनराशि चाहिए। बिल्कुल यही हो रहा है। अपना इस्पात बेचने के लिए न केवल हमें अपने इस्पात संयंत्रों की क्षमता बढ़ानी होगी अपितु हमें इसकी कीमतें भी कम करनी होंगी। यदि कीमतें एकदम कम न भी की जा सकें तो कम से कम इतनी अवश्य कम की जाए कि कम से कम प्रतिस्पर्द्धा में टिक सके ताकि सामान्य तौर पर मूल्यों में वृद्धि होने पर इस्पात के मूल्यों में और वृद्धि न हो। इसके दाम पहले ही इतने बढ़ चुके हैं कि देश को नुकसान हो रहा है। सभी उद्योगों को हानि हो रही है। यदि हमें विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा में टिकना है तो इनको सक्रिय रखना होगा और इनका विस्तार करना होगा।

इस्पात पर बोलते हुए और बंगाल से सम्बद्ध होते हुए मैं इस बात का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता कि भाड़ा समकारी नीति से देश के उस भाग में बहुत हानि हुई है। केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। भाड़ा समकारी नीति पांचवे दशक के अन्त में आरम्भ की गई थी। किन्तु इससे पूर्वी क्षेत्र को कोई लाभ नहीं-हो रहा है। यदि आप सारे देश में इस्पात और लोहे का एक ही मूल्य पर वितरण करना चाहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नही है। किन्तु आपको हमें कपास, चूना तथा अन्य वस्तुएं भी उन्हीं मूल्यों पर उपलब्ध करानी चाहिए, जिन मूल्यों पर वहां उपलब्ध है जहां उन्हें उगाया जाता है अथवा खानों से निकाला जाता है। किन्तु सरकार ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया है। अन्ततः हमें इस बात की मांग करने के लिए बाध्य होना पड़ा है कि इस भाड़ा समकारी नीति को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। हम रेल मंत्री महोदय से यह अनुरोध करते हैं कि देश के पूर्वी भाग की सहायता करने के लिए भाड़ा समकारी नीति में परिवर्तन किया जाये। हावड़ा और कलकत्ता में लागू दरों पर एक टन इस्पात का भाड़ा 90 रुपये टन है जबकि भाड़ा समकारी नीति के अन्तर्गत इस्पात के लिए 490 रुपये प्रति टन देना पड़ता है। देश के कतिपय भागों में भाड़ा समकारी नीति का अर्थ है उस भाड़े के लिए राजसहायता देना, जो अनिवार्य रूप से देनी ही पड़ती है। इस भाड़ा-समकारी नीति को समाप्त किया जाना चाहिए। हम अनुरोध करते हैं कि इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय लिया जाये।

4.03 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

बहुत से सदस्यों ने प्रधान मंत्री को, इस्पात, खान और कोयला विभागों को एक साथ मिलाने के लिए, बधाई दी है। कहा गया है कि बहुत-सी बाधाएं दूर कर दी जायेंगी। कई व्यक्तियों ने दोनों मंत्रियों की गतिशीलता पर बधाई दी है। मैं अपनी बधाई कार्यनिष्पादन को देखने के बाद तक के लिए आरक्षित रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि कुछ वर्षों बाद मैं इस निर्णय के लिए प्रधान मंत्री तथा मंत्रियों को बधाई दे पाऊंगा। सुधार होने के बाद ही मैं ऐसा करूंगा।

प्रसंगवश मैं कहना चाहता हूं कि जबकि 1955-56 में हमारा उत्पादन 10 लाख टन था जो इस समय बढ़कर 1 करोड़ टन हो चुका है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम 80 लाख टन से एक करोड़ टन के बीच उत्पादन पर ही रुके पड़े हैं। परन्तु इसी अवधि के दौरान चीन ने अपने उत्पादन को, जो 10 लाख टन से कम था, बढ़ाकर 4 करोड़ टन कर लिया है। हमारी उपलब्धि चीन से बहुत कम रही।

अब लक्ष्यों की पूर्ति मात्र इस बात पर निर्भर नहीं करती कि प्रधान मंत्री ने विभागों को एक मंत्रालय में जोड़ दिया है तथा गतिशील मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया है, हमें उस प्रणाली पर ध्यान देना है जिस पर हम इन्हें चला रहे हैं। इसमें परिवर्तन लाना आवश्यक है। समुचित उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था नहीं है। खातों के बारे में उचित व्यवस्था नहीं है। हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हम कौनसे कच्चे माल का उपयोग करते हैं तथा अन्य देशों के इस्पात मंत्रालय कौनसा कच्चा माल उपयोग में लाते हैं, तथा उनमें आदान खपत को कम करने की चेष्टा नहीं करते। यह बात नहीं है कि प्रक्रिया हमें पता नहीं है—इसे हम भली प्रकार जानते हैं। परन्तु हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इन्हें क्रियान्वित किया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तरदायित्व की प्रणाली विद्यमान नहीं है। जब भी महाप्रबन्धक अनुभव करते हैं कि हानि की सम्भावना है, वह मंत्रालय से इस्पात मूल्य की वृद्धि के लिए कहते हैं। जब इस्पात मूल्य बढ़ा दिया जाता है तब हानि या तो कम हो जाती है अथवा लाभ हो जाता है, जैसाकि इस वर्ष हुआ है। अब फरवरी में इस्पात का मूल्य औसतन 600 रु० प्रति टन बढ़ाने से इस्पात का जो 10 लाख टन का भण्डार स्टाक यार्डों में पड़ा है, उसका मूल्य 60 करोड़ रुपए बढ़ गया है तथा इस कारण 'सेल' ने 25 करोड़ का लाभ दिखाया है, जैसा कि समाचार पत्रों में दिखाया गया है। मंत्री महोदय को सही स्थिति बतानी चाहिए कि क्या लाभ सक्षम कार्य से हुआ है अथवा भण्डार में पड़े माल की मूल्य वृद्धि से हुआ है।

महोदय, मंत्री महोदय ने एक स्थान पर कहा है—मैं श्री साठे का उल्लेख कर रहा हूं—कि हमें इस्पात उद्योग में "टिस्को कलचर" को शुरू करना है। मुझे "टिस्को कलचर" कथन पर आपत्ति है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कलचर का शुरू किया जाना कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे सरकारी क्षेत्र के समर्थक मंत्री से ऐसे वक्तव्य की उम्मीद नहीं थी। यदि टिस्को में जिम्मेवारी की अच्छी व्यवस्था है तथा प्रबन्ध अच्छा है तो उसे सरकारी क्षेत्र में शुरू किया जाना चाहिए। परन्तु अन्य निजी प्रतिष्ठानों की तरह टिस्को में कुछ बातें बहुत अधिक हैं जिन्हें मैं सरकारी क्षेत्र में लाया जाना पसन्द नहीं करता। सरकारी क्षेत्र में ऐसी "कलचर" का लाया जाना मैं नहीं चाहता।

कोयले के मामले में मैं एक-दो बातें कहना चाहता हू। महोदय, अभी हाल ही में तेल पर

'रायलटी' बढ़ाई गई है । तेल प्राकृतिक पदार्थ है जिसके लिए कोई श्रेय नहीं ले सकता । फिर भी भी राज्य सरकार को उसका उपयोग करने से वंचित रखा गया है । तेल पर रायलटी लगभग तीन गुना बढ़ाई गई है । इसे 61 रु० प्रति टन से बढ़ाकर 185 प्रति टन किया गया है । कोयले पर 10 वर्षों से रायेलटी में 1.50 रुपए प्रति टन की वृद्धि हुई है बेशक कोयले का मूल्य 30 रु० प्रति टन से 300 रुपए प्रति टन बढ़ गया है । हमने कोयले पर रायलटी बढ़ाने की मांग की है तथा मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देकर कार्यवाही करेंगे । सरकारी क्षेत्र का समर्थक होने के नाते मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि वह कार्मिकों की प्रबन्ध में भागीदारी पर भी ध्यान दें । एक नदेशक मण्डल में एक कार्मिक को म्मिलित करके ही नहीं जिसकी बैठक दो-तीन महीनों में एक बार होती है अपितु सभी स्तरों पर संयुक्त कार्य समितियां बनाकर, उत्पाद आयोजना समिति, कार्मिक आयोजना समिति तथा वित्तीय नियन्त्रण समितियों में भी कार्मिकों को सम्मिलित करें ताकि कोयला तथा इस्पात के क्षेत्र में विद्यमान भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सके ।

***श्री आर० जीवारत्तिनम** (आर्कोनम) : सभापति महोदय, श्रीमान, मैं वर्ष 1985-86 के लिए इस्पात, खान तथा कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

इस्पात देश के औद्योगिक उत्पादन के लिए मूलभूत कच्चा माल है तथा इसीलिए इसे सरकारी क्षेत्र में रखा गया है । इस्पात को महत्वपूर्ण क्षेत्र में रखकर ही हम अपनी अर्थ-व्यवस्था का उत्थान कर सकते हैं । इस मूलभूत आवश्यकता को पूरी तरह अनुभव करके ही भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू देश के भिन्न भागों में इस्पात संयंत्रों को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया था । उनके बाद हम ऐसे बड़े-बड़े इस्पात संयंत्र नहीं लगा पाए हैं । अब जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है । गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र में इस्पात की मांग निरन्तर बनी हुई है । मैं प्रधान मंत्री तथा इस्पात, खान और कोयला मंत्री से निवेदन करूंगा कि देश में बड़े-बड़े संयंत्र लगाये जायें । जब ऐसा किया जाता है तब यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों पर समुचित ध्यान दिया जाए । वहां पर सर्वेक्षण कराकर बड़े-बड़े इस्पात संयंत्र लगाए जाएं ।

मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे तथा उचित कार्यवाही करेंगे ।

महोदय नेवेली लिग्नाइट निगम लाभ कमा रहा है । 1985-86 में यह निगम 70 करोड़ रुपये कमा पाएगा । यदि इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सभी व्यर्थ के व्यय रोके जाने चाहिएं । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो लिग्नाइट का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा देय 100 करोड़ रुपए वसूल किए जाने चाहिएं । किसी भी तरह लिग्नाइट का मूल्य नहीं बढ़ाया जाना चाहिए । उसी प्रकार बिजली का शुल्क भी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए ।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि नेवेली लिग्नाइट निगम ने 128 हैक्टर भूमि अभी तक अधिगृहीत की है तथा 42 हैक्टर अभी अधिगृहीत की जानी है । दुर्भाग्य से जिन व्यक्तियों की भूमि अधि-गृहीत की गई है, उनके लिए कोई उद्देश्यपूर्ण पुनर्वास कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया । वे लोग बिना रोजगार के कष्ट उठा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें तथा उन लोगों की भलाई के लिए पुनर्वास कार्यक्रम लागू करें । वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के अलावा उनकी भूमि का बाजार भाव से मुआवजा दिया जाना चाहिए । वहां पर एक पेरावनार नहर है । उसे मजबूत तथा चौड़ा बनाया जाना चाहिए ताकि फालतू पानी को नहर के

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

माध्यम से सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सके। अधिक बिजली उत्पादन के हित में तमिलनाडु सरकार ने नेवेली में तीसरे "माइन कट" के प्रस्ताव पर मंजूरी मांगी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तीसरे "माइन कट" की अनुमति दी जाए।

हजारों कार्मिक ठेका प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं। उनका शोषण हो रहा है। उनकी दैनिक मजूरी 5-6 रुपए है। इस अवसर पर मैं सुझाव देता हूं कि नेवेली लिग्नाइट निगम में कार्मिकों के कल्याण के लिए पृथक रूप से धन दिया जाए तथा उनकी मजदूरी भी बढ़ाई जाए।

महोदय, आप जानते हैं कि तूतीकोरन सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयला उत्तर की कोयला खानों से समुद्री मार्ग द्वारा ले जाया जाता है। समुद्री मार्ग द्वारा कोयले के परिवहन में अधिक विलम्ब होता है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि बिजली घर के लिए कोयला प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए शीघ्रता से भेजना पड़ता है। तापीय बिजली घर में कम से कम एक महीने का कोयला रहना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से एक दिन की आवश्यकता का कोयला भी वहां उपलब्ध नहीं होता। इससे बिजली उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें ताकि कोयले के अभाव में बिजली के उत्पादन में कमी न आए। उसी प्रकार एन्नौर तापीय बिजलीघर की कोयले की आवश्यकता भी पर्याप्त रूप से एवं नियमित रूप से पूरी की जानी चाहिए तथा इस बारे में रेल मंत्रालय के साथ प्रभावी रूप में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इस पहलू का उल्लेख करने का एक और कारण है। अनधिकृत रूप से पता चला है कि कोल इण्डिया अपना कोयले का उत्पादन घटा रहा है क्योंकि खानों के मुहानों पर कई लाख टन कोयले का भण्डार जमा हो गया है। जबकि देश के कई भागों में कोयले की कमी है। हमें कोयले के उत्पादन को कम नहीं करना चाहिए। हमें कोयला उत्पादन केन्द्रों तक पहुंचाने की समुचित योजना बनानी चाहिए। कोल इंडिया को उत्पादन घटाने के स्थान पर कोयले को उत्पादन केन्द्रों तक भेजने का "उद्देश्यपूर्ण पूर्ति प्रबन्ध" का कार्यक्रम बनाना चाहिए।

बड़े इस्पात कारखाने उत्तरी राज्यों में हैं। उत्तरी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को दक्षिणी राज्यों में स्थित उद्योगों की तुलना में कम मूल्यों पर इस्पात प्राप्त हो जाता है जहां कोयला वैगनों में भेजा जाता है। दक्षिणी राज्यों को इस्पात मूल्यों में लाभ देने के लिए सरकार भाड़ा समीकरण योजना क्रियान्वित कर रही है। इस उद्देश्य के लिए रियायती दरें ली जाती हैं। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि भाड़ा समीकरण योजना को रद्द किया जा रहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो दक्षिण का लघु उद्योग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। मेरा सुझाव है कि तमिलनाडु तथा निकट के राज्यों को इस्पात की नियन्त्रित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु में इस्पात स्टाक यार्ड बनाए जाएं।

मंत्रालय के 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार कोयले के भारी भण्डार हैं। उन हालात में तमिलनाडु सरकार को एक लाख टन कोयला आस्ट्रेलिया से आयात करने की अनुमति दी गई है। यदि परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण किया गया है। रेलवे बोर्ड तथा कोयला विभाग को राष्ट्रीय हित में समन्वयपूर्वक कार्य करना चाहिए ताकि तमिलनाडु को निर्बाध रूप से सप्लाई की जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, मैं आपको वर्ष 1985-86 के लिए इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं ।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र कोयम्बटूर तमिलनाडु का औद्योगिक केन्द्र है । कोयम्बटूर में कई लाख कामगार औद्योगिक एककों तथा कपड़ा मिलों में काम करते हैं । कोयम्बटूर में कई लाख छोटे ढलाई खाने हैं । इन ढलाईखानों के लिए मूलभूत कच्चा माल इस्पात तथा कोयला है । दुर्भाग्य से उन्हें नियमित रूप से इस्पात तथा कोयले की सप्लाई नहीं की जाती । कोयले तथा इस्पात की अनुपलब्धता के कारण उनके उत्पादन पर असर पड़ता है । अतः मैं इस अवसर पर मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कोयम्बटूर को इस्पात तथा कोयला पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जाये । इसे सुनिश्चित करने के लिए कोयम्बटूर में एक इस्पात स्टाक यार्ड तथा कोयला स्टाक यार्ड की स्थापना की जाए । केवल तभी कोयम्बटूर के ढलाईघरों तथा अन्य उद्योगों को इस्पात तथा कोयले की सप्लाई हो पाएगी ।

मैं धर्मपुरी, सेलम तथा अन्य पास के जिलों में काले ग्रेनाइट खानों का उल्लेख करना चाहूंगा । विदेशों में इस काले ग्रेनाइट की बहुत मांग है । यह संगमरमर की तरह नहीं है जोकि सफेद होता है बल्कि यह विविध रंगों में भी उपलब्ध होता है । हम ग्रेनाइट पत्थर के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करते रहे हैं । इन खानों से कई लाख मजदूर रोजी कमाते हैं । दुर्भाग्य से तमिलनाडु की सरकार ने इन खानों को बन्द कर दिया है । कामगार जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि इस काले ग्रेनाइट की खानों को अधिकार में लेकर लाखों कामगारों की आजीविका के साधनों की रक्षा करें ।

चूंकि मैं अन्य सदस्यों की बातों को दुहराना नहीं चाहूंगा । मैं अपना भाषण इस निवेदन के साथ समाप्त करता हूं कि कोयम्बटूर के ढलाईघरों एवं अन्य इर्जीनियरिंग एककों को इस्पात तथा कोयले की सप्लाई नियमित रूप से करने के लिए कोयला स्टाक यार्ड तथा इस्पात स्टाक यार्ड बनाए जाएं ।

[हिन्दी]

श्री लाल विजय सिंह प्रताप (सरगुजा) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत स्टील, माइन्स एण्ड कोल्स से सम्बन्धित मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारा देश विकासशील देश है और इस विकास की गति को और तेज करने के लिए यह आवश्यक है कि इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के अधीन जितने विभाग हैं, सबको समुचित धन दिया जाए और समुचित योगदान दिया जाए ।

इसी तारतम्य में यदि हम स्टील मंत्रालय को देखें तो वह ऐसा मंत्रालय है जिसकी आवश्यकता हमें हर छोटे-बड़े काम के अवसर पर पड़ती है, चाहे मोटर-कार की इण्डस्ट्री लगाने की बात हो, हवाई जहाज बनाने की बात हो, रेल का कारखाना स्थापित करने की बात हो कोई अन्य कारखाना स्थापित करने की बात हो, कल-पुर्जों को तैयार करने की बात हो, हर मामले में स्टील की आवश्यकता होती है और इसलिए स्टील का हमारे विकास क्रम में महत्वपूर्ण स्थान है । मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में काफी कारगर प्रयास किए गए हैं ।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

यदि हम अपने अतीत की ओर देखें तो पाएंगे कि हमारे यहां पहले सिर्फ एक या दो ही बड़े स्टील के कारखाने हुआ करते थे, जिनमें स्टील का उत्पादन होता था। उनमें से एक कारखाना टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के नाम से था और दूसरी इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी थी जिनमें क्रमशः 10 मिलियन टन और 3 मिलियन टन स्टील का उत्पादन होता था। यह सौभाग्य का विषय है कि इस दिशा में अब हमने काफी प्रगति कर ली है और काफी हद तक हम स्वदेश में ही अपनी इस्पात की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हुए हैं किन्तु यह चिन्ता का विषय है कि अभी भी काफी मात्रा में बहुमूल्य इस्पात हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है और काफी मात्रा में हमारे पास ऐसा इस्पात बच जाता है जिसके लिए हमें ठीक से मार्किट नहीं मिलती। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हमें देश में ऐसे इस्पात के उत्पादन पर अधिक जोर देना चाहिए जिस इस्पात का हमारे देश में अधिक उपयोग होता है।

जहां तक बजट के अन्तर्गत इस मन्त्रालय के लिए विभिन्न मदों में जो प्रावधान किया गया है, निश्चित तौर पर मुझे यह कहना होगा कि उन्हें सीमित साधनों के होते हुए, आर्थिक बाध्यता के होते हुए, जिस खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, वह प्रयास प्रशंसनीय है। चाहे बोकारो की बात हो, भिलाई की बात हो, राउरकेला की बात हो, दुर्गापुर की बात हो या किसी अन्य स्टील कम्पनी की बात हो, सभी के लिए समुचित प्रावधान किया गया है जो निश्चय ही तारीफ योग्य है।

यहां मैं माइन्स विभाग के विषय में ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में इस वर्ष के लिए जितने साधनों की मांग की गई है, वह काफी ठीक है। मैंने यह भी पाया है कि जहां आवश्यकता नहीं है, वहां पिछले वर्ष की तुलना में कम मांग रखी गई है। यह प्रयास भी तारीफ के योग्य है क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया जाना आवश्यक हो जाता है।

जहां तक कोयला उद्योग का सम्बन्ध है, मैं एक ऐसे जिले से आता हूं जहां बहुत बड़ी संख्या में कोलरीज हैं और मेरी ऐसी मान्यता है कि इस उद्योग को आज और स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, यदि हम पिछली ओर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कोयले के उत्पादन में एक स्थिरता सी आ गई थी और हर वर्ष लगभग 100 मिलियन टन कोयला ही निकाला जाता था परन्तु अब यह बात तारीफ के योग्य है कि हमने इसके उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काफी प्रयास किए हैं और अब 147 मिलियन टन कोयला निकालने की क्षमता हमने प्राप्त कर ली है। सभापति महोदय, यहां मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कुछ महत्वपूर्ण विषयों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। समयाभाव में, मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, उसमें मेरी मजबूरी है लेकिन यह बात निश्चित तौर कहना चाहूंगा कि जहां हमारे यहां इतनी भारी मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है, कोयला निकलकर बाहर जाता है, लेकिन वहां के लोगों को कोयला मुहैय्या नहीं कराया जाता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस विषय में कुछ व्यवस्था करें। कोयले के बारे में यहां एक बात और जोर देकर कही गई है और वह यह है कि लोग अपने परमिट दुगने और तिगुने दामों पर किसी और आदमी को बेचकर चले जाते हैं और इस तरह उसका दुरुपयोग होता है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस कुप्रथा को रोकने की दिशा में भी कुछ प्रभावी कदम उठाएं।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान कुछ गम्भीर मसलों की

ओर दिलाना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे सरगुजा क्षेत्र के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है परन्तु रेल विभाग और कोयला विभाग में आपस में समन्वय न होने के कारण मैं यह पाता हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में कोयला या तो ढुले बिना रह जाता है अथवा उसमें आग लग जाती है। मैं चाहता हूं कि इस ओर भी मन्त्री महोदय ध्यान दें और कारगर कदम उठाएं। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम जो भी उत्पादन करें उसका निश्चित तरीके से उपयोग हो, खपत हो।

हमारे लिए यह भी चिन्ता का विषय है कि हम अपने देश में कोकिंग कोल का उत्पादन नहीं कर पाते। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। हमें चाहिए कि हम देश में ही भरपूर उत्पादन कोकिंग कोल का करें और इसके उत्पादन के सामने जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए तुरन्त प्रयास किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारी टैक्नोलॉजी अभी उस हद तक नहीं पहुंची है, जिस हद तक उसे डैवलप हो जाना चाहिए था। जैसा कि होना चाहिए। जैसे कि स्लरी के बारे में रशियन टेक्नोलॉजी की बात चली थी और चैकोस्लोवाकिया टैक्नोलॉजी के बारे में बातें चली थीं, वहां से आयात होने की बात आती है, इन सब पर हमें और ध्यान देना होगा। आज हमारी कोल इण्डस्ट्री मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह काफी आगे बढ़े और पूरे देश की बढ़त में योगदान दे।

जहां तक एम्पलायमेंट का सवाल है, इसमें अभी काफी भ्रष्टाचार है और हमें इसको दूर करना ही होगा। यह मानकर कि हम इम्पलायमेंट के बारे में बहुत से काम करते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य होते हैं जिनमें एम्पलायमेंट मिलता है तो उसमें सुव्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए आप जन-प्रतिनिधियों को उसमें मेम्बर बना सकते हैं। गवर्नमेंट में कोई भ्रष्टाचार न कर पाए, इसकी रोकथाम करने की आवश्यकता है।

हमारे यहां कम्पैंसेशन देने की बात है। इन मांगों में यह पाया गया है कि एक बहुत बड़ी रकम कम्पैंसेशन देने के लिए मांगी गई है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि एक बहुत बड़ा तबका कम्पैंसेशन से वंचित रहता है। केवल आदिवासी होने के कारण कुछ लोगों की भूमि डब्ल्यू० सी० एल० को हस्तांतरित नहीं हो पाती, इसमें कुछ कानूनी बाध्यता है। परिणामस्वरूप डब्ल्यू० सी० एल० के नियम के तहत नौकरी से भी वंचित रह जाते हैं। इस ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आगे की बातें मैं मन्त्री महोदय पर छोड़ता हूं। धन्यवाद।

**डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

निःसन्देह इस्पात उद्योगों की आधारशिला है और विकासशील देशों में बिना इसके औद्योगीकरण की दिशा में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। भारत सरकार ने गत वर्षों में इस दिशा में कई कारखाने स्थापित किए और बहुत सी कम्पनियों का सन् 1980 में अधिग्रहण भी किया। इन कम्पनियों ने देश की आवश्यकतानुसार पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं किया।

बताया जाता है कि इस वर्ष राउरकेला और बोकारो इस्पात के कारखानों में बिजली, कोयले की कमी, रेल यातायात की कठिनाइयों के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

मैं माननीय इस्पात और खान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस वर्ष मुख्य-मुख्य आदानों की सप्लाई करने वाले अधिकरणों जैसे कोल इंडिया, दामोदर-घाटी निगम, राज्य विद्युत बोर्डों और रेलवे के साथ सम्पर्क बनाये रखा गया ताकि आदानों की सप्लाई से सम्बन्धित समस्याएं हल की जा सकें।

यह सही है कि वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय प्रकाशन के अनुसार वर्ष 1981-82 में 1009.9 करोड़ रुपए के मूल्य के लगभग 28 लाख टन इस्पात का आयात किया गया जबकि वर्ष 1983-84 में सेल ने 249.56 करोड़ रुपए के मूल्य के 5.7 लाख टन इस्पात का आयात किया जो कि एक शुभ लक्षण है।

मेरा विचार है कि अगर इस्पात की ये कम्पनियां अपनी उत्पादकता का पूरी क्षमता से इस्तेमाल करें तो शायद आयात की नौबत ही न आए और इससे भारी मात्रा में फारेन-एक्सचेंज बचाया जा सकेगा।

सार्वजनिक प्रतिष्ठान की लगभग सभी कम्पनियां निरन्तर करोड़ों रुपए का घाटा दे रही हैं जिसमें वह सभी बड़ी कम्पनियां भी शामिल हैं जिनमें बहुत ज्यादा विदेशी पूंजी लगी हुई है। जैसे भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना, बोकारो इस्पात कारखाना आदि। मुझे खेद के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान इस वर्ष भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला के सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखानों में गिरते हुए उत्पादन की ओर आकृष्ट करना पड़ रहा है क्योंकि इन कारखानों में इस वर्ष कुल उत्पादन 54.12 लाख टन इस्पात पिण्डों का हुआ जबकि गत वर्ष यह उत्पादन 60.55 लाख टन था। यद्यपि यह उत्पादन वर्ष के लक्ष्य का 101 प्रतिशत था, लेकिन गत वर्ष की तुलना में यह 11 प्रतिशत कम था। जो कि कतई उचित नहीं है।

महोदय, इसी प्रकार बर्ड ग्रुप की कम्पनियों में उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1984 में 20.84 लाख रुपए का घाटा हुआ। करनपुर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड को 23.08 लाख रुपए का, स्काट एंड सेक्सबाई लिमिटेड को 22.95 लाख रुपए का घाटा, कुमारदुबई फायर क्ले एण्ड सिलीसीआ वर्क्स लिमिटेड को 139.31 लाख, बिसारा स्टोर लाइम कम्पनी लिमिटेड को 56.46 लाख और स्ट्रन इनवेस्टमेंट लिमिटेड को 3.08 लाख रुपए का घाटा हुआ जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र की टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने अप्रैल से सितम्बर 1984 तक की अवधि में 18.96 करोड़ रुपए का लाभ होने की सूचना दी है।

महोदय, तमाम सुविधा और एकाधिकार प्राप्त पब्लिक सेक्टर के बड़े उद्योग जो निरन्तर करोड़ों रुपए का घाटा देते चले आ रहे हैं और उन घाटों को पूरा करने के लिए सामान्य जनता पर कर लगाने की प्रक्रिया उचित नहीं प्रतीत होती क्योंकि इससे निश्चित रूप से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी और महंगाई बढ़ेगी। मैं चाहूंगा कि घाटे से मुक्ति दिलाने केलिए मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार ऐसे तमाम शाही खर्चों को एकदम रोके जैसे अधिकारियों का 5 स्टारज होटल्ज में ठहरना, मीटिंग्ज करना, लाखों रुपए टेलीफोन के बिलों का भुगतान करना, बात-बात में विदेश यात्रा तथा अधिकारियों पर विलासिता सम्बन्धी खर्चे कतई रोके जाएं और अच्छा यह होगा कि उत्पादन और सुविधाओं में सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाये।

मैंने यह भी देखा है कि इन कंपनियों में आलोच्य वर्ष के दौरान 1481 दुर्घटनाओं की सूचना मिली जिनमें से 23 दुर्घटनायें घातक थीं।

इस दिशा में सुरक्षात्मक उपाय और मजबूत किए जाए ताकि दुर्घटनायें कम हो सकें।

महोदय, हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की मंशा है कि विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाये। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, एक भारी स्टील उद्योग की स्थापना करने की घोषणा करें और प्रयास करें कि चालू तथा आगामी वर्षों में औद्योगिक अशांति जिससे उत्पादन पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

महोदय, अभी इस बात की सूचना मिली है कि मुरादाबाद में पीतल के कलईदार बर्तन पूरे देश में अपना एक स्थान रखते हैं तथा काफी मात्रा में ये बर्तन विदेशों में भी भेजे जाते हैं जिससे देश को फारेन एक्सचेंज का लाभ मिलता है। उन्हें आजकल समय पर कोयले मिलते नहीं अथवा काफी ऊंचे दामों पर इन बर्तन निर्माताओं को मजबूर होकर कोयला खरीदना पड़ता है जिससे बर्तन निर्माताओं का व्यवसाय बन्द हो जाने के कगार पर हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस दिशा में अवश्य प्रभावकारी कदम उठाएं ताकि बर्तन निर्माण व्यवसाय बन्द न होने पाए और तमाम लोगों की रोजी-रोटी और विदेशी मुद्रा की हानि बचाई जा सके।

इन्हीं सुझावों और शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री के० राममूर्ति** (कृष्णगिरि) : सभापति महोदय मैं इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं भी अपने सहयोगियों की भांति प्रधानमंत्री को इन तीन मुख्य विभागों को एक मंत्रालय के अन्तर्गत रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। ऐसा उनके सुचारू कार्यकरण तथा उनमें विद्यमान अवरोधों और कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। यह तीनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी देश की प्रगति का मुख्य आधार हैं। मैं उन नए मंत्रियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था के इन तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का कार्यभार संभाला है।

सबसे पहले मैं इस्पात मंत्रालय के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। जैसाकि श्री अमल दत्त ने बताया कि हमने अपना इस्पात उत्पादन 10 लाख टन से शुरू किया था और शनै-शनै उसमें वृद्धि होती गई और अब हम लगभग आत्मनिर्भरता की अवस्था में पहुंच गये हैं। यह कोई छोटी-मोटी उपलब्धी नहीं है और हमें पंडित जी की दूरदर्शिता की सराहना करनी पड़ेगी जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में भारी इस्पात संयंत्र लगाने में रुचि ली। यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हो गई है, पर वह निर्धारित क्षमता के अनुरूप नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करें और यह देखें कि सरकारी क्षेत्र के इन इस्पात संयत्रों ने किस हद तक निर्धारित क्षमता प्राप्त की है।

यहां एक माननीय सदस्य ने 'टिस्को' का हवाला दिया है। 'टिस्को' गैर सरकारी क्षेत्र में है और उन्हें कुछ विशेष कार्य नहीं करने पड़ते, जबकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कुछ सामाजिक दायित्व निभाने पड़ते हैं, देश के प्रति सामाजिक न्याय करना पड़ता है इस उद्देश्य हेतु कुछ विशिष्ट मदों का उत्पादन सरकारो क्षेत्र के एक इस्पात कारखाने में और कुछ अन्य मदों का उत्पादन अन्य

इस्पात कारखानों में कराते हैं और इस तरीके को अपनाने से कई बार हमें हानि का भी सामना करना पड़ता है यदि इन सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को अपनी मन-मरजी से लाभ कमाने दें तो देश के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कुछ आवश्यक इस्पात मदें उपलब्ध नहीं होंगी अत: हम इन इस्पात संयत्रों की 'टिस्को' से तुलना नहीं कर सकते : यही तर्क मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 'टिस्को' इस्पात की कुछ ऐसी मदों का उत्पादन कर सकता है जिन पर अधिक लाभ मिलता हो लेकिन सरकारी क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों में हम इन मदों का उत्पादन नहीं करवा सकते। यदि लाभ को ही एकमात्र उद्देश्य रखकर उत्पादन किया जाए तो इस शायद महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रक्षा उत्पादन इत्यादि के लिए आवश्यक इस्पात मदें जुटा नहीं पाएंगे।

मैं सलेम इस्पात संयंत्र के प्रबंधकों और कर्मचारियों को तथा स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करके एक करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। यह कोई कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं इसका हवाला मैं यहां इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार सलेम इस्पात संयंत्र से इस अवस्था में इतना लाभ कमाने की अपेक्षा नहीं की गई थी लेकिन इसने लक्ष्य की ही प्राप्ति नहीं की अपितु एक करोड़ रुपये का मुनाफा भी कमाया। मैं श्री वसंत साठे से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें क्योंकि हमने परिस्थितियों को पूर्णतया बदल दिया है। अब हम 50 करोड़ रुपये की लागत वाली एक दूसरी 'सेंजीमीर मिल' की मांग कर रहे हैं। अब तक सलेम इस्पात संयंत्र में प्रतिवर्ष 32,000 टन का उत्पादन हो रहा है और अगर आप सलेम इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए और 50 करोड़ रुपया पूंजी निवेश करें तो उत्पादन दुगना हो जाएगा। सरकार को इस दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिए।

मेरे कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि सलेम इस्पात संयंत्र की एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में परिकल्पना की गई थी लेकिन यह तो इस्पात रोलिंग मिल के रूप में उभरा है। अशत: यह सत्य भी है अत: इस प्रकार की धारणा को दूर करने के लिए मंत्री महोदय सलेम इस्पात संयंत्र के लिए दूसरी 'सेंजमीर मिल' की घोषणा करें जोकि इसके उत्पादन को दुगना कर देगी। इस पर केवल 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

एक और बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि प्रत्येक तीन अथवा चार वर्ष पश्चात् इस्पात उद्योग की राष्ट्रीय संयुक्त वार्ता समिति द्विपक्षीय वार्ता कराती है और कुछ निर्णय लिए जाते हैं। पहले निर्णय लेने की शक्ति स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के पास थी पर अब यह शक्ति सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। ऐसी स्थिति में द्विपक्षीय वार्ताओं का कुछ लाभ नहीं होगा इसलिए यह अधिकार पुन: स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया को सौंप दिया जाए ताकि कर्मचारियों की मांगों के मामले में सहमति हो सके।

जहां तक खानों का संबंध है अब समस्या यह है कि खानों को पट्टे पर देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। खानों में दो प्रकार के खनिज मिलते हैं खनिज और छोटे खनिज। जहां तक बड़े खनिजों का संबंध है भारत सरकार लाइसेंसों के नवीकरण अथवा खानों को लाइसेंस देने की शक्ति राज्य सरकारों को दे रही है। राज्य सरकारें इस मामले में समान नीति नहीं अपना रही है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में एक सीमेंट उद्योग, जिसने अपनी चूना पत्थर खानों के लिए लाइसेंसों के नवीकरण हेतु आवेदन दिया था, उसे केवल तीन वर्ष की अवधि तक खनन की अनुमति दी गई है। ऐसी स्थिति में सीमेंट उद्योग कैसे सुचारू रूप से काम

कर सकते हैं । अतः नीति में एकरूपता होनी चाहिए । भारत सरकार को ऐसे कुछ उद्योगों को, जिनमें बड़े खनिज पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, अधिसूचित करना चाहिए तथा उन्हें कम-से-कम 20 वर्ष के लिए लाइसेंस अथवा लाइसेंसों का नवीकरण करना चाहिए। वह सरकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में भेद नहीं करते । राज्य सरकारों ने इसे कुछ बाहरी और राजनीतिक कारणों से, उद्योगपतियों को धमकाने का माध्यम बनाया हुआ है और जब चाहे वे इन्हें परेशान करते हैं । अतः इस पहलु पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और भारत सरकार को सभी राज्य सरकारों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे बड़े उद्योगों के मामले में कम-से-कम 20 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस दें ।

अब मैं बड़े उद्योगों को खनिज और धातुओं संबंधी लाइसेंस देने के मुद्दे के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । राज्य सरकार छोटी खानों वालों को जिसका क्षेत्रफल दो एकड़ से चार एकड़ तक है लाइसेंस दे रही है जिसके परिणामस्वरूप छोटे लाइसेंसधारियों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है । ऐसी स्थिति में बड़े उद्योग कैसे पनपेंगे । इस पद्धति के परिणामस्वरूप उनके पास समुचित खनिज संसाधन अथवा निक्षेप नहीं रह गए । यह मामला मैंने सांतवीं लोक सभा में उठाया था और तत्कालीन उद्योगमंत्री श्री तिवारी ने आश्वासन दिया था कि जहां कहीं बड़े उद्योग स्थापित हैं उसके आस-पास 20 किलोमीटर तक किसी भी छोटी खानों के मालिकों को नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे । लेकिन तमिलनाडु में विशेषकर सीमेंट उद्योग में, तमिलनाडु सरकार छोटी खानों के मालिकों को धड़ाधड़ लाइसेंस दे रही है । परिणाम यह है कि सीमेंट उद्योग अब वहां बन्द होने की स्थिति में पहुंच गया है क्योंकि उद्योग को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है । यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मंत्रालय को स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी होनी चाहिए ।

अब मैं कोयला खानों के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा । नेवेली लिग्नाइट निगम जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है लाभ अर्जित कर रहा है । हम सरकार के आभारी हैं कि उसने नेवेली में दूसरे 'माइन-कट' के लिए स्वीकृति दे दी है और अब तीसरे और चौथे 'माइन-कट' के लिए खोज कार्य जारी है । यह बहुत महत्वपूर्ण है आप जानते ही है कि तमिलनाडु के लोगों को जनवरी के महीने में बिजली की 50 प्रतिशत की कटौती का सामना करना पड़ रहा है । इससे औद्योगिक विकास और हमारे जीवन यापन पर प्रभाव पड़ता है । तापीय और पर बिजली परियोजनाओं के अतिरिक्त नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन हमारे लिए बिजली का एकमात्र स्रोत है । तमिलनाडु में बिजली की कमी वाले दिनों में नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन ही काम आता है और वहां यही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है अतः भारत सरकार को नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के संबंध में तीसरे तथा चौथे 'कट' के लिए स्वीकृति दे देनी चाहिए ।

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के सम्बन्ध में दो मुख्य बातें हैं जितनी भी बिजली इसमें पैदा की जाती है उसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाता है और तमिलनाडु में इसके स्थापित होने के बावजूद भी तमिलनाडु को सबसे कम प्राथमिकता दी जा रही है । मैं यह चाहता हूं कि नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा जनित समूची बिजली तमिलनाडु राज्य को ही दी जाए । मैं प्रान्तीयता के कारण ऐसा नहीं कह रहा हूं । तमिलनाडु में बिजली की कमी को देखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए ।

तमिलनाडू में सप्लाई की जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट दर बहुत अधिक है तमिलनाडु

सरकार को बहुत भारी पड़ेगी अतः तमिलनाडु को सप्लाई की जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट दर में कमी की जानी चाहिए ।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण की ओर से चिगारगुंट और मालाप्पाकोंडा क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा चुका है । यह दोनों क्षेत्र आंध्र प्रदेश में हैं । सोने की खान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन तीनों राज्यों की सीमा में आती है । कोलार सोने की खान में सोने के निक्षेपों में कमी हो रही है । आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र से सोने के निक्षेप वह अस्थायी तौर पर कोलार सोने की खान में गलाएं और इसके लिए अनुमति दी जानी चाहिए गलन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है और खान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच पड़ती है अतः इस सम्बन्ध में तमिलनाडु के साथ न्याय किया जाना चाहिए और तमिलनाडु में वेप्पनपल्ली के स्थान पर जो खान से केवल दो तीन किलोमीटर की दूरी पर है कालोनी बनाई जानी चाहिए, क्वार्टर बनाए जाने चाहिए और एक नगरक्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए । अतः मैं मांग करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सोने के निक्षेपों को खोज तथा अन्य कार्यों में तत्परता लाई जाए तथा उत्पादन तत्काल शुरू किया जाना चाहिए ।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा मामन्दर में कुछ जस्ते के निक्षेपों का पता लगाया गया है । यह कुछ निक्षेप चिंगलेपुट जिले के मामन्दूर स्थान पर है । लेकिन यह खोज कार्य बाद में छोड़ दिया गया । मैं अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले के मामन्दूर क्षेत्र में जस्ता निक्षेपों की खोज सम्बन्धी कार्यों को पुनः शुरू किया जाए क्योंकि वहां भारी मात्रा में जस्ता मिलने की संभावना है ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

**श्री सलाहुद्दीन** (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय की अनुदान मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं किन्तु इसके साथ ही साथ इनसे सम्बन्धित कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

देश के चहुंमुखी विकास के लिए इस्पात और खनिज संसाधन बुनियादी आवश्यकताएं हैं ।

[हिन्दी]

स्टील का इतिहास 1907 से शुरू होता है जबकि जमशेदजी टाटा ने 1907 ई० में साक्षी नामक स्थान पर एक स्टील कारखाने की स्थापना की थी । मैं यह बताना चाहूंगा कि उस समय लन्दन स्टाक एक्सचेन्ज ने टाटा कम्पनी के शैयर्स को खरीदने से इन्कार कर दिया था । इस भावना से प्रेरित होकर भारत के लोगों ने इस कम्पनी के शैयर रातोरात खरीद कर पूरे कर दिये । मैं चाहता हूं कि भारतीय उद्योगों के साथ राष्ट्रीय भावना जुड़े लेकिन इसके साथ ही साथ कोल-माइंस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी जो स्थिति है, जो लीविंग कंडीशन्स हैं, उनको देखने से मालूम होता है कि वे हैल में रह रहे हैं, नरक में रह रहे हैं । उनके मकानात में न प्राइवेसी की कोई व्यवस्था है और न वेन्टीलेशन की । बाहर से एक दरवाजा खुलता है और वही वेन्टीलेशन का काम करता है ।

एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माइन्स में जो कोयले का मूल्य है और बाजार में जो

कोयले का मूल्य है, उनके बीच में बहुत बड़ा अन्तर हो जाता है और बाजार में आते-आते कोयले के दाम कई गुणा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कोल मन्त्री जी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वे वितरण की प्रणाली में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाएं और जो माइन्स में कोयले की प्राइस है और जो मार्केट में दाम हैं, उनमें इतना बड़ा अन्तर न आने पावे।

मैं सन्थाल परगना से आता हूं। वह ट्राइबल पापूलेटेड एरिया है और वहां पर आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। 1973 में जब कोल इंडस्ट्री का नेशनेलाइजेशन हुआ, तो 30-40 कोलरीज का नेशनेलाइजेशन हुआ। एक कम्पनी ओ० पी० संथालिया थी, उसका भी नेशनेलाइजेशन 1973 में हुआ लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1973 से 1985 तक अभी तक वे खोली नहीं गई और जो मजदूर उन माइन्स में काम कर रहे थे, वे मजदूर बेकार हो गए और अब तक बेकार हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि ये जो 30,40 कोलरीज हैं, उनको खोलने की व्यवस्था करें और जो मजदूर निकाले गये थे और बेकार हो गए हैं, उनको नौकरी देने की व्यवस्था करें। उनके लिए यह बड़े अन्याय की बात है। अगर ओ० पी० संथालिया कम्पनी चलने लायक नहीं थी, तो उसका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए था। जब उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो यह आपका उत्तरदायित्व हो जाता है कि जिन मजदूरों को नौकरी से निकाला गया था, उनको वापस नौकरी में लगाया जाए। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि वे कोलरीज रेलवे लाइन के पास हैं और उनका कोयला ए ग्रेड का कोयला है। ए ग्रेड का कोयला है और रेलवे लाइन की बगल में वे कोलरीज हैं और उनका राष्ट्रीयकरण 1973 में कर दिया, तो उनको क्यों नहीं खोला जाता है। संथाल परगना जहां पर संथाल रहते हैं, वहां पर ये कोलरीज हैं और इस तरह से उन लोगों का एक्सप्लायटेशन हो रहा है और उनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन कोलरीज को खोलने के लिए आपने क्या उपाय किये। इसी तरह से जयन्ती कोलरी और बैसकूपी कोलरी जो देवघर जिले में हैं, उन पर विशेष ध्यान देकर शीघ्र ही उन्हें चालू करने की व्यवस्था आप करें।

सरकार ने स्टील उद्योग और कोल उद्योग की तरक्की के लिए जो कदम उठाए हैं, उन का मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। भारत के विकास के अन्दर इसने एक हिस्टोरीकल और ग्लोरियस रोल अदा किया है।

इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री हरिहर सोरन** (क्योंझर) : सभापति महोदय, मैं इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। इस्पात, खान और कोयला जैसे विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं। जब इन विभागों को धनराशि आबंटित की जाए तब इन विभागों द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैंने मांग सम्बन्धी पत्र पढ़े हैं। इस विभाग को आबंटित की गई धन-राशि बहुत ही अपर्याप्त है। इस आबंटित की गई धन-राशि से इन विभागों द्वारा चालू किए जाने वाले प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यक्रम पूरे नहीं हो सकते।

बहुत से माननीय सदस्यों ने हमारे सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के काम में सुधार करने

*उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। अनुदान की मांगों पर बोलते समय मैं अपने राज्य से सम्बन्धित कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दों की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इन समस्याओं पर ध्यान देंगे तथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

महोदय, उड़ीसा राज्य में राउरकेला में सरकारी क्षेत्र का एक इस्पात संयंत्र है। इस इस्पात संयंत्र में पूरे उड़ीसा भर के तथा उड़ीसा राज्य से बाहर के बहुत से लोग काम करते हैं। परन्तु इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस संयंत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के और अधिक उम्मीदवारों को नौकरी दिलाएं। कम से कम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद इन समुदायों के उम्मीदवारों में से ही भरे जाने चाहिए। कभी आरक्षित पद, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के तर्क पर, सामान्य उम्मीदवारों से भर दिए जाते हैं। आगे से इस प्रथा को बन्द कर दिया जाना चाहिए।

जब इस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई तब राउरकेला में रहने वाले बहुत से लोगों को अपनी जमीन खाली करनी पड़ी। वे कई पीढ़ियों से वहां रह रहे थे। परन्तु उस स्थान पर इस्पात संयंत्र लगाए जाने की वजह से उन्हें विस्थापित किया गया। उस समय इस्पात संयंत्र प्राधिकरण और प्रभावित लोगों के बीच एक करार हुआ था। करार के अनुसार प्रभावित लोगों को इस इस्पात संयंत्र में नौकरियां दी जानी थीं। परन्तु खेद है कि इस करार को लागू नहीं किया गया है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर गौर करें कि प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को इस इस्पात संयंत्र में उचित नौकरी दी जाए। इस सम्बन्ध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को कुछ शीघ्र उपाय करने के लिए आवश्यक अनुदेश भेजे जाएं।

महोदय, भारत सरकार ने छठी योजना के दौरान इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के कार्यक्रम लागू किए हैं। इस प्रयोजन के लिए सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों को धनराशि उपलब्ध कराई गई है। राउरकेला इस्पात संयन्त्र का भी विस्तार किया गया। परन्तु विस्तार कार्यक्रम अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है। राउरकेला इस्पात संयन्त्र का और आगे विस्तार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसे बहुत शीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिए। राउरकेला इस्पात संयन्त्र के आधुनिकीकरण की इससे भी ज्यादा जरूरत है। इसको आधुनिक बनाने के लिए तत्काल कोई उपाय किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सातवीं योजना के अन्त तक पूरा हो जाएगा। इस प्रयोजन के लिए समुचित धन-राशि आबंटित की जानी चाहिए।

**5.00 म० प०**

अब मैं, उड़ीसा में लगाए जाने वाले प्रस्तावित दूसरे इस्पात संयन्त्र के विषय में कुछ एक शब्द कहना चाहूंगा। इस्पात संयन्त्र की स्थापना के लिए दैतरी को एक आदर्श स्थान के रूप में चुना गया था। वहां सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उड़ीसा के लोग इसी स्थान पर दूसरे इस्पात संयन्त्र की स्थापना की मांग कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने विभिन्न अवसरों पर इस मामले को केन्द्रीय मन्त्री के स्तर पर उठाया है। यदि दैतरी में एक इस्पात संयन्त्र की स्थापना कर दी जाए तो इससे उड़ीसा राज्य के बहुत से शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल जाएगा। इस प्रस्तावित इस्पात संयन्त्र में स्थानीय लोगों, जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति के लोग हैं, को उचित रोजगार मिल जाएगा। अतः मैं मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को शीघ्रता से कार्यरूप दें।

इसके बाद मैं खानों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं उड़ीसा खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध है। लौह अयस्क, मैंगनीज, बाक्साइट, ग्रेफाइट, क्रोम अयस्क और अभ्रक की खान बहुत बड़ी संख्या में उड़ीसा में हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में खान उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

मैं उड़ीसा के क्योंझर जिले से आया हूं। इस जिले में बड़ी संख्या में लोहे और मैंगनीज की खानें हैं। इस जिले में अच्छी किस्म का लोह अयस्क, मुख्यतया निर्यात क्वालिटी का लौह अयस्क, उपलब्ध है। परन्तु समुचित रेल-परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण खान मालिकों और अन्य परिवहन प्राधिकरणों को कच्ची धातु को निर्यात के उद्देश्य से पाराद्वीप बन्दरगाह तक ले जाने में गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न खानों से निकाला गया तथा बांसपानी को लाया गया हजारों टन लोह अयस्क खदानों के पास इकट्ठा हो रहा है। जखपुरा-बांसपानी रेल लाइन का निर्माण पूरा हो जाने पर लौह-अयस्क और दूसरे खनिज रेल मार्ग से छोटे रास्ते से पाराद्वीप बन्दरगाह तक ले जाये जा सकते हैं। खनिज और धातु व्यापार निगम का परिवहन खर्च कम हो सकता है। अतः जखपुरा-बांसपानी रेल मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करना आवश्यक है। मैं इस्पात, खान और कोयला मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह रेल मन्त्रालय के साथ उचित तालमेल बैठाएं तथा देखे कि रेल मार्ग बिछाने की योजना शीघ्र पूर्ण हो।

दूसरे मैं इस्पात, खान और कोयला मन्त्री को सुझाव देता हूं कि वे वाणिज्य मन्त्री के साथ उचित सम्पर्क बनाए रखें। वाणिज्य मन्त्री उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिलों में स्थित लोहे की खानों के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। महोदय, इन जिलों के लौह अयस्क की अन्तरराष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। खनिज और धातु व्यापार निगम ही लोह अयस्क का निर्यात करने वाली एक मात्र बिचौलिया एजेंसी है। चूंकि इन जिलों में उपलब्ध लौह अयस्क की लोह अयस्क का आयात करने वाले देशों में बहुत मांग है अतः खनिज और धातु व्यापार निगम को निर्यात के लिए, इन खानों से उपलब्ध लौह अयस्क के लदान की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। यह तभी संभव होगा, जब खान विभाग और खनिज और धातु व्यापार निगम के बीच उचित तालमेल बैठाया जाए।

**5.02 म०प०**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

महोदय, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बादमपहार, गोरुमहीबिनी और सुलेई पेठ क्षेत्रों में स्थित खानें बन्द हो गई हैं। इन खानों के बन्द हो जाने की वजह से इन खानों में लगे हुए हजारों श्रमिक, जिनमें से अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, बेरोजगार हो गए हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन खानों को एक बार फिर से चालू कराएं।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एक और महत्त्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह समस्या उड़ीसा और बिहार की गैर-कैप्टिव खानों से सम्बन्धित है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्र इन खानों से लौह अयस्क मंगा रहे थे। परन्तु पिछले दो वर्षों से उन्होंने लोह अयस्क की खरीद की मात्रा में कमी कर दी है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों द्वारा गैर-रक्षित खानों से लौह अयस्क की खरीद में कमी किए जाने के कारण इन खानों के कार्य को बहुत ही अनिश्चित बना दिया

है। इसके परिणामस्वरूप जो श्रमिक इन खानों से अपनी रोजी-रोटी कमा रहे थे उनकी बड़ी संख्या में छंटनी हो गई है। अत: मैं इस्पात, खान और कोयला मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे सरकारी क्षेत्र को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वह अपनी इन खानों से लौह-अयस्क की खरीद में वृद्धि करे।

यदि मैं उड़ीसा की कोयला खानों के विषय में न बोलूं तो मेरा भाषण अधूरा ही रहेगा। धनकानल जिले के तलचर क्षेत्र में, तथा सम्बलपुर जिले की आई० बी० घाटी क्षेत्र में बहुत सी कोयले की खानें हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में किए गए विस्फोट से सुन्दरगढ़ जिले में गोपालपुर के निकट बड़ी मात्रा में कोयले के भंडार का पता चला है। तलचर कोयला खान केन्द्रीय कोयला क्षेत्र, रांची के नियन्त्रण में है, जबकि आई०बी० घाटी कोयला क्षेत्र पश्चिमी कोयला क्षेत्र, नागपुर के नियन्त्रण में है। उड़ीसा राज्य में स्थित कोयला खानों के विकास की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि ये खानें विभिन्न कोयला कम्पनियों के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं। उड़ीसा की कोयला खानों के विकास के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि इन सभी कोयला खानों को कोल इंडिया लिमिटेड की किसी सहायक कम्पनी के प्रशासनिक नियन्त्रण में लाया जाए। तथा इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में बनाया जाए।

अन्त में दो शब्द क्योंझर की स्वर्ण खानों के बारे में। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने क्योंझर के कुछ भागों में सर्वेक्षण किया तथा यह पता लगाया कि तेलकोई के निकट सोने का भंडार है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से इस इलाके में खोजे गए सोने के भंडारों का दोहन करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर मुझे बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर अनुदान की मांगों का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

**श्री कमल नाथ** (छिंदवाड़ा) : महोदय, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं तथा मैं सीधे मतलब की बात पर आता हूं। मैं मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र, जिसमें मैं पिछले कई वर्षों से सम्बद्ध हूं, की ही बात करूंगा।

विगत में, इस सदन में, प्रैस में, तथा अन्य मंचों से कोयला खानों के मुहाने पर कोयले के ढेर लगे रहने के बारे में रिपोर्टें छपी हैं। इसकी वजह वैगनों की कमी है अथवा कोई अन्य कारण। अब कहा जा रहा है कि वह कोयला वहां से गायब हो गया है। परन्तु मैं फालतू कोयले के विषय में बात नहीं करना चाहता कोयले के विषय में न सही परन्तु मैं पत्थर और उस काठ-कबाड़ के विषय बात करना चाहता हूं जो बहुत सी कोयला कम्पनियों के भण्डार में पड़ा रहता है तथा जिसे मैंने स्वयं देखा है। यह व्यक्तिगत अनुमान है। यह प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और विवरणों पर आधारित नहीं है। अपने ही जिले में मैंने देखा है कि कोयले के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े मात्र कोयले की मात्रा को ही नहीं दर्शाते बल्कि उसमें पत्थरों, काठ-कबाड़ और शिलाखण्ड भी बड़ी मात्रा में शामिल है जिनका कोयले से सम्बन्ध नहीं है। अब यदि यह कोयला नहीं है तो हमें इस तथ्य को स्वीकारना चाहिए तथा कहना चाहिए कि यह कोयला नहीं है तथा हमने यहां गलती की है। यदि हमारे, तथ्य, हमारे बही-खाते, हमारे भण्डारों की स्थिति गलत है तो हमें इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। हमें वही राग नहीं अलापते रहना चाहिए कि कोयला है क्योंकि हम निश्चयपूर्वक देख सकते हैं कि कोयला क्या है। मैं कोयले की पहचान कर सकता हूं तथा पत्थर, काठ-कबाड़,

तथा कूड़ा-करकट कोयला नहीं। किसी मंत्री द्वारा इस सदन में अथवा किसी अन्य मंच से बार-बार कहने अथवा लम्बे-चौड़े आकड़े प्रस्तुत करने से पत्थर और काठ-कबाड़ कोयले में बदलने वाला नहीं। इस मुद्दे पर हमें भी तथा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए।

पिछले पांच वर्षों से उत्पादन में बढ़ोत्तरी दिखाने के लिए हमने पत्थरों, काठ-कबाड़ और शिलाखंडों में ही बढ़ोतरी दिखाई है। हमें स्वीकारना चाहिए कि हमने एक मायने में गलती की है। हमें अपने कोयले के भन्डारण की गलती को सुधारना चाहिए। हम ऐसा करें—यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अगला प्रश्न यह है कि खनन के क्षेत्र में हम जिन प्रक्रियाओं, प्रथाओं और तरीकों को अपना रहे हैं वे इतने पुराने हैं कि उनको काम में लाने के लिए उनके फालतू पुर्जों का निर्माण करने हेतु हमें वर्कशाप खोलनी पड़ती हैं। खनन के क्षेत्र में ब्रिटेन अथवा जर्मनी से थोड़ा-सा सहयोग किया गया है। परन्तु यह बहुत ही सीमित क्षेत्र में है और इसे नमूने के तौर पर किया जा रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं। खनन के इन पुराने तरीकों के बारे में हमें कुछ-न-कुछ करना ही पड़ेगा। हमें खनन के आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा तथा प्रत्येक आदमी से ही नहीं बल्कि निवेश के प्रत्येक रुपये से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होगा। हमें अपने कोयला क्षेत्र में लगे प्रत्येक रुपये से तथा प्रत्येक मानव-घन्टे से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। हमें अपनी लागत से चाहे वह मानव-घण्टों के रूप में है अथवा धनराशि के रूप में, अधिकतम प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार को कोयला खनन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए एक क्रमबद्ध कार्यक्रम चलाने का प्रयास करना चाहिए। हम दो हजार, तीन हजार, चार हजार, पांच हजार फुट नीचे तक पहुंच रहे हैं। हम जिन सभी लिफ्टों का प्रयोग कर रहे हैं—मैंने स्वयं उनका प्रयोग किया है—वे सभी पुरानी हैं। यदि ये विदेश में होतीं तो उन्हें अजायबघर में रखा जाता। ये श्रमिकों के लिए भी सुरक्षित नहीं हैं, ये किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं हैं। अतः हमें एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाना होगा तथा इसे पांच वर्षों अथवा अधिक वर्षों में भी पूरा करना होगा। हम इसको रातोंरात पूरा नहीं कर सकते। हमारे पास संसाधनों की कमी है। मैं इसे समझता हूं। परन्तु यदि हम कहें कि हम इसे अगले पांच वर्षों में पूरा करने जा रहे हैं—इस वर्ष हम इन खानों को ले रहे हैं, अमुक खानें हम अगले वर्ष लेंगे तथा अमुक खानें हम सातवीं योजना में लेंगे तथा ये-ये खानें हम आठवीं योजना में लेंगे...। आप ऐसा कहें तो सही—इसमें कोई बुराई नहीं। परन्तु हम कम से कम एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाएं तो सही—हम एक दिशा में कदम तो बढ़ाएं तथा कोयला खानों में काम कर रहे लोगों को एक दिशा दें। उन्हें मालूम होना चाहिए कि सुरंग के छोर पर रोशनी होती है, यह चाहे वे स्वयं देख पाएं पर उनके बच्चे खदान के आधुनिक तरीके देख पाएंगे।

कुछ सालों से एक अजीब तथा असंगत स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक रिजर्व होता है जिसे इंगित भण्डार (इण्डिकेटिड रिजर्व) कहते हैं। आंकड़ों में हम 'इण्डिकेटिड रिजर्व' देखते हैं। प्रोसपेक्टिड रिजर्व भी होता है। हमारे यहां खान अन्वेषण निगम है। हमारे यहां सी० एम० पी० डी० आई० है जो छेदन का काम करता है। 'इण्डिकेडिट रिजर्व' का क्या मतलब है? मेरी जानकारी के अनुसार यह नमूना परीक्षण दौरान प्राप्त रिजर्व को इण्डिकेटिड रिजर्व कहा जाता है। हमारे पास पर्याप्त 'इण्डिकेटिड रिजर्व' हैं लेकिन वे केवल 'इण्डिकेटिड रिजर्व' ही बने रहे हैं उन्हें 'प्रोसपेक्टिड रिजर्व' में परिवर्तित नहीं किया गया है। जिस सीमा तक इन्हें 'प्रोसपेक्टिड रिजर्व' में परिवर्तित

किया जाएगा वही हमारा वार्षिक उत्पादन होगा । प्रत्येक वर्ष, सालों-साल हमारी स्थिति वहीं की वहीं है । इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 'प्रोसपेक्टिड रिजर्व' 'एक्स' मात्रा में है तो वह मात्रा में तो वृद्धि नहीं हुई है । हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितना कोयला है । हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए । इसके लिए सारे 'इंडिकेटिड रिजर्व' को, चाहे उसका पता भू-सर्वेक्षण विभाग ने लगाया हो या किसी और प्राधिकरण ने, 'प्रोसपेक्टिड रिजर्व' में परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि हम जान सकें कि यह हमारा कोयला भण्डार हैं। भविष्य में 21वीं सदी में हर देश अपनी अधिशेष ऊर्जा पर निर्भर होगा। और कोयला ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से होगा । हमें प्रमाणित करना चाहिए कि हमारे पास विश्व में प्रतिव्यक्ति ऊर्जा भण्डार सबसे अधिक है । लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते । चाहे तेल हो या परमाणु शक्ति, जब तक हम इण्डिकेटिड रिजर्व को 'प्रोसपेक्टिड रिजर्व' में यह प्रमाणित करने के लिए परिवर्तित नहीं करते कि ये हमारे ऐसे इंडिकेटिड रिजर्व हैं जिनमें खनन कार्य किया जा सकता है, जिन्हें 'प्रोसपेक्टेड रिजर्व' में परिवर्तित किया जा सकता है । ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगले दो दशकों में सभी आर्थिक नीतियां चाहे वे विश्व बैंक की हों या अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान की, किसी देश की अतिरिक्त ऊर्जा पर, प्रति व्यक्ति ऊर्जा के उपयोग पर, प्रतिव्यक्ति अतिरिक्त ऊर्जा पर निर्भर करेंगी । अत: जरूरी है कि हम इस सम्बन्ध में कार्रवाई करें और योजना बनाएं । पांच वर्ष पूर्व मैंने यह काम अपने जिले में किया था । जहां खान अन्वेषण निगम ने छेदनकार्य किया था । उसके कुछ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं । ये परिणाम सम्बन्धित कोयला कम्पनियों को दे दिए गए हैं । लेकिन दुर्भाग्य से वे कंपनियां इन परिणामों को जमा भर कर लेती हैं और उन्हें दीमक लग जाता है । मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है । लेकिन उसे 'प्रोसपेक्टेड रिजर्व' या विदित रिजर्व में परिवर्तित नहीं किया गया है । इन्हें ऐसे आंकड़ों में परिवर्तित नहीं किया गया है जिससे आगे कोयला-उत्पादन में सहायता मिलती या जिन्हें उत्पादनीय खानो में बदला जा सकता ।

**श्री अमल दत्ता** : जब हम 21वीं सदी में पहुंचेगे तो शायद इस प्रणाली में सुधार हो ।

**श्री कमलनाथ** : मैं खोज की बात कर रहा हूं । जो विधि हम अपना रहे हैं उसमें सुधार करना होगा । हमें अपनी पद्धति बदलनी होगी । हमें अपनी शैली बदलनी होगी तथा हर वर्ष थोड़ी मात्रा में खोज करने की प्रणाली गलत है । हमें इंडिकेटिड रिजर्व को 'प्रोसपेक्टिड रिजर्व' में परिवर्तित करना चाहिए । हमें अपने 'प्रोसपेक्टिड रिजर्व' को प्रमाणित करना चाहिए तथा पूरी तरह से 'इंडिकेटिड रिजर्व' पर निर्भर नही रहना चाहिए ।

अब मैं विभिन्न कोयला-खानों की सम्बद्धता की बात करूंगा । प्रत्येक खान या तो किसी ताप बिजलीघर से या उत्पादन परिव्यय से जुड़ी होती हैं । चाहे कोयला बाजार भेजा जाता हो या ताप बिजलीघर को यह सम्बद्धता गीता या बाइबल नहीं है । इस सम्बद्धता को स्थायी परिकल्पना नहीं माना जा सकता । भारत सरकार की एक संपर्क समिति है । यह समिति सम्बद्धता जोड़ने, उसे समाप्त करने, पुन: जोड़ने के काम में लगी रहती है । उदाहरण के लिए कोरबी ताप बिजलीघर विभिन्न कोयला खानों से सम्बद्ध है । जरूरी भी नहीं है कि आगामी 24 वर्षों के लिए भी यही सम्बद्धता बनी रहे । नई खानों में खुदाई की जा रही है और नया कोयला प्राप्त किया जा रहा है। अत: हमें ऊर्जा का सबसे किफायती स्रोत तथा मार्ग ढूंढ़ना होगा । खानों को ताप बिजलीघरों आदि से जोड़ना एक निरन्तर प्रक्रिया है । एक बार सम्बद्ध किये जाने के बाद तथा एक बार किसी ताप बिजली घर को किसी कोयला खान से सम्बद्ध करने के बाद, सम्बद्धता को वैसा ही बने रहने दिया

जाता है। उदाहरण के कोयला छिंदवाड़ा से गुजरात और फिर वहां से पंजाब में रोपण में ले जाया जाता है। ऐसे ही कोरडी के लिए कोयला काम्पटी से लाया जा सकता है, जो कि वहां से केवल 20 कि० मी० की दूरी पर स्थित है लेकिन वहां से उसे न मंगा कर 100 कि० मी० की दूरी से लाया जाता है। और कंपटी से कोयला 200 कि० मी० दूर स्थित स्थानों को भेजा जाता है। बड़ी अजीब बात है। इस तरह से हम अपने परिवहन साधनों पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसा करना गैर-किफायती है। नए कोयले की प्राप्ति तथा नए उत्पाद को मद्देनजर रखकर हमें कोयला खानों को ताप बिजलीघरों से सम्बद्ध करने की प्रणाली की पूरी तरह समीक्षा करनी होगी।

ऐसी बहुत सी सम्पत्ति है जिन्हें कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय इस्तेमाल किया जा रहा था लेकिन अब राष्ट्रीयकरण के बाद उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। विभिन्न कोयला कंपनियों की ऐसी बहुत सी इमारतें तथा मकान हैं जिन्हें बिलकुल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि उन्हें राज्य सरकार को सौंप दिया जाए ताकि वह इनका अधिक उपयोगी कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सके। ऐसे बंगले तथा बड़ी-बड़ी इमारतें हैं जिन्हें कोयला कंपनियां इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। वे इनके रख-रखाव पर बहुत अधिक धनराशि व्यय करती हैं। कोयला कंपनियां इन इमारतों में कालेज हस्पताल या स्कूल खोल सकती हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करती क्योंकि उनके पास परिवहन के साधन नही हैं। बस-सेवा या तो है नहीं और अगर है तो बहुत सीमित क्षेत्र में ही है। इस स्थिति को देखते हुए कम्पनियां उन इमारतों आदि को राज्य सरकारों को सौंप सकती हैं और वह उनका बेहतर उपयोग कर सकती है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रबंध किया जा सकता है।

कोयला खानों में माफिया के प्रभाव की भी चर्चा की गई है। वहां माफिया है और हम यह बात स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसी भी कोयला खानें हैं जहां पारम्परिक तौर पर माफिया नहीं है लेकिन धीरे-धीरे उसका वहां उदय हो रहा है। पूर्वी तथा मध्य कोयला क्षेत्रों से माफिया को समाप्त किया जा रहा है लेकिन अब उसका उन कोयला खानों में उदय होने लगा है जहां वह पहले नहीं था। माफिया की गतिविधियों को मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की ओर नहीं बढ़ने देना चाहिए। यह समस्या बंगाल तथा बिहार में है। बंगाल और बिहार के माफिया महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की ओर जा रहे है। यह माफिया शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरूआत गलत प्रणालियों, जैसे कोयला-खनन के स्थान पर ही कोयले की बिक्री, के कारण हुई है। अत: माफिया उसे अपने नियंमण में ले लेते हैं। मैंने स्वयं कोयला खानों में प्रबंधकों के साथ बैठ कर विचार-विमर्श किया है। उन्हें धमकी दी जाती है। हमें अपनी नीति में परिवर्तन लाने पर विचार करना होगा। माफिया समस्या शांति और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या ही नहीं है। हमें विपणन तथा परिवहन प्रणाली में परिवर्तम करना होगा ताकि उसे इससे दूर रखा जा सके।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त करें।

**श्री कमल नाथ** : महोदय, रोजगार के सम्बन्ध में भी दो शब्द। मैंने इस समस्या को विभिन्न मामलों से मंत्रालय के समक्ष रखा है। कोयला विभाग में रोजगार केवल पैसे के बल पर ही मिलता है। इसका मुझे निजी तौर पर अनुभव है। मेरे चुनाव क्षेत्र से एक ग्रामीण मेरे पास आया और कहने लगा कि उसे नौकरी चाहिए। मैंने कोयला खान के सम्बन्धित अधिकारी को सहायता करने के लिए कहा। प्रबंधक ने मुझे जवाब दिया कि वह ग्रामीण कुछ प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाया है अत: उसे नौकरी नहीं मिल सकती। इस पर वह ग्रामीण मेरे पास आया और उसने मुझ से कहा

कि अगर मैं उसे 3000 रु० दे दूं तो उसे नौकरी मिल जाएगी। उसे मेरे पत्र की भी जरूरत नहीं थी। मैंने उसे 3000 रु० दिए और उसे नौकरी मिल गई। यह घटना कान्हा तथा पेंच क्षेत्र की है। पुलिस में मामला दर्ज हुआ। सरकार ने मामले की जांच की। पश्चिमी कोयला खानों के दो अफसरों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद क्या हुआ ? कुछ भी नहीं। अत: स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि एक तरफ तो सरकार तथा जनता के प्रतिनिधि चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो लेकिन उनके सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं क्योंकि कोयला विभाग में किसी को भी पैसे दिए बिना रोजगार नहीं मिलता। निष्कर्ष के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस बात का सुनिश्चिय करना चाहिए कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं फैले।

**श्री मूल चंद डागा** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने प्रति टन इस्पात की कीमत में 750 रु० से 1100 रु० तक की वृद्धि की है क्योंकि वर्ष 1982-83 में 3100 करोड़ रु० पर 300 से भी अधिक करोड़ की हानि हुई हालांकि पिछले छह: सालों में पांच बार कीमतों में वृद्धि की गई अर्थात् 3000 रु० से 5000 रु० तथा अब यह 6000 रु० से अधिक है। कोल इंडिया ने 1975 से 1983 के बीच 1600 करोड़ रु० मूल्य के कुल उत्पादन मे 9 बार कीमतों में वृद्धि की। इससे 190 करोड़ रु० की हानि हुई है। कीमतें बढ़ने से सबसे अधिक नुकसान लघु उद्योगों को होता है क्योंकि उन्हें निर्धारित कीमतों पर अनेक काम करने पड़े होते हैं तथा पैसे की कमी के कारण वे अपने पास इस्पात को स्टोर नहीं कर पाते। यदि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लाभ कमा सकती है और 20% लाभांश दे सकती है तो हैरानी की बात है कि अन्य संयन्त्र ऐसा क्यों नहीं कर सकते। साल दर साल कीमतों में वृद्धि तथा बढ़ती हानि को रोकने के लिए केवल एक उपाय है कि इन कंपनियों को 'नौकरशाह' बनाने के बजाए 'सार्वजिनिक' बनाया जाए।

[हिन्दी]

यह देश की दौलत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन यह क्यों हो रहा है ? इस अथारिटी के जो चेयरमैन हैं वे कहते हैं कि :

[अनुवाद]

सार्वजनिक इस्पात उद्योग कीमतों में कमी नहीं कर सकता। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं (i) अधिक कर्मचारी : भारत में इस्पात संयंत्रों में पश्चिमी देशों या दक्षिण कोरिया की तुलना में तीन या चार गुना अधिक लोग लगे हुए हैं; (ii) संयंत्रों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी को अति आधुनिक करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है; (iii) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्र, टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी की तरह एकीकृत नहीं हैं इसीलिए उनका कीमतों पर नियंत्रण नहीं है क्योंकि कोयला और ऊर्जा की कीमतें बाह्य स्रोतों द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णयों द्वारा निर्धारित होती हैं।

[हिन्दी]

यह किस लिए घाटा हुआ और इसके लिए कौन एकाउन्टेबल है ? किसी की भी एकाउन्टेबिलिटी नहीं है। हिन्दुस्तान में बोकारो, राउरकेला या फिर कौन सा लोहे का कारखाना है जहां पर फायदा हो रहा हो ? आप कोई भी कारखाना ले लीजिए, किसी में भी नफा नहीं हो रहा है। और जो कारखाने हैं उनमें आप सुधार भी नहीं कर रहे हैं लेकिन और कारखाने आप लगाना चाहते हैं। लेकिन यह जो घाटा हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

इसी तरह से आप कोल की हालत को भी देखिए :

[अनुवाद]

धनबाद में 21 मार्च को एसोशिएसन हाल में हुई उद्योग तथा वाणिज्य एशोसिएशन की 52वीं वार्षिक महासभा में अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा था कि "राष्ट्रीय-कृत कोयला क्षेत्र की स्थापना जिस काम के लिए की गई थी उसमें वह असफल रहा है । यह देश के लोहा तथा इस्पात उद्योग को उपयुक्त किस्म का कोयला उपलब्ध कराने में असफल रहा है जिसके कारण अधिक लागतों पर कोयले का आयात करना पड़ा । समय-समय पर हुई कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए स्पष्ट है कि यह कीमतें नियंत्रित करने में असफल रहा है । मेरे विचार से कीमतों में इस प्रकार की वृद्धि का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता ।

[हिन्दी]

इस तरह से कोल की हालत भी अच्छी नहीं है । आपके आपस में कोई कोआर्डिनेशन भी अच्छी नहीं है । कोल वाले कहेंगे कि रेल के डिब्बे नहीं हैं और स्टील वाले कहेंगे कि पावर की कमी है । लेकिन जब आप इतनी बड़ी धनराशि खर्च करके प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उसके बाद में आपकी इन बातों को कौन सुनेगा ?

इसी तरह से माइंस की हालत देखिए । आप माइंस में सेफ्टी रूल्स को ठीक तरह से फालो नहीं कर रहे हैं । सेफ्टी रूल्स को आबजर्व न करने के कारण काफी मजदूर उससे प्रभावित हुए हैं । अभी माफिया गैंग की बात कही जा रही थी कि कोयले की चोरी होती है । थर्मल पावर स्टेशन वाले कहते हैं कि कोयला सब-स्टैंडर्ड का होता है और एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय से को-आर्डिनेशन न होने के कारण कोयला भी समय पर नहीं पहुंच पाता है । स्टील और कोयले की हालत दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है । आप कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं । जब से कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तब से आज तक कोयले की कीमत पर आप एक दृष्टि डालें, कितनी वृद्धि हो चुकी है । कोयले की ऐसी स्थिति होने के कारण जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं । यदि कोयला कंज्यूमर तक पहुंचता, तो आज जंगल कटने से बच जाते । इसके लिए आप जिम्मेदार हैं । इसलिए मैं चाहता हूं, आप जवाब दें तो अपनी पूरी बातें कहें और बताएं कि किस प्रकार सेफ्टी रूल्स फॉलो करके आप मजदूरों को बचाएंगे ।

इतना कहते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ और सदस्यों को अभी बोलना है । अब इस्पात विभाग में राज्य मंत्री बोलेंगे । उसके बाद वे लोग बोल सकते हैं ।

**इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : उपाध्यक्ष महोदय, छोटे-मोटे एहसानों के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए ।

[हिन्दी]

**श्री डालचन्द्र जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब देने के बाद दूसरे सदस्यों के बोलने का क्या मतलब है ?

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे चर्चा में केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं। अन्तिम उत्तर कल श्री वसंत साठे देंगे।

**श्री के० नटवर सिंह** : मैं केवल स्टील क्षेत्र के सम्बन्ध में बोलने के लिए हस्तक्षेप कर रहा हूं। चर्चा का विस्तृत उत्तर कल मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री वसंत साठे देंगे और वे ही यहां उठाए गए सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। इसलिए महोदय, छोटे-मोटे एहसानों के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। पश्चिम बंगाल से मेरे सहयोगी ने कहा कि वे अपनी शुभकामनाएं श्री साठे तथा मेरे कार्य निष्पादन के लिए सुरक्षित रखेंगे। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी खुल्लमखुल्ला निंदा नहीं की यह बहुत अच्छा किया।

**श्री अमल दत्ता** : ऐसा क्यों कहते हैं ? मैंने कहा है कि लोग उनकी बेवजह प्रशंसा करते हैं। मैं अभी प्रशंसा नहीं करूंगा आपसे ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी।

**श्री के० नटवर सिंह** : मैंने यह नहीं कहा कि आपने हमारी निन्दा की है। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि मैं आपके द्वारा अभी बधाई न दिए जाने की बात की सराहना करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े आदर से सुना है तथा उन्होंने मंत्रालय के काम में जो रुचि ली है उससे मन प्रसन्न हुआ है। यहां उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कुछ पर विचार करने से पूर्व मैं आपकी तथा सदन की अनुमति से कुछ आरम्भिक टिप्पणियां करूंगा।

बहुत सालों बाद यह पहला अवसर है जब सदन को इस्पात विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने का अवसर मिला है। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि इससे हमें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के संबंध में माननीय सदस्यों के विचार जानने का मौका मिलेगा। मैं जानता हूं कि विगत में इस्पात क्षेत्र में जो कार्यनिष्पादन हुआ है उसमें अभी सुधार की गुंजाइश है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को 1982-83 तथा 1983-84 में काफी हानि हुई थी। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। निवेश लागत कीमतों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी और 1983-84 में संयंत्रों के पास इस्पात का स्टाक इतनी तेजी से अधिक बढ़ा कि उन्हें उसकी उत्पादन में कटौती करनी पड़ी। पर मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 1984-85 में 'सेल' को लाभ होने की आशा है। हिसाब-किताब को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही वास्तविक लाभ का पता चलेगा। यह लाभ मूल्यों के व्यावहारिक निर्धारण, उत्पादन स्तर में सुधार, तकनीकी कार्य निष्पादन में कुशलता और कार्यकारी पूंजी के अच्छे प्रबन्ध के कारण हुआ। 1985 के पहले तीन महीनों, जनवरी से मार्च तक के उत्पादन में वर्ष 1984 के इन्हीं तीन महीनों की अपेक्षा 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 1984-85 में 'सेल' के उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। 1984-85 में 'सेल' जिसमें 'इसको' भी शामिल है, का उत्पादन 53 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 11 प्रतिशत अधिक है। 1983-84 में 66 प्रनिशत क्षमता उपयोग हुआ जबकि इस वर्ष क्षमता उपयोग 73 प्रतिशत रहा। संयंत्र के तकनीकी कार्यनिष्पादन में भी सुधार हुआ तथा 1984-85 में कोक के मूल्यों में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई।

यह एक मामूली शुरूआत है। हम इस देश में एकीकृत इस्पात संयंत्रों की समस्याओं से पूर्णतः अवगत हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए पहले ही कदम उठा चुके हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस्पात उद्योग के सभी पहलुओं विशेषकर हमारे इस्पात संयंत्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार

लाने के लिए आवश्यक उपायों पर विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिए एक मंच बनाने के लिए एक इस्पात गोलमेज बैठक (स्टील राउंड टेबल मीटिंग) बुलाई है। इसके अनुसरण में हमने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए पांच दलों की नियुक्ति की है। उनके सुझाव प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किए जाएंगे। हमें उनकी रिपोर्ट अगले कुछ महीनों में मिल जाने की आशा है।

**श्री अमल दत्ता** : महोदय, जो पत्र वह पढ़ रहे हैं, वह उन्हें सभा-पटल पर रखने के लिए कहिए।

**श्री के० नटवर सिंह** : यदि आप चाहें, तो मैं पत्र सभा पटल पर रख सकता हूं किन्तु मैं इन पत्रों से ही उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि मैं बिल्कुल सही बात बताना चाहता हूं। इसमें कई तथ्य और आंकड़े हैं।

अगले कुछ वर्षों में हमारी योजना 'सेल' संयंत्रों में उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़ाकर 596 लाख टन करने तथा इसकी क्षमता उपयोग 73 प्रतिशत से बढ़ाकर 79 प्रतिशत करने की है। अनुमान है कि भिलाई और बोकारो का क्षमता उपयोग क्रमशः 89 प्रतिशत और 87 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा। हम कच्चे माल में सुधार तथा संयंत्रों के तकनीकी आर्थिक कार्य-निष्पादन में सुधार करने की ओर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं।

जैसा कि सदस्यों को जानकारी है सरकारी क्षेत्र के पांच इस्पात संयंत्रों में से तीन संयंत्र बहुत पुराने हैं और उन्हें आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है। हमने राउरकेला, दुर्गापुर और 'इसको' को आधुनिक बनाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। जैसे ही 7वीं योजना के लिए किए जाने वाले आबंटन का पता चलेगा, इन योजनाओं के सम्बन्ध में पूंजी निवेश करने का निर्णय लिया जाएगा। इन योजनाओं से इन संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि होगी, कीमतों में गिरावट आएगी और लाभ अधिक होगा।

हमारा इरादा इन संयंत्रों के लिए कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए केवल इनके आधुनिक बनाये जाने पर ही निर्भर रहना नहीं है। हमारा विचार है कि सभी स्तरों पर इसके कार्य-निष्पादन के लिए प्रभावकारी उत्तरदायित्व लागू करने के लिए कदम उठाएं जाएं ताकि अच्छे उत्पादन के लिए उन्हें उचित पुरस्कार/प्रोत्साहन दिया जा सके और खराब कार्य-निष्पादन के लिए उन्हें उचित दण्ड दिया जाए। उत्तरदायित्व के सिद्धांत में यह अधिकार निहित है कि जिसे उत्तरदायित्व सौंपा गया है वह किसी के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकता है। इससे लोकतांत्रिक प्रणाली में कुछ खतरे भी हो सकते हैं तथापि यह स्पष्ट है कि जब तक प्रभावकारी उत्तरदायित्व लागू नहीं किया जाता और प्रबन्धकों को प्रबन्ध कार्य संभालने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती तब तक इस्पात उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार लाना सम्भव नहीं होगा। वह एक ऐसा मामला है जिस पर हम प्राथमिकता के आधार पर विचार कर रहे हैं।

उत्तरदायित्व की उचित व्यवस्था लाना जितना महत्वपूर्ण है, प्रबन्धक और मजदूरों के आपसी सम्बन्धों का मामला भी उतना ही अहमपूर्ण है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस्पात के क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्ध पिछले कई वर्षों से बहुत सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं।

राष्ट्रीय संयुक्त परिषद ऐसा प्रभावकारी मंच सिद्ध हुआ है जहां प्रबन्धक और श्रमिकों के सम्बन्ध के बारे में चर्चा की जाती है और उनके मामलों का समाधान किया जाता है। इस परिषद ने महत्वपूर्ण काम यह किया है कि इसने इस्पात संयंत्रों की उत्पादकता में सुधार लाने का वचन दिया

है। वास्तव में उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से ही संयुक्त समितियां विभिन्न संयंत्रों के कार्यकरण की जांच कर रही हैं। इस्पात उद्योग के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक संघ नेताओं ने हमें पूरा सहयोग दिया है और प्रतिबन्धक प्रक्रियाओं आदि में कमी लाकर सुधार करने के लिए उनके सहयोग से हमने कई कदम उठाए हैं।

1984-85 में तैयार इस्पात का कुल उत्पादन 92.6 लाख टन हुआ। इसमें 70 लाख टन इस्पात मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित किया गया और शेष गौण उत्पादकों जैसे लघु इस्पात संयंत्रों, री-रोलर और आयात द्वारा उत्पादित किया गया। हमारा अनुमान है कि 1985-86 में उत्पादन बढ़कर 99.2 लाख टन हो जायेगा और 7वीं योजना के अन्त तक तैयार इस्पात का उत्पादन बढ़कर 130 लाख टन हो जाएगा। 7वीं योजना में 'सेल' जिसमें 'इसको' भी शामिल है, का योगदान 25 लाख टन होगा। छोटे इस्पात संयंत्रों में बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन लगभग 20 लाख टन है और यदि उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई की जाए तो निश्चित रूप से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। उनका उत्पादन शुल्क आदि में कमी करके उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं ताकि वे अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकें और राष्ट्र को अधिक योगदान दे सकें।

इस्पात जैसे उद्योग में उत्पादन लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में अनुसंधान और विकास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किए जा रहे कोकिंग कोयले की किस्म के सम्बन्ध में हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे ध्यान में रखते हुए यह अधिक महत्वपूर्ण है। हम भिलाई में कोयले के आंशिक ब्रिकेटिंग और कोयले के चूरे के अंतःक्षेपण सम्बन्धी योजना बना रहे हैं। इन दोनों से कोककारी कोयले के संरक्षण में सहायता मिलेगी। हम के० आर० और 'इनरेड' प्रक्रियाओं, जो दोनों ही गैर-कोककारी कोयले तथा बिजली की कम खपत पर आधारित हैं, के माध्यम से इस्पात का उत्पादन करने के लिए दो बड़ी योजनायें बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। कोकिंग कोयले की उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करने तथा उसको संरक्षण करने के अतिरिक्त 'सेल' ने इस्पात की नई किस्मों का भी विकास किया है, जिससे हम इस्पात के आयात में कमी कर पाए हैं।

मुझे विश्वास है कि इस देश के औद्योगिकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

**श्री डालचन्द्र जैन** (दमोह) : लोहे के दाम जो इतने बढ़ गए हैं, इसके बारे में भी मंत्री जी कुछ बतलायें।

**श्री के० नटवर सिंह** : लोहे के दामों के बारे में भी आपके सामने निवेदन करूंगा अगर आप मुझे समय देंगे।

[अनुवाद]

1984-85 के दौरान मुख्य उत्पादकों को इस्पात के मूल्यों में दो बार वृद्धि करनी पड़ी। वृद्धि से प्राप्त राशि आंशिक रूप से इंजीनियरिंग सामान निर्यात सहायता निधि, जे० पी० सी० फंड और भाड़ा समानीकरण फंड में गई। उत्पादकों को मूल्यों में वृद्धि इसलिए करनी पड़ी कि वे उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को पूरा नहीं कर पा रहे थे। 1984-85 में कोककारी कोयले की लागत में पिछले वर्ष की अपेक्षा 18% वृद्धि हुई है। बायलर कोयले तथा विद्युत खरीद लागत में क्रमशः 12

प्रतिशत और 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सदस्य इससे सहमत होंगे कि कोई भी उद्योग तब तक लाभ नहीं कमा सकता। जब तक वह उत्पादन लागत पूरी नहीं करता। इस्पात के वर्तमान मूल्यों से वर्तमान उत्पादन लागत पूरी हो जाती है और इससे इस्पात उद्योग को विकास करने में सहायता मिलेगी।

महोदय, थोक मूल्य सूचकांक में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। हमारा अनुमान है कि अगले 12 महीनों में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी, बशर्ते कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में कुछ अप्रत्याशित नहीं घटता और उससे जे० पी० सी० को मूल्यों में वृद्धि करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। लेकिन हमारा अनुमान है कि अगले 12 महीनों में मूल्यों में और वृद्धि होने की संभावना नहीं है। जहां तक देश में इस्पात के वर्तमान मूल्यों का सम्बन्ध है, मैं इससे सहमत हूं कि मूल्य अधिक हैं। लेकिन कुछ समय पूर्व एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि इसके मूल्य अन्य देशों, विशेषकर औद्योगिक देशों में इस्पात के मूल्यों के मुकाबले काफी ठीक हैं।

महोदय, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में श्री मूर्ति ने विस्थापित किए गए लोगों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे हैं।

आंकड़े इस प्रकार हैं- संयंत्र में 12000 श्रमिकों को काम मिल सकता है क्योंकि संयंत्र अब बहुत आधुनिक बनने जा रहा है और हमारे पास श्रम बचाने के उपकरण हैं। विस्थापित परिवारों की संख्या 25,000 है। आप इस बात से सहमत होंगे कि इन सभी परिवारों को रोजगार देना संभव नहीं है, फिर भी हम जितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उसके लिए भरसक प्रयत्न करेंगे।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : आप कितने वर्षों में ऐसा कर पायेंगे ?

**श्री के० नटवर सिंह** : इस समय हमारा अनुमान है कि इस दशक के अन्त तक संयंत्र सभी को रोजगार दे पाएगा। इसमें एक-दो वर्ष अधिक भी लग सकते हैं। संयंत्र संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए हम आज शाम प्रधानमंत्री जी के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं।

वर्ष में 25,000 से 30,000 के बीच ठेका मजदूर काम पर आते हैं। लगभग 4,000 से 5000 विस्थापित लोगों को रोजगार दिया जाता है। माननीय सदस्य ने भूमि के प्रश्न का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 75,000 एकड़ भूमि अर्जित की जा रही थी। मेरा अभिप्राय है कि उन्होंने कहा···

**श्री एस० एम० भट्टम** : मैंने कहा था कि 5,000 से 10,000 एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है।

**श्री के० नटवर सिंह** : क्या आपने ऐसा कहा ? मैं आपको सही आंकड़े बताऊंगा। मूल परियोजना के लिए 27,455 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। पुनरीक्षा करने के पश्चात् इसे कम करके 23,638 एकड़ बनाया जा रहा है। अन्य तीन संयन्त्रों के आंकड़े इस प्रकार हैं : भिलाई 33,771 एकड़; बोकारो 30,984 एकड़ और राउरकेला 32,568 एकड़। 14,035 एकड़ निजी भूमि का अर्जन किया जाना है। हम पहले ही 12,503 एकड़ भूमि अर्जित कर चुके हैं। शेष 1,532 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है। शेष 9,600 एकड़ भूमि सरकारी भूमि है।

एक माननीय सदस्य ने उत्पादन और आयात के सम्बन्ध में टिप्पणी की और कहा कि 'सेल' अलग किस्म के स्टील का उत्पादन कर रहा है, जिससे उसके पास 10 लाख टन इस्पात का भंडार इकट्ठा हो गया है जबकि बड़ी मात्रा में इस्पात का आयात किया जा रहा था। मुझे संदेह है कि

उनका अनुमान तथ्यों पर आधारित नहीं है। 1-4-1985 को 'सेल' के पास करीब 5 लाख टन इस्पात का भंडार था जबकि उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक था। ये भंडार देश की आवश्यकता से बहुत कम है और यह इस तथ्य का प्रमाण है कि 'सेल' का उत्पादन बाजार की आवश्यकता के अनुकूल है और आयात भी आवश्यकता से अधिक नहीं किया गया क्योंकि यदि आयात अधिक किया गया होता तो 'सेल' के पास इस्पात का काफी भंडार होता।

सलेम इस्पात संयन्त्र की वितरण सम्बन्धी नीति के बारे में प्रश्न उठाया गया था। सलेम इस्पात संयन्त्र की वितरण सम्बन्धी नीति यह है कि उसके द्वारा किसी भी श्रेणी के खरीददार से भेदभाव नहीं किया जाता तथा सामान्य वाणिज्यिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अधिक मात्रा में इस्पात खरीदने वाले को अधिक छूट दी जाती है। महीने में की गई कुल खरीद के अनुसार 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक छूट दी जाती है। स्टेनलेस स्टील के अन्य उत्पादकों को भी इतनी ही छूट दी जाती है।

छूट देने की योजना का उद्देश्य ग्राहक बनाये रखने और उन्हें सलेम इस्पात संयन्त्र से अधिक मात्रा में इस्पात खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। सितम्बर, 1983 में शुरू की गई इस योजना के परिणामस्वरूप तैयार उत्पादों का भंडार कम हुआ है जबकि बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब विजयनगर तथा दैत्तारी के विषय में माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में कल मेरे वरिष्ठ साथी उन पर बोलते हुए विस्तार से बतायेंगे। मैं इन दोनों संयन्त्रों के बारे में केवल यह कहना चाहता हूं कि उनके बारे में सरकार की वचनबद्धता तथा मूल स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परेशानी केवल संसाधनों की है, वित्त की है तथा विद्युत सप्लाई की है। मैं यहां बिजली की सप्लाई के बारे में पहले जो चर्चा हो चुकी है उस पर कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि निरन्तर कर्नाटक की सरकारो का हमारा अनुभव विशेष रूप से ठीक नहीं रहा। यहां तक कि कुद्रेमुख के लिए भी पर्याप्त सप्लाई नहीं दी गई। यदि आपको आंकड़े चाहिए तो आंकड़े मेरे पास हैं। यद्यपि भारत सरकार ने चक्र अपवर्तन योजना के लिए 68 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी, परन्तु पिछले वर्ष बिजली में बहुत अधिक कटौति हुई। सन् 1983, 84-85 में तथा यहां तक कि आज भी हमें यह बताया गया है कि केवल 60 लाख यूनिट बिजली प्रतिमाह उपलब्ध होगी जबकि आवश्यकता इससे दोगुनी मात्रा की है। इसी प्रकार से भद्रावती संयन्त्र के लिए भी बिजली सप्लाई में 25 से 50 प्रतिशत तक की कमी है। फिर भी हम सातवीं योजना में इन दोनों परियोजनाओं के लिए आवश्यक राशि देने का अधिकतम प्रयास करेंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रोजगार के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। यदि माननीय सदस्य रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर सम्भव ध्यान रखा गया है। जहां तक सम्भव हो सकेगा उनको रोजगार प्रदान किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य ने बताया कि इस्पात उद्योग के कुछ क्षेत्रों में व्यर्थ खर्चा किया जा रहा है। यह बताने के लिए मैं उनका आभारी हूं। जबकि उन्होंने यह संख्या करोड़ों में बताई है। मैं यह कहूंगा कि यह बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई है। जहां भी हमें व्यर्थ खर्चे के बारे में पता चलता है मैं खुद इस पर विचार करता हूं। इस मन्त्रालय का भार संभालते ही मैंने एक कार्यलयी आदेश जारी किया था कि जब तक अत्यन्त आवश्यक न हो, 1 जनवरी से 1 जून तक कोई यात्रा न की जाए। इसी प्रकार से विभिन्न संयन्त्रों पर खर्चे को न्यूनतम कर दिया है।

**श्री जगन्नाथ पटनायक** (कालाहन्डी) : पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे इस्पात संयन्त्रों को भारत के आधुनिक मन्दिर, ठीक ही कहा था। आज के आधुनिक युग में यही एक मूल एकक है जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था अधिकांशतः निर्भर करती है।

बहुत से सदस्यों ने बहुत से अमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं मन्त्री जी का ध्यान केवल इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि हम विभिन्न ग्रेड के लगभग 15 इस्पातों का आयात करते हैं। इस समय इन विभिन्न ग्रेडों के सभी अभिकल्प प्राचल डिजाइन पैरामीटर्स हमें आसानी से उपलब्ध हैं क्योंकि रांची अनुसन्धान प्रयोगशाला तथा अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने एक नयी प्रौद्योगिकी निकाली है। इसीलिए हमें अपने इस्पात कारखानों में उत्पादन का विस्तार करना चाहिए तथा इसे विदेशों से आयात करने की बजाय इन सभी किस्मों के इस्पात का उत्पादन करना चाहिए।

मेरे राज्य उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयन्त्र है। अधिकांश समय यह घाटे में ही चलता है। इसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। प्रबन्धक हमेशा यही कहते रहते हैं कि यह, बिजली की कमी, कोयले में राख के तत्व की अधिकता तथा रेल वैगन मिलने में परेशानी के कारण है। निपिण्ड इस्पात में इसकी क्षमता घटकर 65 प्रतिशत रह गई है। इनमें से कुछ परेशानियां यहां हो सकती हैं। परन्तु इस घाटे का प्रमुख कारण है चोर बाजारी। दूसरे, मजदूर संघों द्वारा गठित सहकारी समितियां हैं। उनको ठेका देने की बजाय ये गैर-सरकारी ठेकेदारों को ठेका दे रहे हैं। नतीजा यह होता है कि एक ओर हम घाटा उठा रहे हैं तथा दूसरी ओर मजदूरों को लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि मध्यस्थ लोग अधिकांश हिस्सा ले जाते हैं। इसीलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, जैसा कि आप जानते हैं, महोदय, मेरे राज्य, उड़ीसा में ईब नदी घाटी में कोयले के सबसे अधिक भण्डार उपलब्ध हैं। ताल्चेर तथा ईब नदी की घाटी में कोयले के नये भण्डार मिल रहे हैं। गोपालपुर नामक स्थान पर कोयले के भारी भण्डार हैं। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वह वहां महा तापीय विद्युत स्टेशन स्थापित कराने के लिए इस मामले को विद्युत विभाग के साथ उठाएं, जो देश के बहुत काम आएगा तथा देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में बड़ा सहायक होगा।

उड़ीसा के बहुत से जिलों, जैसे-कालाहन्डी में बॉक्साइट तथा अन्य खनिजों के बहुत से भण्डार हैं। इसीलिए भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग को उन सभी क्षेत्रों को ले लेना चाहिए ताकि बॉक्साइट तथा अन्य मूल्यवान खनिजों के लिए नया क्षेत्र उपलब्ध हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

**श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्बन्धित मन्त्री द्वारा पेश की गई इस्पात, खान तथा कोयला मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। यह एक महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय है क्योंकि राष्ट्र के विकास के साथ इसका सीधा सम्बन्ध है। हमारे देश के प्रथम प्रधान मन्त्री तथा आधुनिक भारत के निर्माता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे तथा उन्होंने ठीक ही यह महसूस किया था कि राष्ट्र के निर्माण तथा प्रजातन्त्रीय समाज में आस्था रखने वाले देशों के लिए, इस्पात बहुत ही आवश्यक है, विदेशी सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्रों में इस्पात कारखाने लगाने का उन्होंने निर्णय लिया। परन्तु, महोदय; मुझे यह टिप्पणी करते हुए दुःख होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे कारखानों की दशा अधिक ठीक नहीं है। बल्कि, उनका कार्य निष्पादन बहुत ही असन्तोषजनक है। इसकी तस्वीर बहुत ही खराब है। इस सम्मानीय सदन में

आज इस्पात विभाग की मांगों पर चर्चा की जा रही जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक इस उद्योग का सम्बन्ध है यह बहुत ही अव्यवस्थित है। हमने अभी हाल ही में इस्पात के दामों में वृद्धि को देखा है। यदि मुझे ठीक से याद है, तो 86 वर्ष की थोड़ी सी अवधि में इस्पात के दामों में 3 बार वृद्धि हो चुकी है। सन् 1979 में दाम 2000 रु० प्रति टन के लगभग थे परन्तु आज यह लगभग 6000 रु० प्रति टन है। जब इस्पात, जो राष्ट्र के निर्माण कार्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है, के दाम बढ़ते हैं तो सामान्यतः इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ता है। इसीलिए इस्पात कारखानों में जो दशा है वह निश्चय ही सरकार के लिए एक चुनौती है, विशेष रूप से हमारे मन्त्री तथा इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री के लिए यह एक चुनौती है। यह सन्तोष की बात है कि ये सुधार के कुछ उपाय किए जा रहे हैं ताकि इस्पात संयन्त्रों का कार्य-निष्पादन ठीक रास्ते पर फिर से वापिस आ सकें। इस्पात उत्पादन की लागत के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले हमारे राज्य मन्त्री ने सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा की गई कारंवाई को उचित बताने का प्रयास किया है। परन्तु मेरे विचार से वे पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए। मैं यह नहीं कह रहा कि यह बिल्कुल गलत है परन्तु

**6.00 म० प०**

यह पूरी तरह ठीक भी नहीं है। यह एक रहस्य से भी बढ़कर बात है जो समझ में नहीं आती, जबकि सरकारी क्षेत्रों के निगमों में इस्पात उत्पादन की लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, 'टिसको' कम्पनी जो एक गैर-सरकारी निगम है, की उत्पादन लागत में समानुपाती वृद्धि नहीं हुई ? यदि ऐसा नहीं है तो माननीय मन्त्री को जवाब देना चाहिए।

इस्पात संयन्त्रों की दशा सुधारने हेतु इतने सारे उपाय करने के लिए मैं मन्त्री को बधाई देता हूं परन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह उन्हें तथा सरकार को एक चुनौती है। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि इस्पात संयन्त्रों से पंडित नेहरू को बहुत बड़ी आशाएं थी तथा चूंकि हम लोकतान्त्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं अतः यदि सरकारी क्षेत्र के निगम इस तरह का गलत रवैय्या करने लगे तथा घाटा उठाने लगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा ? यह एक मूल समस्या है। इसीलिए सरकार को तथा मन्त्री जी को इस तथ्य को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। इस उद्योग की कमियों के बारे में बहुत से वक्ताओं ने बहुत से कारण बताएं है। सबसे पहली कमी है, इस्पात संयन्त्रों के प्रबन्धकों में संयन्त्रों के प्रति अपनत्व की भावना न होना तथा प्रबन्धकों तथा कामगारों के बीच आदर्श सम्बन्ध का न पाया जाना। जो सम्बन्ध निस्सन्देह मन्त्री जी ने कहा है कि पिछले दो वर्ष से ये सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ बड़ी हड़तालें न हुई हों परन्तु मैं यह कहने की हिम्मत रखता हूं कि राउरकेला तथा कुछ अन्य इस्पात संयन्त्रों में उनके सम्बन्ध सन्तोषजनक तथा पूर्णसौहार्द नहीं कहे जा सकते तथा उनमें सुधार करने की गुंजाइश है।

फिर चोरी के सम्बन्ध में, मेरे विचार से सब जानते हैं कि प्रत्येक इस्पात संयन्त्र में बड़े पैमाने पर रात दिन चोरी हो रही है चाहे वह राउरकेला इस्पात संयन्त्र हो, या भिलाई हो या बोकारो हो या कोई अन्य इस्पात संयन्त्र। मैं इसे बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहा, परन्तु मुझे इतना पता है कि यह प्राधिकरण के कुछ लोगों की शह से होता है। किसी कड़े तरीके से इसे रोका जाना चाहिए। प्रबन्धकों तथा कामगारों में संयन्त्र के प्रति अपनत्व की भावना पैदा की जानी चाहिए जो इस्पात संयन्त्रों के समस्त कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है।

मैं अब अपने राज्य उड़ीसा की उचित मांगों पर आता हूं। सर्वप्रथम मैं [illegible]री में नए इस्पात

कारखाना लगने के बारे में बोलना चाहूंगा उड़ीसा के लोगों के लिए यह एक सपना रहा है तथा मुझे नहीं पता कि इसे कब कार्य रूप में परिवर्तित किया जायेगा। बजट में केवल एक करोड़ की नाम मात्र सहायता से उड़ीसा के लोग कितने दिन इंतजार करेंगे? उड़ीसा में जैसा कि इस सदन में पहले कहा है, गरीबी है, परन्तु प्राकृतिक संसाधन भगवान ने उसे प्रचुर मात्रा में दिए हैं। यह उड़ीसा के नेताओं को ही नहीं बल्कि राष्ट्र के नेताओं को भी फिर एक चुनौती है। इस संयंत्र का शिलान्यास बहुत पहले किया गया था। परन्तु वास्तव में इस पर कुछ कार्य नहीं हो रहा तथा माननीय मंत्री कुछ रोज पहले इस सदन में उत्तर देते हुए यह बता रहे थे कि वहां बिजली की समस्या है। मानते हैं बिजली की समस्या केवल उड़ीसा में ही नहीं परन्तु लगभग भारत में हर जगह है। बहुत से राज्यों में हम बिजली की कमी महसूस कर रहे हैं। परन्तु संयंत्र का काम चालू न करने का यह कारण नहीं हो सकता। इन हालातों में हमारे पास सुरक्षित बिजली संयंत्र होने चाहिएं। केवल कोयले या इस्पात की ही हमारे पास अलग से समग्र प्रणाली नहीं होनी चाहिए बल्कि यह इस्पात संयंत्र तथा अन्य चीजों को मिलाकर होनी चाहिए। उड़ीसा में काफी कोयला है, जैसा कि पहले वक्ता ने बताया है। उड़ीसा के सम्बलपर जिले की इस घाटी में तथा धनकनाल जिले के ताल्चेर क्षेत्र में कोयले के भारी भण्डार हैं। 200 मीटर गहरे तथा चौड़े क्षेत्रों में कोयला मिला है। सारे विश्व में कोयले के इतने बड़े भण्डार एक अद्वितीय वस्तु है। सम्बलपुर जिले की इब घाटी में तथा धनकनाल जिले के ताल्चेर क्षेत्र में एक महातापीय विद्युत स्टेशन लगाया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ इस्पात संयंत्रों में हम सुरक्षित विद्युत घर बना सकते हैं। उड़ीसा में केवल एक ही इस्पात संयंत्र नहीं होना चाहिए, यहां दो और इस्पात संयंत्र स्थापित करने तथा लगाने का औचित्य है। जब इस्पात बहुत से स्थानों पर उपलब्ध नहीं है तो हम इस मांग पर चर्चा कर रहे हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि सरकार के लिए यह एक चुनौती है। कई नजरों में, जिनमें मेरा स्थायी निवास स्थान साम्बलपुर भी शामिल है, इस्पात उपलब्ध नहीं है। इस्पात उपलब्ध न होने के कारण बहुत-सी री-रोलिंग मिलों ने कार्य करना बन्द कर दिया है। मैं समझता हूं राउरकेला इस्पात संयंत्र से इस्पात न मिलने के कारण हीराकुण्ड री-रोलिंग मिल ने, जो आई० डी० सी० की एक एकक है, कार्य करना बन्द कर दिया है। यह दशा है। अब आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि उड़ीसा के दैतारी क्षेत्र में नया इस्पात संयंत्र लगाने के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त कीजिए। आपने 12 मिनट पहले ही ले लिए हैं।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : आपने मुझे मजबूर किया कि मुझे शाम के 6 बजे के बाद बोलना चाहिए। इसीलिए मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : फिर भी आपको केवल 10 मिनट बोलने की अनुमति दी गई थी। इसीलिए समाप्त करने का प्रयास कीजिए।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : कोयले के बारे में मुझे एक बात कहनी है। जबकि हमारे क्षेत्रों, साम्बलपुर जिले के इब क्षेत्र में, तथा धनकनाल जिले ताल्चेर क्षेत्र में, कोयले के भारी भण्डार हैं, इब का नियन्त्रण वेस्टर्न कोल फील्ड डिवीजन, नागपुर के हाथ में है। इस प्रकार नागपुर से इब कोयला क्षेत्रों का नियन्त्रण होता है। इसी प्रकार से ताल्चेर पर सेण्ट्रल कोल्ड फील्ड का नियन्त्रण है, जिसका मुख्यालय रांची में है, परिणाम यह है कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता। यहां तक कि जब कोयला क्षेत्रों का विस्तार होता है तो जिन लोगों की भूमि अर्जित की जाती है उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दिया जाता। इसीलिए मेरा आग्रह यह है कि इस क्षेत्र के कोयला क्षेत्रों के उचित

विकास तथा कार्य-निष्पादन के लिए इन दोनों कोयला क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग कोयला डिवीजन बनाया जाए जिसका मुख्यालय उड़ीसा में हो।

दूसरी बात है कि समीप में 'नेल्को' का कारखाना लग रहा है तथा जो भूमि इस परियोजना के लिए अर्जित की जा रही है उसके बदले में मुआवजे की दर हमारे कोयला क्षेत्र की दर से अधिक है। इसीलिए, नेल्को की दरों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय कोयला प्राधिकरण द्वारा जिन लोगों की भूमि अर्जित की जा रही हैं, उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्थानीय रोजगार भी दिया जाना चाहिए, वरना वहां असन्तोष बढ़ता ही जाएगा।

समाप्त करने से पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उड़ीसा में बहुत सी खानें तथा कोयला क्षेत्र हैं। बहुत से क्षेत्रों में अभी काम शुरू होना बाकी है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

**6.11 म० प०**

**तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 12 अप्रैल, 1985/22 चैत्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

---

नरेन्द्रा प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली-110005